World Translation

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

World Translation

A International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

E-mail : worltranslation04@gmail.com

Published By : Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Email: akhandpublishing@yahoo.com

World Translation
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal
January-June 2024

Vol-19, January-June 2024

ISSN No : 2278-0408

IIFS IMPACT FACTOR 5.375

World Translation

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editor in Chief
Prof. Ashok Singh

Dr. Surendra Pandey
(Editor)

Dr. Vikash Kumar
(Editor)

Vol. 19 January– June. 2024 ISSN: 2278-0408 **Impact Factor: 5.375**

WORLD TRANSLATION

[An International Multidisciplinary Peer Reviewed
Refereed Research Journal]

Chief Editor
Prof. Ashok Singh

Editors
Dr. Surendra Pandey
Dr. Vikash Kumar

Published by
Akhand Publishing House, Delhi (India¼
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Mob. 9968628081 Email: akhandpublishing@yahoo.com

Note: The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of individual author and not to the publisher.

Email: worldtranslation04@gmail.com,

Website: https://worldtranslation.in/
Mobile No. 9451173404, 9470828492

Vol. 19 January– June. 2024 ISSN: 2278-0408 **Impact Factor: 5.375**

Chief Editor

Prof. Ashok Singh
Vice Chancellor, Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur, Chhattisgarh

Editor

Dr Surendra Pandey
Assistant Professor, Department of Hindi, Kooba P.G. College, Dariapur, Newada, Azamgarh

Dr Vikash Kumar
Assistant Professor, Department of Hindi, Shri Varshney College, Aligarh, U.P

Deputy Editor

Dr Santosh Bahadur Singh
Assistant Professor, Department of English Lady Irwin College, University of Delhi

Dr Ritu Varshney
Assistant Professor, Department of Hindi, Kirori Mal College, University of Delhi

Executive Editor

Dr Varsha Singh
Associate Professor
Department of English
Deshbandhu Collge, University of Delhi

Dr Lal Singh
Assistant Professor, Department of Law, Shri Varshney College, Aligarh

Sub Editor

Dr Arun Kumar Mishra
Assistant Professor, Department of Hindi, M.D.P.G. College, Pratapgarh

Managing Editor

Dr Vinay Kumar Shukla
Associate Professor,
Govt. Ramanuj Pratap Singdev P.G. College
Koriya, Chattisgarh

Legal Advisor

Dr. Mukesh Kumar Malviya
Assistant Professor, Department of Law,
Kashi Hindu Vishwavidyalaya, Varanasi

WORLD TRANSLATION
....An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editorial Board

1. Prof. Anita Singh, Department of English, Banaras Hindu University, Varanasi.
2. Prof. Surendra Pratap, Department of Hindi, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. Prof. Vasisth Anoop, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi.
4. Prof. Champa Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi.
5. Prof. Gajendra Pathak, Department of Hindi, Hyderabad University, Hyderabad.
6. Prof. Mritunjay Singh, Shanti Prasad Jain College, Bihar.
7. Prof. S.R. Jaishree, Kerala University, Kerala.
8. Prof. Sunita Singh, Faculty of Education, Le Moyne College, South New York, US.
9. Prof. Manoj Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi.
10. Prof. Vinod Kumar Mishra, Department of Hindi, Central University, Tripura.
11. Prof. Satish Chandra Dubey, Department of Philosophy, Banaras Hindu University, Varanasi.
12. Prof. Umapati Dixit, Kendriye Hindi Sansthan, Agra.
13. Prof Prabhakar Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi.
14. Prof. Savitri Singh, Department of Sanskrit, Rohtas Mahila Mahavidyalaya, Sasaram, Bihar.
15. Prof. Devendra Pratap Singh, Kooba P.G. College, Dariapur, Nevada, Azamgarh.
16. Prof. Abhimanyu Yadav, Principal, Kooba P.G. College, Dariapur, Nevada, Azamgarh.
17. Dr Vikash Kumar Singh, Assistant Professor, AIHC & Archeology Department, Banaras Hindu University, Varanasi.
18. Dr Jitendra Kumar Singh, Associate Professor, Department of Hindi, Central University of Rajasthan, Rajasthan.

19. Dr Rajesh Garg, Associate Professor, Department of Hindi, Allahabad University, Allahabad, Uttar Pradesh.
20. Dr Digvijay Singh, Department of Hindi, K.D.V. Degree College, Dubhar, Balia UP.
21. Dr Santosh Patel, Assistant Registrar, Delhi Teacher University, New Delhi.
22. Dr Chandrasekhar Chaubey, Assistant Professor, Kendriye Hindi Sansthan, Nagaland.
23. Dr Vijay Kumar Rode, President, Department of Hindi, Savitribai Phule University, Pune, Maharashtra.
24. Rishi Bhushan Chaubey, Department of Hindi, Presidency University, Kolkata.
25. Dr Sachidanand Chaubey, Associate Professor, President, Department of History, Siddhartha University, Kapilvastu, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
26. Dr Arvind Kumar, Assistant Professor, Department of Hindi, Dr Hari Singh Gour University, Sagar, MP.
27. Dr Afroz Begum, Assistant Professor, Department of Hindi, Dr Hari Singh Gour University, Sagar, MP.
28. Himanshu Kumar, Assistant Professor, Department of Hindi, Dr Hari Singh Gour University, Sagar, MP.
29. Dr Preeti Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Himachal Pradesh Kendriya University, Dharmshala, Himachal Pradesh.
30. Dr Sujeet Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Allahabad University, Allahabad, Uttar Pradesh.

विषय-सूची
Contents

PART–I

1. इतिहास और साहित्य में भारत की संकल्पना — 3
—डॉ. संगीता मौर्य

2. हिन्दु धर्म में संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व — 16
—डॉ. चेतना

3. वर्तमान में भगवद्गीता के ज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ — 25
—डॉ. अंजना रानी उपाध्याय

4. वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिये भारत के नवीनीकृत प्रयास — 32
—प्रीतम कुमार

5. ब्रज संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय और वर्तमान समय में उसका महत्व — 40
—मुकुल लवानिया

6. युवा श्रोताओं की प्रकृति एवं उपयोगिता का अध्ययन (मन की बात के विशेष सन्दर्भ में) — 47
—हर्षवर्धन पाण्डे

7. आजादी के अमृत महोत्सव मे-पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्वाचल के गाँधी बाबा राघवदास के योगदान का स्मरण — 57
—मुकुल लवानिया

8. अनामिका के काव्य में स्त्री विमर्श की पृष्ठभूमि — 67
—रूपम देवी

9. कालिदास की कृतियों में प्राकृतिक सौन्दर्य — 76
—प्रो॰ (डॉ॰) सावित्री सिंह

10. भारवि रचित 'किरातार्जुनीयम्' महाकाव्य के प्रथम सर्ग में राज-व्यवस्था का वर्णन — 86
—प्रो॰ (डॉ॰) सावित्री सिंह

11. ईशावास्योपनिषद् : ज्ञानयुक्त कर्म अर्थात् अनासक्त कर्म का मार्गकालिदास की कृतियों में प्राकृतिक सौन्दर्य — 91
—अलका केशरी

12. राष्ट्रकवि दिनकर के काव्य-नाटक "उर्वशी" का भाषा-सौष्ठव 96
—डॉ० अविनाश कुमार पाण्डेय

13. असगर वजाहत के उपन्यासों में ग्राम्य जीवन 100
—राधेश्याम

14. हिन्दी कहानी और आदिवासी स्त्रियों की व्यथा 106
—डॉ० भावना सिंह शाक्य

15. समकालीन हिन्दी काव्य में नारी चेतना 109
*— *डॉ० ममता मिश्रा, **ज्योति अवस्थी*

16. भारत और जलवायु परिवर्तन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 113
—डॉ० आनन्द कुमार चौबे

17. 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति 125
—डॉ० आनन्द कुमार चौबे

18. 'पृथ्वीराज रासो' की प्रमाणिकता का प्रश्न? 137
—अतुल कुमार

19. कड़ा और इलाहाबाद के विशेष संदर्भ में मऊआइमा: एक ऐतिहासिक अध्ययन 141
*— *डॉ. मोहम्मद आदिल, **जावेद जिया*

20. आधुनिक काल में सशक्त स्त्री की दशा एवं दिशा 155
*— *राजश्री, **डॉ० चित्रलेखा*

21. 'हंस' के संपादक राजेंद्र यादव का संपादकीय 161
—कुमारी विभा

22. बेटी वियोग : स्त्री की समस्याओं का सजीव अंकन 170
—डॉ० पूनम कुमारी

23. एकल माताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) 176
*— *बबिता, **प्रो० कृष्णा अग्रवाल*

24. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : समावेशन एवं अपवर्जन 187
*— *डॉ. जीतेंद्र प्रताप, **लवलेश कुमार विश्वकर्मा*

25. मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में शिल्प 195
—डॉ. आलोक कुमार सिंह

26. पुरुषार्थों का समाजशास्त्रीय एवं शैक्षिक महत्व 200
—डॉ० रवेन्द्र राजपूत

27. सामाजिक नियन्त्रण में शिक्षा की भूमिका 209
—डॉ० रवेन्द्र राजपूत

28. महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा एवं पत्रकारिता 216
—डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय

29. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में नारीवाद 221
—प्रियांशी द्विवेदी

30. प्रेमचंद के उपन्यासों में राजनीतिक चेतना 229
— डॉ० विकास कुमार

PART–II

1. An Appraisal of Crime of Acid Attack in India 3
—Prof. (Dr) Shiti Kanth Dubey

2. Climate Change and the Indian Economy - A Review 12
—Dr. Ajay Kumar Singh

3. "Revisiting The Murder of Roger Ackroyd by Agatha Christie Through the Lens of Women and Their Desires" 17
—Niharika Agarwal

4. The Role of Women in Victorian Literature 28
—Amit Kumar

5. The Impact of Covid-19 on E-Commerce in India and Consumer Protection Act 2019 40
—Dr. Krishna Bajpai

6. The Study of English Literature 51
—Garima

7. Encouraging Consumer Rights in India: The Significance of Consumer Protection Act, 2019 59
—Dr. Krishna Bajpai

8. Study on process management and competitiveness of SMEs in Bihar 69
—Satya Prakash Ranjan

PART – I

इतिहास और साहित्य में भारत की संकल्पना

डॉ. संगीता मौर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गाजीपुर

भारत का इतिहास बहुत विशाल और समृद्ध रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी यह प्रसिद्धि इसकी सम्पन्नता की ओर संकेत करता है। वह सम्पन्नता चाहे ज्ञान की रही हो, चाहे धन–धान्य की। व्यापारिक दृष्टि से भारत वैश्विक स्तर पर अनेक देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। लगभग चौथी सदी ई.पू. सिकंदर भी इसी प्रसिद्धि के कारण भारत आने को विवश हुआ। प्राचीन समय में रोम और भारत एक दूसरे से परिचित थे जबकि सिकंदर के भारत आगमन के साथ ही भारत और यूरोप के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए। दोनों देशों के विद्वान और व्यापारियों का आगमन होता रहा। फलतः दोनों देश एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से परिचित होते गए। इस संबंध में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, "जब यूरोप और भारत के बीच के देशों में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया तब रोम और भारत के बीच का सीधा संबंध टूट गया और इटली तथा वेनिस के व्यापारी मिश्र से यूरोप तक का सफर करने लगे। भारत में रूढ़ियाँ बढ़ने लगीं और यह माना जाने लगा कि जिन देशों में आर्य नहीं बसते, वहाँ जाना पाप है। इस प्रकार भारतवासियों की सांस्कारिक जकड़बंदी का प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ा और वे सारी दुनिया को भूल कर केवल अपने देश के आदमी रह गए।" वास्कोडिगामा के भारत आगमन के पश्चात धीरे–धीरे पुर्तगाली समुद्र और भारत भूमि पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने लगे। पुर्तगाली भारत भूमि के रजवाड़ों के बीच मुसलमानी सत्ता के खिलाफ दुश्मनी के बीज बोने में सफल रहे। इसका कारण यह रहा कि यूरोप में ईसाइयत और इस्लाम के बीच पहले से ही दुश्मनी विद्यमान थी और वैसा ही कुछ रूख इस्लाम के प्रति भारतीय रजवाड़े भी रखते थे। इन परिस्थितियों का पूरा फायदा पुर्तगालियों ने उठाया। फिर तो क्रमशः हालैंड, फ्रांस के बाद अंग्रेजों का आगमन हो गया। अंग्रेजों के भारत आगमन के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि–"भारत में लड़ाईयाँ तो अंग्रेजों ने पहले भी लड़ी थीं, किन्तु, देश में उनकी धाक बिठाने वाली विजय उन्हें प्लासी के मैदान में मिली (1757ई.) और बक्सर की लड़ाई उन्होंने सन 1764 ई. में जीती जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम ने मीर कासिम का साथ दिया था। इस लड़ाई में भारतवासियों की पराजय का अर्थ था समस्त भारतीय शक्तियों की पराजय। हारे हुए नवाब और बादशाह से इलाहाबाद में क्लाइव ने अपनी शर्तें मंजूर करवाई (1765ई.) और, इस प्रकार मनमाने ढंग पर उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक

आरम्भ यहीं से होता है।" इस तरह भारत को अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में बहुत साल लग गया। यह मंसूबा 1947ई. में पूरा हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में विदेशियों के आने के कई कारण थे। कोई इसे धन–दौलत का देश मानता था। तो कोई इसकी पुरातन संस्कृति से प्रभावित था। कोई व्यापार और शासन के उद्देश्य से भारत आये।

आजादी से पहले भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। जागरण जोश की एक रिपोर्ट बताती है कि, "ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था। जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ ही भारत यूरोपीय देशों के लिए महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई।" रिपोर्ट में आगे यह भी बताया है कि, "24 अगस्त, 1608 को व्यापार के उददे्श्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुआई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ।" इसी तरह अंग्रेज अपनी जड़ भारत में फैलाने में कामयाब हुए। ब्रिटिश हुकूमत अपनी शोषणकारी और दमनकारी नीतियों से भारतीयों के ऊपर अत्याचार की सीमा लांघ चुके थे। उनके अत्याचारों से मुक्ति की राह देख रहे आजादी के मतवालों ने भारत को आजाद कराने का एक सपना देखा। 1875 की क्रांति इसी विचारधारा की उपज थी।

प्रश्न यह उठता है कि भारत के रिफायनरी में किस प्रकार का सपना था शामिल था। तो हम देखते हैं कि हमारे भविष्य का भारत केसा हो? इसके संबंध में हमारा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन एक आइडिया रखता था। उसी आईडिया के आधार पर उसकी सारी गतिविधियाँ निर्धारित होती थीं। इस संबंध में नेहरू का कहना है, "मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अगल–अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते।" यह सही भी है कि भारत विविधताओं वाला देश रहा है इसलिए सबके सपने एक जैसे नहीं हो सकते लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सबने मिलकर एक अधिकार संपन्न, समानता, विश्वबंधुता जैसे गुणों वाले शिक्षित और संपन्न भारत का सपना देखा था। जिसका नेतृत्व गाँधी, नेहरू, जिन्ना, अम्बेडकर, फुले दंपत्ति, पेरियार, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि सभी कर रहे थे।

जवाहरलाल नेहरू को अपना देश भारत बहुत आकर्षित करता था। वे अजंता-एलोरा, एलिफैंटा पुराने स्मारकों, खंडहरों, दीवारों पर बने चित्र, आगरा, दिल्ली और अन्य जगहों के बचे हुए अवशेषों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान की समृद्धि की कहानी कहते हैं कि, "सरहदी प्रदेश पुरानी हिंदुस्तानी तहजीब का एक केंद्र था और आज भी न जाने कितने मठों और इमारतों के खंडहर वहाँ दिखाई देते हैं; खास तौर से तक्षशिला के विश्वविद्यालय के, जो दो हजार बरस पहले मशहूर हो चुका था जहाँ हिंदुस्तान भर से और मध्य एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे।" लेकिन इसमें कुछ चीजें थीं जो दाग लगाने का काम कर रही थीं जिसको नेहरू भी अनुभव करते थे, "पुराने किस्से कहानियों ने, और मौजूदा जमाने की असलियत ने मिलकर इसे अजीब घोल बना दिया था। इसने मुझमें गर्व भी पैदा किया और लज्जा भी, क्योंकि अपने गिर्द जो कुछ देखता था- यानी अंधविश्वास, दकियानूसी विचार और सबसे बढ़कर अपनी गुलामी और गरीबी की हालत-उससे मुझे शर्म आती।" नेहरू आजाद भारत का सपना संजोये भारत की तस्वीर बदल देना चाहते थे लेकिन वह यह करके सही करेंगे या नहीं इसमें भी उनको संदेह था क्योंकि भारत की समृधि का आधार केवल संरचनात्मक ही नहीं था बल्कि इसकी सांस्कृतिक जड़ें भी गहरी थीं जिसको बदलना बहुत मुश्किल था। हिन्दुस्तान का और मुल्कों से अलग-अलग होकर रहना नामुनासिब है और गैर-मुमकिन भी; मेरा ध्यान इस मामले के अन्तराष्ट्रीय पहलू की ओर बराबर जाता रहा। आने वाले जमाने की जो शक्ल मेरे सामने बनती, वह ऐसी होती, जिसमें हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के बीच राजनीतिक, व्यवसाय और संस्कृति का गहरा मेल और रिश्ता होता।" लेकिन नेहरू भारत के खूबसूरत और मजबूत भविष्य की इमारत खड़ी करने के लिए नींव को गहरी खोदने की बात करते हैं।

इसी नींव को मजबूत करने की कोशिश यहाँ के संतों में दिखाई पड़ती है। यहाँ संतों की एक लम्बी परम्परा रही है जिन्होंने देश-विदेश घूमकर अपनी वाणियों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया। ये संत किसी सीमा में बंधे हुए नहीं नहीं थे। जिसमें शंकराचार्य का नाम प्रमुख है। शंकराचार्य का जन्म 788 ई. में केरल राज्य के कादड़ी नामक स्थान पर हुआ था। वे कर्नाटक, गुजरात, उत्तर-भारत, भारत के पूर्वी-पश्चिमी आदि जगहों पर प्रमुख चार मठों की स्थापना की और सब जगह घुमते हुए बनारस, बिहार और उसके आगे तक चले गए।

पंजाबी के पहले कवि होने का गौरव प्राप्त करने वाले बाबा फरीद का जन्म 1173 ई.या 1175 ई. के आस-पास रमजान महीने में पंजाब के कोठवाल गाँव में हुआ था जो अब पकिस्तान में है। फरीद पाकिस्तान के संत थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी को गुरु स्वीकारने के बाद हज या मक्का चले गये। वहाँ से लौटकर वे सीधे दिल्ली आये और बख्तियार काकी से अध्यात्म की शिक्षा लेने के पश्चात् हांसी (हरियाणा) चले गए। वहाँ से फरीदकोट (पंजाब) इसके बाद पाकपट्टन गए।

जबकि गुरुनानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब में हुआ जो अब पाकिस्तान में हैं। गुरुनानक का जन्म प्रकाशपर्व के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों और बुराईयों को दूर करने के लिए अपने पारिवारिक जीवन और सुख का त्याग करते हुए दूर-दूर तक की यात्राएँ की और लोगों के मन में बस चुकी कुरीतियों को दूर करने का काम किया। मानवता की सेवा के लिए इन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों में जाकर उपदेश दिये। लद्दाख और तिब्बत में इन्हें नानक लामा कहा जाता है।

सीमांत गाँधी जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता था। इनका जन्म 1890 ई. में पाकिस्तान में हुआ था। ये भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। सीमांत गाँधी ने 3 साल तक पश्तूनों को जागरूक करने के लिए सैकड़ों गाँवों की यात्रा की। जिसके बाद इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाने लगा। महात्मा गाँधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर सामाजिक चेतना के लिए 'खुदाई खितमतगार' संगठन की स्थापना करते हैं।

इन संतों के अलावा बहुत से संत ऐसे भी हैं जिनको देखने पर हम यह सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सरहदें राजनीतिक रूप नहीं धारण की थीं। कोई आदमी कहीं से कहीं आ-जा सकता है। उसके लिए सीमा का कोई बंधन नहीं था। किसी को कहीं आने-जाने के लिए कोई वीजा-पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। जवाहरलाल नेहरु लिखते हैं, "उन दिनों का भारतीय जीवन घेरों में बंद नहीं था, न तत्कालीन समाज में ही जड़ता या गतिहीनता की कोई बात थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, समग्र भारत वर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहरें ले रहा था। इसी समय, भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और वहाँ उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया।"

इस कड़ी में आगे जब हम भक्ति कालीन साहित्य पर बात करते हैं तब भक्ति कालीन साहित्य को मानवीयता की खोज के साहित्य के रूप में देख सकते हैं। जिनका ध्येय ही मनुष्य को जकड़बंदियों से मुक्ति का था। लक्ष्मण यादव लिखते हैं- "भक्ति आंदोलन अपने प्रतिरोध व विकल्पों के साथ भारतीयता की एक अलहदा संकल्पना लेकर उपस्थिति दर्ज कराता है। प्रतिरोध सच कहने का विकल्प स्वप्नलोकों का। भक्ति आन्दोलन के बीच रचे गए स्वप्न लोक भारतीयता की संकल्पना के केंद्र में है।" यह स्वप्नलोक समानता, न्यायप्रियता और मनुष्यता से होकर गुजरता है। इस तरह के समाज की संकल्पना अपने 'अमरदेसवा' के माध्यम से कबीर करते हैं और रैदास जिस 'बेगमपुरा' की कल्पना करते हैं वहाँ सबका हक समान है। दोनों की कल्पना में विद्रूपताओं से युक्त समाज के लिए कोई जगह नहीं है। रैदास लिखते हैं 'अब हम खूब वतन घर पावा।' बेगम पूरा एक ऐसे जगह की कल्पना करते हैं जहाँ मौलिक समाजवाद है। 'बेगमपुरा' का अर्थ ही उल्लास की नगरी होता है। अर्थात् जहाँ 'गम' न हो। अर्थात वह समाज जो जाति-पाँति और वेद-पुराण के पाखंड से दूर हो। अपनी बात कहने

की आजादी हो। अमीरी-गरीबी की खाई न हो, समानता और भाई-चारा विद्यमान हो। इस तरह भक्ति आन्दोलन एक गहरे निहितार्थ से जुड़ा है जहाँ भारत को एक राष्ट्र बनने के बुनियादी दिशा निर्देश को समझा जा सकता है। कबीर और रैदास का समाज हिन्दू-मुस्लिम का समाज था वे दोनों की समानता पर बात करते हैं। कबीर लिखते हैं- "जाति न पूछो साधू की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्याम।" अर्थात जाति भेद से मुक्त एवं शांति भाव से युक्त देश की कल्पना कबीर करते हैं-

"जहवाँ से आयो अमर वह देसवा,
पवन पानी न धरती अकसवा, चाँद न सूर न रैन दिवसवा,
ब्राह्मण छत्री न सूद बैसवा, मुगल पठान न सयद सेखवा
आदि जोत नहि गौर गनेसवा, आदि जोत नहिं गौर गनेसवा, ब्रम्ह बिस्नु महेस न सेसवा।....
जोगी न जंगम मुनि दरवेसवा, आदि न अंत न काल कलेसवा।
दास कबीर ले आये संदेसवा, सार सबद गहि चलो वा देसवा।"

वही रैदास लिखते हैं-बेगमपुरा सहर को नाउ, दु:खु-आंदोहू नहीं तिहि ठाउ, "ऐसा चाहूँ राज्य मैं, जहाँ मिले सबन को अंग, छोट, बड़ो सभ सम बसे, रैदास रहैं प्रसन्न।" अर्थात कबीर का अमरदेशवा और रैदास के बेगमपुरा का स्वप्न एक ऐसे देश की कल्पना से है जहाँ सबके लिए बराबर न्याय की व्यवस्था हो, आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार हो और राजनीतिक न्याय भी सबसे लिए बराबर हो अर्थात सब तरह के न्याय की व्यवस्था हो। वहाँ सब खुशहाल हों।

मध्ययुगीन की स्त्री-विरोधी समाज में एक सपना मीराबाई भी देख रही थीं जिसमें वह रूढ़ि मुक्त समाज और स्त्री स्वतंत्रता की बात करती हैं। मीराबाई का समाज स्त्रियों को उनके पति की चिता पर जबरजस्ती बाँधकर जलाने वाला था। ऐसे में एक स्त्री के आजाद भारत के स्वप्न में क्या शामिल हो सकता है ! एक स्त्री को मनुष्य समझे जाने की कवायद! मीराबाई अपने सपने को साकार करने के लिए पैरों में घुंघुरू बाँधकर इस सामंती व्यवस्था का खुल्लम-खुल्ला विरोध करती हैं। और यह विश्वास जताती हैं कि आजाद भारत में स्त्रियों के लिए जगह होगी, उनके अधिकार होंगे।

इस तरह हम देखते हैं कि भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए साहित्यकार भारत का जो चित्र प्रस्तुत करना चाह रहे थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने लेखन के माध्यम से आजादी का जो स्वप्न देख रहे थे उसमें- "जब घर में आग लग जाए तो देवरानी और जेठानी को आपसी डाह छोड़कर एक साथ मिलकर घर की आग बुझानी चाहिए।" इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार देवरानी-जेठानी के संबंध से परिवार की एकता बनी रहती है उसी प्रकार की हिन्दू-मुस्लिम की एकता एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भारतेंदु जी धार्मिक एकता और प्रांतीय एकता के पक्षधर थे इस तरह की कोई भी संकीर्णता का विरोध करते थे।

इस तरह प्रेमचंद के सपनों का भारत भी शोषण विहीन समाज था जहाँ असमानता न हो और आपसी भाईचारा हो।

1935 में 'इंडियन डोमेन' की बात कही गयी थी। जिसके तहत इस बात की आजादी दी गई थी कि जो रियासते/रजवाड़े भारत में रहना चाहते हैं वह भारत में रहें, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, वह पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएँ तथा जो मुक्त रहना चाहते हैं वे मुक्त रह सकते थे। यानी किसी की कोई परिधि निर्मित नहीं हुई। 1857 से पहले संप्रभुता की कोई बात नहीं थी। एशिया और यूरोप के आर-पार मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। जवाहर लाल नेहरू लिखते हैं, "ईसा के जन्म के बाद पहली सहस्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वह उस तस्वीर से भिन्न है, जो बाद में मिलती है। उन दिनों के भारतवासी बड़े जीवन्त, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्‌भुत उत्साह से युक्त थे अतः अपना सन्देश वे विदेशों में दूर-दूर तक ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में तो ऊँची से ऊँची चोटियों पर अपने कदम रखे और आकाश को चीर डाला। इसी समय, दक्षिण भारत के लोग दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर गए और वहाँ उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत का सन्देश लेकर बोधि-धर्म चीन पहुँचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण, दोनों एक थे और वे परस्पर एक-दूसरे का पोषण भी करते थे।"

महात्मा गाँधी ने भी जिस भारत की कल्पना की, उस भारत में सभी को समान अधिकार की बात थी। उन्होंने भी एक संविधान की कल्पना थी जो साधनों पर सबके लिए समान अधिकार की बात करता हो। यह विचारधारा 'न्यासिता के सिद्धांत' पर आधारित था इन्हीं कारणों से भारत वैश्विक स्तर पर अनेक देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। यंग इण्डिया में गाँधी अपने सपनों के भारत की कल्पना करते हुए कहते हैं, "मैं संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूँगा, जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे...जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्त्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेल-जोल होगा।...उसमें स्त्रियों के वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। चूँकि शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा।"

आज के भारत के निर्माण की रुपरेखा को 1947 से जोड़कर देखना होगा। जब यह उपमहाद्वीप एक राजनीतिक इकाई के रूप में तैयार हो रहा था। जबकि देखा जाय तो इससे पहले इस उपमहाद्वीप पर अलग-अलग ताकतें राज कर रही थीं। अंग्रेजों के समय में यह ब्रिटिश भारत और महाराजा शासित राज्यों के रूप में बंटा था। जब पहली बार यहाँ राजनीतिक गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई उसी समय ब्रिटिश सत्ता से आजादी की मांग उठी। इस आन्दोलन में प्रत्येक

धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग और क्षेत्र के लोगों ने अपनी सम्पूर्ण भागीदारी स्थापित की।

भारत की संकल्पना की इस मजबूत कड़ी में जब तक भीमा कोरे गाँव के दलित आन्दोलन को न जोड़ा जाय तब तक यह बात पूरी नहीं होगी। पूना से 19 किलोमीटर दूर शिरूर तालुका में से एक 'भीमा' नाम की नदी निकलती है। इसी नदी के किनारे एक कोरेगांव नाम का छोटा सा कस्बा बसा हुआ है। जहाँ जनवरी 1818 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। जिसे पेशवाओं के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध के लिए जाना जाता है। ईस्ट इंडिया सेना ने पेशवा की बड़ी सेना को कोरे गाँव में हरा दिया। इस लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई के रूप में तो देखा ही जाता है। प्रो. रतन लाल लिखते हैं, "पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो हुआ था, उसका सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक महत्व नहीं है। उस दिन उस मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा नहीं लड़ रहे थे। वहाँ जातिवाद के खिलाफ भी एक महासंग्राम हुआ था।" वास्तव में देखा जाय तो यह अस्मिता की लड़ाई भी थी और आजाद भारत का स्वप्न भी क्योंकि जिस आजाद भारत का स्वप्न भीमा कोरे गाँव के लोग देख रहे थे वह जातियों के वर्चस्व का नहीं था बल्कि वह स्वप्न समानता का था। देखा जाए तो भारतवासी एक लड़ाई बाहरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे तो दूसरी लड़ाई भारत के अन्दर जातिवाद और उससे उत्पन्न असमानता और शोषण के खिलाफ भी लड़ रहे थे।

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता है तब इसको सभ्यता के सबसे शर्मनाक अध्याय के रूप में देखा जाता है। अफसोस तब होता है जब यह शर्मनाक अध्याय दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं के इतिहास में दर्ज हो। यहाँ तक कि यूरोप में भी गुलामों की खरीद-फरोख्त का शर्मनाक खेल-खेला जाता रहा था। भारत में जाति प्रथा के कारण इंसान-इंसान के बीच जबरजस्त खाई खुदी हुई थी। 'गुलामगिरी' इसी बुनियाद पर चोट करने वाली एक क्रांतिकारी पुस्तक है। जिसे 19वीं सदी के महान विचारक क्रांतिकारी समाजसुधारक ज्योतिराव फुले ने लिखी है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। ज्योतिराव फुले ने 'गुलामगिरी' में दो पात्रों धोडीराव और ज्योति राव के सवालों जवाबों के माध्यम से जाति और धर्म को व्याख्यायित करने की कोशिश की है। ज्योतिबा लिखते हैं, "जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अन्दर अपनी जिंदगी गुजार दी हो, वह केदी अपने साथी मित्रों से, बीवी-बच्चों से, भाई-बहनों से मिलने के लिए स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है, उसी तरह का इंतजार इन लोगों को भी बेसब्री से होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुश किस्मती कहिये कि ईश्वर को उन पर दया आयी। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए ये लोग अंग्रेजी राजसत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं ...यदि वे यहाँ न आते तो ब्राम्हणों ने, ब्राह्मणशाही ने उन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता

की जिंदगी न गुजारने दी होती।" ज्योतिबाफुले जाति दंश से मुक्ति के सवाल पर अंग्रेजी शासन को एक मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि ब्राह्मणों की जातिगत गुलामी अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के सामने गौड़ है क्योंकि देश की आजादी के साथ-साथ भारतीय समाज के अंदर व्याप्त जातिगत दंश से भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था।

आधुनिक भारत का स्वप्न डॉ. अम्बेडकर भी देख रहे थे और अपने पाक्षिक समाचार-पत्र 'मूकनायक' जिसका पहला अंक 31 जनवरी 1920 में निकला जिसमें अम्बेडकर एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि, "स्वराज किसके लिए? क्या यह स्वराज बहिष्कृतों- अछूतों (दलितों) के लिए भी होगा? क्या इसमें उनकी भी बराबरी के आधार पर सहभागिता होगी? या यह स्वराज सदियों से अछूत कहे जाने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहे उच्च जातियों का स्वराज्य होगा।" अम्बेडकर किसी जाति, मत या संप्रदाय के पक्षधर न होकर संपूर्ण भारत के सम्यक विकास को दृष्टि में रखकर चलने वाले व्यक्ति थे। अम्बेडकर किस तरह के आधुनिक भारत का सपना संयोये थे इसका परिचय 'मूकनायक' के संपादकीय में बहिष्कृत समाज के लिए स्वतंत्रत प्रतिनिधित्व की माँग की जरुरत को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, "जाति-भेद और जाति द्वेष से ग्रसित भारत जैसे समाज में सच्चे स्वराज की स्थापना के लिए बहिष्कृत वर्ग को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की माँग करनी होगी। स्वतंत्र प्रतिनिधित्व के द्वारा राजनीतिक सत्ता में समुचित भागीदारी की माँग करनी होगी।" आगे 'मूकनायक' की स्वराज्य संबंधी संपादकीय लेखों में स्वराज्य से संबंधी तीन प्रश्न उठाते हैं, "पहला, जो लोग अपने लिए स्वराज्य की माँग कर रहे हैं, वे बहिष्कृतों को अपनी गुलामी से मुक्त कर स्वराज देने को तैयार हैं या नहीं? दूसरा, बहिष्कृत अपने लिए स्वराज्य हासिल कर सके इसके लिए जरुरी है कि उनका पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाय, क्या इसके लिए स्वराजी (कोंग्रेसी) तैयार हैं या नहीं? तीसरा, स्वराज्य में बहिष्कृतों को समान अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं? सब कुछ में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति से पहले कर लेना चाहते थे।"

गाँधी के सपनों का भारत गांवों में बसता था लेकिन अम्बेडकर का दृष्टिकोण यहाँ अलग हो जाता है। अम्बेडकर को भारत जैसा है उसमें संतोष नहीं था बल्कि उनके आधुनिक भारत संबंधी सोच के संबंध में उनका कहना था, "संविधान में हमारे सपनों का भारत बसता है।' आखिर कौन सा सपना था, जिसके लिए वे आजीवन प्रयास करते रहे। और जिसे उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में पिरोया था।? वह सपना था ऐसे राज्य का जिसमें सामाजिक राजनीतिक समानता तथा न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आजकल हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। न्याय की बात करते हैं, भारत के सांस्कृतिक वैविध्य को देखते हुए वह अत्यावश्यक है। बाबा साहेब के सपने और सामाजिक समरसता में कोई अंतर्विरोध या विवाद नहीं है।"

इसी कड़ी में एक नाम अछुतानंद का आता है। अछुतानंद आदि हिन्दू आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अछुतानंद का नाम इसलिए भी और महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि ये अम्बेडकर के साथ मिलकर दलितों के लिए अगल प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया। जिज्ञासु लिखते हैं, 'यदि विचार–दृष्टि से देखा जाय तो आदि हिन्दू आंदोलन ही मौलिक समाजवाद है, स्वामी अछुतानंद एवं बाबा साहेब अम्बेडकर ही भारत के कार्ल मार्क्स और लेनिन हैं। आदि हिन्दू ही भारत के सर्वहारा हैं।" जिस प्रकार अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में 'मूकनायक' नामक पत्र निकाला उसी प्रकार अछुतानंद जी ने उत्तर भारत में 'अछूत' नामक पत्र निकाला। अम्बेडकर के साथ ही अछुतानंद भी यह समझ चुके थे कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना पत्र होना चाहिए।

1947 और 1950 के बाद जब देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ तब भी ये सारी चीजें अचानक नहीं लागू हुई वह विकास की एक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ। 1857 एक टर्निंग प्वाईट है जब राजे–महराजे अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे उनका मिट जाना वह राजशाही के भविष्य का अंत था। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। "आधुनिक ज्ञान से युक्त अजीमुल्ला लंदन जाकर नाना साहब की पेंशन के लिए पैरवी करते हैं। वे असफल होते हैं और यूरोप प्रवास के दौरान अन्य यूरोपीय शक्तियों से ब्रिटेन विरोधी संभावित विद्रोह के लिए समर्थन पाने की चेष्टा करते हैं।"

1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ हिन्दू–मुस्लिम, स्त्री–पुरुष सभी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। इन सबका एक साथ मिलकर लड़ना यह सबूत देता है कि आजाद भारत में किसी तरह की संकीर्णता नहीं हो होगी। चाहे वह धर्म के आधार पर हो अथवा लिंग के आधार पर। हम देखते हैं कि भारत की स्त्रियाँ भी इस लड़ाई में उतनी ही भागीदारी निभाती हैं जितना अन्य लोग। इस लिए हम देखते हैं कि आजाद भारत को लेकर एक सपना यहाँ की स्त्रियों ने भी देखा था। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी भारतवासियों के कंठ में व्याप्त है। बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत है–

"बुरजन बुरजन तोपें लगाई दई, गोला चलाए अस्मानी
सिगरे सिपहियन को पेड़ा जलेबी, आप चबाई गुड़धानी रे।
खूब लड़ी मरदानी अरे झाँसी वाली रानी रे।।"

लक्ष्मीबाई की वीरता की कोई सानी नहीं है, लेकिन देखा जाय तो वह जिस उददे्श्य के लिए लड़ रही थीं वह उद्देश्य अपने साम्राज्य को बचाने के लिए था। जब बात लक्ष्मीबाई की आएगी तब झलकारी बाई को केसे भुलाया जा सकता है जिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि–

"खूब लड़ी झलकारी रण में/ वह तन–मन अपना वार गयी।
गोरों को लड़ना सिखा दिया/ इतिहास के पृष्ठ सँवार गयी।"

इस तरह हम देखते हैं कि ये तमाम लोग अपनी सामंती विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जिसमें और लोग भी काम कर रहे थे जिसका यह मतलब है कि टूटता हुआ सामंतवाद अपने भविष्य की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। अगर वह यह लड़ाई जीत जाता तो यह व्यवस्था थोड़ी और आगे जाती। लेकिन जब वे पराजित हो गयीं तब यह साबित हो गया कि यह भारत के लिए या पूरे भू-खंड के लिए ये जो रजवाणे हैं वे वह भविष्य नहीं रहे। तब एक नया भविष्य उभर रहा था लेकिन एक स्वयं-भू राष्ट्र के रूप में भारत की कल्पना होनी अभी बाकि थी। एक नागरिक रूप में भारत की कल्पना होनी बाकि थी और सरहद के रूप में इसकी कल्पना होनी बाकि थी। उस समय में सीमाएँ भी तय हो रही थीं। इन राजा-महराजों और उस नौकरशाही व्यवस्था का अंत भी हो रहा था।

एक क्रांतिकारी और महान योद्धा बेगम हजरत महल का नाम प्रमुखता से आता है। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के उच्चाधिकारियों ने अवध के राज्य को हटाने के उपरांत इनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया और अब शासन की बागडोर बेगमहजरत महल के हाथों आ गई। इनके बारे में कहा जाता है कि, "आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबांज सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी हौसलाअफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन-रात युद्ध करते रहे। लखनऊ के युद्ध में पराजय होने के बाद, वह अवध में चली गई और वहां पर क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिक दल में अनेक महिलाओं को शामिल किया।"

1857 के गदर की नायिका उदादेवी पासी को एक साहसी किरदार के रूप में याद किया जाता है। उदा देवी पासी एक दलित वीरांगना थीं। जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर अंग्रेजी सेना को मात दी। उदा देवी के बारे में एक बड़ा मशहूर किस्सा है। चिनहट की लड़ाई से अंग्रेज बौखलाए हुए थे। इधर सिकंदर बाग की लड़ाई में उदा देवी को हिस्सा लेना था। लड़ाई प्रारंभ हो गई उदा देवी के कई सैनिक मारे जाने लगे तब उदा देवी ने मोर्चा संभालते हुए इस युद्ध का सामना किया, "उदा देवी ने जब यह सब देखा तो वह हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद के साथ पीपल के के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गई। वहाँ उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोली बरसाना शुरू किया। उदा ने ब्रिटिश सेना के 30 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। गोली लगने के बाद उदा पेड़ से गिर पड़ी। बाद में अंग्रेज जब बाग के अन्दर आये तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ पर चढ़कर गोलियाँ बरसा रहा था वो कोई पुरुष सैनिक नहीं बल्कि एक महिला सैनिक थी। उदा की स्तब्ध कर देने वाली वीरता को देखकर अंग्रेज अफसर केम्पबेल ने हैट उतार कर श्रद्धांजलि दी।"

इसी तरह लखनऊ की नर्तकी हैदरी बाई के यहाँ तमाम अंग्रेज अफसर आते-जाते रहते थे वे क्रांतिकारियों के खिलाफ योजना बनाते रहते। हैदरी बाई अपने देश भक्ति का परिचय देते हुए अपने

पेशे का परित्याग करती हैं और इन सारी सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाती हैं। एक दिन रहीमी की सेना में शामिल होकर अपने महिला सैनिक होने का प्रमाण देती हैं।

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ साये की तरह साथ देने वाली मुंदर और मोती बाई झाँसी, कूंच, कालपी और ग्वालियर आदि सभी जगहों पर अपनी तलवार का जौहर दिखाते हुए अपनी कुर्बानी दे दी।

मध्यप्रदेश के रामगढ़ राज्य के जागीरदार शमशेर सिंह की पुत्री अंजशा जिसे अपहृत कर कानपुर की अम्मीजान के यहाँ बेच दिया। यहाँ यह बालिका अंजशा से अजीजन बाई बन गयी। अपनी कला में माहिर अजीजन की ख्याति दूर–दूर तक फैल गई। लेकिन जब 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तब अजीजन के दिल की चिंगारी भी शोला बनने लगी। अब अजीजन पाँव का घुंघुरू छोड़ कर हाथ में तलवार लेकर खड़ी हो गयी। यह एक गणिका का उत्साह ही था कि वह लगभग 400 गणिकाओं की एक बड़ी टोली के नेतृत्त्व का दायित्व संभाला। नीरजा माधव लिखती हैं– "अंजसा से अजीजन बनी, उसके हृदय में विद्रोह की एक ज्वाला निरंतर धधकती रही और जब कानपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध में बिगुल फुका तो अजीजन की ज्वाला को मानो हवा मिल गई। वह भी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गयी और अपनी 400 गणिकाओं वाली मस्तानी टोली के साथ गोला–बारूद आदि क्रांतिकारियों तक पहुँचाने का कार्य करने लगी। अंग्रेज सैनिकों के सर कलम करने से लेकर क्रांतिकारियों के लिए जासूसी करने तक का काम अजीजन बड़ी बहादुरी से करती थी।"

नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री रानी गिदयालू का जन्म मणिपुर में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की छोटी उम्र में ये स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ गई। स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके नेतृत्व को देखते हुए नागालैंड की जनता उन्हें देवी का स्वरुप मानने लगी। "16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल चार हजार सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गिदयालू ने अंग्रेजी की सेना का सामना किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें खूंखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उन्हें अपना उद्धारक समझता था। इस आन्दोलन को दबाने के लिए अंग्रजों ने वहाँ के कई गाँव जलाकर राख कर दिए लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ।" 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया और रानी गिदयालू बंदी बना ली गई। इनको भी स्वतंत्रता तब मिली जब देश स्वतंत्र हुआ। नागालैंड में क्रांतिकारी आन्दोलन चलाने तथा अपनी वीरता के लिए इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इस तरह से नागाओं का भी भारत को लेकर एक अलग दृष्टिकोण था जिसमें वे अपने लिए भी स्थान चाहते थे।

देखा जाए तो भारत की आजादी में इसके प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से अनेक कुशल नेतृत्व प्राप्त हुए जो इसकी विविधता और समृद्धता को दर्शाता है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र के साथ–साथ इनमें निवास करने वाले विविध सम्प्रदायों तथा लोगों की भावनाओं का एक समुच्चय है। आज का भारत यहाँ

के लोगों से मिलकर बना है और इसमें अभिव्यक्ति के रूप में सभी क्षेत्रों की भाषा, मजहब, बोली, वेश–भूषा, विचार, रहन–सहन, संस्कृति और सबसे बढ़कर देश के प्रति लगाव–जुड़ाव की भावना का होना महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज की संरचना को निर्धारित करने वाले कारकों तथा तत्वों की भूमिका को नजरंदाज करना एक भूल होगी। समाज के प्रत्येक वर्ग तथा समुदाय (दलित, पिछड़े, विविध संप्रदायों, जनजातीय समुदाय, स्त्री, वंचित वर्ग इत्यादि) के हक और अधिकारों को हासिल कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के निर्माण की संकल्पना इनकों शामिल किये बगैर संभव नहीं है। क्योंकि 'आईडिया ऑफ इंडिया' में किसी तरह के विभेद का कोई समर्थन नहीं था। वहाँ धार्मिकता थी लेकिन वह भी विभेदकारी नहीं थी, विविधता तो थी लेकिन साम्प्रदायिकता उस तरह से नहीं थी। यहाँ भाषा और क्षेत्र के स्तर कोई संकीर्णता नहीं दिखाई देती बल्कि आजाद भारत समन्वय का भारत हो ऐसी संकल्पना दिखाई पड़ती है।

संदर्भ ग्रंथ

1. संस्कृति के चार अध्याय– रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती पेपर बैक्स, चौथा पेपर बैक संस्करण–2019, पृष्ठ–449
2. संस्कृति के चार अध्याय– रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती पेपर बैक्स, चौथा पेपर बैक संस्करण–2019, पृष्ठ–455
3. https%@@www-Jogaranjosh-com@genera&knowledge@when&and&why&british&first&landed&on&indian&territory&in&hindi
4. https%@@www-Jogaranjosh-com@genera&knowledge@when&and&why&british&first&landed&on&indian&territory&in&hindi
5. हिंदुस्तान की कहानी–जवाहर लाल नेहरू, संपादक रामचंद्र टंडन, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 69
6. हिंदुस्तान की कहानी–जवाहर लाल नेहरू, संपादक रामचंद्र टंडन, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 54
7. वहीं पृष्ठ–55–56
8. संस्कृति के चार अध्याय– रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती पेपर बैक्स, चौथा पेपर बैक संस्करण–2019, प्रस्तावना से
9. संत रविदास– सुभाष चंद्र, आधार प्रकाशन, पंचकुला (हरियाणा) पृष्ठ–157
10. https%@@www-prabhasakshi-com@personality@bhartendu&harishchandra&death&anniversary&2023
11. संस्कृति के चार अध्याय– रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती पेपर बैक्स, चौथा पेपर बैक संस्करण–2019, प्रस्तावना से
12. मेरे सपनों का भारत– गाँधी जी, संग्राहक– आर. के प्रभु, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, पृष्ठ–18

13. जब महार रेजीमेंट ने पेशवा सेना को हराया.-hindi-news18-com
14. मूकनायक: डॉ. आम्बेडकर की बुलंद आवाज का दस्तावेज–फारवर्ड प्रेस, 29 जनवरी, 2020
15. मूकनायक: डॉ. आम्बेडकर की बुलंद आवाज का दस्तावेज–फारवर्ड प्रेस, 29 जनवरी, 2020
16. कौन पूरा नहीं होने दे रहा आम्बेडकर का सपना–नरेंद्र कुमार, forwardpress-in@2017may
17. स्वामी अछुतानंद 'हरिहर' का जीवन वृत्त–forwadpress-in 29may2019
18. 1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष–संपा. देवेन्द्र चौबे, बद्री नारायण, हितेन्द्र पटेल, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृष्ठ–14
19. हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास (1857–1947)– नीरजा माधव, सामयिक बुक्स, नई दिल्ली, पृष्ठ–191
20. 1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष–देवेन्द्र चौबे, बद्रीनारायण, हितेंद्र, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ–257
21. jivanihindi-com@begamhajratmahal
22. उदा देवी: एक दलित वीरांगना जिनकी कहानी हमेशा इतिहास में अमर रहेगी, https%@@hindi-feminismininidia-com@2020@11@12@uda&devi&profile&in&hindi
23. हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास (1857–1947)– नीरजा माधव, सामयिक बुक्स, नई दिल्ली, पृष्ठ–206
24. रानी दिदयालू wikipedia-org

हिन्दु धर्म में संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व

डॉ. चेतना

सार

संस्कार प्रधान भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य उसको अन्यायन्य संस्कृतियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ एवं महानतम बना गया है। चतुर्दिक कालों में दंशित मानव लौकिक पीड़ओं से जब आर्त हो उठता है तब उसकी असहाय दृष्टि भारतीय धर्म–दर्शन की ओर उन्मुख होती है। यहाँ की साधना एक ऐसे दिव्य आनन्द एवं शाश्वत सुख की प्रदात्री बन जाती है जहाँ वह अपने समग्री भौतिक सुखों की तिलांजलि देने को तत्पर हो जाते हैं। भारतीय संस्कार भौतिक सुखों की अपेक्षा शाश्वत सुखों के निमित्त अधिक प्रभावी सिद्ध हुए है। शास्त्रीय प्रत्यक्ष विधान है कि जैसा बीज आरोपित होगा तदनुरूप फल प्राप्ति होगी। देश, काल, भूमि, जल आदि के आधार पर वृक्ष की उत्पत्ति में कुछेक अंतर परिलक्षित हो सकते हैं लेकिन सर्वाधिक महत्व बीज का ही है। वैदिक पौराणिक, स्मार्त और तांत्रिक संस्कार दृव्य शुद्धि, क्रिया और मंत्र शुद्धि से सुकौशल पूर्ण ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जैसी इच्छा बीजारोपण के समय संकल्प द्वारा की गई थी। इच्छित एवं सार्थक फल प्राप्ति हेतु भारतीय दार्शनिक अनुशीलन के आधार पर संस्कार शुद्धि सप्रयोजन और सर्वाधिक बलबती है। मानव जीवन के लिए पुरुशार्थ चर्तुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। लेकिन भारत भूमि ही ऐसी है जहाँ अर्थ ओर काम की अपेक्षा धर्म और मोक्ष प्रधान माना गया है तथा आध्यात्मिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है इसी अनादि सिद्ध संस्कार शुद्धि के बल से भारत खण्ड में अनेक प्रान्त और भाषाएँ होने पर भी सम्पूर्ण भारत एक राष्ट्र माना जाता है।

मूल शब्द– संस्कार, दर्शन, हिन्दु धर्म, श्रीमद्‌भगवत गीता, संस्कृति।

प्रस्तावना

हिन्दु धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिये संस्कारों का अविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों

का महती योगदान है। जीवात्मा अमर तथा नित्य है। जीर्ण–शीर्ण वस्त्रों के परित्याग की भाँति उसका शरीर रूपी आवरण परिवर्तित होता रहता है। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में सांख्ययोग की परिचर्चा करते हुए स्पष्ट लिखा गया है–

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्लति नरोखपराणि
तथा शारीरीणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही"

जन्म जन्मान्तरों में उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यन्त रहता है और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों का वाहक होता है। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब उसको नवीन परिस्थितियों में भी बहुत से शुभाशुभ प्रभाव मिलते हैं। उनमें से दुष्प्रभावों को विनष्ट और शुभ प्रभावों को उन्नत करने के लिए संस्कारों और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है।

"संस्कारणां गुणान्तराधामम् संस्कारा:" के अनुसार गुणों के आधान को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार शब्द में सम् उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घञ् प्रत्यय करने पर संस्कार शब्द बनता है। पाणिनि सूत्र के अनुसार भी ***संपेयुप्रष्य करोतु भूशणे*** अर्थात वह जो किसी के व्यक्तित्व को सुशोभित करता है।

भारतीय संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व

संस्कार मूलत: संस्कृत भाषा का शब्द है। तन और मन को पवित्र करने वाली कृति संस्कार होती है। हीरा और कोयला प्रारम्भ में समरूप होते हैं। लेकिन शोधन के उपरान्त हीरे की सुषमा विकीर्ण होती है। इसी प्रकार संस्कारों के संसर्ग से सद्गुणों का प्रकाश होता है। साधारणत: व्यावहारिक रूप में संस्कार का अर्थ है– पवित्र धार्मिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के दैविक, मानसिक, बौद्धिक और मुख्यत: आत्मिक परिष्कार के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करके समाज का अभिन्न और महिमामय घटक बनते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मनुष्य को सहज गत्या विकास के लिए छोड़ देने की अपेक्षा विवेक पूर्वक वैयक्तिक चरित्र के पूर्व नियोजित रीति से विकसित करना संस्कारों के द्वारा ही हुआ। संस्कार रूपी बीज से ही कर्म रूपी वृक्ष अभ्युदय होता है। किसी राष्ट्र में अनिवार्य विधि या संविधान द्वारा सुसंस्कृत एवं सुयोग्य नागरिकों या मानवों का निर्माण नहीं हो सकता। यह कार्य आध्यात्मिक संस्कार ही कर सकते हैं। देश के अपने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति आस्था और विश्वास हेतु सामाजिक नीतियों के अनुरूप संस्कार निर्माण ही सार्थक प्रयास सिद्ध हो सकते हैं। संस्कार की इस दृष्टिकोण पर बल दे सकते हैं कि जीवन के विकास का प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया नहीं है अपितु उसका सम्बन्ध मनुष्य की बौद्धिक, भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्ति से है जिनके प्रति मनुष्य को सदैव जागरूक रहना चाहिए।

संस्कार शाश्वत होते हैं। इसके विपरीत कुछ अरात्य भावनाएँ अभ्यासवश संस्कार का रूप धारण कर लेती है जो कि तथ्यत: संस्कार न होकर चित्रवृत्तियाँ हैं। योग सूत्र में इनको क्लेश कहा गया है और इसके पाँच भेद बताए गए हैं–

अविद्यऽस्मितारागद्वेशभिनिवेशाः पढच कलेशाः

और इन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश आदि क्लेशों से निरन्तर अभ्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

वैदिक साहित्य में संस्कार दो प्रकार के होते है– (1) मलापनयन और (2) अतिशयाधान।

मलापनयन में चूर्णादिक रगड़ कर किसी वस्तु को शुद्ध किया जाता है तथा अतिशयाधान में तेल रंग आदि का प्रयोग करके उसको सुन्दर और आकर्षक बनाया जाता है। संस्कारों के निमित्त योगियों की दृष्टि मानव के संकल्प और विचार आदि तक ही सीमित न रह कर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि पर व्यापक है। मानसिक संस्कार भावना प्रधान है और इनसे मन विशुद्ध हो जाता है। महर्षि कपिल ने अपने सांख्यसूत्र में लिखा है कि विशुद्ध मन से किया गया कार्य यथार्थ सा बन जाता है। वेद का एक अंग है कल्प और उसके अनुसार जड़, चेतन दोनों का संस्कार होता है। इन्हीं के आधार पर कल्पसूत्रों का तीन मुख्य वर्गों में विभाजन किया गया है–

1. श्रौतसूत्र
2. गृह्मसू
3. धर्मसूत्र

श्रौतसूत्र में राजसूय, अश्वमेध आदि श्रौत यज्ञों का और उसके अनुष्ठेय कर्मकांडीय विधिविधानों का क्रमबद्ध वर्णन है। गृह्मसूत्र में गर्भाधान से मरण तक सभी संस्कारों का वर्णन है। धर्मसूत्र में राजधर्म, शासनव्यवस्था, राजा प्रजा धर्म आदि का वर्णन मिलता है।

वेद, स्मृति और तंत्र में कुल मिलाकर 42 संस्कार पाये जाते हैं। इनमें 16 मुख्य हैं जिनकी मीमांसा वेद के कर्म मीमांसा दर्शन में की गई है। संस्कार को भी मीमांसा शास्त्र में कर्म का बीज कहा गया है। प्रथम आठ संस्कारों द्वारा प्रवृत्ति मार्ग में पूर्णोन्नति होती है। तथा शेष आठ संस्कार मुक्ति भूमि में पहुँचाते हैं। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में भी 16 संस्कारों का वर्णन है। यथा–

निशेकादिश्म भानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः

अर्थात– मनुष्य के शरीर और आत्मा उन्नत होने के लिए गर्भाधान से लकर मृतक शरीर का विधि पूर्वक दाह करने पर्यन्तत सोलह संस्कार होते हैं। सोलह संस्कार निम्नवत हैं–

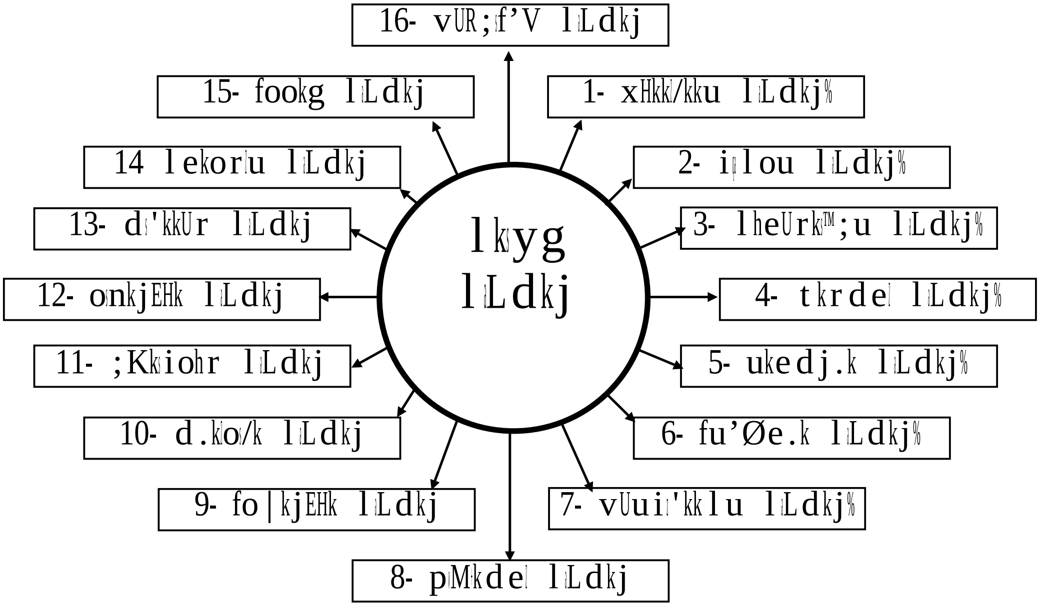

(1) गर्भाधान संस्कार– भारतीय संस्कृति में सभी कर्म प्रयोजन सापेक्ष होते हैं। नर–नारी के संसर्ग और सहयोग से किया जाने वाला गर्भाधान संस्कार अत्यन्त पवित्र संस्कार है। सृष्टि को चलाये रखने के लिए मनीषियों ने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए सन्मति का होना आवश्यक बताया है। एतदर्थ गर्भाधान गृहस्थ आश्रम का अनिवार्य संस्कार है। पंचम वेद के रूप में आयुर्वेद शरीर की संरचना, क्रिया और चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालता है। गर्भाधान संस्कार के निमित्त किस आयुवर्ग के नर–नारी उपयुक्त हैं? इसका स्पष्ट वर्णन सुश्रुत ने किया है यथा–

पन्च विंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे।
समत्वागत वीर्यो तो जानीयात कुशलोभिषक्।।

अर्थात शारीरिक संरचना के अनुसार पुरुष पच्चीस वर्ष की अवस्था तथा स्त्री सोलह वर्ष की अवस्था में समतुल्य होते हैं। संस्कारित स्वस्थ चित्त की आवश्यकता है। नियोजित आहार एवं क्रियाएँ अनिवार्य हैं।

(2) पुंसवन संस्कार– पुंसवन संस्कार तीन महीने के पश्चात आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में तीन महीने के पश्चात गर्भस्थ ज़िज़ु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। वेदों, मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के

मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मनःस्थिति और परिस्थितियाँ केसे विकसित की जाए।

(3) सीमन्तोन्नयन संस्कार– गर्भ मास के 4–6–8 माह पूरे होने पर किया जाता ह। मूल आदि पुष्य नक्षत्रों से युक्त शुक्ल पक्षीय चन्द्रमा में गर्भिणी स्त्री का मन सुखी, सन्तुष्ट एवं आरोग्य बनाए रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पति अपनी पत्नी का केश विन्यासश्रृंगार आदि करके यज्ञशाला में अपने साथ ले जाने और वीणा आदि वाद्य यन्त्रों से मनोरंजन कराने की व्यवस्था इसमें होती है। इस अवसर पर पठित ऋचाओं से ज्ञात होता है कि इस संस्कार का प्रयोजन माता के ऐश्वर्य तथा गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायु की प्राप्ति हेतु गर्भिणी को यथा सम्भव हर्षित एवं उल्लसित रखना है।

(4) जात कर्म संस्कार– शिशु के जन्म के बाद जातकर्म अनुष्ठान किया जाता है जिसमें बच्चे को जन्म के समय के दोषों और माँ के गर्भ में रहने के दोषों से मुक्त किया जाता है और शिशु की लम्बी उम्र के लिए कुल परम्परा के देव–देवियों के सुरक्षा कवच की पूजा के बाद सम्बन्धित देवताओं और पितरों को पूजा के माध्यम से संतुष्ट किया जाता है। यहाँ तक कि शिशु के होठों पर घी और शहद लगाया जाता है।

(5) नामकरण संस्कार– शिशु जन्म के ग्यारहवें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से सम्पूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है।

“हे बालक! त्वमा युश्मान वर्च्चस्वी तेजस्वी श्रीमान मूयाः।

स्वजन परमेश्वर की स्तुति गान करके बालक को आयुष्मान, विद्यावान, यशस्वी, तेजस्वी, परोपकारी श्रीमान होने का आशीर्वाद देते हैं।

(6) निश्क्रमण संस्कार– निश्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चन्द्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चन्द्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उददे्श्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी और विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी–देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यज़स्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के सम्पर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो।

(7) अन्नप्राशन संस्कार– बालक को जब पेय पदार्थ दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारम्भ किया जाता है, तो वह शुभारम्भ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। अन्नप्राशन 6 माह की आयु में आस–पास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा सम्बन्ध है। आहार का उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का उचित प्रयास करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारम्भ का अर्थ है– आधी सफलता। अस्तु, बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कारयुक्त वातावरण में करना अभीष्ट है। शिशु की समस्त इन्द्रियों की संतुष्टि की प्रार्थना और नैतिकता के नियमों पर सदैव ध्यान रखे जाने की कामना करके अल्प मात्र में अन्न दिया जाता है।

(8) चूड़ाकर्म संस्कार/मुंडन संस्कार– यह संस्कार शिशु की आत्मा तथा संयमपूर्ण व्यवहार से सम्बद्ध है। मुंडन संस्कार बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लिया जाए अथवा दो वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराया जाता है। यह संस्कार बालक के मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा प्रदान करता है। चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाशविक संस्कार विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किये रहता है, जो मानव जीवन में अनुपयुक्त तथा अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित किये जाने का कार्य महान एवं आवश्यक है। हमारी परम्परा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियाँ सुरक्षित रहती हैं अतः जन्म के साथ आये बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए यह संस्कार किया जाता है।

(9) विद्यारम्भ संस्कार– जब बालक की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारम्भ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहाँ एक ओर बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है वहीं अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें।

(10) कर्णवेध संस्कार– हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारम्भ किया है। कर्णवेध संस्कार का आधार बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करना ही इस संस्कार का मूल उद्द्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेधन से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौन्दर्य बोध का परिचायक भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का सम्पादन श्रेस्यकर है।

(11) यज्ञोपवीत/उपनयन संस्कार– यज्ञोपवीत अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है, मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से

बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएँ कंधो के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञसूत्र।

यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रन्थित करके बनाया जाता है। इसमें सात ग्रन्थियाँ लगायी जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथी होती है। तीन सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेज़ा धारण किया जाता है। तीन सूत्र हिन्दु त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। बिना यज्ञोपवीत धारण किये अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है।

यज्ञोपवीत धारण करने का मन्त्र है–

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्।
आयुश्यमग्रं प्रतिमुढच भाुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।।

(12) वेदारम्भ संस्कार– यह संस्कार ज्ञानार्जन से सम्बन्धित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारम्भ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अन्दर समाविष्ट करना शुरू करता है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारम्भ से पहले आचार्य अपनेक शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उनकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। शिक्षा का यह अनुष्ठान बालक के मन एवं आत्मा में शिक्षा के प्रति पूर्ण नेष्ठिक रुचि उत्पन्न करता है। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं।

(13) केशान्त संस्कार– गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार सम्पन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद–पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार से पूर्व बालों की सफाई की जाती है तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है। केशान्त संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता है।

(14) समावर्तन संस्कार– गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन का तात्पर्य वेदाध्ययन के उपरान्त गृह की ओर प्रत्यावर्तन से है। विद्यार्थी जीवन के अन्त में किया जाने वाला यह संस्कार विद्या के नियमित अध्ययन पर विराम लगाता है। विद्या एवं गुरु के प्रति निष्ठा तथा संयम का महत्व इस संस्कार से अनायास ही अवगत हो जाता था।

(15) विवाह संस्कार– विवाह हिन्दु धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह स्वयं एक यज्ञ माना जाता है। विवाह दाम्पत्य जीवन का विवेकपूर्ण, मर्यादित, सामाजिक एवं आयात्मिक जीवन हेतु विनिर्मित करता है। विशुद्ध प्रेम स्वरूप यह गठबन्धन पुरुषार्थ चतुष्टय का आधार है। जीवन कर्म क्षेत्र है और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग से ही भवसागर संतरण सम्भव है। विवाहित दम्पत्ति हिन्दु संस्कृति के अनुसार केवल अपने ही गृहस्थ जीवन की सुख समृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है अपितु समस्त ब्रह्माण्ड के सुख का सहयोगी बनाता है। हिन्दु धर्म का पंच महाभूत यज्ञ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुल वंश की अभिवृद्धि के निमित्त पंच महाभूत यज्ञों में पितृ यज्ञा महिमामय है। दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है।

-------**धन्यो गृहस्थाश्रमः**-------

(16) अन्त्येष्टि संस्कार– हिन्दुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अन्त्येष्ट संस्कार कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी यह संस्कार महत्वपूर्ण है। मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर पंचतत्वों में विलीन करा देने के साथ उसकी पारलौकिक सुगति और पारिवारिक स्वजनों के गहन विषाद, वैराग्य को आध्यात्म प्रमुख बता देना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। ऐसा करने से आत्मा सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार जन्म से मृत्युपर्यन्त इन संस्कारों से संस्कारित होकर मनुष्य योजनाबद्ध, नियमित एवं वैज्ञानिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। संस्कार जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र का परित्याग करते हैं। मानव जीवन का परिष्कार करते हैं। व्यक्तित्व का विकास करके मानव की समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को गति प्रदान करते हैं। संस्कार प्रयोजन सापेक्ष होता है। उसके द्वारा कौन से परिणाम परिलक्षित होते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है। भारतीय जीवन की सार्थकता खोजने वाले इन संस्कारों का अनुशीलन कर स्वयं को समाज का उपयोगी घटक सिद्ध कर सकते हैं। आज जीवन को नैराश्याधांकार ने आवृत कर लिया है। चतुर्दिक, अंज्ञाति, लक्ष्यहीनता और निरर्थकता की चर्चा का बाहुल्य है। यदि कभी विचार कर देखा जाये तो ज्ञात होगा कि हमारे जीवन में संस्कारों का कितना महत्व है। संस्कार चरित्र निर्माण के प्रमुख आधार कहे जा सकते हैं। हिन्दु धर्म में संस्कार यह बताते हैं कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाता।

सन्दर्भ

1. brahmanunity.com हिन्दु धर्म के सोलह संस्कार।
2. hindi.webdunia.com हिन्दु धर्म के पवित्र सोलह संस्कार।
3. विकिपीडिया - सनातन धर्म के संस्कार।
4. 16 संस्कार - कालूपुर मंदिर।
5. सुश्रुत संहिता - विकिपीडिया।
6. श्रीमद्‌भगवत गीता - अध्याय - दो, सांख्य योग।
7. saintsrdgurukul.com संस्कार - Rites
8. कल्प (वेदांग) - विकिपीडिया।

वर्तमान में भगवद्गीता के ज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ

डॉ. अंजना रानी उपाध्याय

सार

भगवद्गीता के अनुसार समस्त जगत का आधार परमात्मा है। मनुष्य की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। आत्मा जन्म-मरण से परे है। गीता का मुख्य उददे्श्य व्यक्ति को कर्तव्य व कर्म का बोध कराना है। कर्म योग है, वही भक्ति योग है और वही ज्ञान योग है। आत्मा सत्य है। गीता में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। वह शरीर रूपी रथ को अपने घोड़े रूपी इंद्रियों द्वारा नियंत्रित करता है। गीता हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। यह हमें सर्वोच्च और अन्तिम सत्य की ओर ले जाती है। यह बुरे कर्मों को त्यागकर निःस्वार्थ जीवन जीने की शिक्षा देती है। गीता के मूल्यों पर आधारित शिक्षा छात्रों में अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्यपालन, निडरता आदि गुणों का विकास करती है।

मुख्य शब्द- श्रीमद्भगवद्गीता, श्री कृष्ण, अर्जुन, छात्र।

प्रस्तावना

श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दुओं के पवित्रम ग्रन्थों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है और संस्कृत साहित्य का एक लोकप्रिय काव्य है। श्रीमद्भगवद्गीता के रचयिता वेदव्यास जी हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। इसकी रचना 200 ईसवी पूर्व में हुई थी।

गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है, जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने के बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के नायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गये थे। उनकी इस निराशा

को दूर करने के लिये श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिये। 18 दिनों तक चले युद्ध में दिये गये उपदेश ही 'श्रीमद्भगवद्गीता' में संकलित है।

भगवद्गीता का ज्ञान

गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है।

यदा-यदा हि धार्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युतथानमधार्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

श्री कृष्ण कहते हैं कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ।

गीता के अनुसार समस्त जगत का आधार परमात्मा है, मनुष्य की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। आत्मा जन्म-मरण से परे है। गीता में आत्मा, परमात्मा, कर्म, जीवन, भक्ति आदि का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

भगवद्गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें श्लोकों की संख्या 700 है। भगवद्गीता के 18 अध्याय निम्न हैं-

1.	अध्याय पहला	-	अर्जुनविषाद योग	-	46 श्लोक
2.	अध्याय दूसरा	-	सांख्य योग	-	72 श्लोक
3.	अध्याय तीसरा	-	कर्म योग	-	43 श्लोक
4.	अध्याय चौथा	-	ज्ञानकर्मसन्यास योग	-	42 श्लोक
5.	अध्याय पाँचवाँ	-	कर्मसन्यास योग	-	29 श्लोक
6.	अध्याय छठा	-	आत्मसंयम योग	-	47 श्लोक
7.	अध्याय सातवाँ	-	ज्ञानविज्ञान योग	-	30 श्लोक
8.	अध्याय आठवाँ	-	अक्षरब्रह्म योग	-	28 श्लोक
9.	अध्याय नवाँ	-	राजविद्या राजगुह्य योग	-	34 श्लोक
10.	अध्याय दसवाँ	-	विभूति योग	-	42 श्लोक
11.	अध्याय ग्यारहवाँ	-	विश्वरूपदर्शन योग	-	55 श्लोक
12.	अध्याय बारहवाँ	-	भक्ति योग	-	20 श्लोक
13.	अध्याय तेरहवाँ	-	क्षेत्रक्षत्रज्ञविभाग योग	-	35 श्लोक

14.	अध्याय चौदहवाँ	–	गुणत्रय योग	–	27 श्लोक
15.	अध्याय पंद्रहवाँ	–	पुरुषोत्तम योग	–	20 श्लोक
16.	अध्याय सोलहवाँ	–	देवासुरसंपद्विभाग योग	–	24 श्लोक
17.	अध्याय सत्रहवाँ	–	श्रद्धात्रयविभाग योग	–	28 श्लोक
18.	अध्याय अठारहवाँ	–	मोक्षसन्यास योग	–	78 श्लोक

गीता के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन ही नहीं वरन् जन्म-जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है। गीता में उसे ज्ञान कहा गया है, वही शिक्षा है। गीताकाल में शिक्षालयों का स्वरूप गुरुकुल था। उस समय गुरु शिष्य को पुत्र तुल्य तथा शिष्य गुरु को पिता तुल्य मानते थे।

गीता में श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को एक भक्त और सखा मानकर अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं उनका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाते हैं और निष्काम कर्म की प्रेरणा देकर जीवन संघर्षो के लिये तैयार करते हैं।

गीता में ज्ञानयोग भक्तियोग और कर्मयोग की त्रिवेणी एक हो जाती है।

ज्ञानयोग- ज्ञान स्वयं को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य अज्ञान व भ्रम से दूर हो जाता है। ज्ञान माया और बंधन से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। इसके द्वारा मनुष्य के सारे दु:खों का अंत होता है।

"न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते
तत्सस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।।"

(अध्याय-4, श्लोक-38)

ज्ञानयोग से ही अर्जुन का मोह भंग होता है और वह स्वधर्म पालन के लिये तैयार हो जाता है। अत: यह स्वयं की खोज की एक यात्रा है जो स्वयं के अंदर होती है।

भक्तियोग- यह एक प्रेम मार्ग है, जो ईर्ष्या, घृणा, वासना, क्रोध, अहंकार, अभिमान और अहं को दूर करता है। मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। भक्तिमार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। यह भावनाओं के अंदर आनन्द, द्विव्य परमानंद, शांति और ज्ञान को स्थापित करती है।

।। श्री भगवानुवाच।।
मायावेष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तत्मा माता:।।

अर्थात तभी श्री भगवान बोले- मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन-ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सब गुणरूप भगवान को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं।

(अध्याय-12)

कर्मयोग- यह नि:स्वार्थ कर्म का मार्ग है। गीता निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह देती है। कर्मेन्द्रियों को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन माना गया है। इन्द्रियाँ, मन बुद्धि काम के स्थान हैं इसलिये मनुष्य को इन्हें अपने वश में रखना चाहिये। यही संयम है और संयम ही अनुशासन है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतु र्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वक र्मणि।।

(अध्याय-2, श्लोक-4)

फल की चिंता न करते हुए अपने कर्म करते जाइए क्योंकि कर्म ही हमारे अधिकार में हैं।

तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचार।
असक्तो ह्यचरन्कर्म परमान्पोति पुरुषः।।

(अध्याय-3, श्लोक-19)

मनुष्य को फल की चिन्ता किये बिना कर्म करने से परम् की प्राप्त होती है। इसलिये आसक्ति को त्यागकर कर्तव्य समझकर कर्म करो।

तिलक (1717) का विचार है गीता का उददे्श्य कर्मयोग को स्थापित करना है जो ज्ञान में निहित है, जिसमें भक्ति प्रमुख है और यह अंतत: मोक्ष की ओर ले जाती है।

गीता में ऐसे तथ्य शामिल जो जीवन को व्यावहारिक समस्या से सम्बन्धित हैं। एक व्यक्ति अपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकता है। भगवद्गीता बताती है कि जीवन की सांसारिक गतिविधियाँ और आध्यात्मिक गतिविधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य व्यक्ति को फलदायक और प्रभावी कार्य या कर्म करने में सक्षम बनाता है। धर्म पर आधारित निष्काम कर्म व्यक्ति को पूर्णता: या मुक्ति प्राप्त करने के साथ लौकिक और आध्यात्मिक जीवन जीना। परम ज्ञान की प्राप्ति से ही व्यक्ति दुख और अज्ञान से मुक्त होकर सफल जीवन जी सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

आधुनिक समय में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, जिससे व्यक्ति को भावनात्मक द्वंद्व और मानसिक चिंता का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें राजनीतिक अशांति और विसंगतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गीता के अध्ययन से स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान और समाज की भलाई के लिये व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। गीता अनुशासन दृढ़ता, निस्वार्थता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों पर जोर देती है। गीता से प्राप्त मूल्यों पर आधारित शिक्षा छात्रों में जिम्मेदार गुणों को विकसित करती है, जिससे वह समाज में अपना सकारात्मक योगदान देते हैं। गीता के अनुसार विकसित आत्मा एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा है। यह अहसास उसे परम सत्य तक ले जाता है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम है, वही व्यक्ति वास्तव में शिक्षित होने के योग्य माना जाता है।

आम जन से लेकर विद्वज्जन तक के मन, मस्तिष्क व हृदय में एक संशय और भ्रम की स्थिति बार–बार उत्पन्न होती है और उससे जीवन में निराशा, अवसाद, अवरोध, अविश्वास, अकर्मण्डयता व आत्मग्लानि का भाव पैदा हो जाता है। वह धर्म, स्वकर्म, समाज, मानवधर्म और राष्ट्रधर्म के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते और कुंठित होकर एक उलझन में फँस जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को आशा पुरुषार्थ विश्वास व आमगौरव का भाव जाग्रत कर उनको स्वधर्म व स्वकर्म में लगाकर पूर्ण पवित्रता व जवाबदेही के साथ कर्तव्यपालन का उपदेश दिया है।

गीता का ज्ञान छात्रों को निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिये व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यह आलोचनात्मक सोच, विवेक और सही विकल्प चुनने की क्षमता के महत्व पर जोर देती है। गीता के ज्ञान से छात्रों को निम्न सहायता प्राप्त होगी–

1. निर्णय लेना और समस्या समाधान।
2. सद्‌गुणी ज्ञान विकसित करना।
3. नैतिक आचरण और मूल्यों पर जोर।
4. अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना।
5. आंतरिक चेतना विकसित करना।
6. व्यक्तित्व के उत्थान को विकसित करने और प्रभावित करने के लिए।

7. व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य के बीच समन्वय स्थापित करना।

8. बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना।

गीता को शिक्षा प्रणाली के एकीकृत करने से छात्रों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, उनके चरित्र व व्यवहार को आकार मिलता रहेगा। गीता से आत्मबोध, ज्ञान की खोज में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान होती है। गीता को पढ़ाने से छात्रों में सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ावा व भावनात्मक बुद्धिमता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करती है।

आज भी मानव समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या व चुनौती है– कर्तव्य–विमुखता, आलस, असंवेदनशीलता, झूठ, कायरता आदि। गीता एक संजीवनी की तरह कार्य करती है, जो निराशा, हताशा, अवसाद से भरे प्रत्येक मनुष्य के लिये एक जीवन्त दर्शन है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य दुखी है क्योंकि उसके पास आसक्ति और इच्छाएं हैं। यदि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर लेता है और शांति की अवस्था को प्राप्त करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत करती है जहाँ समाज धर्म, करुणा, त्याग और प्रेम से अच्छी तरह से जुड़ा हो।

कई बार आप तय नहीं कर पाते कि क्या करें क्या न करें। तब भगवद्गीता आपके बचाव के लिए है। चिंता न करें। कुछ देर आराम करें और विचार करें। आप जो भी करने जा रहे हैं, अगर वह धर्म के अनुसार सही है, अगर वह सभी की मदद करता है, तो उसे करें। अर्जुन की तरह आपके पुरुषार्थ अर्थात अभ्यास की आवश्यकता है तो वह आपके साथ हैं। तब निश्चित ही ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और सदाचार होगा। उसके अनुसार ही कार्य करो।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मितर्मम्।।

(अध्याय–18, अन्तिम श्लोक)

अर्थात् जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन हैं, जहाँ श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है वहाँ निश्चित रूप से विजय होगी।

निष्कर्ष

ईश्वरः सर्वभूतानां इद्दशैऽर्जुन तिष्ठति।
ब्रह्मायन्सर्वभूतानि यन्त्ररूधनि मयाया॥

(अध्याय-18, श्लोक-61)

हे अर्जुन! भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। उनके कर्मो के अनुसार वह आत्माओं की भटकन को निर्देशित करते हैं, जो भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठे हैं।

वास्तविकता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को पहले से बताए गये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात, स्वयं की प्राप्ति को ध्यान में रखना होगा। यदि स्वयं को महसूस करते हैं तभी हर चीज का एहसास होता है। गीता प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा शक्ति के साथ साहसी बनाती है। आधुनिक समय में मनुष्य को तनाव से बचने के लिये गीता मन और शरीर को शुद्ध करने का सुझाव देती है। मनुष्य को कर्म करने के लिये प्रेरित करती है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिये उपदेश दिया। गीता प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। गीता आत्मसाक्षात्कार कराकर समस्त मानवता को शांति का संदेश देती है। अवसाद व निराशा के क्षणों में आज भी मनुष्य गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। आज मनुष्य को जरूरत है अपने भीतर और बाहर दोनों का सन्तुलन बनाने की। गीता से शिक्षा लेकर व्यक्ति छल-कपट, लोभ-लालच, स्वार्थ, कटुता, जलन एवं अहंकार से दूर होकर एक नवीन समाज की स्थापना करता है।

संदर्भ सूची

1. भगवद्गीता और आज इसकी प्रासंगिकता कार्यस्थल पर; htt://indianethos.com
2. गीता के कर्मयोग की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता (अनहद कृतिः अंक 16, जनवरी 8, वर्ष 2017)
3. जोशी, वीरेन्द्र कुमार- श्रीमद्भगवद्गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता, www.ijhssi.org.volume8issue4, serI// april 2019
4. वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता एक विवेचना, गीता :ISSN:2456-5474, volume 5, issue-7 august 2020
5. वर्तमान में भगवद्गीता की प्रासंगिकता ; https://www.amarujala.com

वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिये भारत के नवीनीकृत प्रयास

प्रीतम कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश

आज आतंकवाद सम्पूर्ण मानवता के लिये एक अभिशाप के जैसा बन गया है इसका खतरा और भी बढेगा क्योंकि हम तकनीकी का उपभोग मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जाग्रत और दिलों के फासलों को दूर करने की बजाय केवल भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिये कर रहे है। यही बजय है कि नस्ली और मजहवी तथा सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद विकृत सामाजिक व्यवस्था का ऐसा उत्पाद है जिसने वर्तमान में सम्पूर्ण समाज की सुरक्षा–व्यवस्था को झकझोर दिया है। यद्यपि विश्व के बहुत से राष्ट्र आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त है तथापि आज तक इसके विरूद्ध न तो कोई प्रभावशाली कदम ही उठाए जा सके। अभी तक भारत आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिये कई कानून (TADA, POTA आदि) NCTC की स्थापना कर कई बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी रणनीतियॉ एवं गतिविधियों पर सख्ती से कार्य किये है और अभी फिलहाल में एक बड़ी चुनौती भारत के सामने आयी खालिस्तान गतिविधियां जिससे चलते भारत और कनाडा के बीच राजनयिक सम्बंधों में दरार देखने को मिली जिस पर भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा। भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिये अनुकूल और प्रभावी रूप से अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीतियों के नियोजन के लिये कार्य निरन्तर कर रहा है।

प्रस्तावना

आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के साथ भारत के संबंधों का पता आंषिक रूप से 1947 में धर्म आधारित विभाजन से लगाया जा सकता है, जिसने उपमहाद्वीप को दो देशों में विभाजित कर

दिया: भारत और पाकिस्तान, उपमहाद्वीप आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह जातीय दंगों का गवाह बना, जो अत्यधिक हिंसा और आतंकवादी कृत्यों से चिन्हित थे, विभाजन के बाद, तटस्थता की संक्षिप्त अवधि के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो गये, हालांकि विलय के इस अधिनियम को पाकिस्तान द्वारा मान्यता नहीं दी गयी जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पर दावा करता है। यह क्षेत्रीय विवाद दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष के मूल रूप में है और दोनों देश एक दूसरे के दावों को जोरदार ढंग से खारिज करते है। इसके अलावा, भारत–पाकिस्तान को सीमा पर संघर्ष को जारी रखने और जम्मू और कश्मीर राज्य और देश के अन्य हिस्सों को अस्थिर करने के लिये आतंकवादी गतिविधि को प्रायोजित करने वाला मानता है। अक्सर किसी विशेष धार्मिक या जातीय समूह से सम्बंधित घटनाएं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है वे हिंसा और आतंकवाद के चरम रूपों में शामिल होने के लिये युवाओं को प्रेरित/कट्टर पंथी बनाने के लिये एक सर्जक के रूप में भी कार्य करते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि धार्मिक आतंकवाद के कारण हिंसा की तीव्रता हमेशा बहुत गंभीर रही है। धार्मिक/जातीय समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाले 'घृणास्पद' भाषण देने वालों के खिलाफ व आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कानून बनाया जाना चाहियें।[1]

आतंकवाद विरोधी रणनीति के रूप में भारत द्वारा बनाए गये कानून

1. गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967:-

आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [Unlawfull Activities (Prevention) Act: UAPA]. 1967 में आतंक विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया। यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिंहित करने तथा उन पर रोक लगाने में काफी सहायक सिद्ध हआ इस कानून के निर्माण का उद्देश्य इन गतिविधियों पर अंकुश लगाना था, जो भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के लिये खतरा है। स्वभाविक रूप से, इसने देश की तथा कथित सम्प्रभुता अखण्डता के नाम पर नागरिकों की बोलने तथा अथिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया। UAPA से तात्पर्य के रूप में देखा जाए तो यह गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह कानून संविधान के अनु0 19 द्वारा प्रदत्त वाक की व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता था इसलिये वर्ष 2019 में इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न संशोधन किये गये। जिससे इस कानून में कुछ कठोर प्रावधान जोड़े गये।[2]

2. आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम [TADA], 1985:-

यह अधिनियम “टाडा” के नाम से जाना जाता है, यह एक भारतीय आतंकवाद विरोधी कानून था जो पंजाब विद्रोह की पृष्ठभूमि के तहत 1985 व 1995 (1987 में संशोधित) के बीच लागू किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था। इसे मूल रूप से 23 मई, 1985 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य पंजाब में मौजूद एक सशस्त्र सिख अलगाव वादी आन्दोलन, खालिस्तानी आन्दोलन को रोकना था बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों को भी शामिल करने के लिये किया गया। अधिनियम में शुरू होने के दो साल बाद समाप्त होने का भी प्रावधान था जो 24 मई, 1987 को हुआ। संसद सत्र में नही होने के कारण, इस अधिनियम का जीवन काल नही बढ़ाया गया। लेकिन प्रावधानों को अधिनियम की समाप्ति तिथि से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा जीवित रखा गया दुरूपयोग के व्यापक आरोपों के बाद बढ़ती अलोकप्रियता के कारण 1995 में समाप्त होने के अनुमति देने से पहले इसे 1989 1991 और 1993 में नवीनीकृत किया गया यह आतंकवादी गतिविधियों को परिभाशित करने तथा उनका मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा बनाया गया पहला आतंकवाद विरोधी कानून था। जिसे वाद 1995 में समाप्त कर दिया।[3]

3. आतंकवाद निरोधक अधिनियम, (च्व्ज्।)ए ख्2002,:-

अत्याचार विरोधी अधिनियम, 2002 - देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 2002 को “टाडा” के स्थान पर “पोटा” लागू किया गया। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में 26 मार्च, 2002 पारित होने के बाद 2 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह विधेयक एक अधिनियम “पोटा” के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड 3, 4, 5 तथा 6 में निवारक निरोध संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध से दण्ड देना ही नही बल्कि अपराध करने से रोकना है। वस्तुत: यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारतीय सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जाता तब सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक अभिरक्षा में निरूद्ध करना होता है तो इसके लिये सलाहाकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता था। इस प्रकार निरूद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा किन्तु तत्थों को निरस्त करना लोकहित के विरूद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरूद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र अवसर देना चाहिये। बाद में इस अधिनियम को 2004 में समाप्त कर दिया गया।

4. गैर कानूनी गतिविधि निरोधक बिल (2008):-

यह कानून वस्तुतः 1967 के कानून को नये बिल द्वारा संशोधित करके बनाया गया है, ताकि आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिये मजबूत कानूनी ढांचा मिल सके और केन्द्रीय जॉच एजेंसी का गठन किया जा सके। जिसकी आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। इस नये कानून में कुछ कड़े उपबंध डाले गये है।[4] जो इस प्रकार है:-

क) पुलिस रिमाण्ड की अधिकतम सीमा 15 दिन की बजाए अब 30 दिन की होगी।

ख) अभियोग पत्र पेश करने की अवधि के न्यायिक रिमाण्ड की समय सीमा 10 दिन की बजाय अब 180 दिन की होगी।

ग) यदि संदिग्ध के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नही हो सकता तो जमानत का प्रावधान है।

घ) विदेशी व्यक्ति जमानत के पात्र नहीं होगें।

ड) भारतीय नागरिको का तब तक नही मिल सकती जब तक कि सरकारी वकील भी अपना पत्र प्रस्तुत न करें।

च) आरोप को साबित करने का दायित्व पुलिस का होगा।

छ) सबूत का भार अभियोजन पक्ष की बजाय अभियुक्त पर यानि अभियुक्त तब तक दोषी माना जाएगा जब तक की वह खुद को निर्दोष न साबित कर दें।

ज) रिकॉर्ड और फैसले में गवाह के विषय में पूरी गोपनियता

झ) मामले की जाँच का दायित्व राष्ट्रीय जॉच एजेण्सी का होगा

ट) मामले की सुनवायी के लिये विशेष अदालतों का गठन, जिसके फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

आतंकवाद निरोध में विभिन्न भारतीय सैन्य अभियान

1. ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984):-

यह 5 जून, 1984 को अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर के अंदर छुपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिये भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया कोड नेम "ऑपरेशन ब्लू स्टार" था। इस ऑपरेशन का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्रिरा गाँधी मुख्य रूप से अमृतसर में हर मन्दिर साहिब परिसर को

नियन्त्रण करने के लिये दिया गया सिख चरमपंथी धार्मिक नेता "जरनैल सिंह भिण्डरे वाले" और उनके सशस्त्र अनुयायियों को इस परिसर से बाहर निकालने के लिये भारतीय सेना ने मन्दिर में प्रवेश किया। इस ऑपरोशन के दो घटक थे "ऑपरेशन मेटल" जो कि मन्दिर परिसर पर आक्रमण था तथा दूसरा "ऑपरेशन शॉप" जो राज्य के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था। इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। इसके परिणाम स्वरूप भिण्डरावाले की मृत्यु हो गयी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद इन्दिरा गाँधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गयी। जिसके बाद दिल्ली में गम्भीर रूप से सिख विरोधी दंगे हुये। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप ही भारतीय एजेंसी "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" या NSG की स्थापना 1986 में की गयी। आन्तरिक अशान्ति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिये गतिविधियों का मुकाबला करने को ऑपरेशन ब्लू स्टार अक्षरधाम मन्दिर हमले और पूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी की हत्या के इस प्रकार के बल को बनाने का विचार आया।[6]

2. ऑपरेशन ब्लैक थण्डर:-

"ऑपरेशन ब्लैक थंडर" नाम से दो ऑपरेशन हुये पहला ऑपरेशन 30 अप्रैल, 1986 को हुआ था। पिछले तीन महीनों से लगभग 200 कट्टरपंथी सिख आतंकवादी मन्दिर परिसर पर कब्जा कर रहे थे। ऑपरेशन की कमान जूलियो रिबेरो ने संभाली जो पंजाब के डी.जी.पी. थे। लगभग 300 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमाण्डों ने 700 सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ सिखों के सबसे पवित्र स्वर्ण मन्दिर पर धावा बोल दिया और लगभग 200 सिख आतंकवादियों को पकड़ लिया आठ घण्टों तक चले ऑपरेशन को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह बरनाला ने मंजूरी दी। तथा दूसरा ऑपरेशन "ऑपरेशन ब्लैक थण्डर-II 9 मई, 1988 को शुरू हुआ तथा 18 मई, 1988 कसे आतंकवादियों को समर्पण के साथ समाप्त हुआ ऑपरेशन केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इस ऑपरेशन के लिये अभ्यास किया स्पेशल एक्शन ग्रुप कमाण्डो ने पहले ही अपने बाल बढाने शुरू कर दिये ताकि वे ऑपरेशन के दौरान सिखों के रूप में घुल मिल सके।

फरवरी के मध्य तक ऑपरेशन की तारीख तय कर दी गयी और स्पेशल एक्शन ग्रुप कमाण्डो की छुट्टियाँ रद्द कर दी गयी ऑपरेशन के नेतृत्व में जरनेल सिंह भिंडरावाले के भतीजे जसवीर सिंह रोडे को रिहा कर दिया गया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया। राज्य प्रायोजित आतंकवादियों ने फगवाड़ा के पास एक विश्वकर्मा मन्दिर में सोवियत निर्मित आर पी जी-7 का इस्तेमाल किया। यह ऑपरेशन ब्लैक थण्डर नाकाबंदी रणनीति के हिस्से के रूप में राजनैतिक और सैन्य उद्देश्य के लिये धार्मिक मन्दिरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और अवैध हथियारों के कब्जे और उपयोग के लिये दण्ड बढ़ा दिया गया। शुरूआत में इस "ऑपरेशन ब्लैक थण्डर" को "ऑपरेशन गिल" कहा जाता था।

3. ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो (2008):-

26 नवम्बर, 2008 में हुआ मुम्बई हमला, जब पाकिस्तान में स्थित एक इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुम्बई में लियो पोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल पैलेस होटल, ऑबरॉय ट्राइडेन्ट, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस आदि स्थान पर 10 सदस्यों ने मुम्बई में 4 दिन तक चलने वाली 12 समन्वय शूटिंग और बम विस्फोटक श्रंखला को अंजाम दिया हमले जिनकी व्यापक रूप से वैश्विक निंदा की गयी बुधवार, 26 नवम्बर शुरू हुये और शनिवार 29 नवम्बर, 2008 तक चले 266 मासूम लोगों की मौत हुयी और कम से कम 300 लोग घायल हुये। जिसमें हथियार के रूप में AK-47, आर0डी0एक्स0 (इम्प्रोबाइस्ड विस्फोटक डिवाइस) IED का प्रयोग किया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इण्डियन ए.टी.एस. आदि ने संरक्षक के रूप में इस ऑपरेशन में भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप भारत NSG कमाण्डो ने आतंकवादियों को फलस करने के लिये ऑपरेशन ब्लैक टॉरनैडो को अंजाम दिया।

4. ऑपरेशन ऑल आउट (2017)-

वर्ष 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमाण्डर बुरहान वानी के एनकाउण्टर के बाद जम्मू और कश्मीर में हिंसक घटनाएं होने लगी। वर्ष 2017 में अमरनाथ यात्रा के दौरान किये गये आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गयी एक संयुक्त सैन्य कार्यवाही है। जिसका उद्देश्य राज्य में पूर्ण शान्ति स्थापित करने के आतंकवादियों का सफाया करना है। इस सैन्य अभियान में सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस सीमा सुरक्षा बल तथा इंटेलीजेंस ब्यूरो शामिल है। यह अभियान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन और अल बद्र सहित कई आतंकवादी समूहों के खिलाफ चलाया गया। यह अभियान मुख्यतः उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कश्मीर में जारी है। इस अभियान के दौरान अब तक 250 से भी अधिक आतंकीयों को मार गिराया है इससे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे खुंखार आंतकी समूहों के प्रमुख आतंकी कमाण्डरों का खात्मा किया गया है इससे आतंकियों को करारा झटका लगा। ऑपरेशन ऑल आउट कारण कुछ समय तक आतंकी घटनाऐं कम देखी गयी।[8]

5. सर्जिकल स्ट्राइक (2016)-

18 सितम्बर, 2016 को उरी में सेना के मुख्यालय पर आतंकी हमले के बाद देश में जबरदस्त रोष था देश की सभी दिशाओं और तबके से ये आवाज दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी कि अब बात नही पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्यवाही की जरूरत है, उरी हमले के

तुरंत बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं को समझती है और अब सीमा पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, हालाकि समय सीमा को लेकर सरकार ने जानकारी नही दी थी। उडी हमले के 10 दिन बाद आतंकियों को अदेशा भी नही रहा कि उनके खिलाफ भारतीय फौज की तरफ से कार्यवाहीं की जाएगी। लेकिन 28 सितम्बर की रात आतंकियों के लिये काली साबित हुयी। भारतीय फौज के स्पेशल कमाण्डों गुलाम कश्मीर में निश्चित ठिकानों का निशाना बना रहे थे स्पेशल कमाण्डो की कार्यवाही में धरती से हजारों किमी दूर कार्टोसेट भी अहम भूमिका निभा रहा था। कार्टोसेट के जरिये आतंकियों का उनके मॉद में घुसकर सफाया करने में मदद मिली। और LOC के जाकर जवानों ने 28-29 सितंबर 2016 को एक सफल सैन्य अभियान सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया।[9]

6. ऑपरेशन बंदर (2019):-

14 फरवरी, 2019 को जम्मू श्री नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही वाहनों के एक काफिले पर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेशपोरा में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह के वाहन जनित आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था। हमले के परिणाम स्वरूप 46 केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की मौत हुयी। हमले का अपराधी भारत प्रशासित कश्मीर से था। जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित एक कथित आतंकवादी, प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ भारतीय युद्धक विमानों द्वारा की गयी बमबारी थी। ऑपन सोर्स उपग्रह इमेजरी से पता चलता है कि आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर सफलता पूर्वक अंजाम नही मिला फिर भी यह आतंकवादियों के लिये एक कड़ा संदेश साबित हुआ कि भारतीय सेना कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहती है।[10]

अनुच्छेद 370 के निःप्रभावी होने के बाद का परिदृश्यः-

केन्द्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को अनु0 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के 5 साल बाद अतीत की तुलना में शान्ति की बहाली और विकासात्मक गतिविधियॉ इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में सामने आती है। यह तीन दशकों से अधिक समय बाद है जब पूर्ववर्ती राज्य में सार्वजनिक और सामाजिक जीवन, सामान्य रूप से और विशेष रूप से घाटी, बिना किसी व्यवधान के सामान्य दिनचर्या में वापस आ गया जबकि 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 तक विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं ने पुलिस और सुरक्षाबलों के हाथों 124 नागरिक मारे गये जबकि इसके विपरीत 5 अगस्त 2019 के बाद महत्वपूर्ण निर्णय से आतंकवादी गतिविधियों में भारी गिरावट आयी है सुरक्षा स्थिति में सुधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3

अगस्त 2023 को शोपियों के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें रिपोर्टो के मुताबिक सैकड़ो छात्र, शिक्षाविदों, पत्रकार और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने सकारात्मक विकास के अलावा शान्ति राष्ट्र निर्माण और संस्था निर्माण के बारे में बातें की।

निष्कर्ष– आज हम यह कह सकते है कि भारत द्वारा वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के बहुत से प्रयास किये है कुछ आतंकवाद निरोधक अधिनियम बना कर जैसे UAPA आदि तथा कुछ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये सैन्य प्रयास या अभ्यास भी किये है जैसे– ऑपरेशन ऑल आउट तथा भारत द्वारा आतंकवाद पर नकेल कसने में जो सबसे अहम फैसला था वह अनु0 370 को निष्प्रभावी करना था जो आतंकवाद जम्मू और कश्मीर में पनाहगार होता था आज वहाँ शान्ति और सह अस्तित्व के साथ विकास एवं कौशल पर बातें हो रही है तो कह सकते है कि यह भारत के लिये एक रणनीतिक विजय है जो आतंकवाद निरोध में लगभग सफल सिद्ध होती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध:– डॉ0बी0एल0 फाडिया
2. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध:– राम सूरत पाण्डे
3. अंतराष्ट्रीय संबंध : तपन बिस्वाल
4. राष्ट्रीय सुरक्षा: अशोक कुमार सिंह
5. भू–मण्डलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति: राजेश मिश्रा
6. जनसत्ता समाचार पत्र सम्पादकीय: 1 जून, 2022
7. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध: दृश्टि प्रतियोगिता मासिक पत्रिका
8. आतंकवाद और संगीत अपराध : द विजन मासिक पत्रिका पी.डी.एफ.
9. द हिन्दू समाचार पत्र सम्पादकीय अंक : 08 नवम्बर, 2016
10. हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र सम्पादकीय अंक: 26 फरवरी, 2023

ब्रज संस्कृति का ऐतिहासिक परिचय और वर्तमान समय में उसका महत्व

मुकुल लवानिया
असि0 प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
बी० आर० डी० पी० जी० कालेज
देवरिया

सारांश

संस्कृति (सम+कृ+तिन) सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से बना है जो परिष्कृत या परिमार्जित करने के भाव का सूचक है इसमें विशिष्टता एवं सौजन्य के भाव शामिल होते है। संस्कृति के प्रभाव से ही समाज ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जिनमें सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनैतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति हो पाना सम्भव हुआ। वस्तुतः आचार–विचार का दूसरा नाम संस्कृति है जो बुद्धि तथा अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित है। धर्म और संस्कृति का गहरा सम्बन्ध रहा है। धर्म से जिन मान्यताओं और स्थापनाओं का बोध होता है उनके अनुसार ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और उससे ही संस्कृति का स्वरूप बनता है ब्रज संस्कृति भारत की अनेको संस्कृतियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है जो मूलतः भगवान कृष्ण की जन्म स्थली रही है। ब्रज संस्कृति मूलतः धार्मिक संस्कृति है जिसके केन्द्र में राधा कृष्ण आते है कृष्ण ने न केवल भारत के मनुष्य बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए समन्वयकारी, विशिष्ट परमाराओं से युक्त, गतिशील, सार्वभौमिक, कर्मवाद से युक्त जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जो ब्रज संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति के लिए आधार शिला बनी, आज भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव में धर्म और आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन के लिए सन्तुलन का कार्य कर रही है यह बात ब्रज में देश विदेश से आने लाखो श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में प्रकट हो रही है फलस्वरूप धार्मिक पर्यटन उस क्षेत्र के विकास और वहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम कर रही है।

भारत का दिल कहा जाने वाला 'ब्रज' शब्द संस्कृत के "ब्रज" धातु से बना हैं जिसका अर्थ गतिशीलता है, "ब्रजन्ति गावो यस्मिन्निति ब्रज" अर्थात् जिस स्थान पर गायें नित्य चलती या चरती हैं, उसे ब्रज कहते हैं। वर्तमान समय के इतिहासकारों ने "ब्रज" शब्द के तीन अर्थ बताये हैं–

(1) गोष्ठ (खिरक)

(2) मार्ग

(3) व्रन्द

इन सभी अर्थों में ब्रज शब्द गायों से सम्बन्धित स्थान का बोध कराता है। संस्कृत के इसी 'ब्रज' शब्द से हिन्दी रूप 'ब्रज' बना है। विभिन्न संस्कृतिक ग्रन्थों, वैदिक संहिताओं तथा रामायण एवं महाभारत आदि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में 'ब्रज' शब्द गौशाला, गायों के स्थान या गायों की भूमि के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हैं "ऋग्वेद में यह शब्द गौशाला अथवा गायों के खिरक (बाड़ा) के अर्थ में आया हैं। यजुर्वेद में गायों के चरने के स्थान को 'ब्रज' और गोशाला को 'गोष्ठ' कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में सुन्दर सीगों वाली गायों के विवरण, स्थान से ब्रज का संकेत मिलता है।

ब्रज प्रदेश यमुना नदी के मैदानी भाग में स्थित है। इसीलिये यहाँ की अधिकांश भूमि समतल है। इसकी औसतन ऊँचाई समुद्र की सतह से लगभग 600 फीट है। इसके बीच में होकर यमुना नदी की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं भूमि संरचना की दृष्टि से ब्रज में तीन प्रकार की भूमि पायी जाती है'

(1) मैदानी भाग,

(2) पथरीला किंवा पहाड़ी भाग,

(3) खादर का भाग

ब्रज में मैदानी भाग सर्वाधिक है। यमुना के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ हैं प्राचीन समय में यहाँ सद्यन जंगल थे। पथरीला भाग उत्तर, पश्चिम तथा पश्चिम दिशा में है। इसमें कई छोटी पहाड़ियाँ है। इन पहाड़ियों का बड़ा धार्मिक महत्व है। खादर का भाग यमुना नदी के दोनों तरफ यह भू-भाग यमुना तट पर स्थित है। ब्रज में पाँच पहाड़ियाँ भी है।

(1) गोवरधन पहाड़ी

(2) नन्दगॉव की पहाड़ी

(3) बरसाना की पहाड़ी

(4) कामवन की पहाड़ी

(5) चरण पहाड़ी

ब्रज में यमुना के साथ साथ इसकी कुछ सहायक नदियां भी प्रवाहित होती हैं जिनमें मुख्य परवाह, करबन, सेगर, सिरसा, वानगंगा तथा गम्भीर प्रमुख हैं ब्रज में कुछ बरसाती नदियों तथा सरोवरों को गंगा भी कहते हैं। जो ब्रजवासियों की धर्मप्रियता के प्रतीक है। ये निम्न हैं–

(1) मथुरा में कृष्ण गंगा

(2) गोवरधन में मानसी गंगा

(3) कामवन में अलखगंगा

16वीं शती के गौड़ीय विद्वानों ने विविध पुराणों मे आये हुये श्री कृष्ण के लीला स्थलों का अनुसंधान कर ब्रज की सीमायें और उनके विस्तार को बतलाने का प्रयास किया है। सर्व श्री रूप गोस्वामी और नारायण भट्ट जी का इसमें विशेष योगदान रहा है। श्री रूप गोस्वामी कृत "मथुरा महिला" तथा श्री नारायण भट्ट कृत "ब्रज भक्ति विलास" में ब्रज के जिस धार्मिक स्वरूप का वर्णन किया है वह उसके सांस्कृतिक आध्यात्मिक और सभी रूपों का परिचायक है।

गौणीय विद्वानों के प्रयासों के फलस्वरूप ही ब्रज के उस वृहद् स्वरूप का निश्चय होता है जिसे मैंने सांस्कृतिक ब्रज का नाम दिया है। श्री रूप गोस्वामी ने समस्त पुराणों में दिये हुये मथुरा मण्डल सम्बन्धी कथनों का मंथन कर और अपने समय में किये गये सभी अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि "यायावर से शांकरी बटेश्वर पर्यन्त मथुरा मण्डल में स्थिति है।" यायावर को उन्होंने मथुरा मण्डल (ब्रज मण्डल) की उत्तरी सीमा का जेवर ग्राम समझा है। इस प्रकार जेवर से बटेश्वर तक सांस्कृतिक ब्रज का विस्तार हुआ प्रमाणित होता हुआ दिखाई देता है। आज जेवर बुलन्दशहर जिला के खुर्जा तहसील का दक्षिणवर्ती एक छोटा सा कस्वा है और बटेश्वर आगरा जिला में एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। बटेश्वर का पुराना नाम शोरपुर था, जिसकी स्थापना भगवान कृष्ण के पितामह शुर अथवा शुरसेन द्वारा हुयी कही जाती है। इसके आस–पास कृष्ण के पूर्वजों और वंशजों के अनेक चिन्ह बताये जाते है। जिनमें "पदमखेड़ा" और "औधखेड़ा" शायद श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युन्न और पौत्र अनिरूद्ध के नाम पर बसाये गये हैं। इसका एक घाट कंस कगार कहलाता है जो श्रीकृष्ण के अत्याचारी मामा कंस के नाम से सम्बन्धित मालूम होता है।

हिन्दू धर्म के अनेक प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ब्रज प्रदेश का पुराना नाम शूरसेन था। शूरसेन जनपद एक राजनैतिक इकाई था जिसका अस्तित्व गौतमबुद्ध से भी पहले अब से प्रायः साढ़े तीन हजार वर्ष पहले विद्यमान था। राजनैतिक कारणों से इसके आकार प्रकार में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। अब से करीब 2 हजार वर्ष पूर्व तक कुषाण काल में इसका नाम मथुरा राज्य हो गया था। शकों के शासनकाल में मथुरा नगरी उनके साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी।

कुषाणों के शासन काल में मथुरा राज्य की और भी उन्नति हुई।

कुषाणों के पश्चात् नाग राजाओं के शासन काल में भी मथुरा का राजनैतिक महत्व था। चौथी शताब्दी के अंत में समुद्र गुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिये मथुरा राज्य पर आक्रमण किया, उस समय यहाँ का राजा नागसेन था। नागसेन की पराजय होने के कारण मथुरा राज्य को गुप्तों के विशाल साम्राज्य में मिला लिया गया, तभी से राजनैतिक केन्द्र के रूप में इसका महत्व कम होने लगा। छठी शताब्दी में बर्बर हुणों के आक्रमणों से मथुरा की भीषण बर्वादी हुयी जिसके फलस्वरूप इसका राजनैतिक महत्व भी प्रायः समाप्त सा हो गया।

सातवीं शताब्दी के अंत में हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी सीमायें पंजाब से बंगाल तक थी। ऐसा समझा जाता है कि मथुरा भी उसी के अधीन था। किन्तु उसी समय में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेंनसांग के वर्णन से अनुमानित होता है कि यह राज्य शायद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता था। चीनी यात्री ह्वेंनसांग ने तत्कालीन मथुरा राज्य का क्षेत्रफल 5000 ली (833 मील के लगभग) बताया है। उसकी सीमाओं के सम्बन्ध में भी अनुमान है

ब्रज भारतीय संस्कृति अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण सदा–सर्वदा विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में सर्वोपरि मानी जाती रही है। मानव कल्याण एव मनुष्य का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का एक मात्र मूल उद्देश्य रहा है। अपने यथार्थ रूप में भारतीय संस्कृति एक सम्मिलित संस्कृति है क्योंकि इस लोकतांत्रिक संस्कृति में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति भी है, जिसमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के रीति–रिवाजों, परम्पराओं तथा मान्यताएँ भी प्रतिध्वनित होती रही हैं। यद्यपि उच्च मानवीय मूल्यों एवं प्रतिमानों पर प्रतिष्ठित इस संस्कृति को यह विशिष्ट रूप प्रदान करने में यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र ने अविस्मरणीय योगदान दिया है तथापि आध्यात्मिकता के जिस सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने का तथा विश्व भर में सूर्य के समान दीप्तीमान करने का श्रेय तो ब्रज संस्कृति को ही देना होगा क्योंकि,

"पुरीश्वरी कृष्णपुरी ब्रजेश्वरी तीर्थेश्वरी यज्ञतपो निधिश्वरीम्।
मोक्षप्रदी धर्म धुरंधरां परां मधार्वन श्री मथुरानमाम्यहम्।।"

पुरिया की रानी कृष्णापुरी (मथुरा) ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञतपोनिधियों की यह भूमि ईश्वर है। यह मोक्षप्रदायिनी धर्मपुरी श्री मथुरा को मैं नमन करता हूँ।

"काश्यात्यो यद्यपि सन्ति पुण्यस्तासां है मध्ये मधुरैव धन्या।
तां पुरा प्राप्य मथुरामंदीयां सुर दुर्लभाम्।।

पद्मपुराण में तो मथुरा को सर्वश्रेष्ठ पुरी घोषित करते हुए पुराणकार ने लिखा है कि काशी आदि पुरियाँ यद्यपि मोक्ष दायिनी हैं, किन्तु मथुरा पुरी धान्य है।

भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद श्री उपदेशामृत में लिखते है कि "आध्यात्मिक जगत (बैकुण्ठ) भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सृष्टि के तीन चौथाई भाग में फैला है और यह अत्यन्त पूज्य क्षेत्र है। अध्यात्मिक जगत स्वभावत: भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु ब्रजभूमि इस भौतिक जगत में होते हुए भी बैकुण्ठ अर्थात प्रभु के धाम से भी श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ साक्षात् भगवान प्रकट हुए थे।

दह्यु का अधिकार यमुना तट के उस प्रदेश में भी था, जो बाद में शूरसेन के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रकार भोजगण शूरसेन के प्रथम शासक कहे जा सकते है। यदुवंशियों ने दक्षिण में बड़ी उन्नति की थी। उनके शासन में अंवती, विदर्भ और माहिष्मती के प्रसिद्ध राज्य थे। यदु के वंश में शशबिंदु नामक एक प्रतापी राजा हुआ। उसने द्रह्यु वंशी भोजों को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था इस प्रकार शूरसेन प्रदेश भी यदुवंशियों के शासन में आ गया। अशबिंदु के उपरांत यादवों में विख्यात राजा मधु था। वह अत्यंत प्रतापी, प्रजा-पालक और धार्मिक नरेश था। पुराणों के अनुसार उसका शासन सूरसेन से आनर्त (उत्तरी गुजरात) तक के विशाल भू-भाग पर था।

मधुबन और लवण- वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में असुरवंशी मधु और उनके पुत्र लवण की कथा आती है। उसमें बतलाया गया है कि मधु अत्यंत वीर और धार्मिक-वृति का प्रजा-पालक नरेश था। वह यमुना के तटवर्ती मधुबन पर शासन करता था। उसका पुत्र लवण अपने पिता के समान शूरवीर तो था, किंतु प्रजापालक नहीं था।

महाबली लवण का वध करने के उपरान्त शत्रुधन ने मधुबन के बाग को साफ कराया और वहाँ यमुना नदी के तट पर एक नगरी की स्थापना की, जिसका नाम मधुरा रखा गया। इसका उल्लेख 'विष्णु पुराण' में हुआ है। उक्त मधुरा ही बाद में यह नगरी अपने ही रूप 'मथुरा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है, शत्रुधन जी ने जो नगरी की स्थापना श्रावण महीने में की थी और उसे यमुना के तट पर अर्ध चंद्राकार बसाया था। मथुरा की स्थापना श्रावण में होने से ही कदाचित यहाँ उसी महीने में विशेष उत्सवादि की परंपरा रही है। शत्रुघन जो उस नगरी में बारह वर्ष तक रहे थे। उस काल में मथुरा नगरी इतनी वैभवशाली हो गई कि उसे 'देवनिर्मिता' कहा जाने लगा। वह शूरसेन वाले राजाओं की राजधानी भी हो गई।

ब्रज संस्कृति का महत्व- यद्यपि ब्रज की संस्कृति एक क्षेत्रीय संस्कृति रही है। तथापि प्रारंभ से ही अपना संघर्षशील, समन्वयकारी तथा विशिष्ट परम्पराओं के कारण देश की मार्गदर्शिका क्षेत्रीय होते हुए भी सार्वभौमिक, गतिशील, अपराजेय एवं उदात्त रही है। ब्रज संस्कृति मूलत: धार्मिक संस्कृति है। यदि हम ब्रज मण्डल को एक विस्तृत भव्य एवं दिव्य मंदिर कहें तो कोई अतिश्योक्ति न होगी, क्योंकि

ब्रज का शायद ही कोई ऐसा गाँव हो जहाँ मंदिर न हों। ब्रज के निवासियों और आगन्तुकों की धारणा तथा उपासना पद्धति ही ब्रज की संस्कृति है तथा राधा-कृष्ण इसके केन्द्र बिन्दु हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ब्रज में केवल राधा-कृष्ण की ही उपासना होती है या केवल उन्हीं के मंदिर हैं।

हमारी सभ्यता एवं सांस्कृति वैभव का प्रतीक ही हमारा ब्रज है। वेशंक आज पाश्चात्य प्रभाव के कारण ब्रज की सांस्कृतिक सम्पदा का काफी ह्रास हुआ हैं किन्तु इसके उपरान्त भी ब्रज की संस्कृति अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा आकर्षक तथा मोहक है। इस संस्कृति के संस्थापक स्वयं भगवान कृष्ण ही रहे हैं। ब्रज संस्कृति अति उदार एवं लचीली संस्कृति है। इसके प्रमुख तत्व, सेवा, सौहार्द्र, स्नेह, समर्पण और समन्वय आदि शीघ्र ही किसी भी जीव को अपनी और आकृष्ठ कर लेते हैं।

ब्रज हमेशा से ही अपनी सुसंस्कृति तथा सुन्दर और सुविशाल प्राकृतिक शोभा के लिये प्रसिद्ध रहा हैं। यद्यपि आज ब्रज का वह प्राकृतिक सौन्दर्य नहीं रहा है जो कभी था किन्तु आज भी ब्रज की प्राकृतिक मनोहारी छवि शीघ्र ही किसी भी विदेशी पर्यटक के मन को मोह लेती है। ब्रज के सघन बन, उपबन, कदम्ब की शीतल छाह या फिर सघन करील के वन ही क्यों न हो उनकी अनुपम छटा अति दर्शनीय होती हैं इन सबके पश्चात् मंद-मंद कालिन्दी का बहना उसकी अनुपम छटा में और भी चार चांद लगा देता है।

प्रत्येक देश जाति की अपनी एक विशेष वेश-भूषा होती है। जिसके द्वारा यह बताया जा सकता है कि वह कहाँ का निवासी है। मनुष्य के बाल्य जीवन पर अन्य सभ्यता व संस्कृतियों का गौरवपूर्ण मोह उसे किसी न किसी प्रकार से जकड़े ही रहता है। जिसके फलस्वरूप उसकी मूल वेशभूषा अखिरकार प्रकट हो ही जाती है।

ब्रज में पुरूषों के वस्त्र प्रायः धोती, कुर्ता, जाकेट, सदरी, बगल वन्दी, कोट, गमछा, पटुका आदि होते हैं। वेशक आप पश्चिमी सभ्यता के प्रभावों के फलस्वरूप आज कल ब्रज में भी लोग पेन्ट शर्ट, टाई आदि का प्रयोग करने लगे है किन्तु अभी भी ब्रज में धोती, कुरता, पायजामा तथा पटुका का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है।

ब्रज की स्त्रियों का मुख्य पहनावा लहगां, ओढनी, चोली, अंगिया, चूनरी, पिपरी, ओदनी आदि है किन्तु आज कल ब्रज में धोती साड़ी आदि पहनी जाती हैं बच्चे लड़कियां सलवार कुर्ता पहनती हैं तथा लड़के नेकर शर्ट धोती कुरता, पायजामा आदि पहनते है।

आज 21 वी शताब्दी के पूवार्द्ध में भूमण्डलीकरण के दौर में मानव जीवन के प्रत्येक अवयव चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन स्वष्ट दिखाई दे रहा है एक तरफ तो मनुष्य ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उच्चतम प्रतिमान स्थापित किये है वहीं

दूसरी तरफ खास तौर से सोशल मीडिया के मनुष्य के जीवन पर हावी हो जाने से उसमे एकांकीपन एवं मानसिक दबाव बढ़ने परिणामस्वरूप अनेको नये-नये रोग पैदा होने से उसके व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन हो रहा है ऐसी परिस्थिति में ध्यान एवं आध्यात्मिकता के सहारे रह अपने जीवन में संतुलन बनाये रखने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए धार्मिक पर्यटन एक महत्वपूर्ण साधन है के क्रम में आज ब्रज क्षेत्र (मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन इत्यादि स्थलों) में देश विदेश से लाखो श्रद्धालु प्रतिदिन आते है धार्मिक पर्यटन से अर्थव्यवस्था को तो गति मिलती ही है लाखों लोगों के जीवन यापन का साधन बनता है के साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य तथा देश विदेश के बीच सांरकृतिक समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

सन्दर्भ

1. गोष्ठाध्वनिवहा ब्रज अमरकोष, 3-3-30
2. ब्रज गच्छ गोष्ठान, यजुर्वेद, 1-25
3. हरिवंश विष्णु पर्व 9-30
4. पद्य पुराण, श्रृष्टि खण्ड, अध्याय 31 श्लोक 135
5. मथुरा- ए डिस्ट्रिक्ट मेमाअर तृत्तीय संस्मरण पृष्ठ 133
6. प्रसूदपाल, ब्रज का इतिहास, प्रथम भाग पृष्ठ 86
7. लूनिया, भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री पृष्ठ 52-57
8. बी. एन. झा ब्रज का सास्कृतिक इतिहास पृष्ठ 17
9. गर्ग संहिता पृष्ठ 34
10. डा० धीरेन्द्र वर्मा, ब्रज भाषा व्याकरण
11. प्रभुदयाल मित्तल- ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास
12. कृष्ण दत्त बाजपेयी - ब्रज का इतिहास प्रथमभाग

युवा श्रोताओं की प्रकृति एवं उपयोगिता का अध्ययन (मन की बात के विशेष सन्दर्भ में)

हर्षवर्धन पाण्डे
शोधार्थी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय

शोध सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' संबोधन को रेडियो पर सुनने के लिए समाज के युवा तबके ने जिस तरह की उत्सुकता दिखाई है उसने इस माध्यम में नए प्राण फूंकने का काम किया है। खास बात ये हैं प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में अगर किसी भी विषय पर बोलते हैं तो उनकी अपील का देश की जनता पर बड़ा असर होता है और लोग उनसे सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं। 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम न्यू इंडिया में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में सक्षम हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत शोध अध्ययन में गूगल फार्म के माध्यम से प्रश्नावली बनाकर राजधानी दिल्ली के 18 वर्ष से 25 वर्ष के 50 युवा उत्तरदाताओं से दैव निदर्शन पद्यति के माध्यम से भरवाया गया और पाया गया, रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम को युवाओं के द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं में लोकप्रियता इस कार्यक्रम के माध्यम से बनी हुई है और उनके जनता से संवाद करने के तरीके युवाओं को पसंद आ रहे हैं। आकाशवाणी का 'मन की बात' कार्यक्रम आज पूरे देशभर में सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री की इस नई पहल से रेडियो अपने नए रूप में एक बार फिर हमारे देश में लोकप्रियता के शिखर पर जा रहा है।

मुख्य शब्द- मन की बात, आकाशवाणी, रेडियो, संचार, श्रोता, प्रकृति, उपयोगिता।

प्रस्तावना

मानव जीवन में संचार का बहुत महत्व है और समय-समय पर सूचना, शिक्षा और मनोरजंन की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के संचार माध्यमों का सृजन भी हुआ। जहाँ एक और प्रिंट माध्यम सिर्फ पढ़े लिखे पाठकों की ज्ञान पिपासा को शांत कर रहा था वही रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। रेडियो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द रेडियस से हुई है। रेडियस का अर्थ है एक संकीर्ण किरण या प्रकाश स्तंभ जो आकाश में इलैक्ट्रो मैग्नेटिक तरंगों द्वारा फैलती है। ये विद्युत

चुंबकीय तरंगे संकेतों के रूप में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। यह आम जनता के ज्यादा करीब था क्योंकि यह उनकी बोल–चाल की भाषा का प्रयोग करके श्रोताओं की भागीदारी को महत्व देने वाला सस्ता और सुलभ माध्यम बनकर उभरा, साथ ही इसका अविष्कार ज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र में नवप्रयोग था। यह जनमानस का दोस्त बन चुका है इसकी एक और प्रमुख वजह इसका कम लागत और बिना बिजली के भी अपने कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं जैसे कि संगीत, नाटक, समाचार, फीचर, आदि के जरिये बाल, युवा, बुजुर्ग और महिला सभी श्रोताओं को उनकी रूचि और आवश्यकताओं के अनुरूप के नित नयी विविध प्रकार की सूचना और जानकारी देना है। यह सूचना, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं खेल तथा कृषि सहित सभी प्रकार की सूचना देता है। विभिन्न मीडिया साधनों में रेडियो अन्य साधनों में तुलना में व्यापक पहुंच वाला शाक्तिशाली माध्यम है। अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इसने अनेक सफलता और चुनौतियों के दौर देखे हैं परन्तु यह सर्वमान्य है कि रेडियो सूचना और मनोरंजन का पुराना साधन रहा है। विकास के मार्ग पर अग्रसर भारतीय जनता की आवाज बनकर रेडियो उभरा है।

रेडियो इलेक्ट्रानिक जनमाध्यम की श्रेणी में आता है। यह कानों का विस्तार माना जा सकता है या इसे जनमाध्यम को श्रव्य समाचार पत्र कह सकते हैं। यह एक जनमाध्यम के रूप में निष्पक्ष भूमिका का निर्वाहन कर रहा है। रेडियो सस्ते दामों में उपलब्ध होता है और गाँवों वे दुर्गम स्थानों तक इसकी पहुंच है। यह विभिन्न भाषाओं और शैली में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसे यात्रा करते वक्त या अन्य कार्य करते हुए भी सुन सकते हैं। बिजली रहे या नहीं यह बैटरी से भी चल सकता है। नेत्रहीनों के मनोरंजन का तो एकमात्र सहारा है तो साक्षर या बिना पढ़ी लिखी सभी प्रकार के श्रोताओं के मनोरंजन का यह ध्यान रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण, शहरी अमीर–गरीब सभी के लिए सभी प्रकार की जनता के लिए कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। जनमाध्यम के रूप में रेडियो भारतीय संस्ख्रति की रक्षा कर रहा है। इसके द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, मनोरंजन, पर्यावरण आदि से लेकर विकास तक में योगदान दे रहा है।

सूचना क्रांति के दौर में रेडियो अपने उदयकाल से ही लोगों को सूचित, शिक्षित करने के साथ–साथ ही मनोरंजन प्रदान करने के उददेश्य से लगातार प्रसारण करता रहा है। रेडियो का आविष्कार 19 वी शताब्दी में हुआ। 1815 मे रेडियो की जन्म की कहानी तब शुरू हुई जब इटली के इंजीनियर गुग्लियो मारकोनी ने रेडियो टेलीग्राफी के जरिये मौर्स ने पहला सन्देश प्रसारित किया। कालान्तर में अनके देशों में प्रसारण शुरू किये गए।

भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में 1923 का काल महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष रेडियो क्लब ऑफ बंगाल को अस्थायी तौर पर रेडियो प्रसारण की अनुमति प्रदान की गयी। कलकत्ता में नवम्बर 1923 में छोटे ट्रांसमीटर की सहायता से कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया। इसे रेडियो क्लब की संज्ञा दी गयी। जून 1924 में बॉम्बे रेडियो क्लब और 31 जुलाई को मद्रास में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरूआत हुई। भारत में जो रेडियो प्रसारण का वर्तमान स्वरूप है उसकी नींव 1926 में पड़ी। 31 मार्च, 1926 को रेडियो प्रसारण के लिए एक अलग कंपनी (इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी) का कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण गया। 13 सितंम्बर 1926 को रेडियो प्रसारण के समझौते पर कंपनी ने सरकार के साथ हस्ताक्षर किए और 1927 में सरकार और इंडियन ब्राडकॉस्टिंग कंपनी में समझौता हुआ और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरूआत हुई।"[1]

रेडियो का व्यक्तिगत और अद्वितीय चरित्र यह है कि यह भागीदारी संचार और विकास के लिए एक सार्वभौमिक मास मीडिया में से एक है।"[2] वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि रेडियो बड़ी संख्या में दर्शकों तक विकासशील दुनिया के दूरदराज के अविकसित क्षेत्रों में उन जगहों तक पहुंचने की क्षमता रखता है जहाँ मीडिया के अन्य रूपों टी0वी0 और समाचार पत्र का अभाव है। रेडियो मनोरंजन का एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ है। यह संचार प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी की गारंटी देता है।[3]

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय जानकारी समुदायों को उनकी अपनी भाषा में देने के लिए रेडियो प्रसिद्ध है, साथ ही विभिन्न संगीत और विविध सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी रेडियो प्रसिद्ध है।[4] पहले संचार का माध्यम कबूतर थे, मुनादी करने वाले लोग थे, धावक थे, घुड़सवार थे। फिर अखबार आये। चार पेज के अखबार में दुनिया भर की खबरें एक साथ अनेक शहरों, अनेक लोगों तक पहुँचने लगीं। पुराने माध्यम अप्रासंगिक हो गए। उन्होंने पुराने माध्यमों की जगह ली। फिर रेडियो आया तो अखबार में कमियाँ नजर आने लगीं। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचने लगा, जहाँ अखबार नहीं पहुँच सकते थे। जाहिर है रेडियो जैसे शक्तिशाली माध्यम के सामने अखबार कहाँ टिकता! देखते ही देखते रेडियो सारी दुनिया में छा गया। लेकिन अखबार फिर भी बने रहे क्योंकि अखबार में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनकी भरपाई रेडियो नहीं कर सकता था। फिर टीवी आया। हमें लगा कि अब तो न अखबार बचेगा और न ही रेडियो। कुछ अरसा तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। टीवी ने अखबार और रेडियो दोनों की ही सीमा में अतिक्रमण किया लेकिन जल्द ही उसकी सीमारेखा भी तय हो गयी। लेकिन इसके लिए अखबारों और रेडियो को भी कम मशक्कत नहीं करनी पडी। उन्हें अपने रंग–रूप को बदलना पडा। रेडियो को भी एफएम का नया अवतार लेना पडा। हमारे देश में चूंकि रेडियो का बड़ा हिस्सा सरकार के नियंत्रण में था, खासकर खबरों और समसामयिक कार्यक्रमों वाला, लिहाजा वह नहीं बदला। इसलिए वह पिछड़ता चला गया। घरों से रेडियो–ट्रांजिस्टर गायब होने

लगे। उसकी इज्जत एफएम ने रखी जरूर लेकिन वह एकदम दूसरे छोर पर चला गया। ऐसा उसने अपने मनोरंजन का स्तर गिरा कर किया जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ रेडियो ने टीवी के सामने समर्पण नहीं किया।[5]

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने जिस तरीके से 'मन की बात' के लिए रेडियो माध्यम को चुना है उससे रेडियो के अच्छे दिनों की आहट सुनाई देने लगी है। आमतौर पर अभी तक हमारे देश में रेडियो को गए गुजरे माध्यम के रूप में देखा और सुना जाता था लेकिन आज भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चौबीस घंटे के खबरिया चैनलों की भागमभाग के बीच रेडियो माध्यम ही ऐसा है जिसकी पहुँच सुदूर कोने तक है। यह एक ऐसा माध्यम है जो देश की 99.14 फीसदी आबादी को न केवल सीधे जोड़ता है बल्कि सुगम संगीत के साथ देश दुनिया के हालातों से सीधे रूबरू भी करवाता है शायद यही वजह है हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार और जनता के बीच ब्रिज के रूप में इस माध्यम को चुना है। आजादी से पहले के दौर को याद करें तो रेडियो माध्यम ने जनता के बीच अपनी अलग छाप छोडी। लोग अपने आस पास की जानकारी लेने और संगीत के लिए इसी माध्यम पर निर्भर होते चले गए वहीँ आजादी के बाद कई योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर जनता तक अपनी बात पहुचाने के लिए सरकारों ने रेडियो का बखूबी सहारा लिया। विविध भारती के प्रोग्राम तो उस समय इतने लोकप्रिय रहे कि श्रोता रेडियो के खासे मुरीद हो गए और सीमा पार विषम भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे जवानों के मनोरंजन का आसरा यही रेडियो एक दौर में हुआ करता था। कन्वर्जेन्स के इस युग में जब यह माध्यम एफ.एम. रेडियो के रूप में अपनी धूम मचा रहा है तो रेडियो की भी नई वापसी हो रही है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के लिए रेडियो का सहारा लिया है उसे रेडियो की पुनः वापसी के तौर पर देखा जाना चाहिए।[6]

आकाशवाणी का 'मन की बात' कार्यक्रम आज पूरे देशभर में सुना जा रहा है और जिस उत्साह से जनता प्रधानमंत्री को सुन रही है उससे रेडियो की लोकप्रियता के ग्राफ में निश्चित ही इजाफा हो रहा है। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। प्रथम प्रसारण से लेकर अब तक पीएम ने जनता से विभिन्न मसलों पर सीधा संवाद स्थापित किया जिनमे काले धन से लेकर स्वच्छ भारत, नशे से लेकर बच्चों की परीक्षाओं और किसानों से जुड़े कई मसलों पर बहुत बात हुई। युवाओं में बढ़ती नशे की लत से लेकर विश्व योग दिवस, पीएम सुरक्षा योजना से लेकर जन-धन योजना, स्टार्ट अप से लेकर भूमि अधिग्रहण, रेलवे की बेहतरी से लेकर नार्थ ईस्ट, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, फिट इंडिया, मुद्रा लोन सरीखे अनगिनत विषयों को उन्होनें इस कार्यक्रम के माध्यम से छुआ है जिसने पूरे देश में नई बहस को जन्म दिया है।

जब से आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' शुरू की है, आकाशवाणी एक बार फिर घर–घर पहुंच गई है। देश का कोई ऐसा कस्बा ऐसा नहीं बचा है जहाँ से प्रधानमंत्री की मन की बात पर रविवार को चर्चा नहीं होती। दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में हर दिन 'मन की बात' के लिए पहुंच रहे पत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं लोगों को हमारे प्रधानमन्त्री का यह नया तरीका बेहद पसंद आया है। 'मन की बात' पीएम को सुझाव देने का भी एक बेहतर माध्यम बना है साथ ही नमो एप के माध्यम से यह देश दुनिया तक पहुंचा है। देशवासी प्रधानमंत्री की इस पहल से खासे खुश हैं और प्रत्येक माह के आखिरी रविवार की सुबह से गाँवों, कस्बों में सजने वाली महफिलों में चर्चा के केंद्र में मन की बात ही होती है। यानी साफ है प्रधानमंत्री की इस नई पहल से रेडियो अपने नए रूप में एक बार फिर हमारे देश में लोकप्रियता के शिखर पर जा रहा है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आये थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ मिलकर खुद को जनता से सीधे जोड़ने का काम किया। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने जनता से सीधे सवाल अपनी साईट पर मंगवाए और चुने हुए सवालों को शामिल किया। रेडियो के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गुमनामी के अंधेरों में जो रेडियो कहीं खो गया था, उसी रेडियो पर हर बार प्रसारित होने वाली प्रधानमंत्री की 'मन की बात' को अब खुद खबरिया चौनल ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं और आकाशवाणी की फीड का लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे है। सूचना क्रांति के इस युग में टेलीविजन और इंटरनेट जैसे संचार संसाधनों में वृद्धि के बावजूद रेडियो की महत्ता और प्रासंगिकता आज भी कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कहने के लिए रेडियो को चुना है, इससे रेडियो का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी हैश टैग मन की बात खूब ट्रेंड करती रही है जो रेडियो की ताकत को बताने के लिए काफी है।[7]

भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता को रेडियो से जोड़ा है। रेडियो पॉडकास्ट के माध्यम से नई पीढ़ी रेडियो को अपनी जीवन दिनचर्या का अहम हिस्सा बना रही है। आज रेडियो के माध्यम से मनोरंजन के क्षेत्र में भी बदलाव आये हैं। 1930 में इंडियन ब्राडकास्टिंग कंपनी का भारत में गठन हुआ और 1932 में स्थायी रूप से इसका नाम आल इंडिया रेडियो हुआ और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो के सम्पूर्ण देश भर में 479 स्टेशन काम कर रहे हैं जो देश के क्षेत्रफल का 92 प्रतिशत हिस्सा है जो विभिन्न भाषा और बोलियों में रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।[8]

रेडियो मूलतः बोलचाल का माध्यम है। श्रव्य माध्यम होने के नाते रेडियो सुनते समय निरंतर ये अहसास होता है कि जैसे कोई आपसे बातचीत कर रहा है। रेडियो का एंकर बहुत कम समय में ही श्रोताओं का एक दोस्त बन जाता है। इसके अलावा जब कोई आवाज या विषय हम रेडियो पर सुनते

हैं तो स्वाभाविक रूप से कल्पना के आधार पर मन में एक तस्वीर बनाने लगते हैं इसलिए कहा जाता है कि रेडियो न केवल सूचनाएं प्रसारित करता है बल्कि श्रोताओं की कल्पनाशक्ति को भी पंख लगाता है। रेडियो कम खर्चीला और सशक्त जनसंचार माध्यम है जो ना केवल मनोरंजन करता है बल्कि जागरूक भी बनाता है। नब्बे के दशक में टेलीविजन के विस्तार से रेडियो की लोकप्रियता पर कुछ असर जरूर पड़ा था लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान एफ.एम. क्रांति ने देश में रेडियो का पुनर्जन्म कर दिया है। विशेषकर शहरों में एफ.एम. चौनलों पर रोचक संगीत और सूचनामूलक कार्यक्रमों को लोग खूब सुन रहे हैं।[9]

रेडियो श्रोता वे व्यक्ति हैं जो रेडियो प्रसारण सुनते हैं। यह विभिन्न आयु वर्ग, जनसँख्या समृद्धि, राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रुचियों के होते हैं। रेडियो श्रोताओं की प्रकृति में विविध ता देखी जा सकती है। रेडियो श्रोताओं की प्रख्रति उनकी प्राथमिकताओं, सुनने की क्षमता, सामाजिक सन्दर्भ, रुचियों, स्थानीय और राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है। 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम की आज के दौर के समाज में क्या उपयोगिता है यह शोध का विषय है।

साहित्य पुनरावलोकन

गोविंद सिंह ने लिखा है इंदिरा गांधी के बाद शायद मोदी ही ऐसे राजनेता हैं, जिसने रेडियो की ताकत को पहचाना है और उसे अपने संदेशवाहक के रूप में चुना है। वह कहते हैं टीवी और अखबार आज भी गाँव–गाँव नहीं पहुँच पाए हैं जबकि रेडियो की पहुँच देश की 99 प्रतिशत आबादी तक है। गांवों में यह आज भी जनता की पहली पसंद है। मोदी ने यही देखा। वे देश के उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जिन तक कोई और शासक नहीं पहुंच पाया था। सचमुच उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली।

अनुराग चतुर्वेदी ने नई दुनिया डाट काम पर 'मन की बात' से किसे है ऐतराज से आलेख लिखा है जिसमें वह कहते हैं 'मन की बात' कार्यक्रम कोई राजनीतिक प्रचार का मंच नहीं है। देश में राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्र के नाम संदेश देने की एक नीरस सी परिपाटी बनी हुई थी जिसमें 'मन की बात' एक ताजा हवा में झौंके की तरह आता है।

सिद्धार्थ शंकर गौतम कहते हैं 'मन की बात' लोगों के हृदय में स्थान बनाने के साथ ही जनचेतना जागृत करने के सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। मन की बात मात्र एकपक्षीय माध्यम नहीं है वरन इसके द्वारा आम लोगों की बात एवं मनोस्थिति को पूरा देश सुनता है। वैश्विक परिख्रश्य में मन की बात इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिसके चलते देश का प्रधान सेवक अपनी जनता के साथ सीधे जुड़ा हुआ है।

उपकल्पना

1. 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम से रेडियो में नई जान आई है।
2. 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम युवाओं में लोकप्रिय हैं।
3. 'मन की बात' ने हाल के वर्षों में युवाओं की जीवन शैली को बदला है।
4. युवाओं की जन जागरूकता में 'मन की बात' कार्यक्रम खासा उपयोगी है।

उददे्श्य

1. 'मन की बात' कार्यक्रम के विषय में युवाओं के रुझान का अध्ययन करना।
2. 'मन की बात' सुनने के लिए युवाओं द्वारा बिताए जाने वाले समय का अध्ययन करना।
3. 'मन की बात' से युवा किस तरह प्रभावित हैं यह समझने की कोशिश करना।
4. 'मन की बात' के माध्यम से युवाओं के जीवन में आ रहे बदलाव का अध्ययन करना।

शोध विधि प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्राथमिक स्त्रोत के रूप में गूगल प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है और द्वितीयक स्रोत के रूप में आनलाइन वेबसाइट, पुस्तकों और जर्नल को शामिल किया गया है।

न्यादर्श का चयन प्रस्तुत शोध कार्य के लिए देश की राजधानी दिल्ली के गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रथ विश्वविद्यालय द्वारका में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शामिल किया गया है। अध्ययन में शामिल किए गए उत्तरदाता 18 से 25 वर्ष के बीच की उम्र के हैं जिसमें (25 पुरुष और 25 महिलाएँ) शामिल किए गए हैं।

प्रदत्त का विश्लेषण, व्याख्या और परिणाम

1. 60 फीसदी उत्तरदाता ऐसे हैं जो रेडियो नियमित सुनते हैं वही 40 फीसदी नहीं सुनते हैं।
2. 10 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' के विषय में समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई वहीं 18 फीसदी को रेडियो के माध्यम से हुई। 21 फीसदी ऐसे थे जिन्हें 'मन की बात' कार्यक्रम की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हुई वहीं 51 फीसदी उत्तरदाता को टेलीविजन के माध्यम से हुई।

3. सर्वाधिक 35.6 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' सूचना हेतु सुनते हैं वहीं 23.6 फीसदी उत्तरदाता देश और दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के लिए सुनते हैं। इसी प्रकार 19.2 फीसदी ज्ञान के लिए और 14.4 फीसदी मनोरंजन के लिए सुनते हैं। 7.2 फीसदी ऐसे हैं जो 'मन की बात' टाइम पास के लिए सुनते हैं।

4. उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में सर्वाधिक 26 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' बात टी.वी पर सुनते हैं वहीं 29 फीसदी लोग मोबाइल पर सुनते हैं। इसी प्रकार 14 फीसदी रेडियो सेट पर और 18 फीसदी इंटरनेट पर सुनते हैं। 6 फीसदी ऐसे हैं जो 'मन की बात' की बात फेसबुक लाइव पर, 7 फीसदी प्रसार भारती के ऐप पर सुनते हैं।

5. सर्वाधिक 40 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' कार्यक्रम अकेले सुनते हैं वहीं 28 फीसदी पूरे परिवार के साथ सुनते है। इसी प्रकार 13 फीसदी कुछ लोगों के साथ सुनते हैं और 19 फीसदी इनमें से कोई नहीं का विकल्प सुझाते हैं।

6. सर्वाधिक 36 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' के एपिसोड सुनने के बाद उस पर बाहर चर्चा करते हैं 64 फीसदी 'मन की बात' के एपिसोड सुनने के बाद बाहर चर्चा नहीं करते हैं।

7. सर्वाधिक 31 फीसदी उत्तरदाता नियमित 'मन की बात' सुनते हैं। 25 फीसदी कभी कभी सुनते हैं वहीं 36 फीसदी लोग अपनी सुविधा के अनुसार सुनते हैं। इसी प्रकार 8 फीसदी लोग 'मन की बात' कभी नहीं सुनते हैं।

8. सर्वाधिक 82 फीसदी उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि 'मन की बात' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच दूरी कम हुई है।

9. सर्वाधिक 50 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' के मंच को राजनीतिक नहीं मानते हैं वहीं 50 फीसदी लोग मन की बात को राजनीतिक मंच मानते हैं।

10. सर्वाधिक 50 फीसदी उत्तरदाता मानते हैं 'मन की बात' में प्रधानमंत्री संचार शैली उनको आकर्षक लगती है वहीं 29 फीसदी को प्रधानमंत्री की संचार शैली सामान्य लगती है। 11 फीसदी को अच्छी लगती है तो वहीं 10 फीसदी को संतोषजनक लगती है।

11. सर्वाधिक 60 फीसदी लोग सहमत हैं वहीं 28 फीसदी लोग थोड़ा बहुत सहमत दिखाई देते हैं वहीं 12 फीसदी लोग इस प्रश्न के उत्तर में एकदम नहीं का विकल्प सुझाते हैं।

12 सर्वाधिक 67 फीसदी उत्तरदाता मानते हैं 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में सक्षम हैं।

13. सर्वाधिक 80 फीसदी उत्तरदाता इस बात को मानते हैं 'मन की बात' के आने से रेडियो में नई जान आई है।
14. सर्वाधिक 27 फीसदी उत्तरदाता ऐसे हैं जो मेक इन इंडिया अभियान से प्रभावित हैं वहीं 16 फीसदी स्किल इंडिया से, 12 फीसदी लोग इनक्रेडिबल इंडिया अभियान से, 11 फीसदी फिट इंडिया अभियान से और इन सभी अभियानों से 14 फीसदी, सेल्फी विद डाटर से 13, मुद्रा लोन से 7 फीसदी प्रभावित हैं।
15. सर्वाधिक 49 फीसदी उत्तरदाता ऐसा मानते हैं 'मन की बात' कार्यक्रम प्रधानमंत्री को हर सप्ताह रविवार करना चाहिए वहीं 51 फीसदी लोग मानते हैं प्रधानमंत्री को हर सप्ताह रविवार को नहीं करना चाहिए।
16. 40 फीसदी उत्तरदाता 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम के मौजूदा स्वरूप में परिवर्तन चाहते हैं वहीं 35 फीसदी लोग 'मन की बात' के मौजूदा स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। 25 फीसदी लोगों ने इस पर कुछ नहीं कह सकते का विकल्प सुझाया।

निष्कर्ष

'मन की बात' जैसे कार्यक्रम ने रेडियो में नई जान फूंकने का काम किया है। संचार के नए माध्यमों के बीच दम तोड़ रहे रेडियो को 'मन की बात' कार्यक्रम ने ऑक्सीजन दी है। रेडियो के लिए यह प्रोग्राम वरदान साबित हुआ है। 'मन की बात' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है। इसने न केवल रेडियो की लोकप्रियता युवाओं के बीच बढ़ाने में मदद की है, बल्कि मुनाफे का अच्छा सौदा भी साबित हुआ है। हम यह मान चुके थे कि रेडियो खत्म हो गया है लेकिन 'मन की बात' कार्यक्रम का देश की जनता पर अच्छा-खासा असर हुआ है। 'मन की बात' कार्यक्रम के अपने अब तक हर आयोजन में प्रधानमंत्री ने सरकारी नीति और उसके विकास के साथ लोगों से भी जुड़ने की अपील की है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 'मन की बात' का जो लक्ष्य रखा गया था कि पूरे देश की जनता से जुड़ने का, वह इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही पूरा हुआ है। इस कार्यक्रम को सुनने में देश की राजधानी दिल्ली के युवा वर्ग की दिलचस्पी हाल के कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, देवव्रत, भारतीय इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2010, पृष्ठ 25

2. Tavhiso MuswedePromoter: Prof Mmusi S- O- Sustainability challenges Facing Community Radio: A Comparative Study Of Three Community Radio Stations In Limpopo Province University Of Limpopo Octoober 2009 Page no &1
3. IBID
4. Tavhiso MuswedePromoter: Prof Mmusi S- O- Sustainability challenges Facing Community Radio: A Comparative Study Of Three Community Radio Stations In Limpopo Province University Of Limpopo October 2009
5. क्या सचमुच बहुरेंगे रेडियो के दिनसिंह, गोविंद अमर उजाला 7 जनवरी 2015
6. पाण्डे, हर्षवर्धन, अतीत से वर्तमान तक रेडियो का सुनहरा दौर, मीडिया विमर्श, जुलाई –सितम्बर 2022, पेज 101 –115
7. वही
8. www- prasarbharti-gov-in
9. http://mediakipathshala-blogspot-com/2016/12/radio&prasaran&taknik&radio&patrakarita&radio&ka&itihas-html

सहायक सूची

1. अनुराग चतुर्वेदी, मन की बात से किसे है ऐतराज, नई दुनिया डाट काम, 27 अक्टूबर 2015
2. गौतम, सिद्धार्थ शंकर, सामाजिक चेतना का अग्रदूत मन की बात, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
3. https://www-dailypioneer-com/2024/columnists/connecting&the&masses&through&mann&ki&baat-html
4. https://www-mygov-in/group&issue/give&your&inputs&prime&ministers &mann&ki&baat/
5. http://www-pmindia-gov-in/en/news_updates/pm&urges&people&to&record&voice&messages&for&mann&ki&baat/
6. https://hindi-news18-com/news/nation/pm&modis&mann&ki&baat&program&earned&more&than&rs&30&crore&in&6&years&3340270-html
7. www-newsonair-com
8. www-ddnews-gov-in
9. Namo App
10. www-mygov-in
11. www-pmindia-gov-in

आजादी के अमृत महोत्सव मे-पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्वांचल के गाँधी बाबा राघवदास के योगदान का स्मरण

मुकुल लवानिया
आसि0 प्राफेसर (इतिहास विभाग)
बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज
देवरिया

सारांश

"आजादी का अमृत महोत्सव" की अधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 से प्रारम्भ हुयी है यह महोत्सव आजादी के 75 साल और इसके लोगों द्वारा अर्जित समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सास्कृतिक गौरवशाली उपलब्धियों के इतिहास को जानने एवं समझने के लिए भारत सरकार की एक पहल है- की कड़ी में पूर्वाचल के गाँधी के नाम से विख्यात सर्वाधिक लोकप्रिय गाँधी वादी नेता, निर्भीक स्वतन्त्रता सेनानी, निष्ठावान समाजसेवी बाबा राघवदास ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर यहाँ के जन साधारण को स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया, गरीबी, अशिक्षा, शोषण एवं अन्धविश्वासो से ग्रसित पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक अंग्रेजी सरकार के अन्याय, शोषण, एवं अत्याचार के विरूद्ध हमेशा संघर्ष किया बाबा राघवदास ने केवल अंग्रेजो की दासता से मुक्ति लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन में इस क्षेत्र की जनता का नेतृत्व किया बल्कि वे समाजिक कुरीतियो को दूर करने, शिक्षा की अलग जगाने के लिए सैकड़ो शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये, उनके द्वारा की गयी वरूण यज्ञ, कुओं और तालाबों का खोदना, भूदान आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता, गन्ना किसानो के संरक्षण के लिए प्रयास, गौसेवा, यात्री सेवा, बौद्ध एवं हिन्दू तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्वार एवं सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासो के द्वारा इस क्षेत्र की जनता की अमूल्य सेवा की।

12 दिसम्बर 1896 को पुणे के एक सम्पन्न चितपावन ब्राहमण परिवार में पैदा हुए बाबा राघवदास जिनके बचपन का नाम राघवेन्द्र शेषों था, 1896 में आया प्लेग महामारी से परिवार के ज्यादातर सदस्यों के काल कलवित हो जाने से बालक राघवेन्द्र के अवोध एवं कोयल मन को तीव्र आघात पहुँचा और राघवेन्द्र की सांसारिक विषयों के प्रति अनाशक्ति आ गयी, बालगंगाधर तिलक द्वारा प्रारम्भ किये गये

शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव तथा स्वदेशी आन्दोलन ने राघवेन्द्र के मन पर गहरा असर छोड़ा और मात्र 11 वर्ष की आयु में राघवेन्द्र ने विदेशी चीनी नही खाने का संकल्प लिया। जिन्दगी के कठिन समय में भी उन्होने न केवल अच्छी ज़िक्षा प्राप्त की बल्कि उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित कर एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रसिद्धि पायी, इसी बीच उन्होने स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान व लेखों का अध्ययन किया बम्बई में राघवेन्द्र उपनिषद एवं दर्शन के प्रति जिज्ञासु उनके मन में रामकृष्ण परमहंस जैसा कोई योग्य गुरू प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुयी, गुरू की खोज में 11 फरवरी 1913 को राघवेन्द्र महारष्ट्र छोडने के बाद भ्रमण करते हुए हरिद्वार, टिहरी, मसूरी, हड़िया (इलाहाबाद) बनारस और फिर गाजिपुर पहूॅचकर मौनी बाबा से उनका साक्षात्कार हुआ लेकिन मन को शान्ति नही मिली, फिर बिहार प्रान्त में सासाराम, आरा, होते हुए 1915 बरहज (देवरिया) में अनन्त महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, राघवेन्द्र को गुरू मिल गये अनन्त महाप्रभु का शिष्यत्व ग्रहण कर वे राघवेन्द्र से राघवदास हो गये और जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, 1917 में अनन्त महापुभु का उत्तराधिकार स्वीकार कर परमहंस बाबा राघवदास हुए और यही से उनकी आत्मोत्थान से जनोत्थान की सकल्पवद्ध मगंलमय यात्रा प्रारम्भ हुयी और पूर्वाचल की मिट्‌टी को बाबा राघवदास ने अपनी दृठ संकल्पित आध्यामिक शक्ति से सीचकर इस क्षेत्र की जनता के लिए अभ्यूदय का मार्ग प्रशस्त किया।

राघवेन्द्र आचार्य नरदेव शास्त्री के साथ देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के रूप में दिसम्बर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए जिसमें महात्मा गाँधी, बालगंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे नेता आये थे काग्रेस के नेताओ का दर्शन कर उनके भाषण सुनकर राधावेन्द्र बहुत प्रभावित हुए अंग्रेजी राज के विरूद्ध काग्रेस के संघर्ष से वह वचपन से ही जुड़े थे, 1919 में घटी जलियावाला बाग की ह्दय विदारक घटना ने बाबा राघवदास को विचलित कर दिया 1 अगस्त 1920 को बालगंगाधर तिलक के देहवसान का समाचार 3 अगस्त 1920 को मिलते ही बरहज का सम्पूर्ण कारोवार ठप हो गया बरहज के पुस्तकालय के सामने आयोजित एक विशाल शोकसभा की अध्यक्षता बाबा राघवदास ने की थी, अब उन्होने अपना लक्ष्य निश्चित करने में देरी नही की, राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा का उन्होने संकल्प लिया अपनी साधना के केन्द्र के रूप में जनअरण्य को चुना जनमुक्ति की अपेक्षा आत्ममुक्ति का विचार उन्हे छोटा प्रतीत होने लगा और बाबा राघवदास कूद पड़े अपनी अपराजेय जीजीविशा के साथ आजादी की लड़ाई में और लग गये गरीबी अत्याचार, अशिक्षा, असमानता एवं सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध एक कभी न समाप्त होने वाले संघर्ष में–

स्वतंन्त्र आन्दोलन एवं काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों मे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पिछड़ी और निर्धन जनता के भव्य योगदान के पीछे बाबा राघवदास की प्रेरणा और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंन्त्रता आन्दोलन में इस क्षेत्र से बडी संख्या में लोगो के जेल जाने और उनके वलिदान के

पीछे बाबा राघवदास एक प्रेरक शक्ति थे गॉव–गॉव पैदल घूमने मे वे अभ्यस्त थे उन्होने जनता के बीच जाकर जनता के जैसा जीवन जीकर सेवा की, अपने आचरण एवं व्यवहार से उन्होने अपने को सच्चा जनसेवक सिद्ध किया था बाबा राघवदास की एक आवाज पर लाखों लोग एकत्र हो जाते थे स्वतंन्त्रता आन्दोलन के प्रत्येक चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके नेतृत्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।

1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत देवरिया में स्थापित वोटर्स एसोसिएशन की ओर से 31 जुलाई एवं 1 अगस्त 1920 को बरहज की वडी मस्जिद में सभायें हुयीं बाबा राघवदास ने इन दोनों सभाओं की अध्यक्षता की और गाँधी जी द्वारा शुरू किये गये खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की अपील जनता से की थी दिसम्बर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन (नागपुर) में बाबा राघवदास बरहज के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए 8 फरवरी 1921 को गाँधी जी गोरखपुर आये और वाले मिया के मैदान में एक लाख लोगों की विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने स्कूल, अदालत, और अन्य सरकारी सेवाओं के वहिस्कार की अपील की इस अवसर पर बाबा राघवदास ने गोरखपुर में गाँधी जी अभिनन्दन किया और उनके समुख देश सेवा के कार्य में सर्पित होने का वृत लिया। 10 फरवरी 1921 को बाबा राघवदास ने परसिया (देवरिया)में सेवा समिति और पंचायत की स्थापना की जिसके माध्यम से मादक वस्तुओं के निषेध और चर्खे के प्रचार पर बल दिया, इस अवसर पर महिला समिति में लगभग 200 महिलायें मौजूद थी, इस समय तक बाबा राघवदास की कांग्रेस मे एक महत्वपूर्ण आन्दोलनकारी के रूप में प्रसिद्धि फैल चुकी थी, मार्च 1921 में धारा 144 ए0 के अन्तर्गत बाबा राघवदास को जेल की सजा दी गयी और उन्हे बाबा रायचन्द्र, देवनारायण पाण्डेय, तथा केदारनाथ आर्य के साथ लखनऊ की सेन्ट्रल जेल में बन्द रखा गया 13 अप्रैल 1921 को जलियावाला बाग हत्या काण्ड की दुखद घटना की स्मृति में गोरखपुर में निकले विशाल जूलूस का नेतृत्व बाबा राघवदास ने किया 19 जुलाई 1921 को उन्हे धारा 108 के अन्तर्गत एक साल के सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया बाबा की गिरफ्तारी से देवरिया और बरहज में सनसनी फैली गयी, और लगभग दस हजार लोगो ने न्यायालय के सामने एकत्र होकर बाबा का समर्थन किया बाद में उन्हे गोरखपुर जेल से बनारस स्थानान्तरण कर दिया गया बनारस जेल में उनकी मुलाकात, आचार्य कृपलानी, विचित्र नारायण शर्मा एवं सम्पूर्णानन्द इत्यादि बड़े नेताओं से हुयी, उस समय तक अकेले बाबा राघवदास के प्रयास से देवरिया में कांग्रेस के सवा दो हजार सदस्य बनाये जा चुके थे ढाई हजार चरखों का विवरण किया जा चुका था और तिलक स्वराज कोष में पाँच हजार से अधिक रूपया जमा हो चुका था, अपने जेल जीवन के दौरान ही बाबा राघवदास को गोरखपुर कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था जेल से रिहा होते ही वह कांग्रेस के कार्य में लग गये, गाँव–गाँव घूमकर उन्होने खद्दर और चर्खे का प्रचार प्रारम्भ किया, 3 दिसम्बर 1922 को गोरखपुर में लगभग

8000 लोगों की सभा की अध्यक्षता बाबा राघवदास ने की जिसमें सरोजनी नायडू, मुहम्मद अली, बी0 अम्मान, तथा मुहम्मद फकीर जैसे ख्याति प्राप्त नेता शामिल थे, बाबा राघवदास चौरी–चौरा काण्ड के अभियुक्तों के दुखी परिवारों से मिले और उनकी यथाशक्ति सहायता की इलाहाबाद उच्च न्यायालय गये उनके आग्रह पर बहुत पहले वकालत छोड चुके मदन मोहन मालवीय पैरवी करने के लिए तैयार हो गये परिणामस्वरूप 30 अप्रैल 1923 को उच्चन्यायालय ने अपने निर्णय में 38 अभियुक्तों को निर्दोष माना, 19 को फॉसी, 14 को आजीवन कारावास तथा शेष को जेल की सजा मिली, चौरी–चौरा काण्ड की प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा जनता पर किये जा रहे अत्याचारों के विरोध में बाबा राघवदास द्वारा दिये गये एक भाषण को राज द्रोहात्मक मानते हुए अंग्रेजी सरकार ने उन्हे 15 मार्च 1923 को एक वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया।

16 और 17 मार्च 1924 को जवाहर लाल नेहरू ने गोरखपुर जिले का दौरा किया 16 मार्च 1924 को महाराजगंज तहसील में पहला रजनैतिक सम्मेलन जवाहर लाल नेहरू की उपस्थिति में बाबा राघवदास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, 11 मई 1924 को हाटा तहसील में राघवदास की अध्यक्षता में एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ जिसमें पुरूषोत्तम दास टण्डन मुख्य अतिथि थे 13 मई 1924 को पडरौना में बाबा राघवदास की अध्यक्षता में एक सभा हुयी। 07 अक्टूबर 1924 को प्रकाशित स्वदेश के विजंयाक में पृष्ठ संख्या 19–20 पर बाबा राघवदास का एक लेखा, विजयः आशा वै परम दुःख नौराश्यं परम सुखम" शीर्षक से प्रकाशित हुआ इस लेख में उन्होने बडी कुशलता से अंग्रेजों की गुलामी के विरूद्ध पाठकों को उत्तेजित करने का काम किया और कहा कि जिस देश के साधारण बन्दर और भालुओं में महाराथियों को हराने की सामर्थ्य थी उसी राष्ट्र के कुलीन पुरूष एक साधारण नौकर से भयभीत है जनता में उनके इस लेख से बहुत चेतना आयी, इस अंक को राजद्रोहात्मक मानते हुए सरकार ने विजंयाक के सभी अंक जब्त करते हुए सम्पादक पाण्डेय बेचन शर्मा" उग्र को एक महीने तथा प्रकाशक दशरथ प्रसाद द्विवेदी को दो वर्ष के कारावास की सजा दी।

संयुक्त प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन का 18 वॉ अधिवेशन 31 अक्टूबर से 03 नवम्बर 1924 तक गोरखपुर में पुरूषोत्तम दास टण्डन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 31 अक्टूबर 1924 को अपने स्वागत भाषण में चौरी–चौरा काण्ड पर दुख प्रकट किया और बंगाल में हो रहे अत्याचार की कडी आलोचना की उन्होने खद्दर के प्रचार और व्यवहार, हिन्दू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार तथा राष्ट्रभाषा प्रचार पर विशेष बल दिया, इस सम्मेलन की सफलता में बाबा राघवदास के योगदान का उल्लेख करते हुए पुरूषोत्तम दास टण्डन ने लिखा कि उस समय पूर्वी जिलों में उनका प्रभाव मुझे दिखाई दिया जनता उस सम्मेलन में उनके कारण उमड़ पड़ी और वे जनता के बीच पुजते थे। ग्रामीण जनों की असीम आस्था उन पर थी। 1924 में ही संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में बाबा राघवदास को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए प्रतिनिधि चुना, बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन (1924) जिसकी अध्यक्षता

गाँधी जी ने की थी बाबा राघवदास को स्वागत मण्डल में शामिल किया गया जाति से ब्राह्मण होने के बावजूद भंगी का कार्य कर अपनी उत्कृष्ट सेवा भावना का परिचय दिया। इस अधिवेशन में राघवदास की सेवाभावना से प्रभावित होकर गाँधी जी ने कहा कि बाबा राघवदास जैसे थोड़े से सन्त हमें मिल जाए तो भारत का स्वराज बाएं हाथ का खेल हो जाए"।

बाबा राघवदास अब तक संयुक्त प्रान्त के अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलनकारियों में गिने जाने लगे थे। सरकार और गुप्तचर विभाग उनकी प्रत्येक गतिविधि और यात्राओं पर कड़ी निगरानी रखती थी। जनवरी 1924 में फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले "मजदूर" ने संवादशैली में बाबा राघवदास का एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतवर्ष के मजदूरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को चाहिए कि उन्हें आश्वासन दें कि स्वराज प्राप्त करने के बाद कारखानों के स्वामित्व पर मजदूरों का अधिकार होगा। इससे जनसामान्य में बाबा राघवदास के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान काफी बढ़ गया था। 6 अक्टूबर 1929 को गाँधी जी एक विशेष ट्रेन से बरहज आये, परमहंस आश्रम के सामने मैदान में करीब एक लाख लोगो की विराट सभा को गाँधी जी ने सम्बोधित किया जिसमें लगभग तीन हजार महिलायें मौजूद थी। स्वागत समिति की ओर से उन्हें 601 रूपया की एक थैली व मानपत्र भेंट किया गया। विद्यार्थियों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने उन्हें अलग-अलग थैलियां भेंट की, गाँधी जी की पडरौना की सभा विस्मयकारी थी। इस सम्बन्ध में हिन्दी नवजीवन ने लिखा कि पडरौना में जो विराट सभा हुई वैसी तो गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन के समय भी नही देखी थी। इस जनसमुदाय को देखकर गाँधी जी अवाक रह गये। बाबा राघवदास के लगातार प्रयास के परिणामस्वरूप कांग्रेस का संदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव पहुँच गया था और ग्रामीण जनता भी कांग्रेस के आन्दोलन में व्यापक रूचि लेने लगी थी। गाँधी जी ने कौड़ीराम, घुघली, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बसन्तपुर घुसी में विशाल जनसभाओं को सम्बोधित किया। बाबा राघवदास गाँधी जी के इस दौरे में हर समय उनके साथ रहे थे।

06 अप्रैल 1930 को गाँधी ने नमक कानून तोड़ा और 07 अप्रैल को देश की जनता का आवाह्न किया कि हमारा पथ हमारे लिए निर्धारित हो चुका है। प्रत्येक गाँव अवैध नमक बनायें हम जल्दी ही देखेंगे कि पूर्ण स्वराज आकर हमारें दरवाजे खटखटा रहा है, 12 अप्रैल 1930 को बरहज से बाबा राघवदास के नेतृत्व में स्वयंसेवकों के एक दल ने प्रातः 6.30 बजे नमक सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। उनका लक्ष्य पडरौना पहुँचकर नमक कानून तोड़ना था। उन्होने नमक सत्याग्रह के लिए जनता का आवाह्न किया। 13 अप्रैल 1930 को बंगरा बाजार में बाबा के नेतृत्व में नमक बनाना प्रारम्भ हुआ। इस दिन बनाया गया नमक 35 रूपया 4 आने में बिका और कुल मिलाकर बंगरा बाजार में 5 मन नमक बनाये जाने की सूचना मिली, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को क्रमशः रामकोला और विशुनपुरा की सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होने नमक कानून तोड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया, नमक

कानून तोड़ने के अभियोग में बाबा राघवदास को 30 अप्रैल 1930 को 6 महीने की कड़ी केद की सजा दी गयी। अक्टूबर 1930 को वे जेल से बाहर आये। 10 अक्टूबर को खुखुन्दू, गड़ेर, देवरिया और बरहज की सभाओं में भाषण देते हुए उन्होने नशबन्दी, चर्खा प्रचार, स्वराज आदि कांग्रेसी कार्यक्रमों पर बल दिया। किसानों से लगान न देने की अपील की 22 अक्टूबर 1930 को बरहज, 24 अक्टूबर को रूद्रपुर, 26 अक्टूबर को पिपराईच और 27 अक्टूबर को पाली में जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जनसंख्या गणना के बहिष्कार के साथ सत्याग्रह में सहयोग और कांग्रेस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की तथा सरकार की दमनकारी नीतियों की निन्दा की।

गोलमेज सम्मेलन की किलता के बाद संयुक्त प्रान्त, बंगाल और नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्रांविस की सरकारों द्वारा लागू किये गये दमनकारी अध्यादेशों के कारण जबरदस्त असतोंष व्याप्त था। ऐसी स्थिति में 01 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर लगान बन्दी सहित सविनय अवज्ञा आन्दालेन को पुनः प्रारम्भ करने के लिए देश की जनता का आवाह्न किया बाबा राघवदास के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्साहपूर्वक इस आन्दोलन में भाग लिया। प्रायः प्रत्येक जिलें में गाँधी जी की गिरफ्तारी (4 जनवरी 1932) के विरोध में जुलूस निकाले गये और सभायें की गयी, प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने गोरखपुर के कांग्रेस कार्यालय को जब्त कर सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पडरौना के कांग्रेस कार्यालय को पुलिस ने जला डाला, बाबा राघवदास को 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास दिया गया। जेल जाने से पहले बाबा राघवदास ने योग्य एवं देशसेवा के लिए समर्पित लोगो का एक दल खड़ाकर दिया था, बाबा की गिरफ्तारी के विरोध में गोरखपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रचुर गति प्रदान की 15 नवम्बर 1933 को बस्ती में श्री प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशाल सभा में बोलते हुए उन्होने चीनी के मूल्य के अनुपात में गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की सरकार से मांग की। थाना सहजनवा क्षेत्र पाली की बड़ी बाजार में “नौजवान सभा” के तत्वाधान में आयोजित 400 किसानों की एक सभा मे उन्होने भाषण दिया तथा उनके हितों का समर्थन किया। 19 व 20 नवम्बर 1933 को खामापर थाना क्षेत्र में ईख संघ की दो सभाओं में भाषण दिया। केपियरगंज, देवरिया, विरैचा, विचलौल, पुरन्दरपुर क्षेत्रों के अन्तर्गत ईख संघ के तत्वावधान में आयोजित सभाओं में आचार्य कृपलानी एवं सम्पूर्णानन्द के साथ बाबा राघवदास ने भी संबोधित किया। 20 जुलाई 1934 को गोरखपुर की एक सभा में आपने एच0एन0 कुंजरू के साथ भाषण करते हुए जनता से गाँधी हरिजन कोष के लिए आर्थिक सहयोग करने की अपील की। 1934 में ही बाबा राघवदास पुनः संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए गोरखपुर के मण्डलीय प्रतिनिधि चुने गये।

संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड ने प्रान्तीय विधान सभा की सदस्यता के लिए गोरखपुर देहात (देवरिया तहसील) क्षेत्र से बाबा राघवदाव को अपना प्रत्याज़ी घोषित किया 21 दिसम्बर 1936 को उनका पर्चा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उन्हें 2 वर्ष से अधिक जेल की सजा हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में बाबा राघवदास ने सिंहासन सिंह को अपने स्थान पर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और फिर उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य में लग गये इस चुनाव के लिए उन्होने गोरखपुर के अलावा आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों का भी दौरा किया जनवरी 1937 के तीसरे सप्ताह तक केवल देवरिया तहसील में उन्होने 313 चुनाव सभाये की थी। फरवरी 1937 में सम्पन्न हुए इस चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली सफलता के पीछे बाबा राघवदास का अत्यन्त मूल्यवान योगदान था, संयुक्त प्रान्तीय विधानसभा और विधान परिषद के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के क्रमश: 51 और 12 प्रत्याशी निर्वाचित हुए, चुनाव कार्य सम्पन्न होने के बाद बाबा राघवदास ने रचनात्मक कार्य और जनसेवा की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया वे अंग्रेजी सरकार और जमींदारों के शोषण एवं अत्याचार के विरूद्ध निरन्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।

बाबा राघवदास की राजनैतिक गतिविधियों से क्रोधित सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। सितम्बर 1937 में बरहज के छेदीलाल, रामचन्द्र शर्मा, मुहम्मद यासीन, दशरथ राव, अनंतराय विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ बाबा राघवदास पर दंगा फसाद व राजद्रोह में धारा 107 के अन्तर्गत मुकदमा चला एक वर्ष तक शान्ति बनाये रखने के लिए मांगी गयी जमानते और मुचलके ने देने पर बाबा राघवदास एवं अन्य को 5 सितम्बर 1937 को जेल भेज दिया गया। न्यायालय के सामने खड़ी जनता ने बाबा राघवदास एवं साथियों को मालाएं पहनाकर जेल के द्वार तक छोड़ा। 6 सितम्बर को इस गिरफ्तारी के विरोध में भागलपुर (देवरिया) में हुई। गोरखपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। 9 सितम्बर 1937 को बाबा राघवदास एवं साथियों को सरकार ने बिना शर्त छोड़ दिया तथा उन पर से मुकदमें उठा लिए संयुक्त प्रान्त के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यक्रम लागू किये बाबा राघवदास ने इन कार्यक्रमों में पूर्ण मनोयोग से भाग लिया। 3 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुए ग्राम सुधार सम्बन्धी एक बैठक में ग्राम सुधार सम्बन्धी योजना बनाने का काम बाबा राघवदास, धीरेन्द्र मजूमदार और ठाकुर प्रसाद सक्सेना की एक त्रिस्तरीय समिति को सौंपा गया।

ब्रिटेन द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में वलात शामिल करने के विरोध में 11 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गाँधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्यागृह का निर्णय लिया बाबा राघवदास सयुक्त प्रान्त के प्रथम सत्याग्रही बने 24 नवम्बर 1940 को रात 10 बजे उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया उनकी गिरफ्तारी क विरोध में 25 नवम्बर को बरहज, देवरिया और रामपुर कारखाना में अभ्तपूर्व हडताले हुयी, गिरफ्तारी से पूर्व बाबा जी ने जनता से व्यक्तिगत सत्याग्रह में पूर्ण

सहयोग करने की अपील की सरकार ने उन्हे 2 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता के लिए एक निर्णायक संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार थी कांग्रेस ने पुनः गाँधी जी से इस नये संघर्ष का नेतृत्व सभालने का अनुरोध किया जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोडो आनदोलन का क्रान्तिकारी प्रस्ताव पारित किया, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की 9 अगस्त 1942 को सूरज निकलने से पहले ही गाँधी जी एवं अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही सारे देश में गिरफ्तारियों का एक लम्बा सिलसिला प्रारम्भ हो गया।

बाबा राघवदास ने 7–8 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। 9 अगस्त 1942 को गाँधी जी एवं अन्य बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वे फरार होकर भूमिगत हो गये भारत रक्षा अधिनियम की धारा 26(1) बी के अन्तर्गत सयुंक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग ने बाबा राघवदास का पता बताने वाले को 500 रूपया पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बाबा जी ने पुलिस की दृष्टि से बचते हुए भारत के विभिन्न भागों में आन्दोलन को संगठित करने तथा सरकारी दमन और अत्याचार के शिकार लोगों की यथा सम्भव सहायता करने का प्रयास किया इस सिलसिला में उन्होने दिल्ली, बम्बई और मद्रास की यात्रायें कीं और आन्दोलन के सगठंन और संचालन के सम्बन्ध में जयप्रकाज़ नारायण, अच्यूत पटवर्धन और अरूणा आसफ अली जैसे नेताओं से सम्पर्क कर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किये मद्रास में उन्होने कुछ समय तक जी0 रामचन्द्र के साथ छिपकर आन्दोलन के लिए कार्य किया, कलकत्ता में गुप्त रूप से आयोजित किये गये भूमिगत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के सम्बन्ध में वे जी0 रामचन्द्र के नाम सुचेता कृपलानी का एक पत्र भी लेकर गये, बाबा राघवदास लगभग 2 महीने तक वर्धा में भी रहे, भारत छोड़ो आन्दोलन में बाबा राघवदास सयुंक्त प्रान्त के संचालक थे, करारी जीवन में उनका मुख्य कार्यस्थान वाराणसी था, जहॉ वे प्रायः हरिश्चन्द्र घाट के पास एक ऊँचे मकान में सज्जन देवी महनोत के यहॉ निवास करते थे, अपने पूरे फरारी जीवन में उन्होने कभी भेष नही बदला और निडर होकर भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे, बाबा राघवदास और के निर्देशन में आन्दोलन कारियों ने मुगल सराय मिर्जापुर रेलवे लाइन कुछ समय के लिए ठप कर दी उन्होने बनारस के अतिरिक्त गोरखपुर, देवरिया, बलिया गाजिपुर, आजमगढ, जौनपुर और मिर्जापुर का दौरा कर आन्दोलन को संगठित करने के साथ ही तोड–फोड के कार्यो का नेतृत्व किया आन्दोलन कारियों को संगठित करके, आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करने का उन्होने उल्लेखनीय प्रयास किया उनकी प्रेरणा से ही कसया (देवरिया) के निकट एक पुल आन्दोलन कारियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया 1943 में 1942 के भारत छोडो आन्दोलन की पहली वर्ष गांठ के अवसर पर 9 अगस्त को लगभग एक हजार लोगों के साथ पूना के आगा खॉ पैलेस के सामने प्रदर्शन करने पहुॅचे, 26

जनवरी 1944 को दिल्ली में बायसराय भवन के सामने स्वतंन्त्रता दिवस का सन्देश देने वाले पर्चो पर बाबा राघवदास का नाम अंकित था 1942 के आन्दोलन में बाबा राघवदास ने अंग्रेजी राज के विरूद्ध और भारत की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित पर्चे जनता में वितरीत कराये जिन पर उनका नाम व हस्ताक्षर अंकित रहता था, आजमगढ, गोरखपुर, बनारस, और बरेली आदि स्थानों से पुलिस ने ऐसे पर्चे बरामद किये थे, गोरखपुर से प्राप्त पर्चो में बिट्रिश सरकार के पिट्‌ढुओं, जमीदारो और पटवारियों का सरकार के दमनकार्य में सहयोग देने के विरूद्ध चेतावनी दी गयी थी और पर्चो पर कांग्रेस के कार्यक्रमों का उल्लेख मिला था 6 मार्च 1944 को बाबा राघवदास की ओर से प्रकासित आजाद भारत की प्रतियां लखनऊ, नैनीताल, और सुल्तानपुर में पायी गयी थी, अलीगढ और देहरादून से भी पुलिस ने बाबा राघवदास द्वारा जारी किया गया एक पर्चा बरामद किया जिस पर राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया था।

गाँधी जी के बुलावे पर बाबा राघवदास उनसे मिलने गये और गाँधी जी के कहने पर अगस्त के पहले सप्ताह में उन्होने गिरफ्तारी दी 9 अप्रैल 1946 को बाबा राघवदास जेल से बाहर आये जेल से मुक्त होने के बाद वे पुनः गाँधी जी से भविष्य के लिए निर्देश लेने गये वापस आते समय बरहज पहूँचने पर एक लाख से अधिक जनता ने अपने प्रिय नेता का स्वागत किया, बाबा राघवदास की जगह जगह जनता ने आरती उतारी और पूजा की बरहज के दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने उनका जुलुस पहूँचने पर पैसे लुटायें बरहज में मल्लाहों ने उनके स्वागत के लिए सरयू नदी के आरपार एक मील लम्बा नावों का पुल तैयार कर रखा था पुल के दूसरी तरफ पहूँचने पर मल्लाहो ने उनका चरणोदक लिया, इसके अतिरिक्त गोरखपुर एवं देवरिया में विभिन्न स्थानों पर जनता ने उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया बाबा राघवदास के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम की यह अभिव्यक्ति उनके द्वारा निःस्वार्थ एवं समर्पित भाव से की गयी देश व समाज सेवा का एक दुर्लभ पुरस्कार था 15 अगस्त 1947 को बाबा राघवदास देवरिया के विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वतंन्त्रता दिवस समारोहों में भाग लेते हुए सायकाल चौरी-चौरा पहूॅचे तथा 1922 के चौरी-चौरा काण्ड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सन्दर्भ

1. गहलौत, भुवनेश्वर सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास
2. पी0डी0 टंडन, प्राईवेट पेपर्स (राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली)
3. गुप्तचर विभाग के आभिलेख 1931, 1932, 1937
4. स्वतंन्त्रता सग्राम के सैनिक (देवरिया)
5. "सुमन" 'नामराथ' उत्तर प्रदेश में गाँधी जी

6. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ यू0पी0 (1934-35)
7. सहाय, गोविन्द: यू0पी0 कांग्रेस के अव तक के कार्य
8. बाबा राघवदास स्मृति ग्रन्थ
9. ताराचन्द्र : हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया (खण्ड 4)
10. पामदन्त, रजनी, आज का भारत
11. स्वतंन्त्रता सग्रांम (ज्ञान लिमिटेड वाराणसी)
12. त्रिपाठी, राजेश्वर सहाय: फरार जीवन के ग्यारह माह
13. त्रिपाठी, आमोदनाथ: पूर्वाचल के गाँधी बाबा राघवदास

अनामिका के काव्य में स्त्री विमर्श की पृष्ठभूमि

रूपम देवी
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
जय नारायण पी0जी0 कॉलेज
(सम्बद्ध- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

नारी सृष्टि की सुंदरतम रचना है। इसीलिए तो विभिन्न ग्रंथों एवं ग्रंथकारों ने नारी के ईश्वरीय स्वरूप का प्रख्यापन किया है। ऋग्वेद में कहा गया है- 'स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथा'। अर्थात स्त्री ही ब्रह्म है। भाव स्वरूप यह कहा जा सकता है की स्त्री सृष्टि है और सृष्टि की साधना भी है। अपने दुग्धमृत से मानवता को अभिसिंचित करने वाली नारी ममतामयी एवं करुणामयी है। मानव मात्र को भौतिक शरीर प्रदान कर वह सच्चे अर्थों में मानवता का उपकार करती है। इसीलिए वंदनीया मानी गई है। प्राचीन सभ्यताओं में स्त्री के इसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वैदिक अध्ययन के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि भारतीयों ने नारी की विभिन्न आदर्श स्वरूपों में आराधना की है। कभी शक्ति के रूप में दुर्गा बनकर वह पूजित हुई तो कभी श्री के रूप में लक्ष्मी बनकर समाज का पालन पोषण किया और कभी विद्या के रूप में सरस्वती बनकर संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का आधार बनी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से स्त्री समाज की पूज्या रही। किंतु स्त्री के प्रति यह दृष्टिकोण अधिक समय तक कायम नहीं रह सका और इसी समाज ने स्त्री के किसी अन्य स्वरूप का भी चिंतन किया और उसे उपभोग की वस्तु के रूप में स्थापित कर दिया। नाना विधियों से उस पर अनेकों अत्याचार किए गए और उसे समाज में हाशिये पर धकेल दिया गया। वह निराश तथा हताश होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगी। पुरुषवादी मानसिकता ने स्त्री को कहीं का नहीं छोड़ा और वह विवश और बेचारी होकर एक निरीह पशु की भाँति समाज में जीवन यापन करने लगी। मान्यताओं, प्रथाओं तथा संस्कृति एवं समाज हर जगह उसकी उपेक्षा होने लगी। समाज ने उसे अबला समझकर उसके ऊपर अत्याचार किये और वह विवश होकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन करती रही। नारी विमर्श की पृष्ठभूमि यहीं से प्रारंभ हो जाती है।

स्त्री विमर्श से तात्पर्य मान्यताओं, प्रथाओं संस्कृति, परंपरा एवं समाज के अंतर्गत नारी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना और उसकी स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक चिंतन मनन करना है। प्राचीन काल की नारी से लेकर आधुनिक काल तक की नारी सामाजिक समस्याओं से दो चार करती प्रतीत होती है। नारी आज भी समाज में अपने लिए सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर पाने में किल रही है। पुरुष

प्रधान समाज में विभिन्न तरीकों से उसके अस्तित्व को ही कुचलने का प्रयास किया जाता रहा है। उसे विभिन्न प्रकार की साधन सुविधाओं से वंचित कर विकास की राह से भटका दिया जाता है। नारी को इस निरीह स्थिति से बाहर निकालना होगा। इसके लिए साहित्य से लेकर सामाजिक क्षेत्र में ऐसा अभीष्ट प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें नारी जागरण एवं मुक्ति का भाव निहित हो। अतः कहा जा सकता है कि ऐसा साहित्य अथवा प्रयास जिसमें स्त्री जीवन की अनेकों समस्याओं तथा विडंबनाओं का चित्रण और उस पर सहानुभूतिपूर्वक गहन विचार विमर्श किया जाए, नारी विमर्श कहा जाता है।

नारी सदा से ही विमर्श की वस्तु रही है। जहाँ तक स्त्री विमर्श का सवाल है तो साहित्य जगत में यह इतना व्यापक विमर्श है कि प्राचीन काल से ही इस बिंदु पर व्यापक चर्चा विभिन्न साहित्यकारों द्वारा की जा चुकी है। आधुनिक काल में तो स्त्री विमर्श एक प्रमुख विमर्श बन कर उभरा है। समाज की आधी आबादी से जुड़ा तथ्य होने के कारण इस पर व्यापक स्तर पर विचार विनिमय प्रारंभ हो चुका है। आदिकाल से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत नारी की व्यथा-गाथा नारी विमर्श का प्रमुख विषय है। यद्यपि नारी की इस व्यथा गाथा से तो प्रायः सभी लोग परिचित थे किंतु उस पर आवाज उठाने अथवा लेखनीबद्ध करने का साहस कुछ ही लोग दिखा सके। महादेवी वर्मा की निम्न पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- "शताब्दियाँ की शताब्दियाँ आती जाती रहीं, परन्तु स्त्री की स्थिति की एकरसता में कोई परिवर्तन न हो सका। किसी भी स्मृतिकार ने उसके जीवन की विषमता पर ध्यान देने का अवकाश नहीं पाया (किसी भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा।"[1]

स्त्री विमर्श के क्षेत्र में दो तरह का लेखन प्रकाश में आता है। पहला- पुरुष लेखन और दूसरा- स्त्री लेखन। कतिपय पुरुष लेखकों ने भी स्त्री के सरोकारों पर चर्चा की है। पुरुष लेखन के साथ-साथ महिला लेखकों ने भी इस बिंदु पर व्यापक चिंतन मनन किया और अपने साहित्य के माध्यम से सम्पूर्ण निष्कर्ष को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। पुरुष लेखन के प्रति सहज आशंका यह उठ खड़ी होती है की कोई पुरुष भला स्त्री की व्यथा को केसे समझ सकता है? भावनात्मक रूप से कोई भी पुरुष कभी स्त्री का मुकाबला नहीं कर सकता तो वह स्त्री की भावना को भला केसे समझ सकता है? स्त्री की भावना को समझने के लिए स्त्री होना आवश्यक है। यही कारण है कि पुरुषों द्वारा लिखे गए स्त्री विमर्श को उतनी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जितनी की किसी स्त्री के द्वारा नारी विमर्श पर किए गए लेखन को। किसी पुरुष द्वारा स्त्री विमर्श पर लिखा गया साहित्य केवल उसकी कल्पना मात्र ही समझा जाएगा, क्योंकि नारी जीवन की अनुभूतियों को समझ पाना पुरुष लेखक के बस का कदापि नहीं हो सकता। कुछ सामान्य तथ्यों पर प्रकाश डाल देने भर से नारी के मन की पीड़ा तथा उसके अनुभव को चित्रित कर पाना संभव नहीं होगा। अतः ऐसे साहित्यकार का चिंतन निश्चित रूप से वास्तविकता के धरातल से परे ही होगा। इसके विपरीत यदि कोई स्त्री किसी स्त्री की भावना तथा उसकी समस्या पर कुछ लेखन कार्य करती है तो उसे ही अर्थवान तथा

प्रामाणिक माना जा सकता है। समय-समय पर विभिन्न महिला साहित्यकारों ने स्त्री विमर्श को अपने साहित्य का केंद्रीय विषय बनाया और उस पर समयानुकूल और यथोचित निष्कर्ष प्रस्तुत किये। वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग है क्योंकि इस युग में महिलाओं ने अपने सरोकारों को खुलकर समाज के सम्मुख स्वयं ही प्रस्तुत किया और समाज की घृणित मानसिकता के साथ दो दो हाथ किये। प्राचीन काल से स्त्री पुरुषवादी मानसिकता का शिकार रही है और उसे समाज में दूसरे दर्जे का ही स्थान प्राप्त हो सका है। ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान संदर्भ में स्त्री का उभर कर सामने आना और पुरुष प्रधान समाज में पुरुषवादी मानसिकता के विरुद्ध उठ खड़ी होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपितु प्रगति के अन्य क्षेत्रों में भी आज महिलाओं का हस्तक्षेप है।

किसी भी कवि, कलाकार तथा साहित्यकार को युग द्रष्टा माना गया है क्योंकि जो कुछ भी उसे समाज में दिखाई और सुनाई पड़ता है अथवा अनुभूत होता है उस पर उसकी सहज प्रतिक्रिया ही साहित्य के रूप में प्रकट होती है। साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता उसका युग सापेक्ष होना है। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य के द्वारा युगीन परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश अथवा वातावरण एवं परंपरा एवं प्रगति का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी देश, काल अथवा जीवन से सम्बंधित विविध पहलुओं का अवलोकन साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। समय के साथ-साथ बदलते हुए मानवीय मूल्यों, मान्यताओं एवं परम्पराओं का ज्ञान भी हमें साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। वर्तमान संदर्भ में तेजी से बदलते परिदृश्य के सापेक्ष मानव मूल्यों तथा मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न आपाधापी में सब कुछ पा लेने की मानवीय मानसिकता का चित्रण भी साहित्य में प्रतिबिंबित हो जाता है। इसीलिए तो साहित्य को समाज का जीवन्त दस्तावेज कहा जाता है। आधुनिकता के कारण उत्पन्न होने वाली युगीन चेतना भी साहित्य का उपजीव्य बन जाती है। इसीलिए तो समय के सापेक्ष उत्पन्न होने वाली नवीनता आधुनिकता बन जाती है।

वास्तव में स्त्री का संघर्ष उसके उद्भव काल से ही प्रारंभ हो जाता है। भले ही प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति में उसे देवी अथवा पूज्या का स्थान प्रदान किया गया हो किंतु फिर भी वह कभी भी उस स्थान को प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हो सकी। नारी जीवन के सकारात्मक पक्षों को कभी किसी ने सराहा ही नहीं अपितु समाज में उसके नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे भोग्या मानकर उसका शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गयी। पुरुषवादी मानसिकता ने सदैव उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना अपना धर्म समझा। यह समाज की विकृत मानसिकता का ही परिचायक है कि पुरुष समाज ने जब चाहा, जैसा चाहा, स्त्री का उपभोग किया और उसके बाद उसे हीनता के अथाह गर्त में डूबने के लिए छोड़ दिया। इस हीनता के कारण नारी कभी-कभी अपने जीवन से ही हार गई। दासता की श्रृंखला में बधी हुई नारी के प्रति अपनी भाव संवेदना व्यक्त करते हुए अवंतिका लिखती है- "मानव जाति की सभ्यता का इतिहास स्त्री जाति की

पराधीनता एवं उसकी विवशता की करुण कहानियों से भरा पड़ा है और समाज विज्ञान वेत्ता के लिए यह गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण का विषय है। जिस प्रकार सारे संसार में सभी जातियों में किसी भी सभ्यता संस्कृति की उपासना करने वालों में जहाँ कितनी ही बातों में असमानताएं देखी जाती हैं, वहाँ स्त्री को लेकर सभी की धारणाओं और व्यवस्थाओं में अत्यधिक साम्य है। सर्वत्र स्त्री एक ही प्रकार की दासता की श्रृंखला में बंधी हुई है।"[2]

नारी शोषण का इतिहास भी संभवतः उतना ही पुराना है जितना की नारी का इतिहास। नारी की इसी विडंबना पूर्ण परिस्थिति का उल्लेख करते हुए ममता कालिया लिखती है– "संसार में जब से स्त्री के जीवन और संघर्ष पर विचार आरंभ हुआ, तब से नारी विमर्श का आरंभ हुआ।"[3]

ऐतिहासिक तथ्यों पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता है कि नारी हमेशा से ही छली गई। पहले तो स्त्री को समाज द्वारा अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि करने का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया और फिर उस पर अयोग्यता का ठप्पा लगाकर उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या स्त्री का भी स्वयं भी कुछ हाथ है? संभवतः उत्तर 'न' में ही प्राप्त होगा। नारी के आचरण को लेकर भी पुरुष वर्ग हमेशा शंकालु ही बना रहता है। इन सब के बावजूद भी अगर स्त्री अपने वजूद को बचाने में सफल हो सकी है तो यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा। स्त्री सदा से ही उस अपराध बोध से ग्रसित रही जो उसने कभी किया ही नहीं और जिसको करने में उसका कोई भी हाथ नहीं। इसी बात को रेखांकित करते हुए अनामिका लिखती हैं– "लेकिन क्या स्त्री का इसमें स्वयं भी कुछ हाथ है? पुरुष ने सदैव उसकी क्षमता और योग्यता में अविश्वास किया और उसके आचरण को लेकर सदैव वह शंकालु बना रहा, जिसका परिणाम हुआ कि उसे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए अनेक बाधाएं आई और जब इन बाधाओं के कारण ही वह अपने स्वाभाविक गुणों एवं शक्तियों का विकास न कर सकी तो उसका अयोग्य बना रहना ही स्वाभाविक था। इसी आधार पर समाज उन्हें कोई भी अधिकार देने में इंकार कर गया। सोचने की बात है कि पहले तो समाज स्वयं नारियों को सुविधा नहीं देता और बाद को उनके अभाव में स्त्री अयोग्य रह जाती है तो कहा जाता है कि स्त्री अयोग्य है, इसलिए सुविधाएं नहीं दी जाती। तर्क की यह प्रणाली सभी देशों में पुरुष समाज द्वारा अपनाई गई। किसी में कम किसी में अधिक और परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए।"[4]

पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता इतनी गिर जाती है कि वह स्त्री को कभी पूज्या तो कभी नरक का दरवाजा कहकर सम्बोधित करता है। शास्त्र भी नारी को नर्क का दरवाजा घोषित करने में संकोच नहीं करते। द्वारं किमेकं नरकस्य नारी। पुरुष समाज में स्त्री को कभी भी उसकी संपूर्णता में नहीं देखा गया और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला– कमर के ऊपर की नारी तथा

दूसरी कमर के नीचे की औरत। पुरुष की इसी मानसिकता का उद्‌घाटन करते हुए स्त्री विमर्श के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव लिखते हैं– "सच तो यह है कि हमार सारे परम्परागत सोच में नारी को दो हिस्सों में बाँट दिया गया है। कमर से ऊपर की नारी और कमर से नीचे की औरत। हम पुरुष को उसकी सम्पूर्णता में देखते हैं, उसकी कमियों और कमजोरियों के साथ उसका मूल्यांकन करते हैं। नारी को हम सम्पूर्णता में नहीं देख पाते। कमर से ऊपर की नारी महिमामयी है, करुणा–भरी है, सुन्दरता और शील की देवी है, वह कविता है, संगीत है, अध्यात्म है और अमूर्त है। कमर से नीचे वह काम–कन्दरा है, कुत्सित और अश्लील है, ध्वंसकारिणी है, राक्षसी है और सब मिलाकर नरक है। इसी बँटे और दुहरे रवैए से हम उसके शरीर की ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की यात्राएँ करते हैं, उसके मातृत्व की शारीरिकता को नहीं, वात्सल्य की भावना को गरिमा देते हैं। नारी से अधिक नारी का आइडिया हमें हमेशा सम्मोहित करता रहा है और हमारे द्वारा निर्मित सारी संस्कृति इस 'आदर्श नारी' के साँचे में ही उसे ढालने का प्रयास कर रही है। हमने इस 'आइडिया' या मिथ को ही उसका संस्कार और संसार बना दिया है।"[5]

सामाजिक रूप से हमेशा ही स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ। इसे चाहे पुरुष वर्ग का अघोषित भय कहा जाए अथवा उसकी प्रभावात्मक वैचारिकी। वास्तव में जब कभी भी उसने स्त्री के लिए गरिमा मय शब्दों का भी प्रयोग किया तो भी उसकी दृष्टि में स्त्री की स्वतंत्रता का हनन ही रहा। पुरुष वर्ग को हमेशा ही स्त्री की संपूर्णता से भय लगता रहा क्योंकि अपनी अखंडता और संपूर्णता में नारी दुर्जेय और अजेय होती है। आदमी लगातार स्त्री को कमजोर बनाने का कुचक्र रचता रहा और उसकी हर कोशिश नारी को परतंत्र तथा निष्क्रिय बनाने में लगी रही। राजेंद्र यादव के शब्दों में– "वस्तुत: इस सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमामय शब्दजाल से आदमी ने औरत की जिस एक चीज को मारा, कुचला या पालतू बनाया है, वह है उसकी स्वतन्त्रता। आदमी हमेशा से नारी की स्वतन्त्र सत्ता से डरता रहा है और उसे ही उसने बाकायदा अपने आक्रमण का केन्द्र बनाया है। अपनी अखंडता और सम्पूर्णता में नारी दुर्जेय और अजेय है। वहाँ वह ऐसी शक्ति है जो स्वतन्त्र और स्वच्छन्द है, बनैली और स्वैरिणी–इसीलिए आदमी ने उसे ही तोड़ा है। तोड़कर ही किसी को कमजोर और पालतू बनाया जा सकता है। आदमी ने लगातार और हर तरह कोशिश की है कि उसे परतन्त्र और निष्क्रिय बनाया जा सके–तभी बोउवा कहती है कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।"[6]

सामाजिक रूप से स्त्री अपने स्वयं के नाम के लिए भी संघर्षरत रहती है। नाम के अभाव में उसका वजूद भी खतरे में पड़ जाता है। वह जब भी पुकारी जाती है किसी न किसी सम्बन्ध के आधार पर ही पुकारी जाती है और वे सम्बंध पुरुषों पर ही आधारित होते हैं। अत: कह सकते हैं की स्त्री का अपना कोई नाम नहीं होता बल्कि वह तो स्वयं के नाम के लिए पुरुष के नाम पर ही आश्रित होती है। इसी तथ्य का उद्‌घाटन करते हुए रमणिका गुप्ता लिखती है– "मैं स्त्री हूँ। मेरा नाम क्या है, मुझे

नहीं मालूम। दरअसल दुनिया में कोई भी स्त्री अपना नाम नहीं जानती, क्योंकि प्राय: स्त्रियों को किसी नाम से सम्बोधित नहीं किया जाता। वह रिश्तो के नाम से जानी जाती है या फिर भौगोलिक दायरे के नाम से। यह भी कह सकते हैं, उसको नाम ही नहीं दिया गया, एक साजिश के तहत। इसलिए मेरा भी कोई नाम नहीं है।"[7]

स्त्री के संदर्भ में नैतिकता की कसौटी भी अत्यंत कठोर हो जाती है। जो स्वच्छंदता पुरुषों के लिए मर्दानगी का प्रतीक होती है, वही स्त्री को व्यभिचारिणी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। जहाँ तक यौन सम्बंधों की बात है, पुरुष स्त्री से कहीं अधिक दोषी होता है क्योंकि अस्मिता तो आखिरकार स्त्री की ही जाती है। पुरुष तो अपना सीना चौड़ा कर अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन करता हुआ समाज में अपने को मर्द साबित कर देता है, किंतु एक निरीह स्त्री सामाजिक प्रतिरोधों को झेलती हुई आत्महत्या तक पहुँच जाती है। स्त्री के बारे में सत्य हमेशा से ही नेपथ्य में कर दिया जाता है। मध्य युग में तो अमानवीय तथा अमनोवैज्ञानिक नैतिकता के माध्यम से सत्य को छुपाने का पूरा प्रयास किया गया। इस युग में यौन चर्चा करना भी अपराध की श्रेणी में माना जाता था। संभवत: इसी मानसिकता के कारण सदियों तक साहित्यकारों ने भी यौन चर्चा से किनारा ही काटे रखा। धार्मिकता की भावना के अंतर्गत तकरीबन प्रत्येक धर्म में प्रेम वर्जित कर दिया गया। इसीलिए प्रेम गुप्त रूप से राज दरबारों अथवा तवायफों की कोठी की वस्तु बन गई। ऐसी स्थिति में नारी गुप्त रूप से पुरुषों का अत्याचार का शिकार बनने लगी और पुरुष बाहर निकलकर नैतिकता के सबसे बड़े पुजारी सिद्ध हो गए। स्त्रियों के हक में एक ही चीज प्राप्त हुई जो उसे वेश्या बनाने के लिए पर्याप्त थी।

हमारे आर्ष ग्रंथों में स्त्री को पुरुष की प्रतिच्छाया माना गया है। इसके अनेको उदाहरण भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यद्यपि इसे स्त्री की विवशता नहीं बल्कि उसकी कर्तव्य निष्ठा के रूप में देखा जाना चाहिए था, किंतु पुरुषवादी समाज में उसे किसी पुरुष की छाया बनकर रहना उसकी कर्तव्य निष्ठा नहीं अपितु उसकी मजबूरी समझा गया। कालांतर में इसे पुरुष विद्वानों द्वारा सिद्धांत का रूप प्रदान करके नारी को परवश होने के लिए विवश किया गया। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री संसार पथ में पुरुष की संगिनी व सहगामिनी होती है न कि उसकी प्रतिच्छाया मात्र। छाया का कार्य तो आधार में अपने आप को इस प्रकार मिला देना है जिसमें वह उसी के समान जान पड़े, किंतु एक संगिनी अपने सहयोगी की प्रत्येक त्रुटि को पूर्ण करने का कार्य करती है और इस कार्य के द्वारा वह उसके जीवन को अधिक से अधिक पूर्णता प्रदान करती है। महादेवी वर्मा जी इस विचार को ही अनावश्यक मानती है कि स्त्री पुरुष की प्रतिच्छाया होती है। महादेवी के शब्दों में– "स्त्री को अपने अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए, इस विचार का पहले कब आरम्भ हुआ, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह किसी आपत्तिमूलक विषवृक्ष का ही विषमय फल रहा होगा। जिस अशान्त वातावरण में पुरुष अपनी

इच्छा और विश्वास के अनुसार स्त्री को चलाना चाहता था उसमें इस भ्रमात्मक धारणा को कि स्त्री स्वतन्त्र व्यक्तित्व से रहित पति की छायामात्र है, सिद्धान्त का रूप दे दिया गया। इस भावना ने इतने दिनों में कितना अपकार कर डाला है, यह इस जाति की युगान्तर तक भंग न होने वाली निद्रा और निश्चेष्टता देखकर ही जाना जा सकता है। उसके पास न अपनापन है और न वह अपनापन चाहती ही है।"[8]

आज समाज में दो प्रकार की स्त्रियाँ देखी जा सकती है। पहली वह जिनको अपने विस्तृत मानव समुदाय की एक सदस्य होने का ज्ञान तक नहीं है और वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भी नहीं पहचानती। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि समाज का उत्कर्ष और अपकर्ष उनके स्वयं के उत्कर्ष और अपकर्ष पर निर्भर है। ऐसी महिलाएं पुरुषों का ही अर्थहीन अनुसरण करती देखी जा सकती है। दूसरी तरु ऐसी भी महिलाएं हैं जो पुरुषों की समानता करने का प्रयास करती हैं और उनके ही गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने में ही वह जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति समझती हैं। इस प्रकार उनका यह अनुकरण अनर्थमय अनुकरण ही कहा जाएगा। यह दोनों परिस्थितियाँ समाज की श्रृंखला को शिथिल और संकुचित करती है। पुरुषों का अंधानुकरण करने के कारण वह कहीं न कहीं पुरुष के चंगुल में फँसती चली जाती है और उनके जीवन के सम्मुख विषमताओं का अंबार लगता चला जाता है। उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है और उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके जीने का मार्ग स्वयं उसके द्वारा नहीं बल्कि पुरुष वर्ग के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और जीवन पर्यंत उसे इस मार्ग पर चलना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपने जीवन पथ के निर्धारण की बात पता तक नहीं होती। महादेवी के शब्दों में– "असंख्य विषमताओं का कारण, स्त्री का अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भूलकर विवेक शक्ति को खो देना है। उसके बिना जाने ही उसका कर्तव्य पथ निश्चित हो चुकता है जिस पर चलकर न उसे सफलता जनित गर्व का अनुभव होता है, न असफलता जनित ग्लानि का। वह अपने स्रलता या असफलता की छाया पुरुष की आत्मतुष्टि या असंतोष में देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में नहीं।"[9]

नारी को कोमलता का प्रतीक माना गया और उसकी यही कोमलता उसकी दुर्बलता के रूप में प्रकट होती है। नारी के स्वभाव में प्रविष्ट कोमलता के कारण उत्पन्न दुर्बलता उसकी सुकुमारता बन गई। यद्यपि वह जब चाहे इस दुर्बलता का परित्याग कर सकती है, किंतु वह इसे अपना अलंकार समझते हुए सदा से ही इसे अपनाये रही। इस दुर्बलता को त्यागने के लिए वह कभी उद्यत ही नहीं होती क्योंकि इसके बिना तो वह अपने नारीत्व को ही अधूरा समझती है। नारी जीवन की यही दुर्बलता उसके जीवन का अभिशाप बनकर उसके साथ-साथ चलती रही है। इसीलिए उसे अपने जीवन का संपूर्ण इतिहास आंसुओं से लिखना पड़ता है। इसी का लाभ लेकर पुरुष प्रधान समाज ने उसके साथ अत्याचार किया। आश्चर्य तो यह है कि त्याग, संयम तथा आत्मदान की आग में अपने सारे व्यक्तित्व

का होम करने वाली और स्वयं को तिल-तिल गला कर कठोर आदर्शों को सींचने वाली स्त्री को देखकर कभी भी यह संसार न तो विस्मित हुआ और न ही भावुक। यहाँ तक की स्वयं ईश्वर के साथ उत्पन्न होने वाली और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली नारियों को भी संपूर्ण जीवन वेदनाओं के अथाह सागर में निमग्न हो जाना पड़ा। अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी सीता जैसी स्त्री का मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले साक्षात् नारायण श्री राम द्वारा परित्याग किया गया। महा पराक्रमी परशुराम ने अपनी माता की निर्मम हत्या कर दी। इन घटनाओं से यह प्रश्न सहज है की क्या स्त्री केवल पुरुषों के अत्याचार की प्रयोगशाला मात्र है? क्या स्त्री का जन्म केवल विडंबनाओं के वरण के लिए ही होता है? स्त्री जीवन की इसी वेदना का चित्रण करते हुए महादेवी लिखती हैं- "अग्नि में बैठकर अपने आपको पतिप्राणा प्रमाणित करने वाली स्फटिक-सी स्वच्छ सीता में नारी की अनन्त युगों की वेदना साकार हो गई है। कौन कह सकता है, उस भागते हुए युग ने अपनी उस अलौकिक कृति, अपने मनुष्यत्व की क्षुद्र सीमा में बंधे विशाल देवत्व की ओर एक बार मुड़कर देखने का भी कष्ट सहा। मनुष्य की साधारण दुर्बलता से युक्त दीन माता का वध करते हुए न पराक्रमी परशुराम का हृदय पिघला, न मनुष्यता की असाधारण गरिमा से गुरु सीता को पृथ्वी में समाहित करते हुए राम का हृदय विदीर्ण हुआ। मानो पुरुष-समाज के निकट दोनों जीवनों का एक ही मूल्य था। एक जीवित व्यक्ति का इतना कठोर त्याग, इतना निर्मम बलिदान दूसरा हृदयवान व्यक्ति इतने अकातर भाव से स्वीकार कर सकता है, यह कल्पना में भी क्लेश देती है, वास्तविकता का तो कहना ही क्या।"[10]

प्राचीन समय में स्त्री भले ही पूजित रही हो किंतु पुरुषों की पराधीनता से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाई। यह पुरुष जाति ऐसी है कि उसने विभिन्न रूपों में स्त्री के विकास की गति को रोके रखा। भारतीय संस्कृति की अलख वह सदा से ही जलाए हुए है, पर इसी संस्कृति में उसे दीन हीन बनाकर रखा गया। यद्यपि वेदों में ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिनमें स्त्रियों को सामान्य शिक्षा तथा स्वयं निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु स्त्रियों ने कभी भी अपने उन अधिकारों का प्रयोग खुलकर नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बारे में न तो ज्ञात था और न ही पुरुष वर्ग ने उसे इन बातों को समझने का समुचित अवसर ही प्रदान किया। इसके पीछे मूल कारण पुरुषवादी शक्तियों का उन्हें कुचलने का कुचक्र था। उस धर्म प्राण युग में स्त्री को धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत स्थान प्रदान करके ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली गयी। नारी को आज भी किसी बंदी की भाँति ही विवशतापूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। महादेवी वर्मा के शब्दों में- "भारतीय स्त्री की स्थिति में आदिम-युग की स्त्री की परवशता और पूर्ण विकसित समाज के नारीत्व की गरिमा का विचित्र सम्मिश्रण है। उसके प्रति समाज की श्रद्धा की मात्र पर विचार कर कोई उसे पूर्ण संस्कृत समाज का अंग ही समझ सकता है परन्तु उसके जीवन का व्यावहारिक रूप एक दूसरी ही करुण गाथा सुनाता है। सम्भवतः उस धर्मप्राण युग ने स्त्री को धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत स्थान

देकर ही अपने कर्त्तव्य की इति समझ ली उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा सका। मातृत्व की गरिमा से गुरु और पत्नीत्व के सौभाग्य से ऐश्वर्यशालिनी होकर भी भारतीय नारी अपने व्यावहारिक जीवन में सबसे अधिक क्षुद्र और रंक केसे रह सकी, यही आश्चर्य है। समाज ने उसे पुरुष की सहायता पर इतना निर्भर कर दिया कि उसके सारे त्याग, सारा स्नेह और संपूर्ण आत्म-समर्पण बन्दी के विवश कर्त्तव्य के समान जान पड़ने लगे।"[11] इस प्रकार अनामिका के काव्यों में स्त्री विमर्श एवं स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के रचे जाने वाले कुचक्रों का यथार्थ अंकन किया गया है। समाज की दृष्टि केसी और किस प्रकार है उसे उपर्युक्त लेख में हम देख सकते हैं।

संदर्भ

1. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियां, पृष्ठ-89, छठवां संस्करण-2022, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज
2. डा0 संजय गर्ग, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, पृष्ठ-75, संस्करण-2021, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
3. डा0 ममता कालिया, भविष्य का स्त्री विमर्श, पृष्ठ-7, संस्करण-2015, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
4. डा0 संजय गर्ग, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, पृष्ठ-76, संस्करण-2021, सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली
5. राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, पृष्ठ-14, छठा संस्करण-2021, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
6. राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, पृष्ठ-15, छठा संस्करण-2021, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति : संघर्ष और इतिहास, पृष्ठ-15, संस्करण-2022, सामायिक प्रकाशन नई दिल्ली
8. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियां, पृष्ठ-13, छठवां संस्करण-2022, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज
9. वही, पृष्ठ-15
10. वही, पृष्ठ-32
11. वही, पृष्ठ-88-89

कालिदास की कृतियों में प्राकृतिक सौन्दर्य

प्रो० (डॉ०) सावित्री सिंह
संस्कृत विभाग
रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तरू
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥ 1॥
(अभिज्ञान शाकुन्तल प्र. अंक)

कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान मणि हैं। कालिदास का प्राकृतिक वर्णन इतना संजीव और सूक्ष्म है कि वर्णित वस्तु और दृश्य का सजीव चित्र हमारे या पाठक के मन मस्तिष्क में छप जाया करता है। मनुष्य तथा प्रकृति के सुंदर संबंध और संपर्क के अद्‌भुत समन्वय का वर्णन कालिदास की विशेषता है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रूपों रहस्यों का साक्षात्कार किया था। संस्कृत साहित्य में काव्य के लक्षण में प्रकृति चित्रण, वर्णन अनिवार्य तत्व है। जिसकी पालना कविकुल गुरु कालिदास ने अपने सभी महाकाव्यों, नाटकों में किया है।

प्रस्तुत मंगलाचरणीय श्लोक में भी कालिदास ने शिव के आठ स्वरूपों की स्तुति करते हुए प्रकृति के मूल तत्वों जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु की महत्ता स्थापित करते हुए उन्हें नमन किया है और शिव की अष्ट मूर्तियां पाठकों दर्शकों अथवा सुधीजन की रक्षा करें, ऐसी कामना की है। वैसे कालिदास के आराध्य शिव भी एक प्रकार से प्रकृति के प्रतीक हीं हैं।

आगे ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं कि

सुभगसलिलावगाहारू पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः।
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः॥ (अभि.शा.1/3)

दिन ऐसे हो गए हैं कि उनमें जल में स्नान सुहावना लगता है। पाटल फूल के स्पर्श से सुगंधित वन की वायु बहती रहती है। घनी छाया में शीघ्र ही नींद आ जाती है और उनकी सन्ध्या भी मनोहर लगती है।

इसी प्रकार 'सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं' श्लोक में कवि ने शैवाल से घिरे हुए कमल के फूलों और काले धब्बों से युक्त चंद्रमा की शोभा को आकर्षक बताया है।

चतुर्थ अंक में सूर्योदय का वर्णन करते हुए
यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीना
माविष्तोऽरुणपुरः सर एकतोखर्कः।
तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु।। 4/2

एक ओर औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किये हुए सूर्य प्रकट हो रहा है। दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय द्वारा मानो संसार दुःख सुख की अपनी अवस्थाओं में बंधा हुआ है।

कश्यप ऋषि के आश्रम से विदा होती शकुंतला को वृक्षों ने कोयल की कूक के माध्यम से से जाने की आज्ञा दी है।

रम्यांतररू कमलिनी हरितैरू .... शिवश्च पंथारू। 4/11

शकुन्तला के भावी जीवन के लिए आकाश से शुभकामना होती है कि शकुन्तला का मार्ग कमलिनियो से हरेभरे सरोवरों के कारण बीच बीच मे मनोहर, छायादार वृक्षों द्वारा कम किए गए सूर्य के ताप वाला, कमलों के पराग के समान कोमल धुलि से युक्त शांत एवं अनुकूल पवन वाला और कल्याणकारी हो। शकुंतला की विदाई की बेला में मृगियों ने कुश के कौर उगल दिए हैं। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। पीले पत्तों को गिरती हुई लताएं मानो रो रही है।

उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यद्रनर्तना मयूराः।
अपसृतपांडुपत्र मुन्चन्त्यश्रूणीव लताः ।। 4/12

भारतीय काव्य परम्परा में कालिदास का प्रकृति संरक्षण अथवा प्रकृति के प्रति प्रेम अद्वितीय है। अंत. प्रकृति के साथ-साथ वे बाहाप्रकृति के भी मर्मज्ञ है। प्रकृति के साथ उनके हृदय का पूर्ण तादात्म्य हुआ है। यह सत्य है कि उनसे पूर्व आदिकवि ने प्रकृति के शुद्ध एवं सहज स्वरूप का यथेष्ट अंकन किया है. किन्तु कालिदास की भाँति वे अपने आप को उसकी रमणीयता में पूर्णतः लीन नहीं कर पाये है। उनके प्रकृतिचित्रण में प्रकृति का यथार्थ रूप सुरक्षित है उनके विस्तृत वर्णनों में सौन्दर्य व्यंजना भी है. किन्तु कालिदास की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत है, साथ ही वैदिककवि जैसा प्रकृति के प्रति सहज उल्लास, एवं वाल्मीकि जैसी हार्दिकता एवं सहजता भी उनमें उपलब्ध होती है।

वाल्मीकि की भाँति कालिदास ने भी अपनी कृतियों में प्रकृति के उदात्त स्वरूप का मुद्रर तथा प्रतिपग उसे संरक्षण भी प्रदान किया है। महाकवि कालिदास जी की कृतियों में प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ प्रकृति के सुरम्य वातावरण में संघटित अथवा सम्पन्न होती है। कालिदास की सभी कृतियों में आश्रम व्यवस्था का अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये आश्रम ही गुरुकुल के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन आश्रमों को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है। आश्रम के नियमों की अवहेलना करने का अधिकार राजाओं को भी नहीं प्राप्त है। यहाँ तक कि यदि किसी राजा–महाराजा ने भी इन आश्रमों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो उसे भी उस अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

महाकवि कालिदास जी प्रकृति संरक्षण के प्रति इतने सचेष्ट है कि कुलपति महर्षि कण्व की धर्मपुत्री शकुन्तला भी अन्य आश्रम वासियों की भाँति वृक्षों के सेचन इत्यादिक क्रियाओं में संलग्न है। शकुन्तला तो प्राकृतिक लता–वृक्षादि के प्रति इतनी सचेष्ट है कि वह जब तक लता–वृक्षादि को जल नहीं पिला लेती, तब तक वह स्वयं भी जल ग्रहण नहीं करती है। वृक्षों के पत्तों को तोड़ने की बात तो दूर रही, यह पतझड़ के बाद वृक्षों में नये पत्ते निकलने पर उत्सव मनाया करती थी।

मेघदूतम्, ऋतुसंहारम् इत्यादि प्राय: सभी काव्यों एवं नाटकों में कालिदास जी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिस महनीय दृष्टिकोण को अपनाया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय एवम् अनुकरणीय है। वस्तुत: महाकवि कालिदास जी के प्रकृक्तिवर्णन के मूल में पर्यावरण संरक्षण ही है। उनका प्रकृति चित्रण सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं स्वानुभूति पर आधारित है। उनकी बाह्य दृश्योद्घाटिनी अद्‌भुत क्षमता कतिपय प्राकृतिक दृश्यों एवम् उपकरणों के चित्रण तक ही सीमित नहीं रही है, अपितु प्रकृति के नाना रूपों के साथ–साथ उनके हृदय के रागात्मक सम्बन्ध की पूर्ण व्यंजना कराने वाली है।

कालिदास ने अपनी कृतियों में प्राकृतिक दृश्यों का जैसा सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है, मानव जीवन में प्रकृति के विविध रूपों के योग का जैसा मूल्यांकन किया है, वह इस सत्य का प्रमाण है कि कवि की दृष्टि में प्रकृति काव्यरचना का साधन मात्र न होकर स्वयं साध्य भी है। प्रेयसी प्रकृति की प्रत्येक भावभंगिमा पर कवि ने अपना हृदय न्यौछावर कर दिया है। भले ही वह उसका सौम्य एवम् आकर्षक स्वरूप रहा हो। अथवा उद्वेगकारी भीषण रूप किन्तु इतना अवश्य है कि प्रकृति का प्रशान्त एवं सुकुमार रूप कवि को अधिक प्रिय रहा है।

कवि प्राय: सौन्दर्यदर्शी होता है। उत्सका अन्त: सौन्दर्य ही वाणी के माध्यम से छलक कर जब बाहर आ जाता है, तो 'काव्य' के नाम से जाना जाता है। उसका अन्त. सौन्दर्य जब कभी करुणा इत्यादि के द्वारा बाधित होता है, तब भी विभिन्न रसों से ओत–प्रोत होकर काव्य के रूप में प्रस्फुटित हो पड़ता है। महाकवि कालिदास तो साक्षत् सौन्दर्य के उपासक है। यही कारण है कि उनकी समस्त कृतियों सौन्दर्य से ओत–प्रोत हैं, विशेषत: अभिज्ञानशाकुन्तलम् तो सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति है। जर्मन

विद्वान् गेटे ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् को लक्ष्य करके सौन्दर्य के परिप्रेक्ष्य में जो टिप्पणी की है। वह सर्वथा उचित ही है।

महाकवि कालिदास जी प्रकृति के कण-कण में सौन्दर्य का दर्शन करते हैं। उनकी सौन्दर्य ख्रष्टि सर्वथा विलक्षण है। उदाहरणतया अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शैवालविद्ध कमल, कलंकयुक्त चन्द्रमा तथा वल्कलवस्त्र-वेष्टित शकुन्तला में सौन्दर्य का दर्शन अन्यत्र दुर्लभ है ऐसी सौन्दर्य की पवित्रता एवं मादकता, प्रेम की निश्छलता एवं विवशता, प्रकृतिजन्य सरलता एवं मुग्धता, ऋषिकुल की उदारता एवं दयालुता, महर्षि कण्व का आदर्श वात्सल्य, सर्वत्र रमणीय सौन्दर्य का समावेश महाकवि कालिदास की महनीय विशेषता है।

मानव जीवन में प्रकृति के अमूल्य योगदान को महाकवि ने भली-भाँति पहचाना है। उनकी दृष्टि में मानव जीवन और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं और एक के अभाव में दूसरे की अपूर्णता का आभास होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। कालिदास ने अपने ही ढंग से प्रकृति को मानव संवेदना का सहभागी बनाया है। उनकी प्रकृति मानवीय सत्ता से खण्ठित करके नहीं देखी जा सकती। उनकी प्रत्येक कृति मानव और प्रकृति के अन्योन्याश्रित सम्बन्धों का निदर्शन है। आधुनिक समीक्षक इस सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत है कि प्रकृति को काव्य का प्राणतत्त्व होना चाहिए। इस दृष्टि से कालिदास मुख्यतः प्रकृति के परमोपासक कवि है।

अतएव न केवल अपने काव्यों में, अपितु अपने नाटकों में भी कवि ने मानव और प्रकृति के घनिष्ठ सम्बन्ध की अत्यन्त सुन्दर व्यंजना की है। उनकी कृतियों में आए हुए प्रकृति चित्रण का अनुशीलन स्पष्ट कर देता है कि उन्होंने किस प्रकार क्रमशः प्रकृत्ति के मार्मिक प्रभाव को हृदयंगम किया था। उनकी सबसे प्रारम्भिक कृति ऋतुसंहारम् में सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर विभिन्न ऋतुओं की स्वाभाविक प्राकृतिक विशेषताओं का सुन्दर अंकन हुआ है। वैसे तो उनके सभी काव्य प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हैं, किन्तु ऋतुसंहारम् तो प्रकृतिचित्रण के निमित्त ही रचा गगया है। यद्यपि लक्षणग्रन्थों के अनुसार परवर्ती महाकाव्यों एवं नाटकों में भी यथास्थान ऋतुवर्णन आवश्यक माना गया है, परन्तु सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में केवल ऋतुवर्णन के लिए लिखा गया प्रथम काव्य ऋतुसंहारम् ही है।

प्राकृतिक सुषमा से समृद्ध भारतभूमि में जन्म ग्रहण करने वाले इस कवि की समस्त वृत्तियों आरम्भ से ही प्रकृति निरीक्षण में लग गई थी और प्रकृति के प्रत्ति उसके मन में एक श्रद्धामय स्वाभाविक प्रेम वर्तमान है। ऋतुसंहारम् का कवि प्रकृति का प्रेमी है, पर कामिनियों के प्रति यह अधिक अनुराग रखता है। अतः प्रकृति कुछ गौण हो गई है और अपनी वेश-भूषा, प्रसाधन एवं मनोविकार लेकर रमणी प्रधान हो गई है, तथापि प्रकृति के प्रति कवि की सहानुभूति एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की उसकी अदभुत क्षमता भी दर्शनीय है। कवि का प्रकृति के प्रति आकर्षण बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक

नहीं, अपितु भावात्मक है। इसीलिए एक प्रेमी दम्पति की ऋतु–विशेष में बदलती हुई भावनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में उसने प्रत्येक ऋतु की सहज शोभा का निरूपण किया है और बताया है कि मनुष्य की सुखात्मक अथवा दुःखात्मक भावनाओं पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि सम्पूर्ण काव्य उद्दीपन की भावना से ओत–प्रोत है, तथापि उसमें अनेक ऐसे स्थल है जिन्हें प्रकृति के शुद्ध स्वरूप का यथार्थ अंकन कह सकते हैं।

'कुमारसम्भवम्' महाकाव्य का प्रारम्भ हिमालय के वर्णन से होता है –

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पुर्वापौ तोयनिधीव ग्राह्यः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ (कु0 1/1)

वुमारसम्भवम् में कवि ने दैवी विभूतियों एवं प्राकृतिक विभूतियों में साम्य स्थापित किया है। इस काव्य की घटनास्थली हिमालय है और प्रथम सर्ग में ही कवि ने प्राकृतिक सौन्दर्य के केन्द्र हिमालय की महिमा का गान किया है। इस काव्य में प्रकृति के भव्य स्वरूप का चित्रण करने का कवि को पर्याप्त अवकाश मिला है और हिमालय तथा गंगा के भव्य चित्रण के साथ–साथ उसने वन, पर्वत, नदी, उपत्यका, दिवस, रात्रि, ऋतु इत्यादि को लेकर प्रकृति के चिरन्तन एवं चिरनूतन सौन्दर्य का सूक्ष्म निरूपण किया है।

प्रकृति के प्रति कवि का उल्लास यद्यपि सर्वत्र ज्यों का त्यों बना हुआ है, किन्तु प्रकृति और मानव के तादात्म्य का सबसे सुन्दर निदर्शन कवि का श्मेघदूतम्श है। प्रकृति और मानव के इस अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को महाकवि कालिदास ने सदैव आवश्यक एवं सुखद माना है। इसीलिए श्पूर्वमेधश में प्रिया विरह–दग्ध यक्ष सृष्टिसौन्दर्य के सान्निध्य में अपने विधुर हृदय को आश्वासन देता है और श्उत्तरमेधश में प्रकृति के संयोग में अपनी प्रियतमा के अतीत और मायी मिलन के स्वप्न देखता है।

पूर्वमेध में बाह्यप्रकृति का अत्यन्त विशद चित्रण किया गया है, किन्तु उसमें मानवीय भावनाओं का छायातप भी सम्मिश्रित है। उत्तरमेध में मानव हृदय का मार्मिक चित्रण है, किन्तु वह प्राकृतिक सौन्दर्य से परिवेष्टित भी है। इस काव्य में कवि ने प्रकृति और प्रेम दोनों की महिमा का स्तवन किया है और यह निर्णय कर सकना कठिन है कि किसकी व्यंजना अधिक सुन्दर हुई है। उत्तरभारत की प्राकृतिक सुषमा का इसमे अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। प्रकृति और प्रेम के काव्य के रूप में इस कृति का सर्वाधिक महत्त्व है।

रघुवंशम् में भी कवि ने मानव और प्रकृति के इस सम्बन्ध को अक्षुण्ण बनाये रखा है। इस काव्य में कवि ने मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं, राज्य से भी प्रकृति की घनिष्ठता का चित्रण किया है तथा भौतिक सभ्यता के प्रतीक नगर एवं प्राकृतिक जीवन के प्रतीक तपोवन के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न होने वाले कल्याणप्रद परिणामों का उल्लेख करते हुए यह दिखलाया है कि प्रकृति से वियुक्त

मानव जीवन की समाप्ति किस प्रकार आध्यात्मिक अवनति, सामाजिक दुर्दशा एवं राजनीतिक पतन के रूप में हुआ करती है। रघुवंशम् महाकाव्य महाकवि की सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण एवं प्रकृति चित्रण की क्षमता का उदाहरण है। श्मेघदूतम् में उत्तरभारत की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण करने के उपरान्त कवि ने प्रस्तुत काव्य में दक्षिणभारत की प्रकृति का वन, नदी, पर्वतों आदि का सजीय अंकन किया है। तेरहवीं सर्ग इसका अदभुत उदाहरण है।

महाकवि कालिदास जी ने काव्यों तथा नाटकों में मानव जीवन में प्रकृति को अत्यन्त सम्मिश्रित रूप में प्रस्तुत किया है। उनके नाटक मालविकाग्निमित्रम् एवं विक्रमोर्वशीयम् में प्राकृतिक शोभा का, एवं प्रणयभावना में प्रकृति के योग का सुन्दर निरूपण हुआ है। विक्रमोर्वशीयम् के चतुर्थ अंक में वर्षा का भावशील वातावरण राजा पुरुरवा की मनःस्थित से अनुरंजित है, किन्तु कवि की प्रकृति चित्रण विषयक सर्वोच्च प्रतिभा का दर्शन उसकी प्रौढ़तम कृति अभिज्ञानशाकुन्तलम् में होता है। इस नाटक में आद्योपान्त मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए कवि ने सर्वत्र प्रकृति और मनुष्य के मधुर सम्बन्धों की मार्मिक अभिव्यंजना की है। स्वयं शकुन्तला प्रकृतिकन्या है। उसका चरित्र धर्मारण्य की प्रशान्त छाया माधवीलता के साथ विकसित होकर पशु–पक्षियों के अकृत्रिम सौहार्द से आकृष्ट हुआ है। आश्रम के पशु–पक्षी उसके आत्मीय है। वृक्ष और लताओं से उसका सहोदरों जैसा स्नेह है। इसी कारण इन सब का भी शकुन्तला के प्रति उतना ही अनुराग है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी प्रकार के मानवीय आरोप के बिना ही, प्रकृति को प्रकृति रखकर ही उसे सजीव, प्रत्यक्ष, व्यापक एवं मनुष्य की अन्तरंग बनाकर नाटक के कार्य व्यापार में प्रमुख एवम् आवश्यक स्थान दिया गया है। प्रथम अंक में ही नगर के कृत्रिम और तपोवन के शान्त स्वाभाविक वातावरण की तुलना की गई है। कथा का आरम्भ भी कण्व के तपोवन में हुआ है और अन्त भी मारीच के तपोवन में हुआ है। इस प्रकार बाह्यप्रकृति यहीं से वहाँ तक नाटक के इतिवृत्त के पृष्ठभूमि में रही है। प्रकृति के मार्मिक सन्देश का सुन्दर उद्घाटन इस ख्रति में उपलब्ध होता है।

इस प्रकार कालिदास जी की सभी कृतियाँ प्रकृतिमयी है। साथ ही प्रकृति के विविध स्वरूपों का समावेश कवि ने अपनी कृतियों में किया है। उन्होंने चाहे प्रकृति का आलम्बनगत चित्रण किया हो अथवा उद्दीपन, सर्वत्र उनका प्रकृष्ट प्रकृतिप्रेम स्पष्टतः उद्भासित होता रहा है। प्रकृति के शुद्ध स्वरूप का चित्रण करते हुए चुने हुए उल्लेखों से प्रत्येक चित्र को पूर्ण कर देने में कालिदास जी सिद्धहस्त है। प्राकृतिक स्थितियों की सहज एवं संश्लिष्ट योजना से प्रत्येक चित्र अपनी पूर्णता में दृष्टिगोचर हो उठता है। प्रकृति वर्णन करते समय अनावश्यक विस्तार का उन्होंने सर्वत्र परिहार किया है। इसी संयम के कारण उनकी कृतियों में प्रकृति का विलक्षण एवम् अनिर्वचनीय सौन्दर्य झलक उठा है। उदाहरण स्वरूप शविक्रमोर्वशीयम् में मध्याइन के समय विविध जन्तुओं की चेष्टाओं का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत है, जहाँ गर्मी से संतप्त श्मयूर वृक्ष के शीतल आल–याल में विश्रामार्थ बैठ रहा है। भ्रमर कर्णिकार

की कली का मुख बेधकर उसमें छिपने जा रहा है। कारण्डव उष्णजल का परित्याग करते हुए तट पर खिली हुयी कमलिनी की छाया में जा बैठा है और क्रीडाभवन में पिंजर स्थित शुक जल की याचना कर रहा है।

विविध जीवों की मध्याहन तापजन्य अवस्था एवं चेष्टाओं का विवरण प्रस्तुत करके महाकवि ने सूर्यातप की प्रखरता भली–भाँति अभिव्यंजित कर दी है।

बाह्यप्रकृति की सुषमा का सहृदय निरीक्षण करने के साथ–साथ कवि ने मनुष्य की अन्त प्रकृति पर पड़ने वाले बाह्यप्रकृति के प्रभाव का भी अत्यन्त सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। किसी अन्य आलम्बन के प्रति उद्‌बुद्ध हुई आश्रय की भावस्थिति को उत्तेजित करने में प्रकृति जो योग देती हैं। उसे कवि ने ऋतुओं आदि के उद्दीपनरूप का चित्रण करके अत्यन्त कुशलता से अंकित कर दिया है। एकरूपा प्रकृति ही आश्रय के मन की क्षण प्रतिक्षण परिवर्तमान मनःस्थिति के साथ–साथ कहीं प्रिय और कही दुःखद प्रतीत होने लगती है। विरह विधुर पुरुरवा को मेघों के कारण रमणीय दिवस असा प्रतीत होने लगता है, जैसा कि वह मन ही मन सोच रहा है कि एक ओर तो उस प्रियतमा से बिछुड़ने का असहा दुःख और दूसरी ओर ऐसा सुहावना दिन, जो धूप न होने के कारण सुरम्य लग रहा है। एक साथ ही आ गए है।

भावावेश में जड़ चेतन का भेद भूलकर पुरुरवा प्रकृति के विभिन्न अंगों से प्रश्नोत्तर करने लगता है। प्रकृति उसकी भावस्थिति के अनुरूप ही आचरण करती प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रकृति को उद्दीपक रूप में चित्रित करके कवि ने अंतःप्रकृति और बाह्यप्रकृति के घनिष्ठ सम्बन्ध की व्यंजना सुचारु रूप से कर दी है। प्रकृति को महाकवि ने कहीं भी मूक एवं निष्प्राण नहीं माना है। प्रकृति में उसने मानवीय आकृति एवं मानवोचित सुख, दुःख, सम्वेदना आदि की भावना एवं तदनुरूप आचरण का साक्षात्कार किया है। उन्हें पशु–पक्षी तो मानवीय संबंधों में व्यवहार करते दृष्टिगोचर हुए ही है, जड़–प्रकृति भी मानय का अनुकरण करती प्रतीत हुई है। उन्होंने प्रकृति को प्रधानतः प्रेमी की दृष्टि से देखा है और प्रकृति को प्रेयसी का स्थान देकर उसमें कामिनियों जैसे हाव–भाव का प्रत्यक्षीकरण किया है। इसीलिए उक्त प्रसंग में मधुश्री यदि मुग्धनायिका है, तो मलयपवन दक्षिणनायक है। प्रणयभावना के अतिरिक्त संवेदना, उत्कण्ठा, शोक आदि विभिन्न भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण कवि ने प्रकृति में किया है। आश्रम से विदा होती हुई शकुन्तला को तो आश्रम एवं उसके सहवासियों को छोड़ते हुए दुःख होता ही है। आश्रम की जड़ अथवा चेतन प्रकृति को भी उससे कम दुःख नहीं है, तभी तो हरिणियों ने कुशा के ग्रास मुख से उगल दिया, मयूरों ने नृत्य करना बन्द कर दिया और गिरते हुए पीले पत्तों वाली लताएँ मानों अनुमोचन करने लगी। इस प्रकार महाकवि कालिदास के काव्य में प्रकृति निरपेक्ष पृष्ठभूमि अथवा उद्दीपनरूप में ही आयोजित नहीं हुई है. अपितु पात्र रूप में उसमें सक्रिय भाग लेने वाली भी है। अपनी

कृतियों के काव्य सौदर्य को अधिकाधिक देदीप्यमान करने के लिए कवि ने उसके निस्सीम भाण्डार से अमूल्य रत्नों को चुनकर उनकी अप्रस्तुतरूप में योजना की है। उनके प्रकृतिचित्रण वयं को उद्भासित करते हुए अपने सौन्दर्य से भी हमें प्रभावित कर देते हैं। कवि की दृष्टि में दृश्यप्रकृति में जो सौन्दर्य व्याप्त है, मानव सौन्दर्य उसी का अंग है। इसीलिए प्रकृति से आदर्श स्थितियों का चयन करके कवि ने उसको अपनी सौन्दर्यानुभूति की व्यंजना का साधन बनाया है। मानवीय सौन्दर्य एवं प्राकृतिक सौन्दर्य में से अपेक्षाकृत कौन सा अधिक सुन्दर है, इसका निर्णय कर सकना कठिन है। पार्वती की रुपशोभा का चित्रण इसका प्रमाण है, जहाँ स्तनों के भार से कुछ झुकी हुई और बालसूर्य के सदृश अरुणवस्त्र धारण किए हुये, वे पर्याप्त फूलों के गुच्छों से झुकी हुई चलती फिरती लता के समान प्रतीत हो रहीं है।

महाकवि कालिदास ने प्रकृति को मानय जीवन की शोधिका भी माना है। उनकी सूक्तियों का एक महत्त्वपूर्ण अंश प्रकृति सम्बन्धी तथ्यों का ही है। प्रकृति का परपरिग्रह–पर्(मुखता का यह आदर्श कितना सुन्दर है। जहाँ दुष्यन्त कहता है। कि जिस प्रकार चन्द्र कंवल कुमुदिनियों को खिलाता है और सूर्य केवल कमलों को, उसी प्रकार संयमी जनों की वृत्ति भी परस्त्री परपरिग्रह–पर्(मुख होती है।

प्रकृति के साथ विम्ब प्रतिविम्बभाव को प्रस्तुत करते हुए महाकवि कालिदास जी अपने महाकाव्य श्रघुवंशम् में ग्रीष्मकालीन दिन और रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अत्यन्त बढ़े हुए ताप वाले दिन और अत्यन्त छोटी हुई रात्रि आपस में झगड़ा करके अलग होकर बैठे पछताते हुए पति और पत्नी के समान प्रतीत हो रहे हैं।

ग्रीष्मकालीन पुष्प चमेली के मकरन्द के लोलुप भ्रमर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वनों में चमेली की सुगन्ध फैलाने वाली खिली हुई कलियों में से प्रत्येक पर बैठता हुआ भ्रमर गुनगुनाते हुए, मानो उनकी गिनती–सी करने लगा है। यहाँ खिले हुए पुष्पों पर बैठे हुए भ्रमरों को उनकी गिनती–सी करते हुए वर्णित करके कवि ने इस दृश्य को देखकर उद्बुद्ध हुई अपनी भावना का भी निरूपण कर दिया है। इसी प्रसंग में पराग से भरी हुई कुछ–कुछ फैली हुई अर्जुन की मंजरी, मनोहर गन्ध वाली आम्रमंजरी आदि का भी वर्णन कवि ने इसी उल्लास के साथ किया है. किन्तु कवि को आकृष्ट किया है, भले ही वह उसकी ममतामयी मुस्कान रही हो, अथवा कोपमयी भ्रूभंगिमा।

सूर्योदय और सूर्यास्त के चिरन्तन एवं चिरनूतन सौन्दर्य का उनके स्वर्गीय राग के साथ वर्णन, महाकवि ने अत्यन्त सुन्दरता से किया है। दिवस के विभिन्न प्रहरों का वर्णन हमें उनकी प्रत्येक कृति में मिलता है। ये वर्णन प्रसंगप्राप्त है। अर्थात् आलम्बन की परिस्थित को अंकित करने वाले है, यथा रघुवंश में प्रप्यूष के वर्णनक्रम में कवि लिखता है कि प्रात:काल में क्षीणप्रकाश वाले चन्द्रमा के कारण कुछ ही तारों वाली रात्रि के समान आपन्नसत्त्वा सुदक्षिणा हल्की पीली एवं दुबली–पतली हो गयीं।

प्रात:काल वृक्षों के लाल-लाल किसलयों पर गिरन वाले तुहिनकणों का भी कवि ने अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। यथा, हार की उज्ज्वल मुद्राओं के सदृश निर्मल ओस बिन्दु वृक्षों के लाल-लाल पत्तों पर गिरकर वैसे ही सुन्दर प्रतीत हो रही है. जैसे हँसते समय लाल ओठों पर पड़ी हुई दाँतों की चमक सुन्दर प्रतीत होती है।

प्रात:काल के साथ-साथ जीव-जन्तु अपनी-अपनी स्वाभाविक क्रियाओं में लग जाते हैं। प्रात:काल के ही एक अत्यन्त सुन्दर स्वाभाविक चित्र को कवि ने एक स्थल पर उपमान स्वरूप भी प्रस्तुत किया है, जहाँ लव-कुश के गीत पर अनुमोचन करती हुई राम की सभा को महाकवि कालिदास ने उस वनस्थली के सदृश बताया है, जिसके वृक्षों से प्रात:काल के समय ओस की बूँदें टप टप गिरती रहती है।

महाकवि का दृश्य-निरीक्षण भी अपने आप में पूर्ण है। संध्या होते ही पक्षियों का वासस्थान पर लौट आना और धुँए के कारण भूरे रंग के कपोतों का और धुंधला-सा प्रतीत होना, वस्तुत: ये सब प्राकृतिक सत्य है। किन्तु राजभवन से संयुक्त होने के कारण ही सम्भवत: दृश्य की स्वाभाविकता में कुछ कमी आ गई है। किन्तु वनगमन के प्रसंग में पशुओं की संध्याकालीन चेष्टाओं का चित्रण दृश्य को अत्यन्त स्वाभाविक बना देता है। रघुवंश में कवि ने अस्त होते हुए सूर्य के साथ आश्रम लौटती हुई धेनु नन्दिनी का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है, जहाँ सूर्य की उस प्रभा ने और मुनि की उस धेनु ने, जो किसलयों के वर्ण जैसी अरुण थीं, अपने संचार से दिशाओं को पवित्र करने के उपरान्त, संध्या के समय विश्रामस्थल की ओर जाना आरम्भ कर दिया।

संध्याकाल का आगमन होते ही वनस्थली की कालिमा शनै: शनै: सघन होने लगती है। ऐसे समय में महाराज दिलीप के गमन की चर्चा करते हुए कवि लिखता है कि छोटे सरोवरों में से बाहर निकलते हुए वराह यूथों को निवासवृक्षों की ओर जाते हुए मयूरों को, बैठे हुए मृगों से युक्त हरी घास को और संध्या होने के कारण काले पड़ते हुये वनों को देखते हुये वे दिलीप चले जा रहे थे।

ज्ञातव्य है कि प्रकृति सम्बन्धी कविसमयों से भी महाकवि कालिदास जी भली-भाँति परिचित है। यद्यपि अनुभव कविसमयों को मिथ्या सिद्ध करता है। फिर भी काव्यसौन्दर्य के लिए उन्होंने उनका यथास्थान प्रयोग किया है। उनकी कृतियों में वृक्षों, पशु-पक्षियों आदि को लेकर जिन कविसमयों का प्रयोग हुआ है, उन्हें कवि ने स्वानुभूत प्राकृतिक सत्यों के साथ इस प्रकार संयुक्त कर दिया है कि उनका विश्लेषण काव्यसौन्दर्य में व्याधात उपस्थिति कर देता है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति और उसके रमणीय दृश्यों के प्रति महाकवि कालिदास का स्नेह एवं सहानुभूति अत्यन्त प्रगाढ़ है। उनकी दृष्टि में मनुष्यत्व की पूर्णला मनुष्य के प्रकृतिप्रेम में ही निहित है। साथ ही उन्हें विदित था कि मानव जीवन से सम्बद्ध होकर प्रकृति की कविता सजीव

एवं स्पन्दनशील हो उठती है। जहाँ उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य-समुज्ज्वल पक्षों का रूप योजनात्मक चित्रण किया है। वहीं उन्होंने प्रकृति को मानवीय भावनाओं में योग देते हुए और मनुष्य के प्रति संवेदना से युक्त भी वर्णित किया है। उनकी प्रकृति मनुष्य की ही भाँति सचेतन एवं भावनाशील है। प्राकृतिकसौदर्य एवं मानवीयसौन्दर्य दोनों को उन्होंने एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हुए चित्रित किया है। अतः उनके काव्य में मानवीय सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य से उद्भासित हुआ है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य मानवीय सौन्दर्य से। प्रकृति और मानव के अनादि सम्बन्ध की जैसी विशद व्याख्या कवि ने अपने काव्यों में की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। मानव-पुरुषार्थ की सिद्धि में प्रकृति की उपयोगिता के सन्दर्भ में महाकवि कालिदास की विलक्षण प्रतिभा की ओर संकेत करते हुए किसी ने सत्य ही लिखा है-

मनुष्याणां रक्षणे सम्यक् शिक्षा-संस्कार-साधने।
नूनमेकाकिनी दृष्टिः कालिदासस्य राजते ॥

सन्दर्भ

1. अभिज्ञानशाकुंतलम् - प्राच्य भारती संस्थान, गोरखपुर
2. रघुवंशम् - मोतीलाल बनारसीदास
3. रघुवंशम् - प्रो0 हरि दामोदर वेलणकर - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
4. कुमार सम्भवम् - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
5. विक्रमोर्वशीय
6. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ0 बलदेव उपाध्याय
7. ऋतुसंहारम् - चौखम्बा प्रकाशन

भारवि रचित 'किरातार्जुनीयम्' महाकाव्य के प्रथम सर्ग में राज-व्यवस्था का वर्णन

प्रो0 (डॉ0) सावित्री सिंह
संस्कृत विभाग
रोहतास महिला महाविद्यालय,
सासाराम, रोहतास

महाकवि भारवि रचित एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम् की कथा महाभारत के वनपर्व के अर्जुनाभिगमन नामक खण्ड से और उसी पर्व के केरातपर्व से ली गई है। कुल 18 सर्गों में निबंध यह महाकाव्य अपने विषयवस्तु एवं अर्थगौरव के कारण संस्कृत साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। भारवि थोड़े से शब्दों में बहुत सी बातें कहने में कुशल है। जिसे गागर में सागर की उपमा से सुशोभित कर सकते हैं।

बनेचर, द्रोपदी एवं भीम के मुखारविंद से राजनीति और प्रजानीति की अपनी सूझ-बूझ को कवि ने अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। बनेचर वदति यत् सिंहासन उपविष्टोखपि दुर्योधन! भवत: तस्य पराभवं शंकते इति।

विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनःवनाधिवासिनः।
दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः।।7।।

राजसिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन ष्वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका कर रहा है और जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है।

उसी प्रकार मूल रूप से कुटिल होते हुए भी दुर्योधन अपने गुणों का विस्तार करते हुए यशस्वी बनने का प्रयास कर रहा है।

तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया, तनोति शुभ्रं गुण सम्पदा यशः।
समुन्नयन्भूतिमनार्यसङ्गमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः।।8।।

यद्यपि दुर्योधन की प्रवृति कुटिलता और शठता है, किन्तु वह गुणों का महत्व भी जानता है। दुर्योधन गुणों में आपको भी जीत लेने की इच्छा से अपने विमल कीर्ति का विस्तार कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि महान या बड़े लोगों के साथ विरोध भी उत्कर्ष को देने वाला होता है दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा। भूतिं समुन्नयन महात्मभि: समं विरोध: अपि अनार्यर्स्मात वरम्।

दुर्योधन क्रोधादि पर विजय प्राप्त करके तथा आलस्य का परित्याग करके मनु के मार्ग पर चल रहा हो।

कृतारिषड्वर्गजयेन मानवी, मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना।
विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्द्रिणा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्॥9॥

वनेचर वदति यत् दुर्योधनः अरिषड्वर्ग जितवान्। मनूपदिष्य प्रजा-पालन पद्धति अत्यन्तं कनिपि ताम् आत्मसात्कर्तु सः सर्वपोपि प्रयतते। वदर्थं स आलस्यं व्यक्तवा स्वोयोगं रात्रौ दिवासमये चेति कालविभागपुरःसरं कुर्वन् सदाखपि जागतो भूत्वा निरन्तरं कार्य करोति। तथा नीतिमार्ग विस्तार्यति।

इस प्रकार कपटी दुर्योधन गुणों मे भी युधिष्ठिर को परास्त करने की इच्छा से काम, क्रोद्ध, लोभ, हर्ष, मान, मद से छह शत्रुओं को जीत कर दिन-रात प्रजा के लिए काम कर रहा है।

इस प्रकार उसका सुखोपभोग धर्म के विपरीत नहीं होता, अर्थात् व्यवस्था भी धर्म के प्रतिकूल नहीं होता। इस प्रकार धर्म-अर्थ और काम में संतुलन बनाता है, जिससे अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है।

असक्तमाराधयतो यथायर्थ, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया।
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान् न बाधातेऽस्य त्रिगणः परस्परम्॥11॥

वनेचर द्वारा दुर्योधन की प्रजानीति के संबंध में व्यवहार, को देखा पढ़ा। जिसमें श्लोक संख्या (11) के अनुसार वह धर्म अर्थ एवं काम का उनके स्वरूप के अनुसार विभाजन करके कार्य करता था जिससे ये तीनों ही दुर्योधन के गुणों के कारण आपस में मित्रता सी प्राप्त करके अर्थात् सामन्जस्य के साथ एक दूसरे की वृद्धि में बाधा नहीं पहुँचाता है।

दुर्योधन का निर्विघ्न साम नीति का प्रयोग धनदान के बिना नहीं होता, प्रचुर धनदान भी समुचित सत्कार के बिना नहीं होता। और विशेष प्रकार का सत्कार भी गुणों का विचार किये बिना नहीं होता।

निरत्ययं साम न दानवर्जितं, न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियाम्।
प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया॥12॥

तस्य निरख्ययं साम दानवर्जितं न प्रवर्तते सत्क्रियाम् विरहय्म भूरि दाने न (प्रवर्तते), गुणानुरोधेन बिना विशेषशालिनी सत्क्रियान। इस श्लोक के माध्यम से भारवि ने साम तथा दान की नीति का उल्लेख किया है। पुनः दुर्योधन की दण्डनीति का एवं निष्पक्ष न्याय का उल्लेख करते हैं-

वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः।
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा, निहन्ति दण्डेन स धर्मविप्लवम्॥13॥

इन्द्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, और न हीं क्रोध के कारण (दण्ड देता है), अपितु बिना किसी कारण के ही यह मेरा धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं

(धर्मशास्त्रकारों) के उपदेश के अनुसार दण्ड देकर शत्रु के और पुत्र के भी धर्मोलंघन का निवारण करता है। दुर्योधन की रक्षाव्यवस्था और राजनीति भी शानदार है। भारवि वनेचर के मुखारविंद से उसे उद्धरित करते है :-

विधाय रक्षान परितः परेतरा-नशंकिताकारमुपैति शंकितः।
क्रियापवर्गेस्व नुजीविसात्क्रतारू कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः।।14।।

शंका करता हुआ वह चारो ओर (शत्रुओं का फोड़ने वाले) अपने जनों को, रक्षकों के रूप में नियुक्त करके शंकारहित आकार धारण करता है। सौंपे गए कार्यो के पूरा करने पर सेवकों को सदैव के लिए दी गई सम्पत्तियां उसकी क्रतज्ञता प्रकट करती है।

छल द्वारा जीती गई भूमि को नीति द्वारा जीतने की इच्छा वाला दुर्योधन सभी उपायों का समुचित विनियोग करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सभी सम्पत्तियाँ होड़ लगाकर बढ़ रही है।

अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग्विनियोगसत्क्रियाः।
फलन्त्युपायाः परिबृंहितायतिरुपेत्य सङ्घर्षमिवार्थसम्पदः।।15।।

तेन पदेषु सम्यक् विभज्य विनियोगसत्क्रियाः लम्भिताः उपायारू संघर्षम् उपेत्य इव परिवृंहितायतीः अर्थसम्पदरू अनारतं फलन्ति।

इस प्रकार दुर्योधन द्वारा उचित स्थानों पर समुचित विभाग करके पहुंचाये गये (अर्थात् प्रयुक्त) विनियोग द्वारा सुन्दर ढ़ंग से समाहत उपाय अमानों परस्पर होड़ सी लगाकर भविष्य में उत्तरोतर बढने वाली स्थायी धनसम्पत्तियां निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं दुर्योधन का प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण पुष्प की मद वाला उसके सभाभवन के आंगन का जो अनेक राजाओं के रथों और घोड़ो से भरा हुआ हैं, अत्यधिक गीला बना रहा हैं।

दुर्योधन अपने अधीन राजाओं के आचरण के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसकी योजनाओं में उतनी गोपनीयता होती है कि उनके क्रियान्वित होने पर हीं लोगों को पता चलता है।

महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः स वेद निःशेषमशेषितक्रियः।
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः।।20।।

दुर्योधनस्य कार्याणि फलान्तानि भवन्ति। गूढधाराः शुद्धचारित्रः भवन्ति। तेषां साहांचत्येन सोडन्यराज्यानं रहस्यं जानाति। परन्तु एतस्य रहस्य यः कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति। भूगर्भे वर्तमाना धातव इव फलं दृष्ट्वैव अस्य कार्यपद्धतिर्ज्ञेया।

सभी कार्यों को पूरी तरह समाप्त करके वह दुर्योधन उत्तम चरित्र वाले (प्रलोभन में न आने वाले) गुप्तचरों के द्वारा (अधीन) राजाओं के सभी व्यवहारों को सम्पूर्ण रूप से जानता है। विधाता की इच्छा की तरह उसकी योजना अतयन्त समृद्धिवाले एवं कल्याणकारी परिणामों के द्वारा ही जानी जाती है। दुर्योधन ने कभी डोरी चढ़ाकर धनुष को नहीं उठाया, और न ही कभी क्रोध से मुख ही कुटिल किया। फिर भी अधीनस्थ राजा लोग इसके आदेश को माला की तरह सिर पर धारण करते हैं।

न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्ममाननम्।
गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्।।21।।

महाकवि भारवि जो भारवेरर्थगौरवम् की उपाधि से विख्यात हुए दुर्योधन की प्रजानीति का वर्णन वनेचर के मुखारविन्द से कराते हुए कहते हैं कि दुर्योधन धर्माचरण का कार्य भी करता है। वह दुःशासन को युवराज नियुक्त करके पुरोहितों के आदेशानुसार यज्ञ करने में लगा है।

स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनभिद्धशासनः।
मखेष्वखिनोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्।।22।।

सः दुर्योधनः दुःशासनः अर्थात् अप्रतिहताज्ञः। सः नवयौवनयुतं कार्यसमर्थ बलवन्तं दुःशासनम् युवराजपदव्यां नियुक्तवान। अनेन सर्वमपि निर्बाधं प्रचलति राज्ये। एवं व्यवस्थां क्रत्वा निश्चिन्तो भूत्वा सः यज्ञयागादिषु आत्मानं व्यापारयति। अर्थात वह (दुर्योधन) जिसकी प्रबल आज्ञा का तत्काल पालन किया जाता है, नयी युवावस्था से प्रगल्भ दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके पुरोहित के आदेश से यज्ञों में हवि द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है।

दुर्योधन प्रतिद्वंद्वी राजाओं से पूर्णतः शून्य हो भविष्य में भी स्थायी रहने वाले पृथ्वीमण्डल का समुद्रप्रयन्त शासन करता हुआ भी वह पाण्डवों से आने वाली विपत्ति का विचार करता ही है। ओह, बलवानों के साथ विरोध का परिणाम दुःखमय होता है।

प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डलं भुवः।
स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीरहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता।।23।।

इस प्रकार निष्कंटक राज्य का स्वामी होते हुए भी दुर्योधन आपका नाम सुनकर कष्ट का अनुभवकरता है। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त दूत (वनेचर) अन्त में अपनी बातों का निष्कर्ष करता हुआ कहता है कि दुर्योधन आपके प्रति छल करने में लगा हुआ ही उसका प्रतिकार कीजिए। मैने तो जैसा देखा वैसा बता दिया।

तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्।
परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः।।25।।

वनेचर अपनी सम्पूर्ण बातों का उपसंहार करता हुआ कहता है कि आपके प्रति कपट करने में लगे हुए उस दुर्योधन के जैसा प्रतिकार करना उचित है उसे भी कीजिए। दुसरों द्वारा कहे गये वचनों के प्रति अनुसंधान करने वाले दुतों के वचन में यथार्थ वार्ताकथन ही होता है।

उपरोक्त श्लोक राजा के महत्व को रेखांकित करते है। जहाँ राजा के अभाव मे प्रजा भय को प्राप्त हो नाश को प्राप्त हो जाती है वहीं दूसरी ओर योग्य राजा नहीं होता तो वहाँ प्रजा अराजकता और अधर्म को प्राप्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण प्रजा सहित राष्ट्र का नाश हो जाता है। जिस प्रकार बिना योग्य चालक के कोई वाहन गतिमान नहीं हो सकता या बिना योग्य वैद्य के रोगी का उपचार और स्वास्थ प्राप्ति संभव नहीं उसी प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र बिना योग्य शासक के उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता।

संदर्भ ग्रंथ

1. किरातार्जुनीयम् प्रथम सर्ग
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय
3. sanskritbharat.com

ईशावास्योपनिषद् : ज्ञानयुक्त कर्म अर्थात् अनासक्त कर्म का मार्ग

अलका केशरी
शोध छात्रा
राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

भारतीय अध्यात्मचिन्तन का मुख्य स्रोत उपनिषद् ग्रन्थ ही है। ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 'वेद' के जिस अत्युच्चशिरोभाग में किया गया है, उसी का नाम उपनिषद् है। इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और इनकी मीमांसा भगवन् वेदव्यास ने 'ब्रह्मसूत्र' में की है और इन्हीं उपनिषद्रूपी गौओं से भगवान् श्रीकृष्ण ने सुधी भोक्ताओं के लिए गीतामृतरूपी दुग्ध का दोहन किया था।

अतः उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता 'प्रस्थानत्रयी' कहलायी है। भारत के सभी आचार्यों ने प्रायः इसी प्रस्थानत्रयी के प्रकाश से सत्य का अन्वेषण किया है।

भारतीय दर्शन की विभिन्न पद्धतियों, चाहे वे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, उपनिषद् की ज्ञान-धारा के पावनपीयूष को पाकर ही पल्लवित हुई है। उपनिषद् सभी अध्यात्मचिन्तकों के लिए सम्बल प्रदान करने वाली अक्षयनिधि है।

उपनिषदों का महत्त्व वैदिक मतावलम्बियों को ही मान्य हो, ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और महानुभाव भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और तात्त्विकता पर मुग्ध हो चुके हैं। सन् 1640 ई0 में दारा शिकोह (मुगल शहजादा) अपनी काश्मीर यात्रा में इन्हें देखकर इनकी ओर आकर्षित हुआ। फलतः वाराणसी के पण्डितों को बुलाकर इनका फारसी में रूपान्तरण करवाया।

मंसूर, शरमद, फैजी और बुल्लाशाह आदि महानुभावों ने इस्सलाम धर्मावलम्बी होकर भी औपनिषद् सिद्धान्त को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाया था। मंसूर और शरमद ने तो सिर देकर भी इस सिद्धान्त को छोड़ना पसन्द नहीं किया। पश्चिमी विद्वानों में भी मैक्समूलर, शोपेनहर और गोल्डस्टकर आदि ऐसे अनेक महानुभाव हो गये हैं, जिन्होंने उपनिषदों के महत्त्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है।

'उपनिषद्' शब्द 'उप' और 'नि' उपसर्गपूर्वक 'सद्' धातु से 'क्विप्' प्रत्यय करने पर बनता है। उपनिषद् का अर्थ है उप-समीप, नि-निश्चय या निष्ठापूर्वक, सद्-बैठता, अर्थात् तत्त्वज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। श्री शंकराचार्य के अनुसार 'सद' धातु के तीन अर्थ- विशरण (नाश होना),

गति (पाना या जानना), अवसादन (शिथिल होना)।

मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, वे इस प्रकार हैं–

"ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-माण्डूक्स-तित्तिरः।
ऐतरेयं च छान्दोग्य वृहदारण्यकं दश।"

उक्त दशों उपनिषद् प्राचीन और प्रामाणिक है। अतः विद्वतजनों द्वारा उपनिषदों में से सबसे पहला उपनिषद् 'ईशावास्योपनिषद्' को माना जाता था। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने उपनिषद् का काल आरम्भ 2500 ई0पू0 माना है। ईशावास्योपनिषद् का समय भी इसी के समीप न्यायसंगत प्रतीत होता है; किन्तु इस विषय में विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। बहुत से उपनिषदों में कर्मत्याग के मार्ग का प्रतिपादन किया गया है; परन्तु ईशावास्योपनिषद् ज्ञानयुक्त कर्म अर्थात् अनासक्त कर्म का मार्ग बताते हैं। यह उपनिषद् निष्काम कर्मयोग का आग्रह रखते हैं। कर्म और अकर्म का सुभग समन्वय किया गया है।

ईशावास्यापनिषद् का शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा से सम्बन्ध है। इसीलिए इस उपनिषद् को 'वाजसनेयी उपनिषद्' भी कहा जाता है। यह उपनिषद् माध्यन्दिन शास्त्रीय वाजसनेयी संहिता का 40वाँ अध्याय है। इस उपनिषद् में कुल 18 मंत्र हैं, जिसमें कर्म व ज्ञान का समुच्चयवाद का बीज पाया जाता है। यह उपनिषद् पद्य में है। इसका नामकरण प्रथम मंत्र 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' के ईशावास्य को लेकर किया गया है। लघु होने पर भी इसमें ऐसे अनेक संकेत हैं जिनसे आश्चर्यजनक सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। प्रथम मंत्र में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वर का आवास है–

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्।
तेन व्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधाः कस्यस्विद् धानम्।।"

सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता 'साधक' निष्काम बनता है और किसी के धन की इच्छा नहीं करता। 'स्व' का सर्वस्व सर्वव्यापक ईश्वर को अर्पण करके आनन्द प्राप्त करता है। किसी पदार्थ का भोग करने से क्षणिक आनन्द मिलता है वह आनन्द त्याग का आनन्द शाश्वत और सात्त्विक होता है। ईशावास्योपनिष्ठषद् के दूसरे मंत्र में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है–

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।"

यहाँ भाव यह है कि कर्मो का परित्याग नहीं किया जा सकता है। 'गीता' में भी कहा गया है– 'कर्मब्रह्मोद्भवं विद्धि'। अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए; सांसारिक पदार्थो को भोगना चाहिए और दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा या ब्रह्मस्वरूप का प्रकारान्तर से वर्णन करते हुए इस उपनिषद् के पाँचवें मंत्र में कहा गया है कि–

"तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिक।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥"

इस मंत्र का भाव यह है कि ब्रह्ममाया के कारण साकार है इसीलिए वह चलता है। किन्तु वास्तव में वह निराकार है, इसीलिए उसके चलने की बात सही नहीं लगती। वह अज्ञानियों के लिए सदा दूरवर्ती है, परन्तु विवेकियों के लिए अपने आत्मरूप में सदा निकट है। परमात्मा या ब्रह्म का स्वरूप सभी उपनिषदों का मुख्य विषय रहा है। आत्मा और परमात्मा के बीच अद्वैत का प्रतिपादन सभी उपनिषद् करते हैं। परमात्मा सभी के अन्दर भी है और बाहर भी है। इस मंत्र को गीता के तेरहवें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है–

"बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च।
सूक्ष्मत्वातदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।"

अर्थात् आत्मज्ञानी मनुष्य सभी भूतों में स्व आत्मा को देखता है और स्व आत्मा में सर्वभूतों को देखता है, वह किसी की निन्दा नहीं करता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 'पंचमहाभूत' कहलाते हैं। उसमें से सभी की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य ब्रह्म का निरन्तर दर्शन करता है वह साधन स्वयं ब्रह्म रूप बनता है। वह अपने आपको परमात्मा में विलीन करता है और ब्रह्म रूप होता है।

इस उपनिषद् में कहा गया है कि परमात्मा के रूप में आत्मा बन जाता है, तब आत्मा स्वयं ईश्वररूप बन जाता है, अर्थात् आत्म सर्वगत, स्वप्रकाश, शरीररहित, शुद्ध और स्वयंभू है वह एक होता हुआ अनेक है और वही कर्मफल का सब में विभाजन करता है। ईशावास्योपनिषद् के आठवें मंत्र में इसी तथ्य को कहा भी गया है–

"स पर्यगाच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविरं भाुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीशी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थात् व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥"

परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय भी ईशावास्योपनिषद् में बताया गया है कि, जो अविद्या अर्थात् ज्ञानभिन्न केवल कर्म की उपासना करते हैं वे जन्म–मरणरूपी घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो केवल विद्या में रत हैं, अर्थात् अशु**द्ध**चित्त होते हुए भी कर्म नहीं करते हैं, अपितु ज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं; वे मानो उससे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं। इसी तथ्य को इस उपनिषद् के नवे मंत्र में इस प्रकार कहा गया है–

"अन्धं तमः प्रविशन्ति येखविद्यामुपासते।
ततो भूय इव ते तमो येखविद्यायां रताः॥"

इस मंत्र का भावार्थ यह है कि मनुष्य को ज्ञान एवं कर्म दोनों की उपासना करनी चाहिए। इसी क्रम में ईशावास्योपनिषद् के 11वें मंत्र में ज्ञान व कर्म दोनों के तत्त्व को एक साथ भलीभाँति समझने

का फल बताते हुए कहा गया है कि, जो मनुष्य उन दोनों विद्या (ज्ञान तत्त्व) और अविद्या कर्मतत्त्व को साथ-साथ यथार्थतः जान लेता है वह कर्मानुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञानोपासना से अमरभाव अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होता है-

"विद्यां चाविद्यां च यस्तछेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाखमृतमश्नुते।"

ईशावास्योपनिषद् के अन्तिम दो मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि-

"वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तरं शरीरम्।
ऊँ क्रतो स्मर कृतं समर क्रतो स्मर कृतं स्मर॥"
"अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूमिश्ठां ते नमउक्ति विधेम॥"

उक्त मंत्रों का भाव अत्यन्त प्रभावकारी है, क्योंकि उक्त मंत्रों में ईश्वर से प्रार्थना की गयी है कि वह हमें अच्छे मार्ग पर ले जाय, किये हुए बुरे कर्म भस्म हो जाय; ईश्वर अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आवरण को हटा दे। उसकी प्राप्ति साधक को तभी होगी जब वह मोहादि के बन्धन से अपने को पृथक् कर उसकी प्राप्ति का अपने को पात्र बना लिया करता है।

मृत्यु सभी के लिए भयप्रद है किन्तु अद्वैतानुभूति जिसने भी की है, वह साधक के लिए मृत्यु आनन्दोत्सव बन जाता है। 'ऊँ' और 'अथ' शब्द प्रथमतः ब्रह्मा के मुख से बाहर निकले थे; इसीलिए उसे पवित्र और मंगलमय माना जाता है। अन्तिम मंत्र का भाव इतना प्रभावक और प्रेरक है कि सामूहिक प्रार्थना मंत्र के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है।

निष्कर्षस्वरूप यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि ईशावास्योपनिषद् ईश्वर ब्रह्म का सम्यक् ज्ञान के द्वारा भोगवृत्ति का त्याग करके सर्वदा निष्काम कर्म करने का आग्रह रखते हैं। सफल जीवन के लिए ज्ञान और कर्म का समन्वय आवश्यक है। परमेश्वर की कृपा, माया के आवरण को दूर करता है और माया का आवरण विनष्ट होने से परमतत्त्व का साक्षात्कार होता है। मनुष्य विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति करता है। यह समस्त जगत् सुवर्णमय पात्र के द्वारा आच्छादित है, किन्तु ईश्वर का यथार्थज्ञान होने से यह पात्र खुल जाता है। इस तरह माया में भटकते अर्थात् अज्ञान के अन्धकार में भटकते, जीव के जीवन को परमात्मानुभूति तक पहुँचाने की कला ईशावास्योयपनिषद् में प्रभावक तरीके से सरल शैली में निरूपित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. महेश शर्मा, हरीशदत्त शर्मा, क्या कहते हैं उपनिषद्

2. तारिणीश झा, ईशावास्योपनिषद्
3. डॉ0 राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन
4. Website-Scotbuzz.org
5. Deussen Paul, The Philosophy of the Upnishad.-
6. श्वेता, उपनिषद् : परिचय, उत्पत्ति, परिभाषा और विद्वानों का दृष्टिकोण
7. फारसी उपनिषद् अनुवाद
8. धर्मे रहस्युपनिषत् स्यात्, अमरकोष
9. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत
10. डॉ0 राकेश कुमार आर्य, उपनिषदों की शिक्षाएं और उनका महत्त्व

राष्ट्रकवि दिनकर के काव्य-नाटक "उर्वशी" का भाषा-सौष्ठव

डॉ० अविनाश कुमार पाण्डेय

प्रधानाध्यापक

मध्य विद्यालय, थनुआ (शिवसागर)

रोहतास, (बिहार)

हिन्दी साहित्याकाश के दीप्तिमान 'दिनकर', हिन्दी के विख्यात, विश्रुत, वाग्विदग्ध, विद्वान कवि व क्रान्ति-गीतो के अमर गायक रामधारी सिंह दिनकर की "उर्वशी" स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा उर्वशी तथा पृथ्वीलोक के शूरवीर राजा पुरुरवा के बीच पनपे मार्मिक प्रणय-गाथा का कालजयी आख्यान और अमर काव्यकृति है।

"उर्वशी" प्रेम और सौन्दर्य का काव्य-नाटक है। सौन्दर्य और प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्त करती "उर्वशी", भाषा की प्रौढ़ता, लाक्षणिकता तथा अर्थ-सौरम्य की दृष्टि से सर्वश्रेठ रचना है। उर्वशी काव्य के आद्योपान्त अध्ययन के पश्चात प्रत्येक सुधी पाठक यह अनुभव करता है कि "दिनकर" जी का हिन्दी भाषा पर स्तुत्य अधिकार है। उर्वशी में उन्होंने परम परिमार्जित तथा सर्वसम्मत शिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। समस्त काव्यान्तर्गत रसानुरुप भाषा का प्रयोग इस काव्य-नाटक का सौष्ठव है। इसी का परिणाम है कि रस-निरूपण बड़ा ही सहज, स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी रूप में विद्यमान है। यथा-

"पर, मैं बाधाक नहीं, जहाँ भी रहो, भूमि या नभ में,
वक्ष-स्थल पर, इसी भाँति, मेरा कपोल रहने दो।
कसे रहो, बस, इसी भाँति, उर-पीड़क आलिंगन में,
और जलाते रहो अधार-पुट को कठोर चुम्बन से"।[1]

उपर्युक्त पंक्तियों में वर्णो की लघुता, व्यंजनों की सानुस्वरता आदि कोमलकांत वर्णो का अत्यन्त उत्तम और चित्ताकर्षक प्रयोग, माधुर्य-गुण उत्सर्जक बना है। इन पंक्तियों में संयोग-श्रृंगार-सम्बन्धी अनन्त आकांक्षाएँ सजीव एवं साकार हो उठी हैं।

इसी तरह पौरुष-प्रदर्शन हेतु शब्दों का चयन दूसरी ओर अपार आयाम का आधार-फलक स्थापित करता है, यथा-

"लाओ मेरा धानुष, सजाओ गगन-जयी स्यन्दन को,
सखा नहीं, बन शुत्र र्स्वग-पुर मुझे आज जाना है।

और दिखाना है, दाहकता किसकी अधिक प्रबल है,
भरत-शाप की या पुरुरवा के प्रचण्ड बाणों की"।[2]

पुनः पुरुरवा का यह कहना ओज गुण से सिक्त वाणी का अनुकथन है–

"कायरता की बात तुम्हारे मन को सता रही है,
भीति इन्द्र के निठुर बज्र की, देवों की माया की।
किन्तु, उसे तुम छिपा रहे हो सजीव, ओढ़ ऊपर से,
मिथ्या बसन दनुज-संगति कल्पना-जन्य दूषण का"।[3]

उपर्युक्त द्वय उद्धरणों में ओज वर्णो का बाहुल्य तथा संयुक्ताक्षरों का आधिक्य पौरुषपूर्ण प्रसंग की अनुभूति कराने में असाधारण रूप से सफल हुआ है।

"उर्वशी" की भाषा उतनी ही रमणीयता–पूर्ण है जितनी ओजपूर्ण। तात्पर्य यह कि उर्वशी की भाषा रसानुरूप होने के कारण स्वतः ही पर्याप्त रूप में रमणीय है। इस भाषागत रमणीयता के कुछ उदाहरण भी देखने योग्य हैं जिनमें समयानुकूल शब्द के माध्यम से मनोनुकूल मर्माभिव्यक्ति को सहज रूप से व्यक्त किया गया है। चौथे अंक में उर्वशी अपने पुत्र आयु को देखकर चित्रलेखा से कहती है–

"अरी! देखती नहीं लाल की नन्हीं-सी आँखों में,
अब भी तो सुस्पष्ट स्वर्ग के सपने झलक रहे हैं?
टुकुर-टुकुर संतुष्ट भाव से केसे ताक रहा है?
मानो, हो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी समर्थ देवों-सा"।[4]

"टुकुर–टुकुर" शब्द की सहजता, स्वाभाविकता, सजीवता तथा मर्मस्स्पर्शिता का अनुभव किसने नहीं किया होगा और इसकी मर्मस्पर्शिता का कौन दास नहीं बनकर अपने को कृत–कृत्य समझा होगा। तातपर्य यह कि अभिव्यक्ति के अनेक साधनों में भाषा सर्वोत्तम साधन है। इसमें पर्याप्तता, सक्षमता तथा भावानुसार प्रभावोत्पादन की अप्रतिम सामर्थ्य है। दिनकर जी के इस काव्य–नाटक में भाषा की प्रभावोत्पादकता सर्वत्र दर्शनीय है। उदाहरणस्वरूप पुरुरवा की निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है–

"सिंधु-सा उद्‌दाम, अपरम्पार मेरा बल कहाँ है?
गूँजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय-जयकार,
उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है?
यह शिला-सा वक्ष, ये चट्टान-सी मेरी भुजाएँ,
सूर्य के आलोक से दीपित, समुन्नत भाल,
मेरे प्राण का सागर अगम, उत्ताल उच्छल है।
मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं,
उर्वशी! अपने समय का सूर्य हूँ मैं।

अंधातम के भाल पर पावक जलाता हूँ,
बादलों के सीस पर स्यंदन चलाता हूँ"।[5]

उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त ओजपूर्ण शब्द तथा इसकी पौरुषपूर्ण अभिव्यक्ति केवल पुरुष के ही बाहुबल को दिग्दर्शित नहीं कराती, बल्कि समस्त वातावरण को ही पौरुष प्रभाव से ओत-प्रोत कर देती है। इसी प्रकार प्रेम-प्रसंगों में भी उसका वहीं प्रभाव वर्तमान है। उदाहरणस्वरूप पुरुरवा अपने प्रेमी-रूप का वर्णन करते हुए कहता है-

"कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ।
पर, सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है,
उस तृष्णा, उस वेदना को जानता हूँ."............।[6]

इसी तरह रूपसी नारी के असीम आकर्षण से पराजित नर का वर्णन करते हुए पुरुरवा कहता है-

"पर, न जाने, बात क्या है?
इन्द्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है,
सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है,
फूल के आगे वही असहाय हो जाता
शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता"..........।[7]

उपर्युक्त पंक्तियों में दिनकर जी ने सौन्दर्य तथा रूप-रमणीयता का, प्रेम-प्रभाव की प्रगाढ़ता का अत्यन्त आकर्षण एवं प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। वस्तुत: काव्य-रूपक की विधा में अनुस्यूत होने के कारण भाषा का प्रभावोत्पादक होना स्वाभाविक ही है। यदि भाषा का यह गुण इसमें अनुपस्थित हो तो नाटक अपने रसाभिव्यक्ति रूप प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति में नाटक निष्प्रभ और निष्प्राण हो जायेगा। अत:"उर्वशी" में काव्य-रूपक की दृष्टि से यह अत्यन्त प्रभावपूर्ण बन सका है। वास्तव में इस दुरूह, कौशल तथा प्रतिभा-प्रभाव का दिनकर जी ने पूरा-पूरा उपयोग किया है और भाषा को सम्पूर्ण काव्य में सज़क्त तथा प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किया है। इसमें कहीं भी भाषा का शैथिल्य दृष्टिगत नहीं होता।

सहज भाषा में भी कितनी मादकता भरी जा सकती है, तथा वह रसावेग से कितनी आपूरित हो सकती है, उसे "उर्वशी" की भाषा में देखा जा सकता है। "उर्वशी" में दिनकर जी ने लाक्षणिक भाषा में कहा है-

"मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग,
वक्ष पर धार सीस मरना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे हाथ का लीला-कमल हूँ
प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ"।[8]

सारांशतः दिनकर की भाषा में सदा ही प्रत्यक्षता एवं सादगी दिखती है। "उर्वशी" की भाषा बड़ी ही प्रभावपूर्ण है। इसमें तद्भव, तत्सम तथा देशज शब्दों की अधिकता है। काव्य-नाटक "उर्वशी" की भाषा माधुर्यगुण की अपेक्षा प्रसादगुण और ओजगुण से अधिक सम्पन्न है। दिनकर जी ने काव्य-पंक्तियों में शब्द इस प्रकार चुन-चुनकर रखे हैं कि उन्हें उनके स्थान से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। शब्दों के भावों के अनुकूल, छंद-विधान के अनुसार कविता के चरणों में उन्होंने इस प्रकार प्रयोग किया है कि उनके इधर-उधर होते ही भाव आहत हो जाते हैं। अतएव "उर्वशी" काव्य-नाटक में दिनकर जी के शब्द-न्यास नैपुण्य का, शब्द स्थापना सुविज्ञता का तथा शब्द-मैत्री मर्मज्ञता का पग-पग पर परिचय मिलता है। दिनकर जी ने सर्वोत्तम शब्दों को उनके सर्वोत्तम स्थान पर प्रयोग करके अपने अभिव्यक्ति-विषयक अपूर्व कौशल का परिचय दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दिनकर, रामधारी सिंह-"उर्वशी", लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण- 2008, पृ०सं०- 65
2. -वही- पृ०सं०- 145
3. -वही- पृ०सं०- 147
4. -वही- पृ०सं०- 149
5. -वही- पृ०सं०- 53
6. -वही- पृ०सं०- 68
7. -वही- पृ०सं०- 81
8. -वही- पृ०सं०- 89

असगर वजाहत के उपन्यासों में ग्राम्य जीवन

राधेश्याम
शोधार्थी, हिन्दी विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग (झारखण्ड)

शोध सारांश

हमारा देश गाँवों का देश है और वर्तमान समय में लगभग 80: जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। अगर कोई भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को जानना चाहता हो, तो उसे भारतीय गाँवों में ही संस्कृति और सम्भता के मूल दर्शन हो सकते हैं। वस्तुतः भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी ग्राम्य जीवन के अध्ययन की अनिर्वायता होती है। आधुनिकता और भौतिकता के इस युग में आज ग्रामीण जनजीवन नये रूप में साकार ले रहा है। आधुनिकता की स्वतंत्र हवा में तरुण होती वर्तमान समय की युवा पीढ़ी के मुक्त विचारों के कारण ग्रामीण जनजीवन की हवापानी भी बदल रहा है। आज नवीन विचारों के कारण ही नवीन जीवन परिपाटी अपनायी जा रही है और इन विचारों को उपन्यास साहित्य के माध्यम से उपन्यासकार चित्रित कर रहा है। ग्राम्य जीवन को साहित्य की अन्य विधाओं के अपेक्षा उपन्यास में प्रमुखता से चित्रित करने में सफलता मिली है। आज उपन्यास साहित्य ग्राम्य जीवन की संवेदना को, गाँव की मिट्टी से जुड़कर वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति को और किसानों की त्रासदी को पूरी विश्वसनीयता और सत्यता से चित्रित कर महाकाव्यात्मक रूप धारण कर लिया है। ग्रामीण जनजीवन का उपन्यास साहित्य में सर्वप्रथम चित्रण प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में किसानों की दयनीय स्थिति को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। प्रेमचंद के परवर्ती कथाकारों ने भी अपनी–अपनी शैली के माध्यम से विनियमित ग्रामीण जीवन को चित्रित करने का काम किया है। इन परवर्ती उपन्यासकारों में असगर वजाहत ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जनजीवन पर गहन विचार–विमर्श किया है।

बीज शब्द : गाँव, किसान, जमीन, संस्कृति, मानवीय मूल्य, ग्रामीण सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य इत्यादि।

प्रस्तावना

समकालीन हिंदी उपन्यासकारों में असगर वजाहत का विशेष योगदान रहा है। ग्रामीण जीवन से असगर वजाहत का सदा जुड़ाव रहा है, इसीलिए वे अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के चित्रण में वहाँ की जनजीवन के सहभोक्त्ता और हकदार रहे हैं। इसके फलस्वरूप असगर वजाहत के उपन्यासों में ग्रामीण जनजीवन के भोगे हुए यथार्थ का विस्तृत व भव्य संसार विद्यमान है। इनके उपन्यासों की कथाभूमि का ग्राम्य जीवन सामान्य न होकर विशेष है। इन गाँवों में बदलाव व विकास की हवा बहती नजर आ रही है। इनके औपन्यासिक गाँव परिवर्तन की राह पर अभिभूत हैं। अपितु असगर वजाहत का ग्राम्य जीवन से विशिष्ट तादात्म्य नजर आता है। ग्रामीण जनजीवन ने असगर वजाहत के व्यक्तित्व और कृतित्व को विशालता और गंभीरता प्रदान की है। उनके गाँवों का अनुभूत सत्य उनके उपन्यासों में अंकुरित हो आये हैं। अतः असगर वजाहत ने विनियमित ग्रामीण जीवन का प्रसंगानुकूल शाब्दिक वर्णन किया है। अपने तमाम ग्रामीण जनजीवन पर आधारित उपन्यासों में असगर वजाहत ने सत्य के मूल्य पर अनुभूत सजीव दृश्य को प्रमाणिकता के साथ चित्रित किया है।

शोध उददेश्य

असगर वजाहत के उपन्यासों में ग्राम्य जीवन अध्ययन व विश्लेषण करने के पश्चात् तत्कालीन ग्रामीण जनजीवन की समस्याओं पर वैचारिक चिंतन व निराकरण करना शोध का मुख्य उददेश्य है। इसके केन्द्र में ग्रामीण समाज के पीड़ित मानवीय जीवन को रखा गया है।

शोध प्रविधि

शोध लेखन में आलोचनात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रविधि का उपयोग करते हुए मानवीय चेतना के कार्य-कारण परिणाम के संबंधों का प्रयोग किया गया है।

शोध कार्य

आजादी के पश्चात् हिंदी उपन्यासों में कथ्य से लेकर शिल्प शैली तक नवीन प्रयोग किये गए। उपन्यासकारों ने पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भारतीय मानसिकता और वैचारिक सिद्धांतों को भी अपने उपन्यासों में चित्रित किया। असगर वजाहत ग्रामीण जीवन के कुशल चितेरे उपन्यासकार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम्य जनजीवन के यथार्थ का ऐसा ओजपूर्ण व जीवंत चित्रण किया कि ग्रामीण संस्कृति, वहाँ के रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार, भाषा-बोली और गाँवों की हरियाली नजर के सामने प्रतीत होने लगती है। असगर वजाहत के उपन्यासों में ग्रामीण परिस्थितियाँ, जमींदारी

व्यवस्था, सामंतवादी प्रथा, किसानी जीवन व गाँवों में व्याप्त भ्रष्ट शासन व्यवस्था के दर्शन होते हैं। इन्होंने लगभग सभी उपन्यासों में ग्राम्य जीवन को अपने अध्ययन व लेखन का विषय बनाया है। इन विवेच्य उपन्यासों में ग्रामीण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन आदि के आधार पर मानवीय मूल्यों व संबंधों को चित्रित किया गया है।

असगर वजाहत का पहला उपन्यास 'सात आसमान' है, जिसकी कथाभूमि कथाकार का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला है। फतेहपुर के गाँव को आधार बनाकर उनके आस-पास के प्राकृतिक सौंदर्य को कथा का विधान करते हुए असगर वजाहत समकालीन ग्रामीण व्यवस्थाओं पर विचार व चिंतन करते हैं। 'सात आसमान' उपन्यास की कथा में आजादी के बाद के तंगहाल और निर्धन गाँव के भारतीय ग्रामीण समाज की असरदार गाथा चित्रित की गई है। इस संदर्भ में असगर वजाहत लिखते हैं- "जमींदारी खत्म होने के बाद अब्बा मियाँ तो अपनी कसम की वजह से गाँव न जाते थे। वहाँ की जिम्मेदारी अब्बा पर आ गयी थी। कुल मिलाकर पचास-साठ बीघे का एक आम और अमरुद का बाग, सौ बीघा के करीब धनही और कोई हजार बीघे का ऊसर बंजर था जिसका पट्टा अब्बा के नाम किया गया था। ऊसर बंजर जमीन का लगान दो ही साल देकर उन्होंने तय किया की इससे तो अच्छा है कि यह जमीन छोड़ ही जाय। पैदा कुछ भी नहीं होता लगान भरना पड़ता है।"

भारतीय जन समुदाय का जनजीवन ग्राम्य जीवन से संबंधित रहा है। यही कारण है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। वस्तुतः समस्त ग्रामीण जन-जीवन का कृषि से जुड़ाव होने के कारण यहाँ के लोग अक्सर सामूहिक जीवन जीना स्वीकृत करते हैं। ग्रामीण जन-जीवन के संदर्भ में डा० उत्तमभाई पटेल लिखते हैं- "भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय जीवन का यथार्थ स्वरूप गाँवों में ही है। भारतीय जीवन तथा सभ्यता का मूल स्रोत कृषि है और उसका विस्तार ग्राम जीवन में ही परिलक्षित होता है।"[2] ग्रामीण जन-जीवन से जुड़े हुए असगर वजाहत के उपन्यासों में कृषक जीवन का परिवेश, कृषि कार्य से संबद्ध उद्योग, साधन सामग्री, पशु-पक्षी से प्रेम, किसानों की खेती संबंधी विचार इत्यादि ग्राम्य परम्परा में बंधा हुआ ग्रामीण समाज वर्णित होता है। इनके उपन्यासों में तत्कालीन समय व समाज का युगीन परिवेश दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण जीवन से संबंध असगर वजाहत ने अपने उपन्यासों में समस्त समाज की विधि-व्यवस्था से परिचय कराया है। जिसका वास्तविक प्रकृति वर्तमान समय में आज भी गाँवों में दिखाई देता है।

'केसी आगी लगाई' उपन्यास में ग्रामीण परिवेश को पूर्णत से देखा जा सकता है। उपन्यास में ग्रामीण जातिभेद की समस्या सर्वाधिक दुरुह रहा है, जिससे गाँव के स्वाभाविक उन्नति व प्रगति में रुकावट आती है। गाँव के सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार विकृत था कि गाँव की संस्कृति व परम्परा को बदलना मुश्किल लगता है। इसीलिए इस उपन्यास में ग्रामीण समाज का प्रत्येक परिवार

आर्थिक तंगी से जूझते हुए नजर आता है। कथाकार के शब्दों में– "परदादा केसरियापुर गाँव में मौलवी थे। उन्होंने दादा को उर्दू, फारसी, अरबी की तालीम देने के बाद सरकारी इलजास में दफ्तरी लगवा दिया था क्योंकि वो जानते थे कि बदलते हुए हालात में मौलवीगिरी के काम से घर नहीं चल सकता। थोड़ी बहुत जमीन जरूर थी लेकिन उस पर खेती करवाने के लिए हर आदमी का मुँह ताकना पड़ता था।"[3] 'केसी आगी लगाई' उपन्यास का कथानायक साजिद शहर से वापस जब अपने गाँव आता है, तो उसे गाँव की खेती, हरी–हरी फसलें, बाग–बगीचा और खेत–खलिहान इत्यादि को देखकर बहुत खुशी होती है। क्योंकि शहरों में इन वातावरणों का अभाव देखने को मिलता है। वस्तुतः प्रकृति की मनोहारता व खूबसूरती का नैसर्गिक संरचना गाँव में ही दिखाई देता है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की ग्रामीण संस्कृति व परम्परा खेती की जीविका निर्वाह से जुड़ी है। वर्तमान समय के भौतिक व इंडस्ट्रीयल युग में भी हमारा समाज खेती पर ही निर्भर है। असगर वजाहत का उपन्यास 'बरखा रचाई' इसी मूल संवेदना पर आधारित है, जिसमें कथाकार ने ग्रामीण जीवन का मूल केन्द्र बिन्दु खेती को ही बताया है। कथाकार के शब्दों में– "अब्बा से जब मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं बल्कि खेती करना चाहता हूँ और केसरियापुर में रहना चाहता हूँ तो कुछ क्षण के लिए उनकी समझ में कुछ नहीं आया। एम०ए० पास करने के बाद गाँव में रहना और खेती करना ? हालत ये है कि लड़का हाई स्कूल कर लेता है तो गाँव का मुँह नहीं देखता। इंटर कर लेता है तो खेती करने से चिढ़ने लगता है, लेकिन यह भी है कि आज खेती में पैसा है।"[4] असगर वजाहत के 'बरखा रचाई' उपन्यास में किसानों का परम्परागत रूप में लेन–देन रुपयों में न होकर वस्तुओं और सेवाओं में होता है।

'बरखा रचाई' उपन्यास में ग्राम्य जीवन का वास्तविक चित्रंकन हुआ है। इसमें किसानों का खेती के प्रति जबरदस्त जुड़ाव है और लोगों का गाँव के प्रति आकर्षण का भाव दिखाई देता है। ग्रामीण जीवन के विशेष विशिष्टातों को प्रासंगिक करने वाला प्रशंसनीय उपन्यास 'बरखा रचाई' है। असगर वजाहत के शब्दों में– "मिट्टी के घरों का आकार और रूपरेखा टोलों के हिसाब से बदल जाती है लेकिन हर घर के सामने छप्पर और उसके पीछे बड़ा दरवाजा। उच्ची गलियां, रंभाते हुए जानवर, कच्चे–पक्के कुओं पर औरतों की भीड़, गलियों में दौड़ते नंग–धाड़ग बच्चे, बैलगाड़ियों की आवाजाही कच्चे घरों के अंदर से निकलता धुएँ का दुकान और गलियों से गोबर छोत।"[5]

असगर वजाहत के उपन्यास 'धारा अँकुराई' में भी ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति और ग्रामीण जन–जीवन का यथार्थ अंकन हुआ है। इसमें केसरियापुर गाँव में प्राचीन काल से बसे हुए ग्रामीण कृषकों का जन–जीवन, कृषि एवं लोगों की रोजमर्रा की जिदंगी का जीवंत व ओजपूर्ण चित्र वर्णित हुआ है। उपन्यास में आजादी के पूर्व तथा आजादी के बाद की परिस्थितियों का वास्तविक स्वरूप चित्रित है।

ग्रामीण परिवेश में बसे हुए किसानों के जीविका निर्वाह के साधन की करुणाजनक वेदना का चित्रण 'धारा अँकुराई' उपन्यास में करते हुए असगर वजाहत यह दिखाना चाहते हैं कि ग्राम्य जीवन के बरबाद हो जाने से ग्रामीण किसानों को उखड़ जाने का खौफ निरंतर मानसिक क्लेश पहुंचाने लगता है। ऐसे आतंकित कृषकों की जीवन प्रणाली का चित्रण उपन्यासकार मार्मिक ढंग से करते हुए ग्रामीणों के प्रति गहरी संवेदना व सहानुभूति जगाते हैं- "मजदूर तो यहाँ हैं नहीं, क्योंकि कोई कारखाना-वारखाना है नहीं। किसान हैं। उनकी समस्या यह है कि खाद का दाम बढ़ रहा है। बिजली नहीं आती। टैक्टर के लोन आसानी से नहीं मिलता। अब पार्टी अगर इन्हीं माँगों को पूरा करने में जुट जाए तो क्या होगा ?"[6] किसानों के लिए उनकी जमीन ही जीवन का अभिन्न अंग रहा है। खेत की माटी इन किसानों के लिए सोना उत्पादन करने वाली मूल्यवान मिट्टी है, जो केवल खेत को नहीं, बल्कि समस्त जगत को हराभरा कर देती है। किसानों की आत्मा उनकी खेती ही है, जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते हैं।

'मन-माटी' उपन्यास की रचना भी ग्रामीण जीवन को केन्द्र में रखकर हुई है। इस उपन्यास में तत्कालीन समय के किसानों की जमीन बिक जाने पर टूटी हुई जीवन परम्परा का ममस्पर्शी चित्रण है। 'मन-माटी' उपन्यास में असगर वजाहत ने ग्रामीण जीवन की शहरीकरण में विनियमित होते हुए दिखाया है। उपन्यास में उपन्यासकार कृषि उद्योग के अवसान तथा नगरीय और औद्योगीकरण की प्रक्रिया के परिणामों को प्रस्तुत करता है। आलोच्य उपन्यास में कथाकार ग्रामीण जीवन के नष्ट हो जाने के प्रकरणों का चित्रण अनजाला गाँव में बसे हुए ग्रामीण समाज के जीवन से दृश्यमान करता है। कथाकार के शब्दों में- "गाँवों में कच्चे मकान तो अब देखने में नहीं आए। लेकिन गाँवों में न तो किसी तरह की प्लानिंग है और न रख-रखाव। अजीब बेढ़गें तरह से गाँवों का विकास हुआ है। पतली गलियाँ हैं, नालियाँ है, गंदगी है और बेहिसाब मकान हैं जिनकी लाल और नंगी ईंटें आँखों को चुभती हैं।"[7] इन ग्रामीणों के पास जब तक अपनी जमीनें थी तब तक वे लोग स्थायी, सुखी सम्पन्न तथा सम्मानित रूप से जीवन-यापन कर रहे थे। भारत-पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये हुए शरणार्थियों को बसाने के लिए ग्रामीणों की जमीनें अधिग्रहण हो जाती हैं।

आलोच्य उपन्यास में ग्रामीण कृषकों का जमीन से भावात्मक लगाव रहा है। इससे भारतीय कृषि की विशेषता दिखाई देती है। परिणामतः पूँजीवादी व्यवस्था में औद्योगीकरण और नगरीय विकास ग्रामीण किसानों के लिए कितना अमानवीय तथा त्रासदी हुई है इस ओर उपन्यासकार पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। इनकी जमीनें चली जाने से गाँव के भू-स्वामी भी निष्प्राण बनकर रह जाते हैं। कृषि के दुर्भाव में उनकी समस्त जीवन प्रणाली ही उखड़ जाती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि असगर वजाहत ने अपने उपन्यासों में ग्राम्य स्थितियों का उद्घाटन किया है, जो ग्रामीण जनजीवन से प्रेरित है। दूसरी ओर यह भी चित्रित किया है कि गाँव में भू-स्वामी कृषक असंख्य जमीन के स्वामी होने के उपरांत भी सामान्य स्तर के थे और इनका शोषण करने वाला बीच का वर्ग है जिसमें जमींदार, पूँजीपति, उच्च पदाधिकारी, सरकारी नौकर तथा उच्च वर्ग के लोग हैं। वर्तमान समय में हमारी संस्कृति का आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यीकरण हो रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त भी भारतीय संस्कृति का सजीव रूप हमें आज भी गाँव में ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन की बुनियादी गहराईयाँ गाँव में ही दिखाई पड़ता है।

ग्राम्य जीवन हमेशा से ही हमारे साहित्य से जुड़ा रहा है। इसीलिए गाँव की भाषा, आचार-विचार, संस्कार एवं रुढ़ियाँ सभी हमारे जीवन में समाया हुआ है। क्योंकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति का जन्मस्थान गाँव ही होता है। अतः अनेकों साहित्यकार गाँव से ही निकले हैं। इसीलिए उनकी भाषा और लेखनी में गाँव की मिट्टी की सोंधी महक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वजाहत, असगर. सात आसमान. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 160.
2. पटेल, उत्तमभाई. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास में कृषक जीवन. प्रेम प्रकाशन, पृ० 19.
3. वजाहत, असगर. केसी आगी लगाई. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 93.
4. वजाहत, असगर. बरखा रचाई. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 08.
5. वजाहत, असगर. बरखा रचाई. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 09.
6. वजाहत, असगर. धारा अँकुराई. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 23.
7. वजाहत, असगर. मन-माटी. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ० 86.

हिन्दी कहानी और आदिवासी स्त्रियों की व्यथा

डॉ० भावना सिंह शाक्य
असिस्टेंट प्रोफेसर
नेशनल डिफेन्स अकादमी
खडकवासला, पुणे

हिन्दी कहानी हिन्दी साहित्य की एक नवीन विधा है, हिन्दी कहानी अपने जन्म के बाद अपने विकास की यात्रा में बहुत जल्द ही अपने को हाशिए के समाज से जोड़ लिया। आजादी के बाद की कहानियों में उसकी जड़ें गहरी होती गयी और भूमण्डलीकरण दौर आते ही हिन्दी कहानियों में भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान की आवाज गूँजने लगी। भारतीय समाज में सबसे ज्यादा आदिवासी उपेक्षित हुए हैं, आदिवासियों में भी आदिवासी स्त्रियाँ आखरी पायदान पर खड़ी हैं। भूमण्डलीकरण ने आदिवासी के जीवन को रौंद डाला इस प्रक्रिया के कारण आदिवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा विस्थापित जीवन जीने को अभिशप्त हो गया।

हिन्दी कहानी में आदिवासियों के जीवन की अभिव्यक्ति 1990 के पहले लगभग न के बराबर हुई भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने आदिवासी संस्कृतियों को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया था। यूं कहें तो उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए सशक्त एवं सुनियोजित हमला किया। आजाद रहना और प्रतिरोध करना उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। परिणामस्वरूप आदिवासी स्त्रियों का जीवन बेहद संकटग्रस्त हो गया और उसकी अस्मिता तथा अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। परिणामस्वरूप उनका प्रतिरोध भी बढ़ने लगा। आज आदिवासी समाज के स्त्रियों के जीवन के यथार्थ के दो पहलू हैं एक तरफ तो अस्मिता और अस्तित्व के संकट से गुजर रही है तो दूसरी तरफ उनकी रक्षा में तनकर खड़ी हो रही है। 1990 के बाद की कहानियों में आदिवासी स्त्रियों के जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। भूमण्डोत्तर दौर की जिन कहानियों में उनका जीवन अपने पूरे यथार्थ के साथ अभिव्यंजित हुआ है उन कहानियों में 'रात बाकी' (रणेन्द्र), 'जोड़ा हारिल की रूपकथा' (राकेश कुमार सिंह), 'बेला एक्का पर लौट रही है' (अरूण प्रकाश), 'राजकुमारों के देश में' (पीटर पाल एक्का), 'खारा पानी' (जयश्री राय) इत्यादि कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये कहानियाँ उनके जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है और उनकी बेगुनाही का सशक्त हलफनामा है। 'जोड़ा हारिल की रूपकथा' कहानी में जंगल पुलिस (वनपाल) लड़कियों की बांह पकड़ लेते थे, साथ सोने को बोलते थे। आदिवासियों की इज्जत दातून हो गयी थी जिसे तोड़-चबाकर फाड़ फेंकते थे फारेस्टगार्ड आंवें की भाँति सुलग रहे थे मुण्डा। इसी बीच कोढ़ में खाज एक साँझ पलाशखण्ड की देमुनिया की बेपर्द खूनमखून लाश जंगल के किनारे

मिली तो आंवें धुआं उठे।"[1]

राजकुमारों के देश में कहानी में आदिवासी मंगलू काका की बेटी के साथ उस रात पूरन पण्डित, पटेल साब दरोगा बाबू एक साथ उस छोटी मासूम, पवित्रा बेफिक्र झोपड़ी तक चले आये थे। जंगली जानवर और बहशी हो गये थे और गाँव वाले जानते हुए भी, नहीं देखने-सुनने का बहाना बना रहे थे। छोटी सी दुनिया लुट गयी थी।[2] "बेला एक्का घर लौट रही है" कहानी में बेला एक्का एक आदिवासी लड़की है जो आध्यात्मिक होकर आदिवासी इलाके से निकल कर मुगलसराय शहर में पढ़ाने के लिए जाती है लेकिन वहाँ के समाज में बंध नहीं पाती है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है और टूट जाती है। बेला एक्का एक पढ़ी लिखी आदिवासी स्त्री है। एक आदिवासी स्त्री जब मुख्यधारा के समाज से जुड़ती है तो मुख्यधारा के लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं उन्होंने किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसका जीवन्त चित्रण इस कहानी में हुआ है। शिक्षिका बेला एक्का जब अपने लम्पट अधिकारी जगदीश सिंह के खिलाफ ऊपर के अधिकारियों से शिकायत कर देती है तो समाज कल्याण अधिकारी जगदीश सिंह के गुर्गे उन्हें विद्यालय निकलते समय सब्जी मण्डी में घेर लेते हैं। छोटे-छोटी घटनाओं से आहत होकर पूरी तरह से टूट जाती है और इस फैसले पर पहुँचती है कि आदिवासियों के लिए मुख्यधारा में कई स्थान नहीं है। अंततः इस्तीफा देकर अपने गाँव वापस चली जाती है। यह इस्तीफा पूरे आदिवासी समाज की मुख्यधारा से इस्तीफा है।

जयश्री राय की 'खारा पानी' गोवा के मछुआरे आदिवासियों के जीवन पर आधारित है। खारे जल के गहरे नीले पानी में जहाज के बड़े-बड़े धब्बे उभर आये हैं। जयश्री राय की यह कहानी समन्दर की लहरों में बसे उन्हीं लाखों लोगों को विस्थापित होने, उनके सांस्कृतिक विरासत को नष्ट होने और उनके सामाजिक ताने-बाने के छिक-भिक हो जाने की कहानी है। जिसमें मछुआरे आदिवासियों के जन-जीवन को पूरी तरह से उभरता दिखाई दिया है। कहानी के मुख्य पात्र दया और उसकी प्रेमिका रूपा द्वारा आदिवासी स्त्रियों की अनेक समस्याओं को उभारा गया है। यह कहानी पुलिस पर, सरकार पर, नेताओं पर एन0जी0ओ0 और विकास के मौजूदा मॉडल पर गहरे सवाल उठाती है।

रणेन्द्र द्वारा लिखित कहानी "रात बाकी" झारखण्ड के आदिवासियों के जीवन पर आधारित है। यह कहानी झारखण्ड में बन रहे दुर्गावती बांध के आस-पास इलाके से शुरू होती है और पूर्ण होते तमाम विषयों भारतीय राजनीति, राजनीति में सामंती ताकतों का बोलबाला राजनीति और प्रशासन में अन्तर्विरोध यथार्थ और विकास का मॉडल अपने में समेट लेती है। यह कहानी 'सनलाइट सेना' जैसी सामंती सेनाओं द्वारा आम आदिवासी जनता के कत्लेआम को उजागर करती है। कहानी विस्थापन के कारणों, विस्थापितों की आन्दोलन करने की मजबूरी के चित्रण के साथ-साथ नरसंहार के जिम्मेदार प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत खेल का भी बहुत जीवंत और प्रामाणिक चित्रण पेश करती

है। कहानी जनता के पक्ष में खड़े होने की कोशिश करने वाले जे0एन0यू0 विश्वविद्यालय के अधि कारी बने छात्रों की वैचारिक पक्षधारता को दर्शाती है। आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हुए भी ए0एस0पी0 सिद्धार्थशाही और सी0ओ0 नरेन्द्र द्वारा कुछ न कर पाना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यह कहानी एक और ध्यान खींचती है कि शासन प्रशासन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आदिवासी समाज से अपने-अपने नजरिए के साथ अपने-अपने फायदे के लिए जुड़ता है। आदिवासियों का हित सर्वोपरि हो इस नजरिए से जुड़ने वालों की संख्या बहुत कम है। बाढ़ से होने वाले विस्थापन को रोकने और आदिवासियों की जिन्दगी को सुन्दर बनाने की कोशिश करते लिबरेशन आर्मी आम जनता और आदिवासी जनता को सताने वाली 'सनलाइट सेना' के बीच का संघर्ष अन्त में सामने आया है। विस्थापन का विरोध कर रही आदिवासी जनता पर सनलाइट सेना रात में हमला कर देती है वह सामूहिक नरसंहार रचाती है। उसमें शासन भी मिला होता है। उस नरसंहार में आदिवासी नेत्री पुष्पा बुरी तरह से घायल हो जाती है, उनके साथ बलात्कार भी होता है और पूरा आन्दोलन तितर-बितर हो जाता है।

कुल मिलाकर आदिवासी स्त्रियाँ आयेदिन मारपीट, हत्या और बलात्कार जैसे अमानवीय घटनाओं का शिकार हो रही है। जंगल विभाग, ठेकेदार, प्रशासन तीनों तरफ से आदिवासियों को लूटा जा रहा है। उनका घर जंगल उनसे छीना जा रहा है और उनकी अस्मिता और अस्तित्व पर संकट बढ़ता जा रहा है। प्रतिरोध के रास्ते पर चलते हुए मिटते जाना उनकी मजबूरी और उनका यथार्थ बनता जा रहा है। आज भी आदिवासी स्त्रियाँ अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. केदार प्रसाद मीणा (सम्पादक), आदिवासी कथा जगत, अनुज्ञा प्रकाशन, नई दिल्ली (2016)
2. रणेन्द्र- 'रात बाकी एवं अन्य कहानियाँ', राजकमल ध्रकाशन, नई दिल्ली (2010)
3. अरूण प्रकाश 'बेला एक्का घर लौट रही है', अवंतिका प्रकाशन गाजियाबाद (2013)
4. जयश्री राय 'खारा पानी', www हिन्दी समय डाट कॉम

समकालीन हिन्दी काव्य में नारी चेतना

डॉ० ममता मिश्रा
शोध निर्देशिका,
हिन्दी विभाग,
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
जमुनीपुर, कोटवां, दुबावल, प्रयागराज

*****ज्योति अवस्थी***
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग,
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
जमुनीपुर, कोटवां, दुबावल, प्रयागराज

प्रस्तावना

समकालीन हिन्दी कविता में नारी के गरिमामयी एवं आस्थामय रूप को प्रधानता दी गई। इन्हीं समकालीन हिन्दी कविता में नारी का स्वर आस्थावादी हो उठा और वह अपने मूल्य एवं महत्व से अनभिज्ञ नहीं रही। समकालीन हिन्दी काव्य में महिला लेखिकाओं एवं लेखकों ने भी हिम्मत और ईमानदारी के समस्याओं, कमजोरियों व वर्जनाओं को बखूबी प्रस्तुत किया है तथा नारी मन की शंका-आशंका, उनके साथ हो रहे अन्याय का विडम्बनाओं का चित्रण किया और इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान से जुड़ी भविष्य में आने वाली भयावह स्थिति के प्रति भी सचेत किया है।

हिन्दी काव्य साहित्य की परम्परा में नारी का चित्रण विविध रूपों में तथा उसके संघर्षों का भी चित्रण मिलता है। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल के साहित्य में नरी की उपस्थिति हमेशा रही यह अलग बात है कि हर काल में वह अलग रूपों में मौजूद रही। समकालीन हिन्दी काव्य में नारी पात्रों का संघर्ष पुरुषों के खिलाफ नहीं बल्कि उस वातावरण के खिलाफ है जिसमें वह जीने को मजबूर है, जिसे वह बदलना चाहती है। इस युग की शिक्षित नारी अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को पहचान, अपनी दुर्दशा के प्रति अधिक सजग व सतर्क हो उठी है।

समकालीन हिन्दी काव्य में आधुनिक नारी की मनःस्थिति एवं दफ्तरी जीवन, पारिवारिक जीवन में स्त्री-पुरुष सम्बंधों आदि विषयों को कवियों एवं कवयित्रियों ने रेखंकित किया है। काव्य लेखन के क्षेत्र से महिलाओं के आगमन के बाद समाज को देखने और परखने की एक नई दृष्टि और दिशा मिली। उन्होंने वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष के बदलते संबंध पुरुष का अहम्, परम्परा एवं रूढ़ियों को तोड़ती हुई अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती नारी के साथ-साथ समाज में व्याप्त शोषण, दमन, अत्याचार, छल-छद्म एवं मध्यमवर्गीय परिवार की हताशा, निराशा, विवशता, घुटन आदि को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। हिन्दी की समकालीन कवयित्रियों ने बहुत बार भारतीय मिथकीय नारी

पात्रों के माध्यम से भी आज की नारी को आवाज दी है। इस आवाज देने के सबके अपने-अपने ढंग रहे है। महिला लेखन काव्य में जिन मिथिकीय नारी पात्रों को प्राय: आधार बनाया गया वे है- द्रोपदी, सीता, गांधारी, शकुन्तला, यशोधारा आदि समकालीन कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भी रही कि इस काल की कविता ने नारी की असहाय अवस्था नष्ट करके उसकी परंपरागत दासत्व की व्यथा को वाणी दी। प्राचीन काल से नारी की स्थिति के बारे में भिन्न-भिन्न विचार पाये जाते है। जैसे-जैसे समाज बदलता गया वैसे-वैसे नारी में भी बदलाव आता गया। आज की नारी सुशिक्षित है। पुरुष के समान घर से बाहर जाकर अर्थोपार्जन कर रही है। नारी भावुक होने के कारण किसी स्थिति का तटस्थ विष्लेषण करे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। इसका कारण अगर हम ढूँढने जाये तो यह मिल सकता है कि आज भी नारी कार्यालयीन दायित्व से ज्यादा पारिवारिक दायित्व को महत्व दे रही है। नागार्जुन की 'भिक्षुणी' कविता के मातृत्व की लालसा का मनोवैज्ञानिक निरूपण हुआ है-

"कोई एक होता कि जिसको
अपना मैं समझती
भले ही वह पीटता, भले ही मारता
किन्तु किसी क्षण में प्यार भी करता
जीवन रस उड़ेलता, मेरे रिक्त पात्र में
भूख मातृत्व की मेरी मिटा देता
स्त्रीत्व का सुफल पाकर आयास
धन्य मैं होती। कृकृत्य होती"

हरीश व्यास ने 'औरत कुदरत और हम' काव्य संग्रह में चिरकाल से चली आ रही स्त्री की त्रासदी, विवशता समाज में उसकी स्थिति को रेखांकित किया है। विकृत मानसिकता और जीवन के दोहरे मापदण्ड को कवि ने 'औरत एक' कविता में दर्शाया है-

"जिज्ञासा का अन्त
        उदास चेहरो पर
सायास ओढ़ी मुस्कान
        लक्ष्मी के आगम
यह है मेरे जन्म की सूचना,"

समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री लेखन का स्वर काफी मजबूती से उभरा है। पुरुषों के साथ स्त्री रचनाकारों ने अपनी पीड़ा और अनुभव को बखूबी उकेरा है। स्त्री-मुक्ति इस दौर में लिखी जा रही कविताओं का प्रमुख स्वर है। निर्मला पुतुल ने लिखा है-

'मैं कविता नहीं/शब्दों में खुद को रचती देखती हूँ/
अपनी काया से/बाहर खड़ी होकर अपना होना'

समकालीन कविता में चित्रित नारी स्वतंत्र रूप में तो चित्रित हुई है, फिर भी पुरुषों की क्रूरताएं, धूर्तताएं, कुंठित एवं दमित भावना की शिकार हो रही है। दोहरे कार्यभार को संभालकर भी पारिवारिक जीवन में वह संभालकर भी पारिवारिक जीवन में वह–सुखी नहीं है। पुरुष नीति इस प्रकार की रहती है कि पुरुष नारी से 'पतिव्रत' की अपेक्ष तो करता है किन्तु वह स्वयं पत्नीव्रत से दूर रहता है। यहाँ कवि नारी को समान प्रतिष्ठा प्रदान करता है और उसके स्वतंत्र अस्तित्व की मान करता है। दुष्यन्त कुमार 'एक कण्ठ विषयापी' में लिखते है–

"पत्नी की मर्यादा
पति की मर्यादा से होती है।"

नारी चित्रण का एक सशक्त रूप समकालीन कविता में दिखाई देता है। नारी की विवशताओं को उभारकर नारी के संरक्षण का आह्वाहन करती है। इस काल की कविताएं समकालीन कविता की सीमा किसी एक दिशा तक ही सीमित नहीं हैं। जीवन की विभिन्न दशाओं एवं प्रसंगों तथा स्थितियों का बड़ी सजीवता के साथ चित्रण किया गया है। कवयित्री 'अनामिका' की कविता 'बेवजह' की पंक्तियाँ बहुत ही मार्मिक दृष्टव्य है–

"अपनी जगह से गिर कर
कही के नहीं रहते
केश, औरते आँखें और नाखून।"
अन्वय करते थे किस लोक को ऐसे
हमारे संस्कृत टीचर।
और मारे डरके जम जाती थी
हम लड़किया अपनी जगह पर।
जगह? जगह क्या होती है?
यह वैसे घात लिया था हमने
अपनी पहली कथा में ही।"

समाज में पहले औरत की स्थिति चार दीवारी के अंदर रहने वाली थी, लेकिन आज उसमें ताकत आ गई है जिसके कारण वह अपनी मुश्किलें हल कर सकती है। समकालीन कवि नारी मन का अधिक विस्तार करने के साथ समाज के बंधनों से उसे मुक्त कराकर उसका स्वतंत्र अस्तित्व करता है। शिक्षा के करण नरी में उत्पन्न स्वतंत्रता का भाव, नारी के उद्धार का प्रश्न उपस्थित हुआ। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे नारी के मन और शरीर दोनों को सामाजिक एवं धार्मिक नियमों की जंजीरों से मुक्त किया।

समकालीन कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि समकालीन कविता नारी की असहाय

अवस्था नष्ट करके उसकी परम्परागत दासत्व की व्यथा को वाणी दी, साथ ही पुरुष के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया।

संदर्भ सूची

1. हिन्दी कविता का परिदृश्य एवं नन्द चतुर्वेदी, पृ0 67
2. भिक्षुणी, नागार्जुन कविता कोश, पृ0 41
3. इक्कीसवीं सदी की हिन्दी स्त्री कविता आशय और अभिव्यक्ति, पृ0 43
4. दुष्यन्त कुमार, पृ0 43

Vol. 19 January– June. 2024 ISSN: 2278-0408 **Impact Factor: 5.375**

भारत और जलवायु परिवर्तन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

डॉ० आनन्द कुमार चौबे
एडवोकेट, हाईकोर्ट
नहवाई माण्डा रोड, मेजा,
प्रयागराज

विषय-प्रवेश

सन् 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर 5 जून से 16 जून तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपरान्त पर्यावरण संबंधी चिन्ता ने पूरे विश्व का ध्यानाकर्षण किया है। पर्यावरण को लेकर भारत की शुरू से ही सक्रिय सहभागिता रही है। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने स्टॉकहोम, में आयोजित सम्मेलन को स्वयं सम्बोधित किया। पर्यावरण की सुरक्षा विषयक सम्पन्न इस सम्मेलन के बाद विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता की श्रृंखला बन गयी और अगले दो दशकों में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कुछ देशों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये।

उदाहरण के लिए, सन् 1987 में ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले पदार्थों के प्रभाव के रोकथाम करने सम्बंधी मांट्रियल प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे जो सन् 1989 में पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। मांट्रियल प्रोटोकॉल समझौते पर भारत भी हस्ताक्षर करने वाला एक राष्ट्र था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय उपक्रमों में भारत की सक्रिय भूमिका रही।

यद्यपि सन् 1990 के प्रारम्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण (सुरक्षा) विषयक वार्ता का ध्यान जलवायु परिवर्तन विषयक मुद्दे पर केन्द्रित हो गया, पिछले दो दशकों से वैज्ञानिकों के बीच मानवजनित (मानव द्वारा उद्दीप्त) जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न खतरों को लेकर आम सहमति बनी। ग्रीन हाऊस गैस समूह ने सन् 1985 में एक सलाहकार समिति का गठन किया जिसका कार्य ग्रीन हाऊस गैसों के प्रभाव के विषय में अध्ययन करना था। यह सलाहकार समिति अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संयोजन परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान सम्बंधी संगठन के द्वारा संयुक्त सहमति से गठित की गई थी। सन् 1988 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-शासकीय एवं विज्ञान-विषयक निकाय के समान अन्तर - शासकीय नामिका [Intergovernmental panel (IPCC)] की स्थापना हुई थी। इस निकाय को जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव के विषय में एक

ध्येय के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। चार वर्षों बाद, सन् 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन (Rio Earth Summit) आयोजित किया गया था जिसमें जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के बजारीकरण उन्मूलन् सम्बन्धी सम्मेलन और जीव विज्ञान विषयक विविधता पर सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्रतंत्र सम्मेलन पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की थी। इसी शिखर सम्मेलन में सत्त विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र आयोग की भी स्थापना की गयी थी। रियो शिखर सम्मेलन एक आधारभूत क्षण था जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता को समझौतों का आधार बनाया गया।

सन् 1992 से रियो पृथ्वी सम्मेलन से प्रारंभ होकर 2015 में पेरिस में हुए 21 दलों के सम्मेलन तक सम्पन्न हुई वार्ताओं में भारत की सहभागिता का इतिहास एवं उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया है। भारत की जलवायु नीति पर वृहद् विदेश नीति को देखते हुए, भारत की प्राथमिकताओं और उसके अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उद्भव को भी सन्दर्भित किया गया है।

भारत की जलवायु स्थिति :-

शुरू से ही भारत इस बात पर दृढ़तापूर्वक दावा करता आ रहा है कि विकसित राष्ट्रों की यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे संचित ग्रीनहाउस गैसों जो कि आज के दिन भी निरन्तर संचित हो रही हैं, पर ध्यान दें। भारत का यह दृढ़तापूर्वक दावा एक ऐतिहासिक के साथ वैज्ञानिक तथ्य दोनों है जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। यथापि यह विवाद विनयपूर्ण और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी की गणना कब से की जानी चाहिए। इसके लिए एक छोटे से विस्तार विवर्धन की आवश्यकता है।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है। कभी–कभी GHG को उत्सर्जन भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रान्ति और आनुवंशिक परिवर्तन ने इस प्रकार की गैसों को भारी मात्रा में उत्सर्जन की गति में तेजी से वृद्धि की है। इसका अर्थ यह था कि विकसित देश जो प्रारम्भ में ही औद्योगिकीकरण में संलग्न थे, वे बहुत भारी मात्रा में GHG का उत्सर्जन बहुत समय पहले से ही कर रहे हैं। सन् 1850 से 2012 तक होने वाले GHG उत्सर्जन पर किए गए एक प्रक्षेपण पर आधारित अध्ययन में यह पाया गया कि अमेरिका, यूरोपियन संघ और चीन – केवल यही तीन देश मिलकर कुल GHG उत्सर्जन का 49: 21वीं सदी में कर रहे हैं। अमेरिका अकेले ही कुल संग्रहीत GHG का 21 प्रतिशत उत्सर्जन कर रहा है। इसके उपरान्त यूरोपीय संघ 17 प्रतिशत और चीन 12 प्रतिशत GHG उत्सर्जन कर रहा है। ठीक इसी समय भारत विश्व स्तर पर उत्सर्जित GHG का केवल 5 प्रतिशत उत्सर्जित कर रहा है। इस प्रकार यदि GHG के ऐतिहासिक उत्सर्जन की गणना की जाए जो कि जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी को निर्धारित करता है, तो विकसित देशों

को ही जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दोषी माना जाना चाहिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता में (Global Climate Change Negotiation) यहाँ तक कि रियो शिखर सम्मेलन, 1992 में भी भारत की यही स्थिति रही है।

इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ दशकों में समान रूप से अपेक्षित पर्याप्त विकास के बाद भी भारत की आज भी एक तिहाई जनसंख्या गरीबी में जीवन व्यतीत करती है, जिसके कारण भारत गरीब देशों की श्रेणी में आता है। सन् 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1,700 USD प्रतिवर्ष थी जो अमरीका से अत्यधिक पीछे प्रति व्यक्ति 57,500 USD GDP है, चीन की भी प्रति व्यक्ति GDP 8,100 USD है जो भारत से बहुत अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ठोस कदम की आवश्यकता है जिसके लिए सुलभ और भारी मात्रा में ऊर्जा आवश्यक है ताकि भारत अपनी जनता को नैतिक रूप से गरीबी से उभार सके। इस प्रकार भारत की तरु से तर्क दिया गया कि विकासशील देशों पर थोपी गई जिम्मेदारियाँ, जिनकी सहन करने की क्षमता बहुत कम हो, अनैतिक हैं और व्यावहारिक नहीं हैं। इसलिए यद्यपि विकासशील देशों में उत्सर्जन में कटौती की जा रही है, फिर भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता का मूल्य विकसित देशों द्वारा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि (क) GHG उत्सर्जन का सबसे अधिक भाग ऐतिहासिक रूप से अभिदान कर रहे हैं; (ख) प्रति व्यक्ति भारी मात्रा में GHG उत्सर्जित कर रहे है, और (ग) विकसित देशों के पास इस भार को झेलने की ताकत है क्योंकि वे समृद्ध हैं। यह रियो शिखर सम्मेलन से ही वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत के सिद्धान्त का आधार बनी हुई है।

यथापि, पिछले कुछ वर्षों में भारत की जलवायु के स्वरूप में विकास हुआ है, जिसके समझने की आवश्यकता है। आगामी वर्ग, अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारत की ऐतिहासिक भूमिका पर चर्चा की गयी है।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताएँ :-

सन् 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने भाषण में कहा था कि पाश्चात्य विकसित देश वैश्विक पर्यावरण-सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करने में सर्वाधिक योगदान करते हैं। पर्यावरण की इस ऐतिहासिक क्षति के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। यह विचार भारत की जलवायु नीति का केन्द्रीय स्तम्भ बन गया। भारत की जलवायु स्थिति के बारे में सन् 1991 में विज्ञान और पर्यावरण केंन्द्र की ओर से प्रकाशित "Global Warming in an Unequal World" में कहा गया कि बड़ी संख्या में औद्योगीकरण के कारण, चूँकि विकसित देश ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। विकसित देशों पर पर्यावरणीय उपनिवेशवाद का दोषारोपण करने के अतिरिक्त यह भी विचार दिया गया कि प्रत्येक देश के प्रतिव्यक्ति GHG उत्सर्जन के आधार पर ही जिम्मेदारी सौंपने का मापदंड अपनाना चाहिए।

सन् 1992 में आयोजित रियो शिखर सम्मेलन :-

जलवायु वार्ता के प्रारम्भिक वर्षों में, भारत ने विकसित देशों पर दबाव डालने के उद्देश्य से समूह-77 (G-77) जैसे पूर्वस्थापित विन्यासों के माध्यम से विकासशील देशों को संग्रहीत कर जलवायुवार्ता में अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया।

सन् 1992 में आयोजित रियो शिखर सम्मेलन में विकसित देशों को अपने GHG के उत्सर्जन में भारी कमी करते हुए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा गया जबकि विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बनाए रखने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ करने को कहा गया। विकासशील देशों की यह स्वैच्छिक प्रतिबद्धता, विकसित देशों के द्वारा सशर्त वित्तीय और तकनीकी सहायता पर निर्भर थी। इसका श्रेय भारत को जाता है कि रियो शिखर सम्मेलन में विकासशील और विकसित देशों के बीच मूल जलवायु स्थिति पर जलवायु वार्ता में भिन्न-भिन्न जिम्मेदारी साझा करने पर कुछ अंशों को स्वीकार कर लिया गया। रियो शिखर सम्मेलन में ग्रहण किए गए यू एन एफ सी सी सी (UNFCCC) में वाक्यांश आम परन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियाँ (सी बी डी आर) को सम्मेलन के अनुच्छेद 3 में शामिल कर लिया गया था जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि विकसित देशों द्वारा अधिक जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। इसी प्रकार यू एन एफ सी सीसी के उसी अनुच्छेद में ग्रहण किए गए वाक्यांश सम्मानजनक क्षमताओं [Respective Capability (RC), के माध्यम से देशों के बीच क्षमताओं के अन्तर को पहचाना था। यह ध्यान देने की बात है कि CBDR और RC वाक्यांशों को रियो शिखर सम्मेलन में ग्रहण करना विकासशील देशो की एक महत्त्वपूर्ण विजय थी और भारत ने उन्हें संकल्प कराने और उसे यथार्त रूप प्रदान कराने में अहम् भूमिका निभाई।

क्योटो प्रोटोकॉल 1997 :-

रियो शिखर सम्मेलन में जलवायु वार्ता में अभिव्यक्त महत्त्वपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लेने के बाद जीत प्राप्ति की सफलता ने भारत को उसी रणनीति के साथ दृढ़तापूर्वक जलवायुवार्ता का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत निरन्तर वैश्विक जलवायुवार्ताओं में विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सन् 1995 में हुई बर्लिन संधि (अधिपत्र) में पहुंचने

में उसका महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा है जिसमें उत्सर्जन के बाध्यकारी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक वार्ता प्रक्रिया सम्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरूप सन् 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल में सी बी डी आर और आर सी सिद्धान्तों को जो रियो शिखर सम्मेलन में ग्रहण किए गये थे, अस्वीकार नही किया गया। यू एन एफ सी सी सी के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध पार्टियाँ जो विकसित देशों की थीं के द्वारा (GHG) निर्धारित मात्र में उत्सर्जन की जाने वाली कमी की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरी तरफ विकासशील देशों को उत्सर्जन की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता के लिए बाध्यता मुक्त किया गया। इस प्रकार भारत बिना किसी बाध्यकारी लक्ष्यों से सहमत हुए अपने मूल हितों की रक्षा करने में सक्षम रहा। जबकि उसी समय वह विकसित देशों को मजबूत कदम उठाने के लिए दबाव बना रहा था। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच के अंतर को निरंतर संहिताकरण के द्वारा, भारत ने अपने लिये भी अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली है और भविष्य में किसी विषय पर होने वाली बहस को प्रभावित करने में सक्षम हो गया है।

कोपेनहेगेन एकॉर्ड, 2009 :-

क्योटो प्रोटोकॉल, जब तक कि एक नये समझौते के आधार पर नवीनीकृत न हो जाय, के समाप्ति का समय सन् 2012 निर्धारित किया गया था। बुश प्रशासन के अन्तर्गत सन् 2001 में अमेरिका के क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो जाने के परिणामस्वरूप जलवायु सम्बंधी समझौतों के भविष्य में अनिश्चित्ता की स्थिति उत्पन्न हो गई। सन् 2007 से 2009 के अन्त तक नये जलवायु सम्बंधी समझौतों के लिए वार्ताएँ हुई जिसमें जलवायु व्यवस्था को सन् 2012 के बाद ध्यान देने का निर्णय हुआ।

इस बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य ने सन् 2007 में 7 से 18 दिसम्बर तक कोपेनहेगन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगुआई में भारत की जलवायु नीति में हल्का बदलाव किया। इससे पूर्व दलों के 13वें सम्मेलन में (जो सी ओ पी 13 नाम से प्रसिद्ध है) जो सन् 2007 में UNFCCC के लिए बाली में सम्पन्न हुआ था, भारत ने इस सिद्धान्त कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन शमन (जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए) के प्रयासों में अपनी क्षमता के अनुसार स्वेच्छापूर्वक भाग लेना चाहिए, पर सहमत हो गया था। इसके बाद सन् 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) बनाई गयी। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के प्रारम्भ होने से पूर्व भारत और अन्य बेसिक देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पादों के द्वारा उत्सर्जन तीव्रता को सन् 2005 की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को घोषित किया। उत्सर्जन की तीव्रता जी.डी.पी. की प्रति युनिट उत्सर्जन की मात्रा को सूचित करती है। इसका मतलब था कि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की प्रति इकाई कम कार्बन उत्सर्जन परन्तु यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

हो रही है तो उत्सर्जन की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है। परिणामदायक उत्सर्जन की कमी की माप असंदिग्ध कमी है जो पूर्ण उत्सर्जन में होने वाली कमी है। इसलिए उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करने की प्रतिबद्धता एक उग्र कदम नहीं था, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल वार्ता के समय भारत ने किसी भी प्रकार की ऐच्छिक प्रतिबद्धताओं को करने से मना कर दिया था, इसलिए बेसिक देश भी प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन में मूलभूत कमी करने के लिए सहमत हो गए।

सी. ओ. पी. 16 से सी. ओ. पी. 27 :-

भारत की जलवायु नीति में हुए बदलाव की छाप, बाद में हुई जलवायु सम्बंधी वार्ताओं में बहुत अधिक दृष्टिगोचर हुई। सी. ओ. पी. 16 केनकन में सम्पन्न हुआ। भारत ने एक कठोर और अपनी परम्परागत स्थिति में क्रान्तिकारी विराम लिया और घोषणा की कि सभी देशों को वैधिक रूप से प्रतिबद्धता स्वीकार करनी चाहिए। सी.ओ.पी. 16 में भारत सामान्यतः पारदर्शिता के मुद्दे पर एक रचनात्मक भूमिका निभाते हुए देखा गया था। पिछले वर्षो में अपनाई जाने वाली कठोर रणनीति के विरुद्ध भारत एक लचीले दृष्टिकोण अपनाने का समर्थक था। पारदर्शिता के मामले में पूर्व में हुई वार्ताओं में यह विशेष रूप से सत्य है कि भारत के वार्ताकार आगे बढ़ने के पक्षधर नहीं थे क्योंकि वे इसे भारत की सम्प्रभुता पर प्रभावी होने के रूप में देखते थे। तथापि इस बदलाव को भारत के तत्कालीन पर्यावरण और जलवायु मंत्री श्री जयराम रमेश की व्यक्तिगत मान्यताओं के रूप में देखा गया था। भारत के घरेलू विपक्षी दलों के सदस्यों ने साथ ही भारत की वार्ताकार समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने भारत के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था, दूसरे वर्ष इसी प्रकरण को लेकर जयन्ती नटराजन को जयराम रमेश के स्थान पर नया पर्यावरण मंत्री बनाया गया। नये पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में सन् 2011 में आयोजित सी. ओ. पी. 17 नें भारत के द्वारा सी. ओ.पी. 16 में उल्लेखित कुछ बदलावों को पलट दिया गया और भारत की पारम्परिक जलवायु स्थिति एक बार फिर प्रमुख केन्द्र बन गयी। भारत ने कानूनी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं (ढांचे) पर हस्ताक्षर करना अस्वीकार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गो द्वारा आम सहमति विकसित न करने की कमी के मुख्य कारण के रूप में भारत को दोषी होने का आरोप लगाया गया। तो भी सी. ओ. पी. 17 ने विकासशील देशों के द्वारा अधिक जिम्मेदारियां स्वीकार करने के सम्बंध में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी और सी. ओ. पी. 13 की बाली एक्शन प्लान को डरबन प्लेटफार्म की वर्धित कार्रवाई के साथ पुनर्स्थापित किया गया था। डरबन प्लेटफार्म ने सी. बी. डी. आर. के महत्त्व का कोई सन्दर्भ नहीं दिया और उसके स्थान पर सन् 2015 तक वैश्विक समझौते की मांग की। सी.बी. डी. आर. की चूक और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऐतिहासिक दायित्व ने अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की राजनीति में एक बदलाव का संकेत दिया। कोपेनहेगन एकॉर्ड द्वारा शुरू किया गया बॉटम-अप प्रतिबद्धता का सिद्धान्त का दृष्टिकोण अब एक

नया मानदण्ड बन गया। ठीक यही क्रम (Trend) सन् 2012 में दोहा में आयोजित सी. ओ. पी. 18 में भी जारी रहा था। सन् 2013 में वारसा में आयोजित COP-19 में यह आगे और गतिशील हई, जब "राष्ट्र द्वारा निर्धारित प्रतिबद्धताओं का विचार प्रस्तावित किया गया था। बाद में यह लीमा में सन् 2014 में आयोजित सी. ओ. पी. 20 में" प्रयोजित राष्ट्र द्वारा निर्धारित प्रतिबद्धताएँ के रूप में ग्रहण कर ली गयी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (UNFCCC) में शामिल राष्ट्रों का 27वॉ सम्मेलन सी.ओ.पी.-27 मिस्र में शर्म-अल-शेख में 6 से 20 नवम्बर 2022 को सम्पन्न हुआ। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह सुक्री की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सोनक सहित 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35 हजार प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने भागीदारी दर्ज की। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने किया। इस सम्मेलन में क्लाइमेट फण्डींग का मुद्दा काप-27 में भी प्रधान रहा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रगति "लॉस एण्ड डैमेज फण्ड" के गठन के लिये विकसित देशों की सहमति की रही और अगली बैठक कॉप-28 संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2023 में हुआ।

पेरिस समझौता :-

पेरिस में आयोजित सी. ओ. पी. 21 के नेतृत्व में सभी देशों ने जिन्होंने सन् 2030 तक उत्सर्जन को कम करने की अपनी योजनाओं को रेखांकित किया था को अपने आई. एन. डी. सी जमा करना पड़ा। भारत ने सन् 2015 के अक्टूबर में अपना आई. एन. डी. सी. प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी बृहत् प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत की। इन प्रतिबद्धताओं में सन् 2030 तक स्थापित सकल विद्युत क्षमता का 40: शुद्ध और स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता की स्थापना की प्रतिबद्धता भी शामिल थी। भारत में सन् 2005 के उत्सर्जन स्तर से सन् 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता का वचन दिया है। इसके अतिरिक्त कार्बन सिंक के विकास की घोषणा करने के साथ ही अतिरिक्त वन और वृक्षारोपड़ के कवर की स्थापना के माध्यम से सन् 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड के उत्पादन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत सरकार के साथ-साथ अनेक अन्य पर्यवेक्षकों ने इन लक्ष्यों को बहुत ही उदारतावादी दृष्टिकोण से देखा।

इसका विशेष कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तीव्रता दर के आधार पर जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में भारत अन्यों की अपेक्षा कम अपराधी है। इस प्रकार के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की स्थापना ने पेरिस समझौते में भारत की भूमिका की अपेक्षा में वृद्धि की। भारत ने भी वैश्विक सौर गठबंधन के शुभारंभ के साथ सक्रियता को व्यक्त किया जो कि देश के लिए 2022

तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य के आक्रामक विस्तार के लिए एक साक्ष्य है।

भारत की जलवायु नीति को समझना :-

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सन् 1992 के रियो शिखर सम्मेलन के समय से पेरिस समझौते (2015) के समय तक भारत की जलवायु नीति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। भारत ने सन् 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यों के साथ पेरिस समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। जलवायु ऐक्शन ट्रेकर (C.A.T.) के द्वारा जारी की गई एक रिर्पोट में तीन शोध संगठनों के एक स्वतन्त्र वैज्ञानिक विश्लेषण संघ ने भारत के जलवायु शमन प्रयासों के विषय में कहा- भारत की वर्तमान जलवायु नीतियाँ इसके 2030 में गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य प्राप्त करने तक दिखायी देगी तथा इसकी उत्सर्जन तीव्रता के शमन के अति उपलब्धि का लक्ष्य जो पेरिस समझौते में प्रस्तुत किया गया था, प्राप्त होगा। यदि भारत पूर्णतया अपनी लिखित (क्तंजि) विद्युत परियोजना (सी. ए. टी. निर्धारण में योजनाबद्ध नीति मार्ग के रूप में प्रदर्शित) को भी कार्यान्वित करे तो यह अपने क्षमता लक्ष्य को आठ वर्ष पहले ही प्राप्त कर सकेगा। इसमें सन् 2014 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका मुख्य है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तियों ने इस संक्रमण में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत की जलवायु सम्बन्धी सोच में बदलाव के कारण कुछ व्यापक कारकों की ओर ध्यान देना आवश्ययक है। यहाँ विशेष रूप से दो कारकों पर विस्तार में विचार किया जाएगा। वे कारक हैं- भारत की बदलती विदेश नीति की प्राथमिकताएं तथा एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का उदय।

भारत की बदलती विदेश नीति की प्राथमिकताएँ :-

सन् 1990 के दशक के प्रारम्भ से सन् 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ भारत की विदेश नीति धीरे-धीरे वैचारिक कम और व्यावहारिक अधिक होने लगी। इस प्रकार Non -Aligned या अन्य अमूर्त नैतिक दृष्टिकोणों के आधार पर विचारधारात्मक विचारों के विपरीत भारतीय हितों को प्राथमिकता दी गई। यह महसूस करते हुए भी कि समूचे विश्व का अमेरीका के साथ ध्रुवीकरण हो रहा था, भारत ने अमेरिका से अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए विधिपूर्वक कदम उठाया। विदेश नीति में इस नये व्यवहारवाद का एक बड़ा उदाहरण इज़रायल के साथ भारत के दो दशकों से बढ़ते सम्बन्ध हैं जो राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं। विश्व रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के सम्बंध में इससे पूर्व फिलीस्तीनी राष्ट्रीयता के लिए अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण भारत और इजराइल के बीच सम्बंध बहुत सीमित थे जबकि भारत ने फिलीस्तीनी कारणों के लिए अपना समर्थन

नहीं छोड़ा है, उसने व्यावहारिक रूप से इजरायल के साथ अपने सम्बन्ध विकसित किए हैं। इस प्रकार भारत की विदेश नीति में व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी गयी है।

एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का उदय :-

सन् 2014 में चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में भारत की स्थिति में गति और क्रान्तिकारी बदलाव आया। इसके पूर्व की कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नीतियों और स्थितियों को खारिज कर दिया जो भारत की नयी भूमिका के साथ मिलकर विश्व शक्ति के रूप में उभरी थीं। यद्यपि कांग्रेस सरकार गठबंधन की सरकार होने के कारण ये प्रयास विस्तार से नहीं कर पा सकी थी। सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद नवनिर्वाचित शक्ति – सम्पन्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मजबूत स्थिति स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया। जलवायु शमन के प्रयासों के विषय में अनिच्छुक और चुप रह जाने के बजाय भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। इस पहल का सबसे पहला परिणाम (फल) है– अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। यह समझना है कि जबकि सत्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कार्यशैली द्वारा भारतीय कूटनीति में एक नयी ऊर्जा का संचार कर दिया है। जिससे जलवायु परिवर्तन सहित पूर्व सरकार की कई नीतियों के महत्त्वपूर्ण सार–युक्त शर्तों की निरंतरता बनी हुई है। यह ऐसा इसलिए है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत ने अधिक दायित्वों की साझेदारी करने के लिए इच्छा में वृद्धि की है। यह सब केवल प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं के कारण ही नहीं चलाई जा रही है, इसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में भारत के मुख्य शक्ति के रूप में उदय होना है।

अमृता नार्लीकर ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की वार्ता सम्बन्धी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए 2007 में प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया कि भारत प्रमुखता–पूर्वक एक कठोर वितरण की रणनीति का पालन करता है और एकीकृत रणनीति का विरोध करता है। वितरण की रणनीति में उच्चकोटि की शुरूआती मांग सभी रियायतों को स्वीकार करना या प्रक्षय देना, किसी की न्यूनतम जरूरतों और प्राथमिकताओं को अतिरंजित करना, दूसरों के अहित और हानि सम्बन्धी सूचनाओं का हेर–फेर करना, दूसरों के मुद्दों या प्रकरण को जामिन बनाना, भय उत्पन्न करने के लिए विधिक शिकायतें दर्ज करना और आर्थिक दण्ड लगाना आदि विषय आते हैं। इसे जीत–हार की रणनीति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि एक पार्टी की जीत का निश्चित मतलब दूसरी पार्टी की हानि है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में ऐसी रणनीति आमतौर पर एक रक्षात्मक देश द्वारा अपनाई जाती है जिनके पास अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली

को आकार देने की बहुत सीमित शक्ति होती है। इस प्रकार ऐसे देश कठिन वार्ताकार बनने का प्रयत्न करते हैं, शाश्वत नैतिक सिद्धान्तों को नहीं मानते और कुछ भी नहीं करने को तैयार रहते हैं क्योंकि किसी समझौते जिससे वे भयभीत होते हैं, पर पहुँचने से उन्हें कुछ न करना ठीक लगता है। भारत की जलवायु वार्ता की पहले के वर्षों में रणनीति स्पष्ट रूप से एक वितरक की थी जिसने एक कठिन भागीदार होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। हालाँकि पिछले दशक में भारत के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय के साथ यह एकीकृत की रणनीति अपनायी है जो विशेषतः भारत की जलवायु नीति में बदलाव की साक्षी है। एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रायः विजय-विजय दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें परस्पर लाभप्रद उपलब्धियों का प्रयत्न करना सन्निहित है। इस प्रकार की रणनीति में गड़बड़ी को खंडित करने के बजाय कार्रवाई को विस्तृत रूप देने की रूप-रेखा बनाना सम्मिलित है। यह एकीकृत रणनीति आमतौर से बड़ी शक्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है जो स्वयं में आत्मविश्वास रखती हैं और एक व्यवस्थित शक्ति होने के कारण क्रमबद्ध ढांचे से चलती हैं। इस प्रकार सन् 2000 के प्रारम्भ से लेकर 2000 के मध्य से अन्त तक भारत ने एकीकृत रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया था जो एक बड़ी शक्ति के रूप में उसके अनुकूल था।

निष्कर्ष :-

नवरोज के. दुबाश, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी.पी.आर.) में वरिष्ठ अध्येता हैं, ने भारत में सन् 2009 में प्रकाशित एक लेख में वैश्विक जलवायु शमन के प्रयासों, जो भारत में तीन प्रकार के समूहों या हितों द्वारा सुझाए गये हैं, को तीन प्रकार के जवाबों में वर्गीकृत किया। दुबाश के प्रतिमान पर भारत की जलवायु नीति को समझना आसान है।

दुबाश ने पहले समूह को श्ग्रोथ फर्स्ट स्टोनवॉलर्सश कहा और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वे हैं जो जलवायु शमन के प्रयासों के लिए जितना संभव हो सके, भारत को सलाह प्रदान करते हैं और उनके ऐतिहासिक दायित्व और उच्चतर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को लेकर विकसित देशों पर दायित्व या भार डालेंगे। भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी गंभीर प्रतिबद्धता उनके द्वारा आर्थिक विकास की क्षमता पर समझौता करने के रूप में देखी जाएगी और इस प्रकार वे इस प्रकार के किसी भी विकास की मुखालिफत करेगा। दुबाश ने इस समूह का निम्न प्रकार से वर्णन किया है- ग्रोथ फर्स्ट स्टोनवॉलर्स जलवायु पर होने वाली बहस को भारतीय हितों के खतरे के रूप में देखते हैं। वे बार-बार जलवायु विज्ञान को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं या न्यूनतम दबाव से कम जलवायु प्रभावों के खतरे से अधिक आवश्यक और वृद्धि को शमन के लिए खतरे के रूप में या अधिक के रूप में देखते हैं। स्टोनवॉलर्स जलवायु परिवर्तन वार्ता को औद्योगिक देशों द्वारा नयी और उभरती हुई आर्थिक शक्ति का भू-राजनीतिक

छल–कपट के रूप में और व्याख्या करते हैं विशेषकर चीन, ब्राजील और दक्षिणी अफीका को भारत के जलवायु परिवर्तनवार्ता के प्रारम्भिक वर्षों में, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन तक, कोई भी तर्क दे सकता है कि वैश्विक जलवायु शमन प्रयासों के लिए भारत की प्रतिक्रिया श्ग्रोथ फर्स्ट स्टोनवॉलर्सश के दृष्टिकोण से प्रभावित हुई थी।

दुबाश द्वारा वर्णित दूसरा समूह प्रगतिशील यथार्थवाद के रूप में सँवारा गया है जो इन के दृष्टिकोण से भारत जलवायु परिवर्तन के लिए थोपा गया है, जानकारों के लिए वास्तविक खतरा है। यद्यपि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के लिए संदिग्ध और संदेहास्पद हैं कि विकसित देश अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ रहेंगे। ये विकसित देशों के प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन को व्यक्त करने के लिए इंगित करेंगे कि पूर्ण उत्सर्जन पर बहस को केन्द्रित करके विकसित देश भारत जैसे देशों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहें हैं। इसलिए प्रगतिशील यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता के विषय में बहुत अधिक आशा नहीं रखते हैं और इसके बजाय तर्क देते हैं कि भारत को घरेलू स्तर पर सतत् हरित तंत्र (मॉडल) तक पहुंचने के लिए जितना हो सके उतना अधिक काम करना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु शमन प्रयासों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। दुबाश का तर्क है कि कई भारतीय NGO और पर्यावरण सक्रियवादियों की यही स्थिति है। यह तर्क दिया जा सकता है कि सन् 2000 के दशक के मध्य तक भारत की जलवायु नीति एक प्रगतिशील यथार्थवादी स्थिति की ओर अग्रसर थी। एक उदाहरण था 2008 में जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) को प्रारम्भ करना जो देश को विकास के धारणीय और हरित मॉडल की ओर ले जाने की माँग की थी। भारत में उद्यमी समुदाय ने भी जलवायु शमन के प्रयासों द्वारा प्रदान की जाने वाले आर्थिक अवसर को देखा और उसके समर्थक हो गये।

दुबाश द्वारा वर्गीकृत अंतिम समूह को प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीयतावादी कहा जाता है जबकि वे जलवायु परिवर्तन के खतरे के विषय में एक ही प्रगतिशील यथार्थवादी सोच को ही साझा करते हैं और विकसित देशों के बारे में ही उनकी प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित रखते हुए संदेह करते हैं। प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीयतावादी उनसे अलग हैं क्योंकि वे यह भी विश्वास करते हैं कि सक्रिय भारत अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु शमन के प्रयासों के लिए एक प्रक्षेप पथ का आकार ग्रहण कर सकता है। इसलिए वे तर्क देते हैं कि भारत को धारणीय और हरित विकास मॉडल के प्रति घरेलू स्तर पर आक्रामक प्रयासों का सतत पालन करना जारी रखना चाहिए। साथ ही भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वार्ता को प्रभावी करने के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न रहना चाहिए। दुबाश सन् 2009 में उल्लेख किया कि प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीयतावादी भारत में अल्पसंख्यक थे।

यद्यपि जलवायु परिवर्तन पर भारत की शीघ्र की गयी कार्रवाई प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीयतावादी

स्थिति के बहुत निकट चली गयी है। भारत की महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर लक्ष्यों जो कि पेरिस समझौते का एक भाग हैं और बाद के सामझौते त्वरित अनुसमर्थन इस बदलाव के संकेत हैं। भारत जलवायु परिवर्तन का सामना करने और अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन जैसी पहल के माध्यम से नेतृत्व कर रहा है जिससे वह अन्य देशों को जलवायु शमन प्रयासों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सक्षम बना रहा है। यद्यपि अभी यह देखने को बाकी है कि क्या भारत लम्बे समय तक इस पथ पर चल सकता है, विशेष रूप से यदि विकसित देश अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में नाकाम होते हैं। पेरिस सामझौते से अमेरिका के अलग होने के कारण वैश्विक जलवायु शमन के प्रयासों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी भी भारत को पारम्परिक जलवायु की स्थिति को पुनः वापस लाने की पूर्ण संभावना है। यदि विकसित देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल हो जाते हैं यद्यपि निकट भविष्य के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु शमन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रेरित है जो उसकी विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप है।

सन्दर्भ सूची

1. भारत की विदेश नीति, बी0एन0 खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, लैस्ली कुमार।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, बी0एन0 खन्ना, लैस्ली कुमार।
3. प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिकांक।
4. भारत की विदेश नीति, पुष्पेष पंत।
5. भारत की विदेश नीति, यू0आर0 घई।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति- बी0एल0 फाड़िया।
7. भारत की विदेश नीति- आर0एस0 यादव।
8. भारत की विदेश नीति- वी0पी0 दत्त।
9. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं व्यवहार- यू0आर0 घई।
10. जे0 बन्धोपाध्याय- The Making India foreign Policy
11. एम0एस0 राजन- Studies in India Foreign Policy
12. ए अप्पादोराय व एम0 एस0 राजन India Foreign Policy and Relation
13. सुरजीत मान सिंह- India Search of Power Indira Gandhi Foreign Policy
14. के0के0 पाठक- Nuclear Policy of India.
15. प्रेमलता शर्मा- India Foreign Policy.

21वीं सदी में भारत की विदेश नीति

डॉ० आनन्द कुमार चौबे
एडवोकेट, हाईकोर्ट
नहवाई माण्डा रोड, मेजा,
प्रयागराज

विषय-प्रवेश

21वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में परिवर्तन होने और भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय होने से भारत की विदेश नीति में एक आदर्शजनक बदलाव करना पड़ा। इस बदलाव को थोड़ा विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है।

सबसे पहला बदलाव का कारण था सन् 1991 में सोवियत संघ का विभाजन होने के कारण पतन होना जिसके परिणामस्वरूप शीतयुद्ध की समाप्ति और अमेरिका की अप्रत्याशित विजय प्राप्त होना था। सम्पूर्ण विश्व की द्विध्रुवीय व्यवस्था जो चार दशकों से विश्व पर प्रभावी थी वह समाप्त हो गई। जब तक विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था प्रभावी रही, सन् 1947 में आजाद हो जाने के बाद भारत का अस्तित्व इन दोनों महाशक्तियों-सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रमुख दूत की रही। इस प्रकार भारत की विदेश नीति को इस आकस्मिक आमूल परिवर्तन के कारण पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। दो महाशक्तियों के नेतृत्व वाले गुटों के बीच गुटनिरपेक्षता की भारत की नीति विश्व स्तर पर बहुत कम महत्वपूर्ण थी जहाँ अब कोई बड़े गुट नहीं रह गए थे। इसके अलावा, शीतयुद्ध के समय गुट निरपेक्ष होने के बावजूद भारत विचारधारात्मक और भू-राजनीतिक दोनों के चलते सोवियत संघ की ओर आकर्षित हो गया था। विचारधारात्मक दृष्टिकोण से, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के राजनेता पं. जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने पूँजीवाद की अपेक्षा समाजवाद को अधिक महत्व दिया। इस नेतृत्व ने भारत ने साम्यवादी विचारधारा वाले सोवियत संघ के साथ अधिक घनिष्ठता बढ़ाई और अमेरिका के पूंजीवाद का विरोध किया। भारत ने पश्चिम को संशय से देखा। इसका कारण था पाश्चात्य देशों की उपनिवेशवादी विचारधारा। सोवियत संघ और भारत के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध का मुख्य आधार था- रक्षा सम्बन्ध जो आज तक बरकार है, जब कि सोवियत संघ बिखर कर अब रूस तक ही सीमित रह गया है। भारत का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सोवियत संघ के प्रति प्राय: अधिक पक्षपातपूर्ण रहा है। भू-राजनीतिक रूप से पाकिस्तान का हार्दिक सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका से

अधिक था, और यही मुख्य कारण था भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता का जिससे अमेरिका का पाकिस्तान के साथ संबंध होने पर भी भारत–पाकिस्तान के बीच सन्तुलन बना रहे। उदाहरण के लिए, सन् 1971 में भारत–पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। और भारत को धमकाने के लिए हिन्द महासागर में बड़ा जहाज तैनात कर दिया। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोवियत संघ का सहयोग भारत के साथ था। भारत अमेरिका के इस विरोध को टालने में सक्षम था। इस तरह जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो भारत एकाएक अपने सबसे महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली सहयोगी से वंचित हो गया और जहां विश्व के अनेक राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में एक जुट थे, वहाँ भारत सबसे अलग–थलग अकेला हो गया। चूंकि सन् 1990 के दशक, विशेष रूप से 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति का क्षेत्र सुचारु रूप से चलाने में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इधर दो दशकों से चीन के महान शक्ति के रूप में उभरने से विदेश नीति का संचालन भारत के लिए और चुनौतीपूर्ण और जटिल हो गया।

दूसरे, सन् 1990 के दशक के आरम्भ में, भारत की उदार आर्थिक व्यवस्था बहुत तीव्रगति से विकासमान हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत विश्व पटल पर एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अब बहुत दिनों तक मध्यम स्तर की शक्ति के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, जो कि आज तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जिम्मेदारी साझा करने में सक्षम नहीं था, चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुरक्षा को लेकर रही हो या जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में रही हो। भारत विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गया जब इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी विशेष संघ का सदस्य के रूप में प्रवेश की मांग की। भारत अब बहुत दिनों तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध विकासशील देशों के साथ कटघारे में नहीं रहना चाहता था क्योंकि अब वह उस व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया था। यद्यपि भारत ने मित्र राष्ट्रों और उनके साथ सद्भावना को (Goodwill) गैर–गठबन्धन आन्दोलन (Non &Aligned Movement) का नेतृत्व करने के साथ अर्जित कर लिया था और भारत को उस सद्भावना को बरकरार रखना आवश्यक था जैसा कि वे अब भारत की उदार शक्ति और वैश्विक प्रभाव का हिस्सा बन गए थे। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के लिए विकासशील देशों के नेता के रूप में और विश्व स्तर पर उभरते हुए मुख्य शक्ति के रूप में सन्तुलन बनाने की ऐतिहासिक भूमिका एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

कई मायनों में भारत फिर भी अपनी विदेश नीति को इन दृष्टिकोणों के अनुसार नई दिशा देने के प्रयास में संलग्न है। 21वीं सदी में विदेश नीति को लेकर यह दृढ़ता–पूर्वक कहना भारत के लिए कठिन हो गया है जब तक कि यह संक्रमण का समय पूरा न हो जाए। जैसा कि किसी भी संक्रमण के समय के साथ, नये के साथ पुराने सह–अस्तिव के अवशेष के साथ, प्रवृत्तियों और व्यवहार की भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है।

यह अध्याय इस नयी शताब्दी में सैद्धान्तिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति को आकार प्रदान करने वाले कई कारक हैं जिन्हें मुख्य रूप से छह शीर्षकों में विभक्त किया गया है– 1. भू–राजनीतिक 2. आर्थिक 3. सैन्य 4. पर्यावरणीय 5. विचारात्मक एवं 6. सांस्कृतिक

भू–राजनीतिक कारक भारत की विदेश नीति की प्राय: भू–राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तीन प्रगाढ़ मंडलों में व्याख्या की गयी है। सबसे अन्तरतभ मंडल में दक्षिण एशिया शामिल है जो भारत का निकटतम पड़ोसी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रमुख शक्ति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक है, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना साथ ही बाह्य शक्तियों के प्रभाव को अपने पड़ोसी देशों के बीच रोकना है। निकटतम पड़ोस को बड़ी शक्तियों द्वारा प्राय: उनके बड़े प्रभाव क्षेत्र के रूप में विचार किया जाता है और आमतौर पर वे अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। भारत ने भी दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में ठीक ऐसा ही प्रयास किया है और बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप को दक्षिण एशिया में रोकने की मांग उठाई है। दूसरा मंडल/क्षेत्र जो कि और बड़ा है वो है एशिया और साथ ही हिन्द महासागर जहाँ भारत की सुरक्षा और आर्थिक हित समाहित हैं भारत ने इन क्षेत्रों में अन्य शक्तियों के प्रभाव को सीमित और संतुलित करने एवं अपनी रूचियों/हितों को सुरक्षित रखने की मांग की है। अंतिम मंडल/क्षेत्र है सम्पूर्ण विश्व जिसमें भारत ने अपने हितों को संरक्षित करते हुए विश्व के सभी देशों के हित सुरक्षित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने हितों को संबोधित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शान्ति स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यह भू–राजनीतिक कारक, जो 21वीं सदी में इन तीनों मंडलों/क्षेत्रों में उभरे हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित किए हैं, कि पहचान किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये क्षेत्र/मंडल एक बंद डिब्बे में नहीं है जो अभेद्य या अप्रवेश्य हैं। बल्कि होने वाली किसी प्रकार की घटनाएँ एक–दूसरे को प्रभावित करती हैं। तथापि समझने के उदद्ेश्य से सबको अलग–अलग से विचार करना आवश्यक है।

दक्षिण एशिया के स्तर पर, 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मुख्य रूप से तनावपूर्ण ही रही है। पाकिस्तान ने नयी शताब्दी की शुरुआत सैनिक शक्ति के माध्यम से तानाशाही शासन से की और जबकि देश लोकतांत्रिक संक्रमण से गुजरा, आज भी पाकिस्तान एक असफल राज्य की सीमा पर है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और इसका कारण है दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों का होना और साथ ही पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का समर्थन करता है। वास्तव में तथ्यों की सच्चाई यह है कि नयी शताब्दी में पाकिस्तान

के द्वारा अपनाए गए धोखा और छल की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के फलस्वरूप सन् 2008 में मुम्बई में होने वाले आतंकी आक्रमण ने भारत–पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों में दरार डालने का काम किया है। दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय एकीकरण संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता कायम करने के लक्ष्य की नीति को सार्क में पाकिस्तान की उपस्थिति ने बाधित किया है। भारत ने इसलिए समानान्तर क्षेत्रीय प्रारूप को निर्मित किया है जैसे कि बंगाल की खाड़ी का बहुक्षेत्रीय तकनीकि और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) जो कि 1997 में गठित किया गया था, और पाकिस्तान को इस से बाहर रखा गया है। इस क्षेत्र के दूसरे देश, जैसे– श्रीलंका और नेपाल भी अन्तर्राष्ट्रीय अस्थिरता का सामना कर रहे हैं दक्षिण एशियाई सहयोग के विकास को भी प्रोत्साहित नहीं करते। रणनीतिक दृष्टिकोण से, 21वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया से सम्बन्धित भारत की सबसे बड़ी चिंता है इस क्षेत्र में उभरते हुए चीन का प्रभाव। चीन भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों से सम्बन्धों का विस्तार कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भू–राजनीतिक रूप से, निकट भविष्य के लिए पाकिस्तान के साथ भारतीय दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता के अतिरिक्त दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करना भारत का प्रमुख उद्देश्य होगा। विस्तृत हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में फैले पड़ोसी क्षेत्र में भारत को पुनः एक बार उभरते हुए चीन के प्रभाव को जो वह आक्रामक रूप से विस्तार दे रहा है, दृढ़तापूर्वक सामना करना होगा। हिन्द महासागर के जलमार्ग (जहाजों के आने जाने के रास्ते) बहुत ही महत्त्वपूर्ण अहमियत रखते हैं क्योकि विश्व के ऊर्जा आयात उन्ही मार्ग से (गलियारे) या कॉरीडोर से आते जाते हैं। चीन अपने श्मोती की श्रृंखलाश के सिद्धांत के अनुसार और अभी हाल के अनावरित वदम इमसज वदम तवंक (OBOR) पहल (उपक्रम) के माध्यम से अपने प्रभाव को हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने रणनीति के अन्तर्गत इस क्षेत्र में स्थित देशों से अपने सम्बन्ध ढालकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत ने हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने नौसेना पद चिन्हों (footprint) की वृद्धि कर के जवाब दिया है, साथ ही इस क्षेत्र में स्थित देशों में अपने घनिष्ठ गठजोड़ के द्वारा करारा जवाब दिया है, जिसे चीन द्वारा 'Act East' नीति के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का भाग माना जाता रहा है। इस प्रकार, जहाँ तक इसके पड़ोसी सम्बन्ध की बात है, भारत प्रथमतः जिस भू–राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है, वह है चीन के आक्रामक अधिकार द्योतक उदय का।

वैश्विक स्तर पर, भारत इस बदलते रणनीति स्वरूप के अमेरिका के नेतृत्व के गिरते स्तर को और चीन को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभरते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। यह देखा जा रहा है कि भविष्य में चीन की अर्थव्यवस्था अगले दशक तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। चीन विश्व के साथ अपने अनेक प्रकार के लेन–देन से सम्बन्धित व्यवहार में दृढ़ता का व्यवहार कर रहा है, चाहे वह दक्षिण चीन का समुद्र हो या किसी अन्य जगह का हो। इस प्रकार एक दशक

या उससे भी कम समय से अमेरिका के साथ चीन दो महाशक्तियों के रूप में द्विध्रुवीय महाशक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। भारत के लिए चुनौती है वह इस परिदृश्य में अपने को केसे स्थापित कर सकता है। चीन के साथ भारत का सम्बन्ध सन् 1962 के युद्ध के बाद ना के बराबर हो गया है। अभी हाल ही के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होने के मुख्य कारणों में से एक कारण है चीन की एशिया में बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना है और यह क्षमता भारत के पास है। भारत भी चीन को महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ देखकर, दूसरे देशों जैसे जापान, आस्ट्रेलिया और ASEAN देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों को विकसित करने के प्रति चिंतित हुआ है।

संक्षेप में, भारत के सामान्य विषय, जो भू–राजनीतिक चिंता के प्रति सभी स्तर पर मौजूद है, वह है चीन का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय। यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन का महाशक्ति के रूप में उदय एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक कारक है जो भारत की विदेश नीति पर 21 वीं सदी में हावी रहेगी। भारत पश्चिमी देशों से गठजोड़ करने के लिए इच्छुक है साथ ही दूसरे अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों से सम्बन्ध बनाने के लिए तत्पर है। जिससे वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कायम रखने की प्रतिबद्धता के साथ चीन के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर सके।

आर्थिक कारक

भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की विदेश नीति पर अपना बलपूर्वक दबाव डालती है। उदारीकरण के बाद से भारत एक निर्यातक अर्थव्यवस्था होने की मांग कर रहा है जो दूसरे अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार से लाभन्वित हो। इस प्रभाव के लिए भारत यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं से मुक्त व्यापार सम्बन्धी समझौतों को करने के लिए निर्णय करने का प्रयास कर रहा है और उसमें उसे आंशिक सफलता भी मिली है। समग्र व्यापार के मामलों में, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। यद्यपि भारत चीन के साथ विशाल लाभ रहित व्यापार करता है, चीन के लिए भारतीय निर्यात प्रत्येक वर्ष बढ़ता भी जा रहा है। इस प्रकार भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के बावजूद भारत और चीन आपस में तीव्र महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों में हिस्सेदार हैं। भारतीय निर्यात के लिए चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। यद्यपि दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा में भी दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। भारत उत्पादन क्षेत्र में हिस्सेदारी की आशा करता है, जो कि सन् 2014 में आरम्भ किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के माध्यम से शुरू किया गया दूसरी तरु चीन सेवा क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है जो कि भारत की प्रगति का मुख्य आधार है। निर्यात के सम्बन्ध में, वर्तमान में, अमेरिका, भारत का 15 प्रतिशत भारत के निर्यात के साथ का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका भी भारत के लिए Foreign Direct Investment (FDI) के सबसे वृहद् स्रोतों में एक है। यद्यपि अमेरिका

द्वारा अर्थिक संरक्षणवाद के बढ़ते हुए खतरे के साथ जोकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव में विजयी होने के बाद उत्पन्न हुआ है, भारत विशेष रूप से बहुत उत्सुकतापूर्वक अमेरिका में विकास का अवलोकन कर रहा है विशेष रूप से साफ्टवेयर उद्योग के निर्यात के सम्पन्न होने को। अन्य महत्त्वपूर्ण देशों जिसमें जापान और यूरोपीय देश हैं, दोनों महत्त्वपूर्ण निर्यात बाजार के साथ-साथ FDI के भी महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

इनकी बढ़ती हुई तीव्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति के लिए महत्त्वपूर्ण चिन्ता का कारण है। भारत को गरीबी उन्मूलन और अपने नागरिकों के लिए उन्नत आवासीय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु भारत को अगले 25-30 वर्षों तक मजबूत आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने की बेहद आवश्यकता है। यह विकास की दर सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान समय में भारत अपनी आवश्यकता का बहुत अधिक प्रतिशत ऊर्जा संसाधनों का भाग आयात करता है जिसके 2025 तक बढ़कर 80 प्रतिशत आयात करने की संभावना है।

सन् 2008 में भारत का अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता समूह में शमिल होने के प्रयास का उद्देश्य मुख्य रूप से उसकी बढ़ती मांग के अनुरूप सस्ते ऊर्जा के उत्पादन से प्रेरित रहा। यही मुख्य कारण है कि हिन्द महासागर शिपिंग गलियारा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मार्ग या गलियारे से अधिकतर ऊर्जा आयात होता है।

ऊर्जा की आपूर्ति के बिना भारत की आर्थिक व्यवस्था सदैव कमजोर रहेगी। भारत के सम्बन्ध पश्चिमी खनिज तेल सम्पन्न देशों से भी आर्थिक हित पर आधारित हैं।

सैन्य कारक

भारत एक अस्थिर पड़ोसियों के बीच स्थित है। श्रीलंका ने एक लम्बे खूनी गृहयुद्ध की लड़ाई लड़ी जो सन् 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की हार के साथ समाप्त हुई। भारत को सन् 1987 में शांति रखरखाव सुरक्षा बल की तैनाती के साथ इस गृहयुद्ध विवाद में सैन्य रूप से शामिल होना पड़ा। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल, माओवादी विद्रोह से एक लम्बे समय से जूझ रहा है। एक दशक से अधिक समय से अफगानिस्तान अमेरिका की छत्रछाया में रहते हुए तालिबानी आतंक का सामना कर रहा है और लगातार अशांत बना हुआ है। बांग्लादेश में लगातार आंतरिक अस्थिरता बनी हुई है और भारत तथा बांग्लादेश के बीच प्रवासी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। अभी अत्यन्त हाल में म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों का भारत में प्रवेश भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। भारत का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान एक परमाणु हथियार-सम्पन्न राज्य है जो भारत के विभाजन के इतिहास के साथ अपने अस्तित्व के भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रहा है और अतीत में

दो युद्धों की श्रृंखला लड़ी है। आज भी पाकिस्तान निरंतर भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद को प्रायोजित करने में अहम् भूमिका निभा रहा है। भारत और चीन के मध्य–पूर्वोत्तर भाग में सीमा विवाद लगातार बरकरार है; अभी हाल में ही सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। इसके अतिरिक्त भारत को पूर्वोत्तर और कश्मीर में पाकिस्तान– प्रायोजित आतंकवाद का एक लम्बे समय से सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी चुनौतियों और धमकियों से घिरा होने के कारण भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के ठोस प्रयास में लगा हुआ है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए भारत के रूस के साथ चले आ रहे ऐतिहासिक रक्षा सहयोग को बरकरार रखते हुए सोवियत रूस के साथ अच्छे और सुदृढ़ सम्बन्धों की निरंतरता आवश्यक है। भारत इस तथ्य के बावजूद कि वह जान–बूझकर अपने देश में उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहा है, आज भी रूस की महत्त्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी को निरंतर प्रयोग में ले आ रहा है और साथ ही अपने सैन्य आयात को एक नवीनता देने का भी प्रयास कर रहा है। ठीक इसी प्रकार, सैन्य और intelligence सम्बन्धी आवश्यकताओं को केन्द्रीकृत करने के कारण भारत ने पिछले दो दशकों से इजराइल के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग सम्बन्ध स्थापित किया है। चूँकि भारत और इजराइल दोनों देशों को इस प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप में आतंकवाद के कारण उन्होनें intelligence और cyber सुरक्षा पर कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए हैं। इस प्रकार भारत की है। सैन्य आधुनिकीकरण और सेना को आधुनिक साजसज्जा से सज्जित करने की आवश्यकता एक और महत्त्वपूर्ण कारक है जो भू–राजनीतिक स्थिति में उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है।

पर्यावरणीय कारक

जलवायु परिवर्तन सन् 1992 में सम्पन्न हुए रियो शिखर सम्मेलन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष चिंता का विषय बन गया है। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़े भय के रूप में सामने आया है और भारत पर बहुत बड़े पैमाने पर असरदार साबित हो रहा है। यह निर्विवाद है और पूर्णतया विज्ञान का विषय है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला उत्तरदायित्व के सन्दर्भ में विवादास्पद प्रश्न के रूप में खेला जाने वाला राजनीतिक फुटबॉल (Political football) बन गया है। भारत लगातार अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु शमन वार्ता में संलग्न रहा है और इसलिए यह भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित हुआ है जो इसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षो से जलवायु वार्ता में एक महत्त्वपूर्ण और मज़बूत स्थान ग्रहण कर लिया है जोकि समृद्ध औद्योगिकीकृत देशों, जोकि (बहुत अधिक) ऐतिहासिक उत्सर्जन करते हैं, की ज़िम्मेदारी बनती है, कि जलवायु शमन में महत्त्पूर्ण भूमिका का निर्वहन करें क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता

बहुत अधिक है साथ ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में मुकाबला करने वाले पदार्थ और प्रौद्योगिकी तथा समृद्धि है और वे जलवायु परिवर्तन को रोकने में प्रबल नेतृत्व करने में सक्षम हैं। भारत ने विकासशील देशों को 'समूह 77' का प्रयोग करते हुए विकसित देशों को कुछ अधिक करने हेतु दबाव डालने के लिए मुकदमा चलाया है या प्रेरित किया है।

यद्यपि 2009 में कोपेनहेगन समझौते से थोड़ा पहले पिछले दशक में भारत अपने दृष्टिकोण में लचीलापन लाते हुए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया था और यह सन् 2016 में हुए पेरिस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा अलग होने की घोषणा के बाद से यह और भी स्पष्ट हो गया, जिसमें भारत ने स्वंय अपना महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित किया। यह बदलाव आंशिक रूप से एक जिम्मेदार संकेत है। प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी नयी प्रतिष्ठा स्थापित करने के साथ ही विदेश नीति में बढ़ते हुए व्यवहारवाद का संकेत है।

इस पहलू पर एक अलग अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के सन् 2016 में हुए पेरिस सम्मेलन से अमेरिका के अलग होने के निर्णय के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु वार्त्ता विवादास्पद होगी और भारत की इसको लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु की राजनीति को ध्यान में रखकर होगी।

विचारधारात्मक कारक

प्रारम्भिक वर्षों के दौरान भारत की विदेश नीति वैचारिक चिन्ता से बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले चार दशकों के लिए भारत की विदेश नीति का सरगम (tone) निर्धारित किया। इस अवधि में भारत की विदेश नीति के दो स्तम्भ थे - पंचशील और गैर गठबंधन (गुट निरपेक्षता)। संक्षेप में, पंचशील के अन्तर्गत एक देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की गयी थी और साथ ही पारस्परिक सिद्धांतों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने को लक्ष्य रखा था। दूसरे स्तम्भ गैर-गठबंधन में (गुटनिरपेक्षता) भारत के द्वारा यह घोषणा की गयी कि वह महाशक्तियों के बीच चल रहे शीतयुद्ध में सबकी ओर से निरपेक्ष रहते हुए किसी के भी शिविर में शमिल नहीं होगा और एक स्वतन्त्र विदेश नीति का शुभारंभ और अनुसरण करेगा। भारत अपने इस लक्ष्य को सफल बनाने हेतु विश्व के अनेक विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता के मंच पर लाने में अद्‌भुत सफलता प्राप्त की जिसे तीसरी दुनिया के रूप में जाना जाने लगा। भारत ने तर्क दिया कि गैर गठबंधन का अर्थ तटस्थता नहीं समझा जाना चाहिए। बल्कि भारत ने किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर या किसी भी अन्य मामले में अपना स्वतन्त्र निर्णय लेने के लिए आज़ाद होने का दावा किया, जब कि भले ही वह किसी

महाशक्ति के नेतृत्व में उठाया गया मुद्दा हो। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्तम्भ स्थापित किया विशेष रूप से औपनिवेशिक प्रश्न पर जिसे करना भारत ने अपना नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा क्योंकि वह उपनिवेशवाद का मुक्त-भोगी रह चुका था। भारत ने विश्व को परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में जोरदार वकालत की कि परमाण्विक हथियार अनैतिक हैं और अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में तैयार किए गए हैं।

इसी के तहत भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका कारण था परमाणु अप्रसार संधि के प्रावधान भेदभाव पूर्ण थे और उन्हीं का हवाला देते हुए सन् 1974 में स्वंय परमाणु परीक्षण किए। इस तरह, जब कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वृहद वैचारिक शर्तों का प्रचारण प्रसार किया था। सब कुछ अनेक स्कॉलरों ने तर्क दिया कि भारत की विदेश नीति शुरू के चार दशकों में विचारात्मक थी न कि व्यावहारिक। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद के अन्त, परमाण्विक निरस्त्रीकरण, गुट निरपेक्षता या गैर गठबंधन, पंचशील जैसे मानकीकृत सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया न कि Real Politics (राजनीति) में शमिल हुआ।

हालाँकि इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस विचार पर अनेक प्रश्न स्वयं उत्पन्न होते हैं। एक रास्ता है कि पिछले चार दशकों में भारत द्वारा दिए गए विचारधारात्मक वक्तव्यों को इसकी एक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए जो इसके कद को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिक आवाज के रूप में बढ़ाने और स्थापित करने का कार्य किया क्योंकि इसके पास सख्त शक्ति का अभाव था। दरअसल, भारत कई विकासशील देशों का नेता बन गया है। इसका कारण है भारत द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपने विकासशील सिद्धान्तों को लेकर दृढ़ होना। इस प्रकार विचारत्मक वक्तव्यों को अपनी शक्ति के विस्तार के लिए केवल एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया गया था जबकि देश गरीब था, सैन्य शक्ति के रूप में कमज़ोर था और कठोर शक्ति से रहित था, जबकि शक्तिशाली का दावा करता था। उदाहरण के लिए भारत जबकि सार्वजनिक रूप से परमाण्विक निरस्त्रीकरण का जोरदार समर्थक था, किन्तु परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और स्वयं 1974 में अपना परमाणु होने परीक्षण किया। इस तरह भारत जबकि बहुत लम्बी चौड़ी विचारात्मक उपदेश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देता रहा है, किन्तु उसकी रणनीति अपने प्रभाव के विस्तार की रही है।

फिर भी, शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद, भारत ने अपने वैचारिक वाक्पटुता को तिलांजली देना प्रारम्भ कर दिया, जो इसकी विदेश नीति से बहुत लम्बे समय से टिकी हुई थी।

इसके लिए शीतयुद्ध के समाप्ति को जिम्मेदार माना जा सकता है जिसमें सोवियत संघ के भंग होकर छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद अमेरिका शीर्ष पर पहुंच गया। जैसा कि पहले ध्यान दिलाया जा चुका है कि, भारत ने सोवियत संघ के विभक्त हो जाने के बाद सैन्य रक्षक के साथ-साथ आर्थिक

सहायक को भी खो दिया। इसका मतलब था कि भारत को अपनी विदेश नीति को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील होना था। इसके बाद भारत की विदेश नीति बहुत व्यावहारिक और बहुत कम विचारात्मक रह गयी। तो भी भारत अपने पूर्व में अपनाए गए सिद्धान्तों जो कि सन् 1990 के दशक के प्रारम्भ में अपनाए गए थे, उस पर अडिक और स्थिर था। भारत ने अपनी विचारधारात्मक वाक्पटुता को कम करना शुरू कर दिया और देशों तथा क्षेत्रों से जो अपने अर्थिक और रणनीतिक हित के लिए महत्त्वपूर्ण थे, उनसे सम्बन्धों में विस्तार और प्रगति करना शुरू किया। यह व्यावहारिक बदलाव नयी शताब्दी में और अधिक निखार पर आया। गैर-गठबन्धन (गुट निरपेक्षता) को एक किनारे कर दिया गया है और भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने के लिए अनिच्छुक नहीं रहा। ईरान के विरुद्ध मतदान करने ईराक-भारत की बहुत लम्बे समय से मिन्नता होने बावजूद, अमेरिका द्वारा सन् 2003 में ईराक पर किए जाने वाले आक्रमण के विरोध में भारत ने कोई जोरदार आवाज़ न उठाते हुए अमेरिका का समर्थन किया। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीनियों से वैचारिक समर्थन होते हुए भी भारत ने इजराइल के साथ लम्बे समय तक घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने के लिए अडिग यद्यपि अंतिम दो दशकों में, भारत और इजराइल ने बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए हैं। इसका कारण दोनों के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सामना करने का एक समान हित सम्मिलित है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत एक विशेष शक्ति के रूप में विश्वमंच पर अंतिम दशक में उभर रहा है। इसलिए अब उसका विचारात्मक दृढ़ता के साथ खड़ा रहना बहुत कठिनाईपूर्ण है क्योंकि आज उसका हित बहुत दूर तक विस्तार में ैला है। इस प्रकार, 21वीं सदी में एक नया व्यवहारवाद भारत की विदेश नीति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धान्त बन गया जो पृष्ठिभूमि में पारम्परिक विचारधारात्मक चिंताओं को रेखांकित कर रही है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता आज स्पष्ट रूप से वैचारिक लक्ष्य बन गयी है, न कि और गठबंधन (गुट निरपेक्षता) समान विचाराधारात्मक रह गयी है।

संस्कृति

संस्कृति, देश को परीप्रक्ष्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसा कि सुप्रसिद्ध स्कॉलर, जैसे- जोसेफ न्ये ने स्पष्ट किया है कि, यह किसी देश की नरम शक्ति के घटक तत्त्वों में से एक है। भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, और पिछले दशक में विश्व के अनेक हिस्सों में अपनी समृद्ध संस्कृति और डायस्पोरिक लिंक का उपयोग करके नरम शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है। यद्यपि, यह ध्यान देने योग्य है कि उसके अस्तित्व के चार दशकों के दौरान उसकी विदेश नीति में विचारधारात्मक तेवर को नरम शक्ति के अभ्यास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वह तर्क है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वैध और नैतिक दिखाई देता है, वह विदेश नीति नरम शक्ति

का एक दूसरा घटक है। उस परिप्रेक्ष्य में, भारत की विदेश नीति के विषय में पूर्व में चर्चा की गई विचारधारात्मक सुर को नरम शक्ति के अभ्यास के रूप में भी समझा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत साफ्टपॉवर के विकास और उसके अभ्यास का प्रयत्न अपनी संस्कृति के माध्यम से कर रहा है। जैसा कि पहले कहा गया है, भारत की विदेश नीति बहुत पहले से विचारधारात्मक रूप में भावनात्मक स्तर पर अभीष्ठ रूप में नहीं व्यक्त की गयी है। उदाहरण के लिए, भारत से तीव्र गुटबाजी के बाद, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के बाद, सन् 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इस प्रकार की पहल विश्व स्तर पर देश के Soft Power के अनुशीलन में वृद्धि करती है।

ठीक उसी तरह, पिछले दशक में विशेष रूप से केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद, भारत ने विश्व में चारों ओर डायास्पोरा प्रवासी समुदाय के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों जैसे जापान, दुबई और अन्य स्थानों में बहुत बड़ी संख्या में एकत्र समूह को संबोधित किया है।

जबकि यह एक आर्थिक तर्क है कि प्रवासी समुदाय के रूप में प्रवासी सम्पर्क के दोहन भारत की FDI का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, इस प्रकार के अभ्यास के लिए Soft Power की विचारधारा मस्तिष्क में रखनी चाहिए। इस प्रकार का जन जमाव विश्व को भारतीय प्रवासियों की गंभीरता और पहुंच को व्यक्त करती है।

निष्कर्ष

इस अध्याय में 21वीं शताब्दी की भारत की विदेश नीति का व्यापक अवलोकन किया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, चीन और भारत के महान शक्ति के रूप में उभरने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के बदलते ढांचे में अनुसंगी आर्थिक और रणनीतिक हित भारत की विदेश नीति के मुख्य संचालक है। कई मायनों में, यह भारत की विदेश नीति में संक्रमण की अवस्था है। अभी हाल के दिनों में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संक्रमण थोड़ा तीव्रगामी हो गया है। परन्तु शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में उल्लेखनीय निरंतरता रही है। प्रत्येक उत्तरोत्तर प्रशासन ने गुट निरपेक्ष युग की पकड़ से मुक्त होने का प्रयत्न किया जबकि उस अवधि के दौरान भारत ने जहाँ तक संभव हो सका, इस मूल्यवान को गठबंधन और मित्रता को जीवित और सुरक्षित रखते हुए विकसित किया।

पिछले कुछ दशकों में वैश्विकरण में तीव्रता का अर्थ है विदेश नीति और घरेलू नीति के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली हो रही हैं। जैसा कि आज विश्व आपस में अधिक जुड़ गया है, विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय घरेलू परिणामों से दूर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के सन्दर्भ में, एक

महत्त्वपूर्ण चिंता जोकि उभरी है, वह है– भारत के विदेश नीति उपकरण से सम्बन्धित। यह तर्क दिया गया है कि भारत की राजनयिक पदचिन्ह विश्व में प्रमुख शक्ति के लिए बहुत छोटा है तथा इससे वह अन्तर्राष्ट्रीय विकास में सक्रिय और उत्तरदायी होने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है। जबकि भारत सरकार समझ गयी है तथा अपने राजनयिक संसाधनों का विस्तार करने की मांग कर रही है। तथा और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों से भिन्न, भारत में अकादमिक और नीति निर्माताओं जो कि स्वस्थ नीति विकसित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, उनकी नितांत कमी है। 21वीं शताब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अनेक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नैविगेट करने के लिए भारत को इन चिंताओं को तीव्रता से सम्बोधित करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. भारत की विदेश नीति, बी0एन0 खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, लैस्ली कुमार।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, बी0एन0 खन्ना, लैस्ली कुमार।
3. प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिकांक।
4. भारत की विदेश नीति, पुष्पेष पंत।
5. भारत की विदेश नीति, यू0आर0 घई।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति– बी0एल0 फाड़िया।
7. भारत की विदेश नीति– आर0एस0 यादव।
8. भारत की विदेश नीति– वी0पी0 दत्त।
9. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं व्यवहार– यू0आर0 घई।
10. जे0 वन्धोपाध्याय– The Making India foreign Policy
11. एम0एस0 राजन– Studies in India Foreign Policy
12. ए अप्पादोराय व एम0एस0 राजन India Foreign Policy and Relation
13. सुरजीत मान सिंह– India Search of Power Indira Gandhi Foreign Policy
14. के0के0 पाठक– Nuclear Policy of India.
15. प्रेमलता शर्मा– India Foreign Policy.
16. राजेश मिश्रा– भारत की विदेश नीति, भूमण्डलीकरण के दौर में।

‘पृथ्वीराज रासो’ की प्रमाणिकता का प्रश्न?

अतुल कुमार
नौरथा ईशेपुर, हाथरस (उ0प्र0)

‘पृथ्वीराज रासो’ आदिकाल का गौरव ग्रंथ होते हुए भी प्रमाणिकता की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौन्दर्य से प्रभावित होकर इसके तीस हजार पदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। फ्रेंच विद्वान तॉसी ने भी इसकी प्रशंसा की है। बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ करवाया था लेकिन 1875 ई0 में डॉ0 बूलर को कश्मीर में ‘पृथ्वीराज विजय’ ग्रन्थ मिलते ही प्रकाशन रुकवा करके इसे अप्रामाणिक घोषित कर दिया क्योंकि ‘पृथ्वीराज विजय’ का लेखक पृथ्वीराज का समसामयिक था। वैसे ‘पृथ्वीराज रासो’ की प्रामाणिकता पर सन्देह करने वाले सर्वप्रथम विद्वान जोधपुर के कविराज मुरारीदीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामलदास थे, लेकिन इस दिज़ा में सर्वाधिक कार्य गौरीशंकर हीरानन्द ओझा ने किया। इन्होंने ‘काशीनागरी प्रचारिणी सभा’ के कोशोत्सव में लेख लिख कर बकायदा बताया कि पृथ्वीराज के राज्यकाल में ‘रासो’ नहीं लिखा गया था। इसके उपरान्त तो इस दिशा में विभिन्न तर्क-वितर्क दिये गये। इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों (1) में चार वर्ग बन गये हैं।

प्रथम वर्ग ‘पृथ्वीराज रासो’ को पूर्णतः अप्रामाणिक मानता है। इस पक्ष में हिमायती विद्वानों में कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारीदीन, गौरीशंकर ओझा, डॉ0 बूलर, मारिसन, मुंशीदेवी, अमृतलाल शील, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ0 राम कुमार वर्मा आदि को माना जाता है। यह वर्ग चन्द के अस्तित्व को तथा ‘पृथ्वीराज रासो’ को पृथ्वीराज का समकालीन नहीं मानता है। द्वितीय वर्ग ‘पृथ्वीराज रासो’ को प्रामाणिक एवं चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन मानता है। श्यामसुन्दर दास, मथुरा प्रसाद, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, मिश्र बन्धु, मोतीलाल मेनारिया जैसे विद्वान इस मत के समर्थक हैं। तीसरा वर्ग चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन मानता है लेकिन ‘पृथ्वीराज रासो’ का मूल रूप नहीं है बल्कि परवर्तित एवं विकृत रूप उपलब्ध है। इस पक्ष के मानने वालों में डॉ0 सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, नाहटा, डॉ0 दशरथ शर्मा, मोहन सिंह, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों का नाम लिया जाता है। चौथा वर्ग चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन मानता है परन्तु इन्होंने रासो की रचना नहीं की। जैन ग्रंथ माला में प्राप्त पदों को उसकी फुटकर रचना मानता है। इसको नरोत्तम स्वामी मानते हैं।

सामान्यतः पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों ने तीन (2) मुख्य कारण बताये हैं – घटना वैषम्य, काल वैषम्य एवं भाषा सम्बन्धी अव्यवस्था। ‘पृथ्वीराज रासो’ में बहुत सारी घटनाएँ

इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज का दिल्ली में गोद लिया जाना, संयोगिता–स्वयंवर, पृथ्वीराज की बहन पृथा का मेवाढ़ के राजा समर सिंह के साथ विवाह, सोमेज़्वर बथ, पृथ्वीराज के 14 विवाह आदि घटनाएँ इतिहास सम्मत नहीं है। 'पृथ्वीराज रासो' में पृथ्वीराज का जन्म सं0 1155 तथा मृत्यु सं0 1158 दिया गया है। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रन्थ है। यदि चन्द पृथ्वीराज का समकालीन होता तो इतनी गलती न करता। इस बारे में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं – "इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और कहने की जगह नही कि यह ग्रथं पूरा जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर–उधर चन्द के कुछ पद भी बिखरे हों। पर उनका पता लगाना असम्भव है। यदि किसी समसामयिक कवि का रचा होता है और इसमें कुछ थोड़े अशं ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और इसमें कुछ सवंत् तो ठीक होते।" (3) रासो मे अरबी–फारसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है जो चन्द के समय किसी प्रकार प्रयोग मे नही लाये जा सकते थे। इस प्रकार रासो की भाषा चन्द के समय की न होकर 16वीं शताब्दी की ठहरती है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डा0 धीरेन्द्र वर्मा ने इसी आधार पर इसे 16वीं शती की रचना माना है। आचार्य शुक्ल का इस सम्बन्ध में कहना है – "यह ग्रन्थ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के जिज्ञासाओं के काम का है।" (4)

समीक्षकों का एक बड़ा समुदाय ऐसा भी है जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक नहीं मानता। डॉ0 हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में – "अब यह मान लेने से किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो जाली पुस्तक नहीं हैं उसमें बहुत अधिक प्रवेश होने से उसका रूप विकृत जरूर हो गया है, पर इस विशाल ग्रन्थ में कुछ सार भी अवश्य हैं।" (5) रासो में दीख पड़ने वाले काल–वैषम्य का समाधान करते हुए पण्डित मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने 'अनन्द' संवत की कल्पना की है, उनका कहना है कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों में 98–91 वर्ष का अन्तर एक नियम से पड़ता है। प्रमाण रूप में उन्होंने रासो का यह पद उद्धृत किया है –

"एकादस सै पचंदह विक्रम साक अनन्द।
तिहि रिपुजय पुरहन को भए पृथिराज अरिंद"

पांड्या जी ने साक अनन्द का अर्थ इस प्रकार किया है, अशून्य और नन्द अर्थात 90 रहित विक्रम संवत्। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे पट्टे परवाने मिले हैं जिनमें इन्हीं अनंद संवत् का प्रयोग है। परन्तु इस 90 वर्षो के घटाने का क्या कारण इसका कोई भी प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया?

मुनिजिन विजय का कहना है कि रासो का मूल रूप अल्पकाय था तथा उसकी भाषा अपभ्रंश थी। एस0के0 चटर्जी का भी यही मानना है क्योंकि 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह' में रासो के चार छन्द ऐसे मिले जो रासो की लघुत्तम प्रतियों में भी है। यह प्रति 15वीं शताब्दी की मानी जाती है। डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है – "इन पद्यों के प्रकाशन के बाद अब इस विषय में किसी को सन्देह नहीं

रह गया है कि चन्द नामक कवि पृथ्वीराज के दरबार में अवश्य थे तथा उन्होंने ग्रन्थ भी लिखा है। सौभाग्य रासो में भी वे छन्द कुछ विकृत रूप में प्राप्त होते हैं। इस पर यह अनुमान किया जा सकता है कि – वर्तमान रासो में चन्द के मूल छन्द अवश्य मिले हुए हैं।" (6)

डॉ0 दशरथ शर्मा ने भी रासो पर आरोपित शंकाओं का खण्डन किया है। उनका कहना है कि मूल रासो न तो जाली है न तो इसकी रचना सं0 1600 के आसपास हुई थी। इधर मिली हुई रासो की लघुत्तम प्रतियों के आधार पर घटना– वैषम्य काल– वैषम्य एवं भाषा सम्बन्धी अवस्थाओं का निराकरण हो सकता है। इन प्रतियों में इतिहास विषयक त्रुटिपूर्ण घटनाओं का वर्णन नहीं है। राजपूतों के अग्नि–विषयक उत्पत्ति कथा, संयोगिता स्वंयर, पृथा का विवाह, भीम–सोमेश्वर प्रकरण, आदि अऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन लघुत्तम प्रति में नहीं है। इतिहास सम्मत इच्छिनी–विवाह, केमास–वधा आदि का वर्णन लघुत्तम प्रति में है।

डा0 हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। उनका कहना है कि रासो काव्य रूप 10वीं शताब्दी के साहित्य के काव्य रूप से समानता रखता है। इसकी संवाद–प्रवृत्ति तथा रासो–प्रवृत्ति तथा कीर्ति–पताका एवं संदेज़–राशक से साम्य रखती है। इसमें सभी प्राचीन कथानक रूढ़ियों का सुन्दर निर्वाह हुआ है। द्विवेदी जी का मत है कि रासो की रचना शुक–शुकी संवाद रूप में हुई थी। उन्होंने चन्द की उस उक्ति –

"छन्द प्रबन्ध कवित्त जति साटक गाह दुहत्थ।
लहु गुरु मंडित खंडियहि पिंगल अमर भरत्थ।।"

के आधार पर कहा होगा कि उपर्युक्त पद में चर्चित छन्दों में ही मूल 'रासो' की रचना हुई होगी। इसी आधार पर द्विवेदी जी ने निम्न सर्गों को प्रामाणिक मानने का सुझाव दिया– प्रारम्भिक अंश, इच्छिनी–विवाह केमास–बधा। डॉ0 नामवर सिंह द्विवेदी जी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि – "शुक का दौत्य कार्य, नायिका को अप्सरा का अवतार कहना, महादेव के मन्दिर में नायक–नायिका का मिलना, सिहंल द्विप, फल द्वारा सन्तान की उत्पत्ति लिंग परिवर्तन आदि बातें अनैतिहासिकता की द्योतक नहीं बल्कि कथानक रुढ़ि के निर्वाह की सूचक है। 'पृथ्वीराज रासो' ऐसी कथानक रूढ़ियों का कोष है। इसमें कितनी चन्द द्वारा नियोजित है कितनी दूसरों के द्वारा इसको अलगा लेना खेल नहीं है।" (7) इस प्रकार डा0 द्विवेदी रासो को मूलतः 12वीं सदी की चन्द कवि कृत रचना मानते हैं। उसमें प्रक्षिप्त अंशों की बहुलता के कारण इसे अर्ध–प्रामाणिक स्वीकार करते हैं। मेरे विचार से रासो ग्रन्थ सर्वथा अप्रामाणिक नहीं है। उसका मूलरूप अभी प्राप्त नहीं है, लघुत्तम संस्करण उसके अधिक निकट है, हमारे–कवि लोग जानबूझकर चरित–नायक के गौरव रक्षा हेतु तथ्यों में परिवर्तन करते रहे हैं। हाँ यदि प्रक्षिप्त अंशों के आधार पर ग्रन्थों की अप्रामाणिकता का सिद्धान्त यदि स्वीकार किया

जाता है तो 'सूर सागर' एवं 'मीरा पदावली' प्रभृति ग्रन्थों की प्रामाणिकता के आगे भी प्रश्न-चिन्ह (?) लगाना पड़ेगा। अत: 'पृथ्वीराज रासो' को सर्वथा अप्रामाणिक मानना कदापि उचित नहीं होगा।

सन्दर्भ

1. 'हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ' - डॉ0 शिवकुमार शर्मा, पृष्ठ-93
2. वही, पृष्ठ-94
3. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ-21
4. वही, पृष्ठ-22
5. 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल', आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ-125
6. वही, पृष्ठ-132
7. 'पृथ्वीराज रासो' - सम्पादक हजारीप्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पृष्ठ-198

कड़ा और इलाहाबाद के विशेष संदर्भ में मऊआइमाः एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. मोहम्मद आदिल
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
भवंस मेहता महाविद्यालय, भरवारी,
कौशांबी,
जावेद जिया
मऊआइमा प्रयागराज

मऊआइमा इलाहाबाद जनपद का एक पुराना कस्बा है जो इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र में सर्व प्रथम कौन सी जाति के लोग आबाद हुए इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इस क्षेत्र के आस-पास के टीलों से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भी यहाँ लोग आबाद थे। मऊआइमा कस्बे से लगे हुए दो टीलों से इसकी पुष्टि होती है। एक टीला मऊआइमा थाने के पश्चिम में छपायी भाग में स्थित है। मऊआइमा-फैजाबाद हाइवे के निर्माण के समय मिट्टी प्राप्त करने के लिए इस टीले की खुदाई हुई तो ज्ञात हुआ कि यहाँ पर 12.5 इंच लम्बी और 9 इंच चौड़ी ईंटों की दीवार खण्डित अवस्था में प्राप्त हुई। ऐसे ही ईंटों की कई दीवारें टीलें पर देखी गयी। टीले के अधिकांश भाग को काटकर मिट्टी निकाल ली गयी है किंतु उसका कुछ भाग अब भी खण्डहर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ से उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन (NBPW) के टुकड़े मिले हैं। टीले पर काले, लाल चमकीले मृदभाण्ड के टुकड़े उजड़े हुए चमन की गवाही देते हैं। टीले के दक्षिणी भाग में एक स्थान पर पकी मिट्टी के बर्तन के दो ढेर देखे जा सकते हैं। संभवतः ये टीले पर रहने वालों का रसोई घर मालूम होता है। इस टीले पर जो दीवारें खण्डित अवस्था में मौजूद है, उसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है ये कोई दुर्ग की दीवारें थी, जो समय के साथ नष्ट हो गयीं।

स्थानी परम्परा के अनुसार इस क्षेत्र में राजपूतों के आगमन से पूर्व भर और सोइरी जाति के लोग निवास करते थे। भरों ने अपने दुर्गों का निर्माण में पकी मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया था। उनके खण्डहर विभिन्न टीलों पर आज भी देखे जा सकते हैं। इलाहाबाद, कड़ा-मानिकपुर, कौशांबी, फतेहपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ गोरखपुर, गोण्डा आदि जिलों के विभिन्न

क्षेत्रों में भरों का बोलबाला उस समय तक बना रहा जब तक कि वैस राजपूतों को मुस्लिम शासकों ने मिलाकर उनके क्षेत्रों को विजित नहीं कर लिया। एक ईटों का बने पुराने किले के भग्नावशेष जो भरों के नाम से लोकप्रीय हैं। अटेहा (तालुका लालगंज, जिला प्रतापगढ़) और मुस्तफाबाद (ब्लाक सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़) में मिले हैं।[1] जैसी ईटों का प्रयोग अटेहा और मुस्तफाबाद के किलों में वैसी ही आकार-प्रकार की ईटों का प्रयोग छपायी बाग टीले के खण्डहर में देखे जा सकते हैं। छपाही बाग में स्थित टीला किसी जमाने में भरों का दुर्ग (जिसे वो कोट कहते थे) था।

ऐसा ही एक टीला मऊआइमा थाने से लगभग एक किलो मीटर पूर्व में कमेला नाम का टीला है। इस टीले से तो ईटों का साक्ष्य नहीं मिला है, किंतु यहाँ से पकी मिट्टी की गोली, चिलम, पकी मिट्टी की केतलीनुमा आकृति (खण्डित अवस्था में) कुछ मनके और अन्य बर्तन के टुकड़े मिले हैं। इस टीले से भी काले लाल पालिश वाले मृदभाण्ड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मिट्टी का दुर्ग था। जौनपुर से प्राप्त मिट्टी के दुर्ग सोइरी जाति के बताये जाते हैं। संभव है कि कमेला टीले पर सोइरी जाति के लोग निवास करते रहे हों जिन्होंने अपने दुर्ग कच्ची मिट्टी के बनाये रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गये।

कमेला टीले से प्राप्त काले मृदभाण्ड का टुकड़ा

मऊआइमा कस्बे की सबसे पहली बस्ती कमेला टीले पर आबाद हुई प्रतीत होती है यहाँ से ईंट का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कमेला टीले से कई स्तर के बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे पुराना उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन (NBPW) के टुकड़े हैं जो 1200 ई. पू. के आस-पास के हैं, ऐसे की बर्तन के टुकड़े बिहार के जफराडीह से मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पूर्व मध्यकाल तक

के बर्तन के टुकड़े मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की बस्ती पूर्व मध्यकाल तक आस्तित्व में रही। आज भी यहाँ पकी मिट्टी की विभिन्न आकृतियों के टूटे-फूटे बर्तन के टुकड़े देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि कमेला टीले पर बहुत दिनों तक एक समुदाय द्वारा मिट्टी लाकर नमक निकालने का काम किया जा रहा था जिसके कारण ये स्थान टीला के रूप में परिवर्तित हो गया। उनका ये कहना कि यहाँ पर नमक निकालने का काम होता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन उनका ये कहना कि नमक निकालते-निकालते इस स्थान पर टीला बन गया ये बे बुनियाद है क्योंकि यहाँ से जो पुरातत्विक काले और लाल पालिश वाले मृदभाण्ड के टुकड़े नीचे के स्तर से मिले हैं वो बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं और रही बात नमक निकालने की बात तो ये काम इस टीले पर 19 वीं सदी में यहाँ होता था। छ्पायी बाग टीले, कमेला टीले, रानीगंज तहसील में स्थित बर्तन के टुकड़ों में और दमदम (प्रतापगढ़) के टीले से प्राप्त बर्तन के टुकड़ों में काफी समानता दिखाई पड़ती है। मुसलमानों के इस क्षेत्र में आने से पूर्व यहाँ पर भर सरदारों का शासन था।

अब प्रश्न उठता है कि भर कौन थे? इसको लेकर अनेक मत हैं। सी. ईलियट के अनुसार "अवध में सूर्यवंशी छत्रियों के शासन के अवसान के पश्चात् देश का पूर्वी भाग चेरों द्वारा, मध्य भाग भरों द्वारा और पश्चिमी भाग राजपासियों द्वारा शासित था। ये आदिवासियों की जातियाँ थीं, जिन्हें आर्यों ने पहाड़ों में खदेड़ दिया था। ईसा की पहली सदी के शुरुआत में वह पहाड़ों से निकले। उन्होंने आर्यों की संस्कृति स्वीकार कर सूर्यवंशियों को गुजरात तक ढकेल दिया। इस प्रकार वे हिमालय और विंध्य पहाड़ी के मिर्जापुर की दक्षिणी साख तक फैल गए।" उक्त कथन किसी ठोस प्रमाणों के अभाव में सत्य प्रतीत नहीं होता। डॉ० ओबर्ट ने भरों को टॉलमी के समकालीन बर्राही, भारतीय और बर्बर नामी पहाड़ी जातियों से संबंधित माना है।[2] ऐसे ही एक मान्यता के अनुसार सुल्तानपुर के निवासियों को भर कहा जाता है। इनका रंग काला और कद मध्यम और अधार्मिक विचारों वाले तथा गंदी आदतों वाले बताये जाते है।[3] विलियम कूक ने भरों को राजभर, भरत और भरपटवा कहा है। कूक महोदय ने भरों के बारे में जानकारी जुटानी शुरु की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि 'भर' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'भृ' से हुई है। जिसका अर्थ पालन करना होता है। कूक ने भी अपने पूर्ववर्ती अंग्रेज लेखकों के कथन के आधार पर भरों को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पायी जाने वाली द्रविड़ जाति का वंशज माना है। डॉ. काशी प्रसाद जायसावाल के अनुसार 'भर' शब्द भार-शिव का अपभ्रंश है।[4]

सम्राट प्रवरसेन ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र का विवाह भार- शिव के महाराज भवनाग की कन्या के साथ किया था। वाकटक राजवंश के इतिहास में यह घटना इतने अधिक महत्व की थी कि यह उस वंश के इतिहास में सम्मिलित कर ली गई थी और वाकाटकों के सभी राजकीय लेखों आदि में इसका बार-बार उल्लेख मिलता है कि इस राजनीतिक विवाह के पूर्व भार-शिवों के राजवंश ने गंगा-तट पर, जिसका अधिकार उन्होंने अपना पराक्रम प्रदर्शित करके प्राप्त किया था, दस अश्वमेघ यज्ञ किए थे

और उनका राज्याभिषेक गंगा के पवित्र जल से हुआ था। भार-शिवों ने शिव को अपने साम्राज्य का मुख्य या प्रधान देवता बनाया था। भार-शिवों ने गंगा तट पर जिस स्थान पर दस अश्वमेघ यज्ञ किए थे, डॉ० जायसवाल ने उस स्थान की पहचान काशी का दशाश्वमेघ नामक पवित्र घाट और क्षेत्र जान पड़ता है जो भगवान शिव का लौकिक निवास स्थान माना जाता है।

भार-शिव लोग मूलतः बघेलखण्ड के निवासी थे और वे गंगा के तट पर उसी रास्ते से पहुँचे होंगे, जो दक्षिण का प्राचीन मार्ग कहलाता है। दक्षिण का प्राचीन मार्ग मिरजापुर (संयुक्त प्रांत) में आकर समाप्त होता है। डॉ० जायसवाल स्मृति चिन्ह, स्तंभों, स्थान-नामों और सिक्कों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भार-शिवों का मूल स्थान कौशांबी और काशी के मध्य में था।[5] भार-शिवों के आरम्भ के बारे में डॉ० जायसवाल आगे लिखते हैं कि प्रवरसेन प्रथम से पूर्व अथवा उसके समय तक भार-शिवों ने दस अश्वमेघ यज्ञ किए थे और स्वयं प्रवरसेन प्रथम ने भी अश्वमेघ यज्ञ किए थे, इस आधार पर भार-शिवों का आस्तित्व कम से कम एक शताब्दी से पहले से चला आता होगा। भार-शिवों ने एक अपने धर्म की स्वतंत्रता और प्रधान राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। वाकटकों और गुप्तों ने भी भार-शिवों के इसी परम्परा को आगे बढ़ाया। वाकटक इतिहास-लेखकों ने इन भार-शिवों का इतिहास बहुत सुंदर रूप से सदा के लिये स्थायी कर दिया। आज तक कभी इतने संक्षेप में और इतना अधिक सार-गर्भित इतिहास नहीं लिखा गया था। वह इतिहास एक ताम्रलेख की निम्नलिखित तीन पंक्तियों में है-

> "अंशभार सन्निवेशितशिवलिंगोद्वाहनशिवसुतपरितुष्टसम्त्पादितराजवंशनाम् पराक्रम आधिगत= भागीरथी=अमलजलःमूर्धाभिषिक्तानाम् दशाश्वमेघ=अवभृथस्नानाम् भारशिवानाम्।"

अर्थात्- "उन भार-शिवों (के वंश) का, जिनके राजवंश का आरम्भ इस प्रकार हुआ था कि उन्होंने शिव-लिंग को अपने कंधे पर वहन करके शिव को भली भाँति परितुष्ट किया था-वे भार-शिव जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था-वे भार-शिव जिन्होंने दस अश्वमेघ यज्ञ करके अवभृत स्नान किया था।"[6] कुषाण शासकों के अंत के साथ ही भार-शिवों की शक्ति का उत्थान हुआ था। जिस समय उनका उत्थान हुआ था, उस समय उन्हें सबसे पहले कुषाण साम्राज्य का ही मुकाबला करना पड़ा था। वाकटकों के लेखों में एक भार-शिव राजा भवनाग का उल्लेख मिलता है। डॉ० जायसवाल ने अनेक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भार-शिव नागवंशी थे। पुराणों के अनुसार नाग वंश की कई शाखाएँ थीं। उन्हीं में एक विदिशा का नागवंश था जिसे वायु पुराण वृष अर्थात् शिव का साँड या नंदी कहा गया है।[7] शुंग राजवंश के अवसान हुए कई राजाओं के नामों के अंत में नंदी शब्द मिलता है। डॉ० जायसवाल के अनुसार भार-शिव उपाधि पीछे से ग्रहण की गयी थी, जो कि वायुपुराण के वृष और नंदी शब्द से संबद्ध है।

किवदंतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के विस्तृत भू-भाग पर भरों का शासन था। वे लोग डल और बल को अपना पूर्वज व नेता मानते थे। एक जन-श्रुति के अनुसार डल नामक भर सरदार ने ही डलमऊ नामक शहर की स्थापना की थी।[8] पंद्रहवीं शताब्दी में डलमऊ के समीप रहने वाले काकोर नामक किसी भर सरदार ने हाजी सैयद की पुत्री से विवाह करने का साहस किया था। हाजी ने इसकी शिकायत जौनपुर के सुल्तान इब्राहीम शाह शर्की से कर दी। डलमऊ के इन्हीं भर सरदारों के दो भाई कपूर और भावन सुदामनपुर में रहते थे। इब्राहीम शाह और हुसैनयति ने सैयद रुक्नुद्दीन और सैयद जहाँगीर तथा मलिक मकदूम शाह आदि के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर 803 हिजरी में होली के अवसर पर जब सभी भर सरदार मदिरा के नशे में मस्त थे तभी अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण में भर ताब न ला सके और बुरी तरह पराजित हुए। सुदामन पुर में लड़े गए इस युद्ध के बाद स्थानीय भरों के वंश का नाश हो गया। उस युद्ध के स्मरण में भरोतिया अहीरों की स्त्रियाँ आज भी नाक में नथुनी और हाथ में काँच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। डलमऊ में दुर्गा जी की मूर्ति के सामने बनी पत्थर की दो मानव मूर्तियाँ भर सरदार डल और मल की मूर्तियाँ बताई जाती हैं।[9] सावन के महीने में अहीर लोग उन पर दूध चढ़ाते हैं। सुदामनपुर के अहीर आज भी फाल्गुन की पूर्णिमा को होली नहीं जलाते हैं बल्कि उसके 15 दिन बाद होलिकोत्सव मनाते हैं। यही कारण है कि आज बहुधा लोग बैसवाड़ा के अहीरों को भरों के वंशज मानते हैं, किंतु अहीरों को भर मानना युक्ति संगत नहीं है। संभवतः भर विनाश के बाद उनकी कुछ विधवा स्त्रियाँ जो निराश्रित थीं, वे अहीरों के द्वारा अपना ली गयीं हो जिनसे अहीरों में भरोठिया (भर+उठिया= भरों से उठी हुई) शाखा प्रादुर्भाव हुआ हो। भरोठियों के यहाँ आज भी भर सरदारों की पावन स्मृतियाँ आज भी दिखाई देतीं हैं।

उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज भी भर नाम की एक जाति आदिवासियों की भांति पायी जाती है। जिनकी दशा देख कर इलियट, बेनेट, ओल्डमैन आदि विद्वानों ने भरों को द्रविड़ आदिवासी पहाड़ी जातियाँ स्वीकार करते हैं। बैसवाड़ा और अवध में भरों के पराभव के बाद भरों की स्त्रियों का एक वर्ग अहीर व अन्य जातियों में घुल-मिल गयी हो तो दूसरी ओर स्वाभिमानी दल गिरि-कंदराओं में लुकता-छिपता रहा हो और सभ्य वातावरण से दूर रहने के कारण आज आदि-वासियों के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इनमें शिव और शक्ति की पूजा- उपासना आज भी पाई जाती है। साथ ही उनमें शराब आम है। भरों ने अपने पीछे जो टीले छोड़े हैं और उन पर विशाल शिवमूर्ति अथवा शिव मंदिर उनकी शिवोपासना एवं भर शिव होने के प्रमाण हैं। ऐसे ही पन्हन के अचलेश्वर, पनई के भंवरेश्वर, गहिरी (रायबरेली) के गहिरेश्वर, दरियापुर के दरियेश्वर इत्यादि है।

रायबरेली में मोहनगंज के पास मुस्लिमों के कई गाँव आबाद हैं जो अपने को भरसइयां मुसलमान बताते हैं। इनके यहाँ विवाह भी आपस में ही होते हैं। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तक ये सभी बड़े जमींदार थे। भरसइयां शब्द की उत्पत्ति भी भारशिव शब्द से ही प्रतीत होती है। अमेठी, सुल्तानपुर की

सीमा से लगे जगदीशपुर, इन्हौना आदि स्थानों पर भरसइयां मुसलमान आज भी आबाद हैं।

गोंस महोदय का कहना है कि शर्यात वंशज आगे-चलकर सोइरी कहे गये और भृगु के वंशज भर कहलायें।[10] जौनपुर क्षेत्र में सोइरी समुदाय को भरों से पुराना समुदाय माना जाता है। जौनपुर क्षेत्र में भी भरों का आधिपत्य विशेष रूप से रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भरों ने हिंदुओं के विभिन्न समुदायों में रीति रिवाजों को ग्रहण करके उन्हीं में अपने को आत्मसात कर लिया।[11] भदोही जो आज कालीन निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है वहाँ के एक मकान की नींव खोदते समय तीर के फलक मिले हैं। उन फलकों को भरों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि भर एक लड़ाकू जाति थी, जो तीर और कमान का प्रयोग बहुधा करती थी।

असनी नामक कस्बा जो फतेहपुर में स्थित है। असनी को बसाने का श्रेय अश्वनी कुमार को जाता है जो सूरज के पुत्र थे।[12] गंगा के किनारे स्थित असनी दुर्ग का स्वामी 'चंदल भोर' था। इलियट ने चंदल भोर को चंदेल राजपूत माना है और वेनेट ने उन्हें भर माना है। वह चंदेलों की उत्पत्ति भरों से मानते हैं। उनका मानना है कि चंदेल भोर का शाब्दिक अर्थ 'आउट कास्ट भर' है। भर शासक शक्तिशाली होने पर अपनी जाति परिवर्तित करके कायस्थ हो गये। उसके वंशज क्षत्रिय माने जाने लगे और वे चंदेल राजपूत कहलायें। कन्नौज के प्रतिहार शासक महिपाल का यहाँ से एक अभिलेख भी मिला है।

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय कड़ा में भर राजा मानदेव का शासन था। मानदेव ने प्रतापगढ़ जिले में स्थित विहार को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी राजधानी विहार में एक सुंदर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। प्रतापगढ़ सदर से पूर्व की ओर जाने पर भरों के दुर्ग खण्डहर आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण भर राजा मानदेव के द्वारा कराया गया था। प्रतापगढ़ के अलीहा परगने में भरों से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। उनका एक कोट रंकी में आज भी खण्डित अवस्था में मौजूद है। मानदेव के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि तहसील पट्टी को बसाने वाला दौधदेव राजा मानदेव का सेनानायक था। 1188 ई. में पृथ्वी राज तृतीय ने अपने एक सरदार बल सिंह को मानदेव के विरुद्ध भेजा था। मानदेव युद्ध में सरदार बल सिंह से पराजित हुआ और मारा गया। मानदेव का सेनापति दौध देव को मोहम्मद गोरी से दौधपुर में अंतिम रूप से पराजित होकर धर्म परिवर्तित कर दौधखान बन गया। इसके बदले मोहम्मद गोरी ने उसे बारह गाँव की जमींदारी प्रदान की थी। ऐसे ही मानधाता ब्लाक में भी भर आबाद थे। शुंस के सोमवंशी राजपूतों ने मानधाता ब्लाक का क्षेत्र भरों से छीन लिया। इसके कुछ समय बाद मानदेव के नेतृत्व में भरों ने पुनः इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शुंस क्षेत्र के राजपूत पहले-पहल भरों के यहाँ नौकरी में आए। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भरों को इस क्षेत्र से निकाल भगाया। बड़ी संख्या में भर मानधाता के आस-पास से प्लायन कर तेरहवीं सदी के

पूर्वार्ध में आधुनिक उन्नाव क्षेत्र में बस गये। उन्नाव में उन्होंने गहरवाल वंश के ठाकुरों को पराजित कर "भक्कर" नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। ऐसा प्रतीत होता है गहरवाल राजपूत रामराधों ने आधुनिक कुण्डा क्षेत्र में भरों से बगावत कर दिया। इसमें मानिकपुर के बिसेन राजपूतों से मिलकर रामराधों ने भरों को पराजित कर दिया। प्रतापगढ़ के उत्तर-पश्चिम में विश्वनाथगंज के निकट वैशपुर (नामपुरवा) से भरों के आराध्य डीपाडीह तथा महादेव की नवीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमाएँ मिली हैं। जो भरों के इस क्षेत्र में होने का संकेत देती हैं।

कनिंघम ने चंदेलों की उत्पत्ति भरों से बताई है। भरों की कुल देवी मनिया देवी थीं। मनिया देवी का मंदिर हमीरपुर जिले के भरेल गाँव में स्थित है। मनिया देवी को संभवतः गोड़, भर तथा चंदेल तीनों इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। भर राजा मनियादेव ने मनियागढ़ में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। मनियागढ़ को बेस बनाकर भरों ने मध्य प्रदेश में केन नदी से लगे हुए क्षेत्रों पर शासन किया। मिन्हाज-उस-सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी में दलकी और मलकी नामक दो शासकों का उल्लेख किया है। मिन्हाज के अनुसार 1246-47 ई० में सुल्तान नासिरुद्दीन दोआब के मध्य से होता हुआ तिला सिंदह के किले को फतह किया और उसी वर्ष उसने दलकी और मलकी नामक शासकों के गांवों को नष्ट-भ्रष्ट कर उनके परिवार सहित उनके अन्य सेवकों को बंदी बना लिया। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता भी अपने ग्रंथ तारीख-ए-फरिश्ता में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में राजा दमकी (दलकी) और राजा मलकी के विरुद्ध सैनिक अभियान का उल्लेख इस प्रकार करता है- "2 शाबान, 645 हिजरी (1247 ई०) को नासिरुद्दीन महमूद दोआबा का दौरा करता है और बड़ी मेहनत व हिम्मत से नबरथ (कन्नौज) के दुर्ग को विजित कर लिया। इसी वर्ष इस्लामी तारीख के ग्यारहवें महीने में नासिरुद्दीन कड़ा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कड़ा विजय के लिए उसने खान-ए-आजम (बलबन) को सेना के साथ रवाना किया। बलबन ने दलकी और मलकी के गावों को खूब जी भर कर लूटा। दलकी और मलकी से बलबन की कई झड़पें हुई लेकिन अंत में बलबन विजयी रहा। शत्रु के परिवार के साथ उनके सेवकों को बड़ी संख्या में बंदी बनाकर नासिरुद्दीन की सेवा में उपस्थित हुआ। दलकी और मलकी का शासन जमुना नदी के किनारे स्थित क्षेत्र पर था। उन्होंने नासिरुद्दीन के पूर्व के सुल्तानों के समय उनकी सीमा के कई थानों को तबाह कर कलिंजर और कड़े से लेकर मालवा तक के तमाम क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था।"[13] मिन्हाज और फरिश्ता के ग्रंथों से यह स्पष्ट नहीं होता कि दलकी और मलकी किस वंश से थे? डब्ल्यू० सी० बैनेट व मेजर कनिंघम ने यह स्वीकार किया है कि कड़ा और कलिंजर के शासक थे। बैनेट ने दलकी और मलकी को भर शासकों की वंश परम्परा के स्वीकार करते है। कड़ा और कलिंजर के निर्माणकर्ता भर शासक केदार बताये जाते हैं। दलकी और मलकी के पूर्वज अजयगढ़ से संबंधित थे।

सुल्तानपुर में भी भर शासकों का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन खिल्जी के शासनकाल में सैयद

मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन नामक दो भाई कुशभावनपुर (सुल्तानपुर) में घोड़े के व्यापार के लिए गए थे। वहाँ के भर राजा नंदकुँवर से उनका विवाद हो गया। नंदकुँवर ने उनकी हत्या करवा दी। इस प्रकरण की सूचना अलाउद्दीन को हुई तो वह क्रोधित होकर कुशभावनपुर पर चढ़ाई कर दिया। अलाउद्दीन ने नंद कुँवर के विरुद्ध एक षडयंत्र रचा। उसने दोस्ती के बहाने सैकड़ों पालकियाँ तैयार करवाई और उन पालकियों में दासियाँ भेंट करने के नाम पर अलाउद्दीन ने पलकियों के अंदर छद्मवेश में अपने सैनिक बैठाकर गोमती नदी पार करके नंदकुँवर के खेमे में भेज दिया। वहाँ पर पहुँचकर अलाउद्दीन के सैनिकों ने भरों को पराजित कर दिया। इस प्रकार कुशभावनपुर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कनिंघम के अनुसार कुशभावनपुर का नाम श्री राम जी के छोटे पुत्र कुश के नाम पर पड़ा था। कुशभावनपुर या कुश स्थलीय में भरतीपुर नामक स्थान भर वंश की राजधानी थी। सुल्तानपुर के इसौली परगने की स्थापना भर राजा इसौल ने की थी। नंदकुँवर के बाद सुल्तानपुर के नए महाराजा इसौल हुए। उनका शासनकाल 1302 ई० से 1327 ई० तक माना जाता है। अलाउद्दीन ने महाराजा इसौल के विरुद्ध मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर ने वैस जाति के क्षत्रियों के सहयोग से इसौल को पराजित कर उनके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वैस क्षत्रियों को उनकी सेवा के बदले अलाउद्दीन ने उन्हें "भाले सुल्तान" की उपाधि प्रदान किया। महाराजा इसौल के पराजित होने के पश्चात् सुल्तानपुर से भरों का प्लायन आरम्भ हो गया।

अवध क्षेत्र में मुसलमानों का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लगभग एक सौ पचत्तर वर्ष पूर्व सालार मसूद गाजी के हिंदुस्तान आने के बाद हो गया था। अवध क्षेत्र में इस्लाम धर्म को लोकप्रीय बनाने का श्रेय सैय्यद सालार मसूद को जाता है। इस क्षेत्र में उनकी दावत पर अनेक हिंदुस्तानी मुसलमान होकर विभिन्न स्थानों पर अपने पीर के आदेश पर दावत के लिए गये। गजी मियाँ (सैय्यद सालार मसूद गाजी) के पिता सालार साहू महमूद गजनवी के एक टुकड़ी के सेनापति थे। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात् सालार साहू 1030 ई. में हिंदुस्तान आये और सतारिख को अपना केंद्र बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजी। उनका एक विश्वासपात्र सैनिक फिरोज उमर ने तीन जासूसों को पकड़ा जो कड़ा-मानिकपुर के राजा द्वारा भेजे गए थे। उन जासूसों के पास बहराइच के आस-पास के राजाओं के लिए लिखित पत्र भी थे जिसमें सालार मसूद के विरुद्ध लामबंद होने की बात कही गयी थी। उन जासूसों में एक नाई भी था जिसने मसूद गाजी को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। नाई को उसके कुकृत्य के लिए मौत के घाट उतार दिया गया।[14] सतरख से सालार साहू एक विशाल सेना लेकर कड़ा-मानिकपुर की ओर कूच किया। कड़ा के समीप पहुँचकर सालार साहू ने अपनी सेना के दो हिस्से कर एक सैन्य टुकड़ी को कड़ा और दूसरी टुकड़ी को मानिकपुर की तरफ रवाना किया। सालारी सेना ने कड़ा से देवनारायण और मानिकपुर से भोजनेर को बंदी बनाकर सतरख भेज दिया गया। कड़ा-मानिकपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र

सालार साहू के अधिकार में आ गये। सालार साहू ने मलिक अब्दुल्लाह को कड़ा का और मलिक कुतुब हैदर को मानिकपुर का शासन प्रबंध सौंपकर[15] स्वयं सतरख रवाना हो गए। सालार साहू सतरख वापस जाते हुए रायबरेली को फतह कर वहाँ का शासक मलिक अब्दुल्लाह को नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सालार साहू कड़ा-मानिकपुर प्रवास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विजय के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे होंगे। इन टुकड़ियों के सरदार उन क्षेत्रों को जीतकर वहीं आबाद हो गए।

संभव है कि इसी समय उन्होंने मऊआइमा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अपने सैनिक भेजे हो और वे सैनिक यहाँ पर आबाद हो गये। स्थानीय परंपरा में ये बात आम है कि मऊआइमा में मुसलमानों को स्थानीय भरों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। इसकी शिकायत दिल्ली के सुल्तान तक की गयी थी, जिसका आगे उल्लेख करेंगे। गाजी मियां कभी मऊआइमा नहीं आये किंतु उनके शिष्य जो मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम की दावत लेकर इस क्षेत्र में आये और इस क्षेत्र में आबाद हो गये। इस प्रकार सालार साहू के कुछ सैनिक और गाजी मियां के अनुयायी, इस क्षेत्र में आने वाले पहले मुसलमान थे। आज भी गाजी मियाँ के नाम का मेला मऊआइमा के तकिया में प्रत्येक वर्ष लगता है। ये मेला कब से यहाँ शुरु हुआ इसका प्रमाण नहीं मिलता किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस मेले कि शुरुआत गाजी मियाँ के उन्हीं शिष्यों द्वारा शुरु की गयी थी, जो आकर इस क्षेत्र में आबाद हो गये थे। मऊआइमा के ऐतिहासिक मेलों में सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। जहाँ पर ये मेला लगता है वहाँ पर कई लाहौरी ईंटों की कब्रें हैं जो बहुत पुरानी मालूम होती हैं। गाजी मियां कि एक प्रतिकात्मक मजार सिकंदरा में स्थित है, किंतु इसका निर्माण बहुत बाद में किया गया है। प्रत्येक रविवार को यहाँ मेला लगता है। मुगल शहंशाह अकबर के समय सिकंदरपुर (सिकंदरा) एक परगना या महाल था।

बारहवीं सदी में देहली और कन्नौज उत्तर भारत के दो प्रमुख राजधानी थी। 1194 ई. में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने देहली और कन्नौज को हस्तगत कर लिया; और पूर्व में काशी तक अपना अधिकार जमा लिया था। उसी समय से प्रयाग और उसके आस-पास क्षेत्रों पर मुसलमानों का प्रभाव स्थापित होने लगा था। तेरहवीं सदी के आरम्भ में (कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में) कड़ा पूर्ण रूप से मुसलमानों के अधीन आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र की शासन व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से कड़ा को अपना पूर्वी प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्रयाग सहित मऊआइमा भी कड़ा के अधीन चला गया। कड़ा में तुर्की सैनिकों ने गंगा नदी के तट पर स्थित राजा जयचंद्र के किले को अपना निवास स्थान बनाकर उस क्षेत्र पर शासन करने लगे। तब से लेकर तीन सौ वर्ष से अधिक समय तक प्रयाग, सोरांव, नवाबगंज, लालगंज, प्रतापगढ़ फूलपुर, श्रृंवेरपुर, भरवारी, मानिकपुर आदि के आस-पास के क्षेत्र कड़ा के अधीन क्षेत्रों में शामिल हो गये। उस समय आवागमन गंगा नदी से खूब होता था। मऊआइमा से 22 किमी दूर गंगा नदी आज भी बहती है। इस

क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। संभव है कि तुर्क सैनिक लगान की वसूली के लिए यहाँ आये हो और इस क्षेत्र की आबो-हवा उन्हें रास आयी और यहीं आबाद हो गये हों। 1247 ई. में दिल्ली के आठवें सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, अपने सेनापति अलग अलग खाँ के साथ कड़ा आया और उसने यहाँ के आस-पास के हिंदू राजाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किया। नासिरुद्दीन महमूद ने कड़ा से कई सैन्य टुकड़ी विभिन्न दिशाओं में विजय के लिए भेजी। संभव है कि नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गयी सैन्य टुकड़ी ने मऊआइमा और उसके आस-पास के क्षेत्रों तक चढ़ाई किया हो, स्थानीय परम्परा में लोग आज भी ये कहते हुए मिलेंगे कि मऊआइमा पर कई बार मुसलमानों ने चढ़ाई किया लेकिन भर राजाओं ने उन्हें टिकने न दिया।

1253 ई. में अलग खाँ कड़ा का सूबेदार नियुक्त हुआ। तीन वर्ष तो उसने यहाँ पर शान्ति से शासन किया। कड़ा के अधीन क्षेत्रों का लगान जब उसे नियमित रूप से मिलने लगा, उसके मन में सुल्तान के प्रति विद्रोह की भावना पनपने लगीं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने लगान में सुल्तान का हिस्सा भेजना बंद करके सैनिकों की भर्ती शुरु कर दिया। सुल्तान ने अलग खाँ की कपटता भांपते हुए अर्सला खां को भेज कर कड़ा अधिकृत कर लिया। बलबन के शासनकाल में भी यहाँ विद्रोह हुआ था। उसने अर्सला खां को विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मलिक छ्ज्जू ने कड़ा में विद्रोह कर दिया। युवराज अलाउद्दीन को सुल्तान ने मलिक छ्ज्जू के विद्रोह के दमन के लिए कड़ा भेजा। अलाउद्दीन ने कड़ा पहुँच कर सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। इसकी सूचना सुल्तान को पहुँची तो सुल्तान ने प्रसन्न होकर अलाउद्दीन को कड़ा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1296 ई. में अपने चाचा और ससुर की कड़ा में विश्वासघात करके हत्या कर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लखनौती को विद्रोही नगर के रूप में जाना जाता था। कड़ा भी मध्यकालीन इतिहास का दूसरा विद्रोही नगर था। लखनौती और कड़ा में बार-बार होने वाले विद्रोह के कारणों पर नजर डाले तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर विद्रोह का प्रमुख कारण यहाँ की समृद्धि थी। कड़ा दोआबा का क्षेत्र है यहाँ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ का खिराज जिसने भी प्राप्त किया, उसके मन में लालच घर कर गयी और सुल्तान से बगावत को सोचने लगा। दूसरा यह कि ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और दिल्ली से 18 मंजिल दूर स्थित होने के कारण विद्रोहियों को अनुकूलता प्रदान करते थे। सुल्तान जब तक सेना कड़ा भेजता विद्रोही आसानी से भाग जाते थे।

इतिहास में रुचि रखने वालों का कहना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि जब अलाउद्दीन कड़ा का गवर्नर था तो मऊआइमा के मुसलमानों की एक जमात कड़ा में अलाउद्दीन से मिलकर मऊआइमा में हो रहे भरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। अलाउद्दीन ने जो सैन्य

टुकड़ी भरों के विरुद्ध मऊआइमा भेजी थी, उसने मऊआइमा को अपने अधिकार में ले लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन ने जो सेना मऊआइमा को भरों से मुक्त कराने के लिए भेजी थी उसे त्वरित सफलता तो मिल गयी। 1296 ई. में अलाउद्दीन के सुल्तान बनकर कड़ा से दिल्ली की ओर जाते ही मऊआइमा में पुनः भरों का बोलबाला हो गया था। संभव है कि अलाउद्दीन ने कुछ सैनिक मऊआइमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए हो और भरों ने उनकी हत्या करके मऊआइमा को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मऊआइमा क्षेत्र के तकिया और गंज-ए-शोहदा में स्थित अनेक पुरानी कब्रें उन्हीं सैनिकों की हैं जो भरों से लड़ते हुए मारे गये थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में (1350 ई.) निजाम सूबेदार कड़ा में बागी हो गया था।

सुल्तान फीरोजशाह तुगलक के समय मऊआइमा पूर्ण रूप से मुसलमानों के अधीन आ गया। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख-ए-फीरोजशाही में लिखा है कि सुल्तान फीरोजशाह के समय लखनौती के शासक इलियास के विद्रोह कर दिया था। शाही सेना उसके विद्रोह का दमन कर दिल्ली लौट रही थी और जब शाही सेना ने कड़ा व मानिकपुर में गंगा नदी पार की तो उसने उन स्थानों के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया और बहुत से लोगों को अक्तायें, मरातिब (बादशाही के विशेष चिन्ह) तथा हश्म (रखने की अनुमति) प्रदान की। कड़ा मानिकपुर के सैय्यदों, आलिमों, सूफियों तथा साधारण लोगों की प्रार्थनायें स्वीकार की गई और इन स्थानों के दीनों तथा दरिद्रों को अत्यधिक दान पुण्य किया गया।[16] इलाहाबाद गजेटियर के अनुसार "The Sheikhs of Mau Aima, an ancient family claiming descent from Maulana shah Kamal-ud-din, who obtained the revenue-free grants of Mau Aima in the days of Jalal-ud-din Firoz Shah from the Sultan's nephew, Ala-ud-din Muhammad Khilji, then governor of Kara.[17] गजेटियर की बात सही माने तो मौलाना कमालुद्दीन जलालुद्दीन के समकालीन थे, किंतु इस बात का साक्ष्य नहीं मिलता कि मौलाना कमालुद्दीन किस सुल्तान के समय मऊआइमा आये थे। इस बात का साक्ष्य अवश्य मिलता है कि मौलाना कमालुद्दीन अवधी का वर्णन निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-अकबरी में फीरोजशाह तुगलक के द्वारा सलाह के लिये बुलायी गई प्रथम महफिल में किया है।[18] मौलाना कमालुद्दीन जलालुद्दीन फीरोज खिलजी के समकालीन नहीं बल्कि तुगलक वंश के सुल्तान फीरोजशाह तुगलक के समकालीन थे। इस बात का दूसरा प्रमाण ये है कि मऊआइमा की एक मस्जिद जो लल्लन मियाँ वाली मस्जिद के नाम से महतवाना (कोट) मऊआइमा मौजूद है। उसमें लगे पत्थर पर जो इबारत खुदी है वह खण्डित अवस्था में फीरोजशाह तुगलक के शासनकाल का है। उसकी इबारत इस प्रकार है-

"शाहान-ए-इमाम-ए-अहद सुल्तान-उल-मुअज्जम आजम
अबुल मुज्जफर फीरोज शाह तुगलक।"

लल्लन मियाँ के नाम से प्रसिद्ध मस्जिद से प्राप्त पत्थर पर लिखी फारसी इबारत

ऐसा प्रतीत होता है कि मौलाना कमालुद्दीन ने मऊआइमा के भरों के अत्याचार का हाल फीरोज शाह तुगलक को सुनाया तो उसने एक लश्कर मौलाना कमालुद्दीन के नेतृत्व में मऊ–आइमा फतह करने के लिए भेजा। कमालुद्दीन के नेतृत्व में जो सेना मऊआइमा आयी थी वह पहली बार भरों से पराजित हो गई। कुछ स्थानीय व्यक्तियों (जो इस्लाम स्वीकार कर चुके थे) ने इस्लामी सेना को सुझाव दिया कि यदि होली के अवसर पर जब सभी भर शराब के नशे में मस्त रहेंगे उसी समय दुर्ग पर आक्रमण करें तो उन्हें पराजित किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पराजित होने के बाद मौलाना कमालुद्दीन सुल्तान से और सैनिक सहायता लेकर होली के अवसर पर जब सारे लोग शराब के नशे में मस्त थे, उनके दुर्ग के द्वार खुलवाने में सफल हो गए और इस प्रकार मुस्लिम सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एक और कहावत स्थानीय लोग कहते हुए मिल जायेंगे कि जब मौलाना कमालुद्दीन ने दूसरी बार मऊआइमा पर चढ़ाई किया तो भरों के दुर्ग का द्वारपाल मुसलमानों से मिल गया था और शाम को जब मुस्लिम सेना ने मऊआइमा में प्रवेश लिया तो द्वारपाल ने दुर्ग का द्वार मुस्लिम सैनिकों के लिए खोल दिया। अचानक आक्रमण से भर राजा ताब न ला सका और दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

प्राप्त स्रोतों के आधार पर मऊआइमा में मुसलमानों द्वारा बनायी गई पहली मस्जिद का निर्माण एक ऊँचे चबूतरे पर किया गया था जो आज भी लल्लन मियां वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। पुराने लोगों का कहना है कि उक्त पत्थर पहले मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगा था। समय के साथ मुख्य द्वार गिर गया तब से ये पत्थर मस्जिद के अहाते में रख दिया गया है। इस मस्जिद को गुंबदविहीन बनाया गया है और इसकी बाहरी दीवारों पर प्लास्टर पर बनी सुंदर बेल–बूटों की आकृती है, जो देखने में तुगलककालीन कला की याद दिलाती है। शरा के विरुद्ध प्रतिबंधों की चर्चा करते हुए जियाउद्दीन

बरनी तारीख-ए-फीरोजशाही में लिखता है कि "बादशाहों का यह नियम है कि उनके विश्राम करने के स्थान पर चित्र बनाये जाते हैं जिसमें वे एकांत में उन चित्रों पर नजर डालें। सुल्तान फीरोजशाह ने ईश्वर के भय के कारण ये आदेश दे दिया कि चित्रों के स्थान पर बेल-बूटे बनाये जायें।"[19] लल्लन मियाँ वाली मस्जिद के बाहरी प्लास्टर पर बने बेल-बूटों के निशान अब केवल बाहरी दीवार पर ही देखी जा सकती है। मस्जिद के शीर्ष भाग का मूल ढाँचा गिर जाने के कारण नवाबों के शासनकाल में पुनः इसकी छत लदाव तकनीक् पर बनाई गयी और उसी रूप में आज भी मौजूद है। यह मस्जिद इस क्षेत्र की ही नहीं इलाहाबाद जिले की सबसे पुरानी मस्जिद है। वर्तमान में कस्बे से लगे चारों-दिशाओं में जो आज सिकुड़कर तालाब के रूप में बचें हैं किसी जमाने में वह बड़े जलाशय थे। भरों का जो दुर्ग मऊआइमा कस्बे में था ऐसा प्रतीत होता है मिठवा, बोहरा, दोबघटा, गुलरा जो आज सिर्फ तालाब के रूप में बचें है पहले एक बड़ा जलाशय था, जो उस दुर्ग की उत्तरी सीमा को सुरक्षा प्रदान करता रहा हो। सल्तनत काल में मऊआइमा कड़ा के सूबेदार के अधीन बना रहा। किंतु स्रोतों के अभाव में यहाँ पर नियुक्त किसी सल्तनत काल के अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं मिल सका है। मुगल सम्राट अकबर के इलाहाबाद बसाने से पूर्व मऊआइमा में मुसलमान आबाद हो गये थे। अकबर जब शासक बना तो उसने मऊआइमा को सोराँव परगने के अधीन कर दिया। अबुल फज्ल सोराँव परगने की आय का उल्लेख आइन-ए-अकबरी में किया है। स्थानीय परम्परा के अनुसार अकबर के समय काजी तैयब मऊआइमा के काजी थे। उनकी मजार आज भी मुस्तफाबाद (मऊआइमा) में देखी जा सकती है। बाद में मऊआइमा कुछ समय के लिए अवध के नवाब के अधीन रहा।

प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभाव जैसे-जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलता गया। मऊआइमा भी इससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपने वफादार जमींदारों को उनका पद, अधिकार एवं क्षेत्र इस शर्त पर बहाल रहने दिया कि वे तयशुदा रकम सालाना मालगुजारी के रूप में अंग्रेजी सरकार को देते रहेंगे। 1857 के गदर में मौलवी लियाकत अली ने सोराँव को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। 1857 के बगावत कुचलने के बाद अंग्रेजों ने मऊआइमा के महतवान परिवार के तीन लोगों तुराब अली, शुबहान अली और शेख सूली को मऊआइमा में गदर भड़काने के आरोप में फाँसी पर चढ़ा दिया तथा अन्य अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वालों की इमलाक जब्त कर उनको तहस नहस कर दिया।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. UTTAR PRADESH DISTRICT GAZETEERS, PRATAPGARH, DANGLI PRASAD VARUN, ALLAHABAD, 1980, P-17.
2. ओरिजनल इन्हैबिटेंट ऑफ भारतवर्ष, भाग-2, पृ. 37.

3. सुल्तानपुर सेटिलमेंट रिपोर्ट, पृ. 87.
4. अंधकार-युगीन भारत, अनु०राम चंद्र वर्मा, काशी-नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्राकाशित, 1995, पृ० 61.
5. अंधकार-युगीन भारत, पृ.10.
6. अंधकार-युगीन भारत, पृ.11 व 12.
7. वृषांन् वैदिशकांश्चापि भविष्यांश्च निबोधत, वायुपुराण, 2-37-360.
8. नेविल- रायबरेली गजेटियर- पृ. 130.
9. रायबरेली सेटिलमेंट रिपोर्ट, 1872, पृ. 15.
10. बर्गेस जास, शर्की आर्किटेक्चर ऑफ जौनपुर, पृ०104.
11. डिस्ट्रिक गजेटियर जौनपुर, पृ. 15.
12. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, एच.एम. ईलियट, लन्दन, 1869, पृ. 458.
13. फरिश्ता, भाग-1, पृ. 185.
14. ईलियट एवं डाउसन, भारत का इतिहास, हिंदी अनु०, आगरा, 1974, पृ. 391.
15. मौलाना सैयद मोहम्मद अबुल हसन शाह मानिकपूरी, आइन-ए-अवध, निजामी प्रेस, कानपुर, 1303 हिजरी पृ. 36.
16. तारीख-ए-फीरोजशाही अनु. सैयद अतहर अब्बास रिजवी, तुगलक कालीन भारत, भाग-2, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 45.
17. District Gazetteers of The United Provinces Of Agra And Oudh, H-R- Nevill, Government Press United Provinces, Allahabad, P.111.
18. निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, अनुवाद सैयद अतहर अब्बास रिजवी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ.342.
19. सैयद अतहर अब्बास रिजवी, तुगलक कालीन भारत, भाग-2, राजकमल प्रकाशन, 2008, पृ. 183-84.

आधुनिक काल में सशक्त स्त्री की दशा एवं दिशा

राजश्री
(हिंदी शोधार्थी)
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
*****डॉ० चित्रलेखा***
सह–प्राध्यापक,
बीएस कॉलेज दानापुर, पटना

आधुनिक काल का अर्थ

आधुनिकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिकन क्रांति के फल स्वरुप कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए हैं, जो प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के नाम है, जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया गया है। आधुनिक शब्द के शब्द मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण है। जिसका अभिप्राय है, प्रचलन या फैशन जो भी समकालीन है अर्थात वर्तमान समय में चलन मे है, वही आधुनिक है।

परिभाषा

आधुनिक के संदर्भ में 'डेनियल लर्नर' ने परिभाषा देते हुए कहा– आधुनिक प्रगति उन्नति की ओर समानता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था है।[1]

प्रस्तावना

स्त्री का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुराने संस्कृति है। यह एक विडंबना ही है कि भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। एक तरह से तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तो दूसरी ओर से उसे बेचारी अबला भी कहा जाता है। इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने स्त्री के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई है। प्राचीन काल से ही स्त्री को इंसान के रूप में देखने के प्रयास संभवतः कम हुए हैं। पुरुष के बराबर स्थान एवं अधिकारों की मांग में भी उसे अत्यधिक छला है। अतः वह समाज तक 'मानवी' का स्थान प्राप्त

करने से भी वंचित रही है।

सदियों से समय की धार पर चलती हुई स्त्री अनेक विडम्बनाओ और विसंगतियों के बीच जीती रही है। पूजा, भोग्या, सहचरी, सहधरमिणी, मां, बहन एवं अर्धांगिनी इन सभी रूपों में उसका शोषित और दमित स्वरूप दिखाई पड़ता है।

आधुनिक स्त्री में बदलाव

आधुनिक काल में स्त्री अपनी अस्मिता, पुरानी मान्यताओं का संघर्ष रुढियों और बंधनो की जकड़न इन सब के प्रति विद्रोह करके अपने आप को एक नया सांचा दिया है। आधुनिकता का अर्थ ही है अपनी पहचान। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं का व्यक्तित्व, विकास, क्षमता, समर्थ, कर्मठता, निर्भीकता और आत्मविश्वास से भरा ऐसा नारीत्व की पुरुष उसका सम्मान करें, उसकी शक्ति को पहचाने, उससे प्रेरणा प्राप्त करें और उसे पाने के लिए प्रयत्न करें। कुछ बनाकर दिखाएं। आधुनिक काल में नारी अपनी अस्मिता के प्रति सचेत होने लगी। उसने पुराने अंधविश्वास, परंपराओं का विघटन, पुरानी मान्यताओं का संघर्ष, रूढ़ियों और बंदों की जकड़न इन सब के प्रति विद्रोह करके अपने आप को एक नया सांचा दिया है। आधुनिक स्त्री आर्थिक स्वालंबन की मांग करती है, ताकि वह शोषित न रह सके।

'मैत्रयी पुष्पा' ने बेतवा बहती रही में नारी की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है– "विभिन्न मानसिकता के दो मुंह समाज में आज की नारी वस्तु मात्र संपत्ति विनिमय की चीज है।[2] नमिता सिंह 'अपनी सलीबे' में नारी की वर्तमान स्थिति का बयान इस प्रकार करती है– "यह जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने जंगल से निकलने वाली पगडंडी का नाम है कब किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे किस पेड़ के पीछे से जंगली सूअर दौड़ता हुआ आए और टक्कर मार कर गिरा दे।"[3]

स्त्रियों का अस्तित्व संकटमय

स्त्री परिवार की धुरी है अत: मुख्य रूप से सामाजिक संदर्भों की बारीक जांच पड़ताल ही उसकी अस्मिता की खोज कर सकती है। परिवार में उसकी विभिन्न भूमिकाएं, नारी के प्रति उपयोगिता दृष्टिकोण, सहनशीलता की सीमा, पुरुष सहकर्मियों की दृष्टिकोण, नारी को मात्र देह मानकर सामाजिक नैतिकता के मानदंड उसे एक वस्तु समझना यह सब बातें आधुनिक नारी के अस्तित्व को संकट में बना देती है। 'आधुनिक स्त्रियों में विद्रोह की भावना'–

आधुनिक स्त्री जब–जब कलम उठाती है पुरुष परेशान में पड़ जाते हैं। उनका अहम घायल होता है और स्त्री को बराबरी से जीने और समान अवसर पाने की आकांक्षा में उन्हें हर तटस्थ समीक्षा में

भी बगावत के स्वर सुनाई देते हैं। पुरुषों को आईना ना पसंद है और स्त्री दिखाएं तो उनके विवेक का बांध टूट जाता है। आजादी के बाद स्त्री चेतना में तेजी से परिवर्तन हुआ उसकी संघशीलता में, जुझारू क्षमताओं में और स्त्री चुनौती को स्वीकार करने में निसंदेह परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा रोजगार के अवसरों और समानता के अधिकारों में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी नैतिकताओं, मान्यताओं, मूल्य और सामाजिक मानसिकता के कारण अनेक विसंगतियां में स्त्री जीवन पर दोहरे मानदंडों को लागू किया गया है। यह भयंकर रोग सामाजिक रोग की तरह कानून और अंधविश्वासों के दोहरे शिकंजो ने स्त्री मन को आहत भी किया है, और विद्रोही भी बनाया है।

आदिकाल से आधुनिक काल तक दर असल पुरुष की हर युग में कमोवेश यही धारणा रही है स्त्री को लेकर मन बहलाने के लिए एक सुंदर देह और बच्चा पैदा करने के लिए एक उर्वरक कोख इससे ज्यादा औरत के अन्तर्मन झांकने की अहमत पुरुष नहीं उठाता।"[4]

जब तक शरीर से आगे जाकर दिमाग के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे तब तक केसे समझेंगे कि यही दबदबा है। स्त्री पुरुष के बीच यही संघर्ष है। पुरुष, स्त्री के लिए महल बनवाए, तमाम संसाधन जुटाए, सुविधाए इसलिए नहीं सब किया कि स्त्री चाहती है, बल्कि इसलिए कि इसे स्वयं उसका सामाजिक रुतबा बढेगा। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज के लिए नहीं, अपने वैभव को प्रति फलन के लिए बनवाया था। अपनी हैसियत के विस्तार के लिए ऐसी इमारतें बनाई गई फिर भी मुमताज खुश होने के लिए दुनिया थी ही कहा।"[5]

'सशक्त स्त्री की दशा एवं दिशा'- आधुनिक समाज में अगर दृष्टि डाला जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि मानव समाज के मूलभूत ढांचे पर पुरुष की तरह स्त्री की भी बराबरी भूमिका रही है। भारतीय समाज में पुरुष की प्रधानता रही है इसलिए स्त्री को कमजोर मानते हुए उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया। परंतु धीरे-धीरे जब वैज्ञानिक आविष्कार हुए और शिक्षा का प्रसार हुआ तो स्त्री को भी समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख माना गया, और उन्हें पुरुष के के भाती दर्जा प्राप्त होने लगा। आधुनिक समय में हम देखे तो समाज का चाहे कोई भी क्षेत्र हो नारी पीछे नहीं है। उदाहरण के रूप में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने मैदान में जंग लड़कर अंग्रेजों से टक्कर ली, फिर 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम में कस्तूरबा गाँधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ सहयोग दिया वरन अग्रणी रहकर स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लिया। फिर राजनीति की नब्ज पहचानने वाली महिलाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात 20वीं सदी के अंत में 21वीं सदी के शुरुआत में देशभर में अपनी योग्यता से परचम लहराया है। इंदिरा गांधी, जय ललिता ममता बनर्जी, नजमा हेपतूल्ल, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल जैसे समस्त सशक्त महिलाओं ने अपनी क्षमताओं से अपने राजनीतिक

प्रतिद्वंद्वियों को ललकारा है। खेल सहित्य, संगीत, अंतरिक्ष विज्ञान, पुलिस तथा उच्च दर्जे के उद्योगों में साइना नेहवाल, महाश्वेता देवी, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी स्त्रियों ने देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, कि चाहे स्त्री तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और सफलता प्राप्त कर सकती है। इन महिलाओं ने अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है और देश का नाम रौशन किया है।[6]

इन सभी उदाहरणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समय आ गया है कि पुरुष स्त्री की योग्यता को समझकर उसे घर की बंदिशों में रखकर चार दिवारी में रहने के लिए विवश न करें। पारिवारिक जीवन में उसे सहयोग दें, वे पुरुषगत अहम एवं ईर्ष्या को छोड़कर यदि पत्नी में योग्यता है तो उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। अन्यथा वे विद्रोह करके भी सफल होकर ही रहेगी।[7]

यह सभी विचार विमर्श उन स्त्रियों को है जिन्हें परिवार ने विशेष सहयोग प्रदान किया है, और वह सक्षम घराने से संबंधित रही है। किंतु व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो आधुनिक समाज में आज भी स्त्री अपनी जागरूकता के अभाव में एवं शिक्षा की कमी के कारण आज भी विशेष रूप से अग्रणी स्त्रियां आधुनिक समाज में विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई है। अत: स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में स्त्री की दशा सशक्त हो गई है, किंतु व्यावहारिक तौर पर इतनी मात्रा में सशक्त नहीं हो पाई है जीतनी की आधुनिक समाज की जरूरत है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आधुनिक समाज में पिछले कुछ दशकों में भारत में महिलाओं ने बहुत प्रगति की है और भारत को विकासशील राष्ट्र बनाने में उनका भरपूर योगदान है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें स्त्री पुरुषों से पीछे हो। और जब कोई स्त्री अपने चुने हुए कार्य में शिखर तक पहुंचती है तो वह देश की सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। उद्यमी और सफल भारतीय स्त्रियों के प्रेरणात्मक कार्य से आधुनिक समाज आगे बढ़ रहा है। आधुनिक समाज में स्त्री अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए आगे आ रही है, और स्वयं स्वावलंबी बनाने के लिए अग्रसर हो रही है। आज भी स्त्री की स्थिति सुधारने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी सभी स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी सभी मायने में भारतीय स्त्री संपूर्ण रूप से सक्षम एवं सशक्त बन पाएगी।

अबला नहीं सबला है नारी
आगे नारी, पीछे पुरुषों की है बरी
हर अवसर में पुरुषों के बराबरी नारी है अधिकारी।
"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता।"[8]

अर्थात हमारे भारतीय इतिहास की परंपरा रही है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वही देवता वास करते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत सामाजिक और पारिवारिक जीवन के संचालन में पुरुषों के समान स्त्रियों की भूमिका रही है। जीवन संचालन में पुरुषों की तुलना में प्रकृति को महिलाओं का साथ अधिक चाहिए। स्त्री मात्र सुंदर और प्रेम की ही प्रतिमूर्ति नहीं है, आज स्त्रियों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि पुरुष उसके बढ़ाते हुए अस्तित्व को देखकर स्वयं रसोई घर में उसका हाथ बटाने लगा है। पहले उसे हेय समझा जाता था परंतु अब पुरुषों के मानसिकता में भी परिवर्तन आया है।

उपसंहार

भारत में शताब्दियों की पराधीनता के कारण स्त्रियां अभी तक समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है जो उन्हें मिलना चाहिए। वही हमारी सभ्यता और संस्कृति परंपरा और शिक्षा के प्रसार तथा नित्य प्रति बढ़ रही जागरूकता के कारण भारत की नारी आज भी दुनिया की महिलाओं से आगे है। पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की प्रगति में अपना सहयोग दे रही है।

यह दुनिया पल-पल बदलती रही है और स्त्रियों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलते रहना होगा। आज हम देखते हैं कि भारत के स्त्री समाज में तेजी से जागृति आ रही है। पुरुषों ने भी स्त्रियों का महत्व को समझना शुरू कर दिया है। थोड़ी ही समय में स्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि स्त्री संसार की किसी भी जाति अथवा बुद्धि, सौंदर्य और वीरता में कम नहीं है।

युग युग से नर की दासी बन,
जिसने सही यातना भारी
शूर सपूतों की हो जननी
महापीड़िता भारत नारी
रही सदा अनुरूप नरो के
किंतु उपेक्षित दास अभी है।
बढ़ेगा, जब नारी सम्मान
भारत का कल्याण तभी है।

संदर्भ सूची

1. बोरा, डॉक्टर राजकमल, आधुनिकता और राष्ट्रीयता औरंगाबाद महाराष्ट्र, सत्र- 2002, पृष्ठ संख्या- 4
2. बेतवा बहती रहे उपन्यास, मैत्रयी पुष्पा, पृष्ठ संख्या -28

3. अपनी सालीबे, नमिता सिंह, पृष्ठ संख्या- 45
4. स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, पृष्ठ संख्या- 153
5. स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, पृष्ठ संख्या- 151
6. गर्ग चित्रा, भारतीय शेखर महिलाएं, राज्यपाल एंड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली- 6, सत्र- 2012, पृष्ठ संख्या -5-6
7. गर्ग चित्रा, भारतीय शेखर महिलाएं राज्यपाल एंड सन कश्मीरी गेट दिल्ली- 6, सत्र-2012, पृष्ठ संख्या- पृष्ठ संख्या 6
8. आदिले डॉक्टर प्यारेलाल, नियमित डायरी लेखन, 8 अगस्त, सत्र-2020 पृष्ठ संख्या -21

‘हंस’ के संपादक राजेंद्र यादव का संपादकीय

कुमारी विभा

एम० ए०, नेट

शोधार्थी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

28 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे ‘हंस’ के संपादक राजेंद्र यादव आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने न केवल साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ख्याति अर्जित की बल्कि ‘हंस’ के संपादक के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर 28 अक्टूबर 2013 को इस दुनिया से विदा हो गए।

हिंदी कथा साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजेंद्र यादव का व्यक्तित्व जुझारू एवं बहुमुखी साहित्यकार का रहा है। वे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण और आलोचना के साथ एक संपादक के रूप में काफी विख्यात रहे। साहित्य के किसी भी स्तर पर उनकी उपस्थिति वातावरण में हलचल पैदा कर देती थी। वे अपनी बात को बड़ी ठसक के साथ प्रस्तुत करते थे। इसका मुख्य कारण था उनकी अपनी स्वतंत्र सोच और कार्य के प्रति जवाबदेही।

इस संबंध में संपादक संजीव ने लिखा है ---“इस तरह देखा जाय तो राजेंद्र ने अपने लिए औरों से बिलकुल अलग जमीन तलाशी। इस तरह काफ्का, चेखव, गोर्की से लेकर हेमिंग्वे, कहीं-कहीं तो हेनरी और मोपांसा तक की प्रभावछायाओं की धूपछाहीं में राजेंद्र कहानी को जिस मुकाम तक ले आए हैं वह औरों से अलग उनकी अपनी ही जमीन है, अपना ही स्पेस।”[1]

कला के पारंपरिक स्वरूप के बर-अक्स उनका मानना था कि ---“मगर जहां जिंदगियां दाँव पर लगी हों, वहाँ अंततः जिंदगी पर कला को कुर्बान करना ही कला की चरम सार्थकता है। प्रारंभ में कला सम्मोहित करती है और वह द्वंद्व में होता है। यह द्वंद्व ही राजेंद्र के लेखन का बीज मन्त्र है, उन्हें जिंदगी चाहिए, जिंदगी के रूप चाहिए, स्वाद चाहिए, सौंदर्य चाहिए, कला इस रूप, रस, स्वाद और सौंदर्य का उदात्तीकरण है। लेकिन उन्हें दोस्त भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, समाज भी चाहिए, शर्तें भी अपनी हो। इसी रस्साकशी के ऊपर खड़े हैं राजेंद्र यादव।”[2]

अपनी रचना धर्मिता का पालन करते हुए राजेंद्र यादव ने 31 जुलाई 1986 को प्रेमचंद प्रणीत ‘हंस’ का पुनर्प्रकाशन शुरू किया। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में ‘हंस’ का आना एक अविस्मरणीय घटना थी। कारण कि वह परंपरा के लीक से हटकर अलग पहचान बना रही थी द्य वहाँ साहित्य का मतलब

था एक आंदोलन का खड़ा होना। एक स्वतंत्र बहस को जन्म देना। क्योंकि साहित्य मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। वह भरे पेट का जुगाली नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

यह परिवर्तन अकारण नहीं था। आजादी के बाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, कृषि एवं उद्योग में आमूल परिवर्तन को जन्म दिया। नई-नई योजनाओं द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगा। किन्तु राजेंद्र यादव ने महसूस किया कि साहित्य उसी परंपरागत परिधि के गीर्द घूम रहा है। देश की आधी आबादी की आवाज नकारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गयी है। आर्थिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, लांछित और अपमानित बहुसंख्यक समाज की उपस्थिति साहित्य में शून्य या न के बराबर है। उनकी मूक आवाज को साहित्य के केंद्र में लाना समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखकर राजेंद्र यादव ने 'हंस' के संपादकीय के माध्यम से 'स्त्री-विमर्श' और 'दलित-विमर्श' का आंदोलन खड़ा किया जो न केवल काफी चर्चित हुआ बल्कि साहित्य के केंद्र में आ गया। स्त्री लेखिकाओं एवं दलित रचनाकारों की झड़ी लग गयी। एक से बढ़कर एक रचनाएं सामने आने लगीं, जिसमें कल्पना का ऐन्द्रजालिक स्वप्नलोक न होकर यथार्थ की पीड़ा थी द्य सहानुभूति की जगह अनुभूति की अनुगूँज थी।

राजेंद्र यादव के संपादकीय को दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला उनके व्यक्तित्व के स्तर पर और दूसरा कृतित्व के स्तर पर। व्यक्तित्व के स्तर पर उनमें तीन गुण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। वे हैं---

1. निर्भीकता
2. स्पष्टवादिता
3. तार्किकता

1. **निर्भीकता** - जहां तक निर्भीकता का सवाल है, वे इसे स्वयं स्वीकारते हैं। वे लिखते हैं ----" जिस चीज ने मुझे सचमुच आश्वस्त किया, वह यह है कि कहीं भी बात को डुबाने, ढकने या कतराने, टालने की कोशिश नहीं की गयी है। साहस तो नहीं कहूंगा, मगर मेरा सारा 'लेखकीय संघर्ष' जिस निर्भीक और निष्पक्ष स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहा है, शायद उसमें समझौता नहीं किया। इसके पीछे सिर्फ बल यही लगता है कि न मुझे खोने का डर है न पाने की लालसा, कम से कम लेखन से तो नहीं ही है।"[3]

2. **स्पष्टवादिता** - स्पष्टवादिता तो राजेंद्र यादव के खून में है। वे कोई बात डंके की चोट पर कहते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। वे कबीर की तरह 'कागद की लेखी को नहीं' 'आँखिन की देखि को स्वीकारते हैं। अगस्त 1996 में जब फूलन देवी ने टूंडला में ट्रेन रोका तो देश के

समाचार पत्रों में भूचाल आ गया। इसपर राजेंद्र यादव ने लिखा ---"रूज मंत्री, एमपी, एमएलए 'राजधानियाँ', 'शताब्दियाँ' रोकते हैं, दो-दो घंटे ये गाड़ियां आउटरों पर खडी सुस्ताती रहती हैं या जहाजों की फ्लाइटें घंटों लेट होती हैं। कृष्ण कुमार गवाह हैं, इसी 'शताब्दी' को कल्पनाथ राय ने दिल्ली स्टेशन पर तीन घंटे रोका था, तब तो कोई अखबार इन दुर्घटनाओं को लेकर हाय तौबा नहीं मचाया। कल ही मीडिया के लाड़ले प्रणय राय की कहीं एक कोने में खबर थी कि वे अपने दो कुत्तों को फर्स्ट क्लास (एयर कंडीशंड) में बंबई ले गए। इस तरह ले जाती फूलन या राम बिलास पासवान -हर अखबार की हेड लाइनें होतीं।"[4] इतना ही नहीं वे पुनः लिखते हैं ---"हिंदी प्रेस फूलन देवी को लेकर कुछ ज्यादा ही कृपालु हैं-- वह न तो उनके ऊपर बनी फिल्म को माफ कर रहां है, न उनके जीतकर सांसद होने को। उसका इतिहास बार-बार उखाड़कर उसके मुंह पर मारा जाता है। कहा जाता है ---फूलन ने बीस ऐसे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, जिसका सीधा संबंध न उनके साथ हुए बलात्कारों से था, न सरेआम नंगे घुमाने से। अगर किया है तो निश्चय ही जघन्य और नृशंस अपराध है, मगर बिहार के आनंद मोहन की रणवीर सेना ने चार दिन पहले ही 25 औरत, मर्द, बच्चों को उसी तरह घेरकर भून डाला। क्या हिंदी-प्रेस इसे लेकर भी उतना ही बेचौन है?"[5]

3. **तार्किकता** - राजेंद्र यादव का पूरा संपादकीय तार्किकता का बेमिसाल दस्तावेज है। तार्किकता वैज्ञानिक सोच से आती है। राजेंद्र यादव वैज्ञानिक सोच के प्रबल हिमायती थे। वे नहीं मानते कि मनुष्य ब्रह्मा की संतान है। वे चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। किसी जीव का विकास किसी मंत्र या जादू से एकाएक नहीं होता है, न यज्ञ के हवन-कुंड से निकलता है, जैसा कि धार्मिक कहानियों में मिलता है, बल्कि किसी भी जीव का विकास क्रमिक रूप से होता है। वे लिखते हैं --- "ईश्वर विश्वासी लोगों की शिशु-आस्था मेरे मन में कौतुहल, विस्मय और तिरस्कार जगाती है। केसे वे संशयों, प्रश्नों और तार्किकता से कतराकर आस्था के जड़ अभ्यास को जीते चले जाते हैं? ईश्वर और जिंदगी की खंडित और समानांतर दुनियाएं किस तंत्र से बिना एक दूसरे को छुए दो अलग धरातलों पर चलती रह पाती हैं? मुझे लगता है कि ईश्वर में विश्वास उनके लिए वैसी ही दिनचर्या का अंग है जैसे ब्रश करना या नहाना ---जिसका व्यतिक्रम बेचौनी और अपराध-बोध पैदा करता है- होने पर सभी सही और अपनी जगह सुरक्षित महसूस होता है। वह एक ऐसा निजी कर्म है जो व्यवहार में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता।"[6]

यहाँ राजेंद्र यादव का मानना है कि विज्ञान तर्क पर आधारित होने के कारण हमें भविष्य की और ले जाता है जबकि धर्म काल्पनिक अतीत की और आदिकाल से अबतक मनुष्य ने जो भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं वह तर्क आधारित विज्ञान की देन है किसी काल्पनिक देवी-देवता का नहीं।

कृतित्व के आधार पर राजेंद्र यादव की निम्नांकित विशेषताएं हैं-

1. साहित्यिक प्रतिमानों की पड़ताल
2. सामाजिक न्याय के प्रति सद्‌भावना
3. धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध
4. हर तरह के अन्याय, जुल्म, शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध

1. **साहित्यिक प्रतिमानों की पड़ताल** – साहित्यिक प्रतिमानों के प्रति राजेंद्र यादव का दृष्टिकोण पूर्णतः साफ था। जनता की आँखों में धूल झोंककर यथार्थ को नकारने और अमूर्त कल्पनाओं के जाल में उलझाने की कोशिश करने वाले साहित्यकारों को वे आड़े हाथों लेते हैं। वे लिखते हैं --- "यथार्थ को तोड़कर या छोड़कर रचना की कलात्मकता में संयोजित करने और ऐन्द्रिक सच्चाई के पार वृहत्तर सच्चाई को पाने के मुकाबले यथार्थ से सीधे-सीधे मूठभेंड़ सपाट और सतही तो लगाती है, मन में सवाल भी उठता है कि इस सरलीकरण और उस सामान्यीकरण में क्या मूलभूत समानता नहीं है? लेखकीय स्तर पर परिस्थितियों का तात्कालिक विश्लेषण अगर कर्म की एवजी है तो 'कलात्मक सामान्यीकरण' स्थितियों और कर्म दोनों से दूर तटस्थ हो जाना या उन्हें नकार देना नहीं है?[7]

यहाँ राजेंद्र यादव यथार्थ से नजर चुराकर साहित्य के कलात्मक सौंदर्य की वकालत करने वाले लेखकों को आईना दिखाते हैं कि यथार्थ से मुंह मोड़ना सच्चे साहित्यकार का लक्षण नहीं है। राजेंद्र यादव समाज सुधारने की बात नहीं करते बल्कि उस समाज को बदलने की बात करते हैं जिसमें दलित, स्त्री और आदिवासी मुख्य है, जो सदियों से शोषित, वंचित, अपमानित और प्रताड़ित हैं। वे हिंदी के पहले संपादक हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद में बैठे भगवावाद को पहचाना और उसे लोकतांत्रिक धार पर रखा। चाहे प्रभाष जोशी हों या निर्मल वर्मा, कमलेश्वर हों या नामवर सिंह, राम बिलास शर्मा हों या अशोक बाजपेयी, उन सबके भीतर जमे मनुवाद को पहचाना और उनकी जमकर खिंचाई की। प्रभाष जोशी ने सती के नाम पर रूप कुंवर को जिंदा जलाने का समर्थन किया और नैना साहनी के तंदूर काण्ड का विरोध। प्रभाष जोशी की दो तरह की भूमिका पर पूछा ---- "क्या यही मानवीय संवेदना, सात्विक क्रोध और उदात्त करुणा आप रूप कुंवर के लिए भी अपने भीतर पाते हैं? नैना साहनी को मारकर उसके टुकड़ों पर मक्खन लपेटकर 'बगिया' के तंदूर में जला दिया गया और रूप कुंवर को भी समिधा इत्यादि डालकर चिता पर बैठा दिया गया। यह कृत्य क्या सिर्फ इसलिए आपके अहसास को नहीं छुआ कि संस्कृत के श्लोकों और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न हुआ? फर्क सिर्फ इतना ही तो है तंदूर में कोयले रहे होंगे और चिता में मंत्रपूत लकड़ी या चन्दन के चौले द्य राजनीति तो दोनों के पीछे थी। अगर रूप कुंवर की हत्या अमानवीय नहीं है तो नैना साहनी की हत्या क्यों अमानवीय है? सिर्फ इसलिए कि वहाँ 'सती' शब्द जुड़ा है और उसे विश्व के महानतम धर्म का समर्थन प्राप्त है।"[8]

राजेंद्र यादव ने मार्क्सवादी चिन्तक डा० राम बिलास शर्मा के भगवावाद को भी अच्छी तरह पहचाना और लिखा ----"डा० राम बिलास शर्मा के ग्रंथों में दृष्टि नहीं, स्वयं उनके पांडित्य और पूर्वजों के अभिजात्य चिंतन के प्रति श्रद्धा ही मिलती है।.....राम बिलास शर्मा का सारा बौद्धिक ज्ञान हिंदुत्व वादियों के लिए सबसे बड़ा शस्त्रागार साबित होगा।"[9]

राजेंद्र यादव डॉ० राम शरण शर्मा और डॉ० भीमराव आंबेडकर से दृष्टि पाते है जो न तो राम बिलास शर्मा के पास है न नामवर सिंह के पास। वे इन साहित्यकारों को सड़ी गली मानसिकता वाले मानते हुए लिखते हैं --- "मैं यहाँ बल पूर्वक सच्चाई को रेखांकित करना चाहूंगा इस परम्परा के नाम पर हमें फौसिलों (जड़ीभूत देवताओं) पर अक्षत-चन्दन चढ़ाना सिखाया है और जो भी इन मूर्तियों के सामने बाकायदा दंडवत नहीं करता वह सिरफिरा और नास्तिक माना जाता है।"[10]

2. **सामाजिक न्याय के प्रति सद्भावना** - राजेंद्र यादव अपने संपादकीय के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करते दिखाई देते हैं। वे साहित्य में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को महत्व देना चाहते हैं। समाज की आधी आबादी महिला है जिसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व न तो राजनीति में है न अर्थ और साहित्य में। वही हाल दलित का भी है। दोनों सामाजिक रूप से अभिशप्त हैं। इसलिए उन्होंने 'हंस' के माध्यम से उनकी आवाज को सामने लाने की कोशिश की। स्त्री, घर और बाहर दोनों जगह उपेक्षित थी। पारंपरिक साहित्य भले ही उन्हें देवी के रूप में चित्रित करता रहा हो यथार्थ में वह हिंसा, बलात्कार का शिकार होती रही है। कहीं तिलक दहेज की बलि-वेदी पर चढ़ी तो कहीं विधवा के अपवित्र अभिशाप से अपमानित हो आजीवन अपने आँचल को भिंगोती रही। राजेंद्र यादव ने 'स्त्री-विमर्श' के माध्यम से उन्हें आंदोलित किया और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। फलत: ढेर सारी महिलाएं साहित्य के माध्यम से पुरुष सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। अपनी देह पर अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ी। स्त्रियों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए राजेंद्र यादव लिखते हैं----"अपने मन की करने या मालिक के इशारों पर न चलने वाली सवर्ण या धनी औरत उसी तरह पिटती, संपत्ति से वंचित होती, घर से निकाली, दहेज में जलाई या प्रताड़ित होती है, जैसे कल्लू हरिजन की औरत.......अपने स्तर पर उसका भी वही यौन-शोषण होता है, जो किसी भी वर्ग और धर्म के औरत का होता है।"[11]

स्त्री के अस्तित्व के सवाल पर राजेंद्र यादव लिखते हैं----"स्त्री का अपना घर नहीं होता, घर बाप का होता है, पति का होता है, या बाद में बेटे का होता है। वहाँ वह शरणार्थी या मेहमान होकर रहती है।" स्त्री अपने नाम से नहीं, नैहर में पिता के नाम से, ससुराल में पति के नाम से और पति के न रहने पर बेटे के नाम से जानी पहचानी जाती है।" यह पुरुष सत्ता की सोची समझी रणनीति है, जिससे वह निरंतर गुलाम बनी रहे। उसे बताया गया कि पति ही तुम्हारे परमेश्वर हैं तुम उनके चरणों की दासी हो। स्त्री-विमर्श का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों ने साहित्य के माध्यम से अपने अस्मिता की लड़ाई लड़नी शुरू की। प्रभा खेतान, अमृता प्रीतम, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मृणाल

पाण्डेय, सुशीला टाकभौरे, क्षमा शर्मा, सोनी सिंह, मंजुल भगत, कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल, दीप्ति खंडेलवाल आदि महिला साहित्यकारों ने साहित्य जगत में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की।

'दलित-विमर्श' भी राजेंद्र यादव द्वारा चलाया गया आन्दोलन है। हजारों वर्षों से हाशिए पर निरंतर अपमान का दंश झेलते दलितों की दयनीय दशा को लेकर राजेंद्र यादव काफी चिंतित एवं व्यथित थे। कारण था साहित्य के महारथियों द्वारा दलितों के प्रति उपेक्षा का भाव। वे उनके प्रति ऊपरी सहानुभूति तो दिखा सकते थे किन्तु साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश निषिद्ध था। राजेंद्र यादव ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने न केवल दलितों को लिखने के लिए प्रेरित किया बल्कि उनके लिखित साहित्य को 'हंस' में प्रकाशित भी किया। इसके संबंध में लिखा है --- "मैं इसे बिलकुल संयोग नहीं मानता कि सौ वर्षों के हिंदी साहित्य में न कोई दलित है, न स्त्री, न मुसलमान। दलित के नाम पर हीरा डोम, स्त्री के नाम पर महा देवी और मुसलमान जहूरबख्श। हिंदी में उनपर लिखा बहुत गया है- यह सही है- मगर वे खुद कहाँ हैं?.....एक सवाल यह भी उछाला जाता है कि इन्हें रोका किसने था आते और लिखते? जिस समाज में दलितों को स्कूल फटकने नहीं दिया जाता हो, (देखें, जगजीवन राम और अंबेडकर के आत्मकथन)। लड़कियों को रामायण और चिट्ठी पढ़ने लायक बनाते ही घर बैठा लिया जाता हो, मुसलमान की छूत से धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, वहाँ अचानक साहित्य के दिग्गजों को आ बैठने के निमंत्रण देने की उदारता दिखाना कितना भद्दा मजाक है।"[12]

यहाँ राजेंद्र यादव बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का तथाकथित खुलापन निहायत निर्जीव, रूढ़िवादी और डरपोक साहित्य का उत्पादन करता है। परिपाटी से अलग न यहाँ कुछ करने का रिवाज है, न सोचने का। जो थोड़ा-बहुत नया सोचने की कोशिश करते हैं उन्हें बुरी तरह हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। उनपर तरह-तरह के आरोप मढ़े जाते हैं। साहित्य की गरिमा को ठेस पहुचाने का अभियोग लगाया जाता है। क्या स्त्री और दलितों की बात करना और उन्हें साहित्य में जगह देना साहित्य का अवमूल्यन करना है? आज उसी का प्रतिफल है कि 'दलित-विमर्श' साहित्य के केंद्र में स्थापित हो चुका है और दलितों द्वारा अनुभव पर आधारित उत्कृष्ट रचना साहित्य में उपलब्ध है। आज अनेक दलित साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, और उनके द्वारा रचित कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा आदि रचनाएं राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य की शोभा बढ़ा रही है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, श्योराज सिंह बेचौन, मोहनदास नैमिशराय, अजय नावरिया, कँवल भारती, जयप्रकाश कर्दम, सुशीला टाकभौरे, कुसुम मेघवाल जैसे मंजे हुए दलित साहित्यकार हिंदी साहित्य में अपना अमिट स्थान बना चुके हैं। राजेंद्र यादव इन लेखकों की आत्मकथाओं के आधार पर यह टिपण्णी करते हैं कि- "सवर्णों द्वारा चलाए गए स्कूलों में तो चमार या नीची जातियों को आने ही नहीं दिया जाता था। सारी दलित आत्मकथाएं यही कहती हैं कि उनकी सारी समस्याएँ स्कूल और सवर्ण अध्यापकों

से शुरू होती हैं, जहां से उन्हें भगा दिया जाता था, मारा पीटा जाता है, कहा जाता है कि भंगी हो सफाई करो, तुम्हारे बाप दादा भी वही करते थे। कृपा करके पढ़ाया गया तो दूर या बाहर बैठकर। आज जो दलित ऊपर आए हैं, वे प्रारम्भिक पाठशालाओं के आतंककारी माहौल से लड़ते हुए आए हैं।"[13]

3. **धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध** – राजेंद्र यादव ने धर्म और धर्म की राजनीति अर्थात् सांप्रदायिकता को अलग माना। धर्म जहां व्यक्तिगत और चारित्रिक मूल्यों को निर्धारित करता है, वही घर्म की राजनीति अर्थात् सांप्रदायिकता सामूहिकता के माध्यम से सता प्राप्ति का मार्ग तलाशता है। सांप्रदायिकता लोगों में उन्माद पैदा कर वोटों का धुरुवीकरण का हथियार मात्र है। श्रीमती गांधी ने भिन्डरवाले को मोहरा बनाकर पंजाब में वोटों का धुरुवीकरण करने की कोशिश की। परिणामतः पंजाब की ध रती खून से लाल हुई और अन्ततः सरकार को 'ब्लू आपरेशन' करना पड़ा और श्रीमती गांधी को जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बाबरी मस्जिद का विध्वंश कर देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। सांप्रदायिक राजनीति के शीर्ष पर अवस्थित आवाजो (आडवाणी, वाजपेयी, जोशी) की शतरंजी चाल में उलझी उमा भारती को हिदायत देते हुए राजेंद्र यादव अपने संपादकीय के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बाबरी मस्जिद के विधावंश में उछलना उचित नहीं, क्योंकि जिसके कंधे पर बैठकर चहक रही हो वह स्थायी नहीं रहने वाला है। सवर्ण सामंतवादी सांप्रदायिकता सिर्फ एक ही वर्ण को शीर्ष पर रखती है। बाकी सब लठैत की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। वे लिखते हैं--- "तस्वीर में उमा के चहरे पर सफलता की उन्मुक्त खिलखिलाहट है और जोशी के होठों पर घाघ बाज की दिव्य मुस्कान ....तस्वीर मनोरंजक नहीं दयनीय है। सर चढ़ी उमा क्या कभी नहीं सोचती है कि जोशी ने उन्हें क्यों सिर पर चढ़ाया हुआ है? शतरंज खत्म होने पर गोटियाँ किन डिब्बों में वापस बाँध दी जाती हैं? नहीं, उस शिखर क्षण में उमा कुछ नहीं सोचती ....वह सिर्फ इतना जानती है कि विजय 'उसकी' है ....मगर नहीं उमा, यह विजय तुम्हारी नहीं है, मूलतः यह विजय मुरली मनोहर जोशी की है, डेढ़ दो हजार साल पहले की उस मनुस्मृति की है जिसके शीर्ष पर जोशी ही विराजमान हैं। तुम तो सिर्फ 'लठैत' हो जो मालिक के इशारों पर अपने ही भाई बंधुओं का सर फोड़ आता है और गद्गद् होकर शाबाशी पाता है। तुम्हें तो इसी विश्वास में बने रहना है कि तुम धर्म के लिए मर मिटने वाली सिपाही हो। इस पुण्य कार्य के लिए भगवान तुन्हें स्वर्ग देगा ....जोशीजी ने इसी इसी लोक में अपने स्वर्ग के लिए तुम्हारे स्वर्ग की व्यवस्था परलोक में कर दी है। वस्तुतः तुम जोशी के सत्ता-सिंहासन को कन्धों पर उठाकर चलने वाली स्वयं सेविका हो ....तुम जोशी के कन्धों पर नहीं चढ़ी, जोशी तुम्हारे कन्धों पर चढ़कर केन्द्रीय बनेंगे...।"[14]

आगे चलकर वही हुआ जिसकी कल्पना राजेंद्र यादव ने की थी। आज उमा भारती कहाँ हैं, किसी को पता नहीं और उसके आधार पर जोशी भाजपा शासन में केन्द्रीय मंत्री बने। यहाँ राजेंद्र यादव ने

सांप्रदायिकता के मूल में जाकर उसका वास्तविक विश्लेषण किया है और समझाने की चेष्टा की है कि सांप्रदायिकता धर्म नहीं सत्ता प्राप्ति का साधन मात्र है। हमें उन घाघ नेताओं के असली चरित्र को पहचानकर सांप्रदायिक खून खराबा से दूर रहना चाहिए।

4. **हर तरह के अन्याय, जुल्म, शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध** - राजेंद्र यादव ने हर तरह के अन्याय, जुल्म, जुल्म, शोषण और भ्रष्टाचार का विरोध किया है। उनका मानना है कि व्यक्ति से अधिक संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जिसका प्रभाव देश की पूरी जनता पर पड़ता है। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शासन चाहे किसी का हो चलती माफियाओं की है। फलतः नित्य नए-नए घोटाले अपना रिकार्ड बना रहे हैं। राजनीति और घोटालों का संबंध चोली-दामन का रहा है। वह देश की अर्थव्यवस्था को घुन की तरह खोखला कर रहा है, जिससे सामाजिक अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है और जनता उसमें पीसती जा रही है। राजेंद्र यादव लिखते हैं --- "घूस, घोटालों और घपलों से भरा प्रायः साल बीत गया।

शायद यह साल स्वतंत्र भारत के सबसे काले दिनों के रूप में याद किया जाएगा, जहां निरंकुश सत्ता भारतीय संविधान से कारपोरेट हाउसों ने छीन ली हैं, और देश के सारे शक्ति स्तंभ चरमराकर ढह गए हैं। पांचवां स्तंभ यानी मीडिया या तो पेड न्यूज के हाथों बिक गया है या मीरा राडिया जैसों के माध्यम से दोनों हाथों से दलाली खा रहा है, न्यायपालिकाएं खुले आम अपने फैसले अपराधी के पक्ष में बेंच रही हैं। ...शायद दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर है।"[15]

प्रायः समाचार की सुर्खियों में कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां भ्रष्टाचार की कोई न कोई घटना उजागर न होती हों। सरकारें जांच बैठा देती हैं जिसका सिलसिला वर्षों चलता रहता है। जनता भूल जाती है और उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। राजेंद्र यादव के संपादकीय में इसे सर्वत्र देखा जा सकता है। इस प्रकार राजेंद्र यादव का संपादकीय समय से साक्षात्कार कराता है और एक निडर एवं साहसी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

संदर्भ

1. राजेंद्र यादव, संकलित कहानियां राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत बसंत कुञ्ज, नई दिल्ली, पांचवीं आवृति 2023 भूमिका पृष्ठ दस
2. वही पृष्ठ दस (10)
3. कांटे की बात भाग-1 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, भूमिका पृष्ठ -9
4. 'हंस' राजेंद्र यादव के संपादकीय, (भाग-5) मेरी तेरी उसकी बात, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 77
5. वही पृष्ठ 77
6. इन्द्रप्रस्थ भारती जुलाई-सितम्बर 1991

7. कांटे की बात, भाग–1, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, भूमिका पृष्ठ 9
8. 'हंस' का संपादकीय, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, सितम्बर 1995 'अग्नि परीक्षाएं'
9. 'हंस' सम्पादकीय, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, मई 1995, 'ब्राह्मण समाज ज्यों अछूत'
10. कांटे की बात भाग –2 संपा. राजेंद्र यादव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 81
11. 'हंस' राजेंद्र यादव, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, भाग –5 पृष्ठ 167
12. 'हंस' राजेंद्र यादव के संपादकीय, भाग–5, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 159
13. वही भाग –9, पृष्ठ 179
14. 'हंस' राजेंद्र यादव के संपादकीय, भाग–3, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 148–149
15. 'हंस' राजेंद्र यादव के सम्पादकीय, भाग –1, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 110–111

बेटी वियोग : स्त्री की समस्याओं का सजीव अंकन

डॉ० पूनम कुमारी
सहायक प्रोफेसर,
दर्शनशास्त्र विभाग
जय प्रकाश महाविद्यालय, छपरा

साहित्य का उद्‌देश्य समाज परिवर्तन नहीं है, बल्कि साहित्य का उद्‌देश्य समाज का हृदय–परिस्कार है। सदियों से साहित्य ने अपने इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। साहित्य लेखन की लगभग 2000 वर्षो की परंपरा में लोक साहित्य की एक सुदीघ परंपरा रही है। भोजपुरी साहित्य लेखन में भिखारी ठाकुर की अपनी विशिष्ट पहचान है। एक ओर हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचंद जैसे सशक्त कथाकार अपनी लेखनी से नारी पात्रों का चित्रण कर रहे थे, उसी समय भोजपुरी साहित्य में भिखारी ठाकुर भी अपनी पहचान बना रहे थे। प्रेमचंद निर्मला, सेवासदन, गोदान जैसे उपन्यासों मे स्त्रियों की स्थिति का चित्रण कर रहे थे, तो भिखारी ठाकुर भी विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर' जैसे नाटकों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे।

लोकनाटक का सीधा सम्बन्ध समाज और समाज के विविध उपदानों से होता है। इसमें व्यक्ति की नहीं समाज की अभिव्यक्ति होती है और यह अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होती है कि लोकमानस के कोमल हृदय पर सीधो असर डालती है। इन लोकनाटकों की रचना करने वाला व्यक्ति नाटककार के साथ–साथ समाज सुधारक भी होता है। भिखारी ठाकुर भी अपने लोकनाटक 'बेटी वियोग' ('बेटी बेचवा') के माध्यम से ऐसे ही समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका यह नाटक स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु बने कानूनों की कलई खोलता है। कागजों मे स्त्रियों को अनेक अधिकार दिये गये हैं परन्तु व्यवहार में वह आज भी इन अधिकारों से वंचित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला है परन्तु स्त्रियों पर सहनशीलता का गुण लादकर हर जगह उन्हें चुप करा दिया जाता है। 'बेटी वियोग' नाटक उसी मौन का प्रतिवाद करता है।

'बेटी वियोग' नाटक में तीन प्रमुख पात्र हैं – चटक (पिता), लोभा (माता) और उपातो (बेटी। गरीब और कर्ज में डूबे माता–पिता बेटी के विवाह के लिए परेशान रहते हैं। फलतः वे रूपया (धन) लेकर बूढ़े वर से बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेम–धर्म और गाना–बजाना के साथ विवाह संपन्न होता है। ससुराल में अधमरे पति की हालत देखकर बेटी मायके चली आती है और रो–रोकर माता–पिता से अपना दुखड़ा सुनाती है। 'विवाहोपरान्त पति की सेवा ही पत्नी का कर्तव्य

होता है' ऐसा कहकर उसकी पुनः विदाई कर दी जाती है। बेटी की ये पुनर्विदाई समाज के लिए प्रश्नचिह्न बनकर सीख देती है। इस नाटक में गरीबी, दहेज-प्रथा, स्त्री की बेबसी और बेमेल विवाह को उजागर किया गया है। सच तो यह है कि गरीबी ही इन कुरीतियों की जड़ है। गरीबी की मार झेल रहे माता-पिता पहले ही कर्ज से आकण्ठ डूबे हुए हैं उसी में जवान होती बेटी के विवाह की चिन्ता कोढ़ में खाज का काम करती है। ऐसे में धन लेकर बूढ़े किन्तु धनाढ्य वर से बेटी का विवाह करना उन्हें श्रेयस्कर लगता है। सवाल यह उठता है कि क्या बेटी कोई वस्तु है जिसका सौदा किया जाय? भिखारी ठाकुर ने विवाह की तुलना व्यापार से करते हुए स्वयं बेटी के मुँह से कहलवाया है-

पढ़ल-गुनल भूलि गइलऽ, समदल भेड़ा भइलऽ
सउदा बेसाहे में ठगइलऽ हो बाबूजी।
रोपेया गिनाइ लिहलऽ, पगहा धराइ दिहलऽ
चोरिया के छेरिया बनवलऽ हो बाबूजी।[1]

वैदिक काल से यह मान्यता रही है कि कन्यादान से ही पिता का जॉघ पवित्र होता है। अतः बेटियों का महत्व कहीं भी बेटों से कम नहीं है परन्तु आज का समाज तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। दहेज इसका सबसे बड़ा कारण है। दहेज की क्रूरता ने आज माता-पिता को भ्रूण-हत्या तक के लिए विवश कर दिया है। ऐसे समय में इस नाटक की दो पंक्तियाँ अत्यन्त ही प्रासंगिक जान पड़ती हैं -

जघिया बखाना तोर चकट देवा, जिन्ह बेटे जनमायो।
लटे-लटे मोतिया गुहाइ के, बेटी जाँघे बइठायो।[2]

यह पढ़कर ऐसा लगता है कि भिखारी ठाकुर आज के विकृत समाज को उनकी संस्कृति व परम्परा की याद दिला रहे हैं।

भिखारी ठाकुर लगभग अनपढ़ थे परन्तु समाज पर उनकी पैनी नजर थी। एक तरह वह कुतुबपुर जैसी छोटी जगह से अपने नाटकों के द्वारा सामाजिक विसंगतियों का विरोध कर रहे थे, दूसरी ओर वही काम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द एक बड़े फलक पर अपने उपन्यासों के माध्यम से कर रहे थे। उस समय अनमेल विवाह समाज का कोढ़ बना हु आ था। भिखारी ठाकुर का 'बेटी वियोग' और 'प्रेमचन्द का निर्मला' उपन्यास इसी विसंगति का प्रतिफल है। भले ही दोनों लेखकों ने एक ही समस्या पर अपनी लेखनी चलाई है परन्तु दोनों ही कथाओं की बुनावट में फर्क है। प्रेमचन्द की नायिका 'निर्मला' सब कुछ चुपचाप सहने के लिए विवश है। बाद में वह एक जगह कहती है-

"हृदय रोता था पर मुख पर हँसी का रंग भरना पड़ता
था। जिसका मुँह देखने को जी नहीं चाहता था उसके सामने
हँसकर बातें करनी पड़ती थी।"[3]

जबकि भिखारी ठाकुर की नायिका 'उपातो' विवाह के दौरान ही इसका विरोध करती है। वह रो-रो कर बेमेल विवाह की परिणति सबके सामने उजागर करती है। अपनी माता से उलाहना देते हुए वह कहती है-

जमते मईया माहुर देके काहें ना दिहलू मारी?
हमरा के नाहक पालन करे में साँसत सहलू भारी।[4]

स्वयं बेटी के मुँह से बेमेल विवाह का विरोध कराके भिखारी ठाकुर अप्रत्यक्ष रूप से समस्त बेटियों को ऐसी विसंगति का विरोध करने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं।

भिखारी ठाकुर विवाह को सत का बंधन मानते है। यह बंधन दो समवयस्कों का बंधन है। इस बंधन को जीवनपर्यन्त निभाना ही पति-पत्नी का कर्तव्य है। चूँकि विवाह में विस्थापन स्त्री का होता है इसलिए सम्बन्ध निर्वहन का भार उसके ऊपर अधिक होता है। परन्तु जिस विवाह में पति-पत्नी की जोड़ी बेमेल हो उस विवाह को भिखारी ठाकुर एक खेल ही मानते हैं-

"टोला-परोसा के नर-नारी। एक कौतुक के विलोकनहारी।।
पत्नी बालक पति बूढ़ा जवरे। होखत सुमंगली उठावत कवरे।।[5]

भिखारी ठाकुर ने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की थी परन्तु मनोभावों की सूक्ष्मता व उसकी महता की गहरी परख उनमें थी। प्रारम्भ में वह बेटी के बदले धान लेने में माता (लोभा) की सहमति तो दिखाते हैं परन्तु वर की आयु उससे छुपा ले जाते हैं। धन लेने में भी उसकी सहमति अतिशय गरीबी के चलते होती है। नाटक का यह ताना-बाना वह निश्चय ही मातृत्व की रक्षा के लिए बुनते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपनी कमसिन बेटी का विवाह अस्सी साल के बूढ़े वर से करने को कदापि तैयार न होगी। इसी मातृत्व को लांछित होने से बचाने के लिए यह सच्चाई उजागर होने पर लोभा (माता) से चटक (पिता) को फटकार भी लगवाते हैं-

"अपने मन में भइल ऽ भूपा। बेटी काटि के डललऽ कूपा।।
बूढा़ वर से सादी कइलऽ। गाँव घर का चित्त से गइलऽ।।
सरप होके दिहलऽ डंस। अब ना बेटी के बढ़ी बंस।।
बाप ना हउअ हउअ भूत। अब ना बेटी खेलइहन पूत।।"[6]

यह गंभीर समस्या पर गंभीरता से लिखा गया नाटक है। बीच-बीच में भिखारी ठाकुर इसमें व्यंग्य के छींटे भी डालते रहते हैं। ऐसा करने से इसकी रसात्मकता अंत तक बनी रहती है। ऊपर-ऊपर से तो ये व्यंग्य हास्य का संचार करते हैं परन्तु अपनी सूक्ष्मता में यही व्यंग्य बेमेल विवाह की विभीषिका को उद्घाटित करते हैं-

"चलनी के चालल दुलहा, सूप के फटकारल हे,

दिअका के लागल बर, दुआरे दुआरे बाजा बाजल हे।
आँवा के पाकल दुलहा, झाँवा के झारल हे,
कलछुल के दागल बकलोलपुर के भागल है।"[7]

विवाह का एक रस्म होता हैं 'भसुर गुरहत्थन' इसमें भसुर (दूल्हा का बड़ा भाई) दुल्हन के लिए मंडप में गहना-कपड़ा चढ़ाता है। बदले में कन्यापक्ष से स्त्रियाँ गीतों के द्वारा गाली सुनाती हैं। यह गाली सामान कम चढ़ाने पर उलाहना के रूप में होती है। परन्तु भिखारी ठाकुर इस नाटक में ससुर को गाली न सुनवाकर उसकी प्रशंसा करवाते हैं क्योंकि उसने गहना-कपड़ा से आँगन भर दिया है। सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह प्रशंसा, प्रशंसा न होकर भिखारी ठाकुर का आक्रोश है। इतना गहना-कपड़ा किस काम का है जब मरणासन्न वर से बेटी का विवाह हो रहा है। कहीं न कहीं इन सबके बदले बेटी की भावना पर बेड़ी ही तो कसी जा रही है। मौन रहकर बूढ़े वर से विवाह के लिए उसे विवश ही तो किया जा रहा है-

"एही सुघर भसुर के जाऊँ बलिहारी हे,
सिया जोग ले अइलन कुसुम रंग सारी हे।
नथिया, बुलाक, बेसर, झुलनी लगाई हे,
माँगटीका बननी में हीरा जड़ाई हे।।"[8]

यह नाटक सामान्यजन के बीच के एक अतिसामान्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है इसलिए लोक के विविध रूपों की छटा का दर्शन स्वाभाविक ही है। विवाह के विभिन्न रस्मों का क्रम से निर्वहन इसमें दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह हो सकता है कि भिखारी ठाकुर स्वयं नाई थे। सभी रस्मों की समझ-बूझ उन्हें गंभीरता से थी। सखियों द्वारा प्रत्येक रस्म के दौरान गीत गवाकर भिखारी ठाकुर ने विवाह जैसी अमूर्त संस्था को मूर्त कर दिया है। सम्बन्ध निर्वहन जो कि भोजपुरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, का पुट भी इस नाटक में मिलता है। भोजपुरी क्षेत्रों में बेटी का विवाह तय करने के पूर्व सभी भाई-बन्धुओं से विचार-विमर्श किया जाता है। सबकी सहमति पर ही विवाह तय होता है। गोतिया और चटक का विवाह के मामले पर मतभेद दिखाकर भिखारी ठाकुर विखण्डित हो रहे परिवारों की ओर इशारा करते हैं साथ ही साथ पारिवारिक विखण्डन को भी बेमेल विवाह का एक कारण मानते हैं।

भिखारी ठाकुर में तर्क देकर अपनी बात रखने की अद्भुत क्षमता दिखाई पड़ती है। पूँजीवादी व्यवस्था का दंश उन्होंने झेला था परन्तु खुलकर विरोध कर पाना उस समय संभव नहीं था। यही वजह है कि उनके नाटकों में भी कहीं भी सीधा-सीधा विरोध नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन तर्क के द्वारा वह इसका संकेत जरूर दे देते हैं। 'बेटी वियोग' नाटक में भी औरत और पंडित का संवाद इसी ओर इशारा करता है-

"औरत - आन्हर नइखन, लंगड़ नइखन। देखीं त, आँख मुँहे मार कीची फेंकतारन।

पंडित – आरे त जेकरा आंखे ना रही, ओकरा कीची कहाँ से गिरी रे?
औरत – ए रवों, त कीची गिरेला कीची लेखा कि मार ढकना के ढकना किचिये गिरेला?
पंडित – आहाहाहा, तोहरो अकिल के था पंडीजी के चल गइल। तोहरा से एक हाली जे कह देलीं
कि सुखी घर के लइका, ह, डबल जे पहथन घीव खइले बा, से घीव के मइल आँख मुँहे निकल रहल बा।"[9]

यह संवाद तत्कालीन पूँजीवादी व्यवस्था पर करारा प्रहार है। पूँजीपति बाहर से अपनी स्थिति को छिपाने के लिए तरह-तरह के ताम-झाम करते रहते थे वास्तविकता यह है कि वे भीतर से बिल्कुल खोखले हो गये थे। चूँकि भिखारी ठाकुर उसी पूँजीवादी व्यवस्था का दंश झेल रहे थे इसलिए उनके भीतर का आक्रोश अप्रत्यक्ष रूप से उनके नाटकों में आ जाता है।

इस नाटक के मंथन के दौरान भिखारी ठाकुर को कड़े विरोधों का सामना भी करना पड़ा था परन्तु उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए इस नाटक का मंचन जारी रखा। उनकी लड़ाई किसी वर्ग विशेष से नहीं थी। वह हर उस बेटी के लिए लड़ रहे थे जो इस विसंगति का शिकार हो रही थी। उन्होंने डंके की चोट पर बेटी बेचने वालों से कहा-

"हम हई नाई जात, खोलि दिहली मुख बात, लछिमी के लछन उतरलऽ हो बाबूजी।
जिला छपरा ह अतिना बेयार पर, लाज कके खाऊ से लगाम साधऽ बाबूजी।
पुरूब के कोना घर, गंगा के किनार पर, छपरा से तीन कोस दिअरा में बाबूजी।
कहत भिखारी तूं खरारी के इयाद कर ऽ, फेरू मति करिहऽ अइसन काम तूं हो बाबूजी।"[10]

भिखारी ठाकुर ने बेटी बेचने वालों की कड़ी निन्दा की है। उसे कुत्ते के माँस से भी अधिक हेय माना है व ऐसे व्यक्ति को समाज से तिरस्कृत करने का आग्रह किया है।

आज समाज बहुत आगे निकल चुका है परन्तु स्त्रियों की दशा में अपेक्षित सुधार आज भी नहीं दिखाई दे रहा है जबकि स्त्री माँ, बेटी, बहन आदि प्रत्येक रूप में पूजनीय है। स्त्रियों की महत्ता बताते हुए आशा कुशवाहा कहती हैं-

"हमारी संस्कृति में भले ही यह कहा जाए कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' पर यथार्थ में इतना आदर कभी स्त्री को नहीं मिला है। हमारी संस्कृति तो यही बताती है कि नारी-शिशु के जन्म पर धारती तीन हाथ नीचे धंस जाती है। किशोरी, पिता के सिर पर अनावश्यक पर अनिवार्य बोझ है। माँ, जिसका दूध पीकर मानव को जीवन मिलता है, वहीं दोयम दर्जे की मानी जाती रही है। प्रौढ़ा पति के लिए अनाकर्शक, पुत्र के लिए अस्तित्व और स्वत: अपने लिए भार है। वृद्धा, जीती है इसलिए कि जीना है

और मौत अपने वश में नहीं है। यही कहानी है नारी की। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पहलू है। बिना स्त्री के न तो पुरुष का जीवन चल सकता है न ही सृष्टि चल सकती है। नारी धारती की क्षमा और उर्वरता है, आकाश का निरवधि विस्तार है और सिन्धु की अतल गहराई है। नारी सृष्टि की प्रतिकृति है, माँ है।"[11]

अतः आज की विकृत होती पुरुष मानसिकता व घटते मानव मूल्यों के बीच भिखारी ठाकुर का यह नाटक अत्यन्त ही प्रासंगिक है। आशा है भिखारी ठाकुर द्वारा प्रस्तुत चित्र समाज की आँख खोलेगा और बेटियों पर इस तरह के जुल्म नहीं होंगे। बेटी की अन्तिम भूख और माँग जो पिता के आगे भिखारी ठाकुर ने रखवाया है वह वही है कि–

रोवत वानी सिर धुनि, छछनल सुनि,
बेटी मति बेचे दीहऽ केहू के हो बाबूजी।
आपन होखे तेकरो के पूछे आवे सेकरो के,
दीहऽ मति पति दुलहिन जोग हो बाबूजी।"[12]

संदर्भ

1. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 89-90, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् पटना।
2. वही, पृ० सं० 90
3. निर्मला, प्रेमचंद, राजपाल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 86, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना।
5. वही, पृ० सं० 86
6. वही, पृ० सं० 88
7. वही, पृ० सं० 77
8. वही, पृ० सं० 79
9. वही, पृ० सं० 82
10. वही, पृ० सं० 91
11. लोकरंग- 1 सं०- सुभाषचन्द्र कुशवाहा, पृ० सं० 178
12. भिखारी ठाकुर रचनावली, सं० वीरेन्द्र नारायण यादव, पृ० सं० 91, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना।

"एकल माताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)"

***बबिता**
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़।
(सम्बद्ध- डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)
****प्रो० कृष्णा अग्रवाल**
प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़।

शोध सार

एकल अभिभावक परिवार वर्तमान समाज में एक नई पारिवारिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ दशकों में एकल अभिभावक परिवारों विशेष रूप से एकल माता परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिवार के संचालन में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण है किन्तु अपने जीवन साथी की अनुपस्थिति में परिवार को संचालित करना एकल माता के लिये चुनौतीपूर्ण होता है। भारत में विधवा महिलाओं की संख्या 43261478, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 909573 तथा परित्याग की गयी महिलाओं की संख्या 2372754 है। भारत में लगभग 4.5 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिन्हें एकल माताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा इन परिवारों की गरीबी दर 38 प्रतिशत दर्ज की गयी है। एकल माताओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण संकीर्ण है उन्हें समाज में सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता। एकल माताओं को वह मान-सम्मान प्राप्त नहीं होता जो समाज में द्वि-अभिभावक परिवार की माताओं को प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य एकल माताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द- एकल अभिभावक परिवार, एकल माताऐं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति।

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

प्रस्तावना

एकल अभिभावक परिवार वर्तमान समाज में एक अलग एवं उभरती हुई पारिवारिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अक्सर विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं।[1] एकल अभिभावक परिवार में एक माता या पिता और उनके एक या एक से अधिक आश्रित बच्चे होते हैं जिनका पालन–पोषण वह स्वयं अपने जीवन साथी के बिना करते हैं। पिछले कुछ दशकों में पारंपरिक द्वि–अभिभावक परिवारों की संख्या में कमी आयी है और एकल अभिभावक परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 1970 में केवल 11 प्रतिशत बच्चे एकल माता–पिता वाले परिवारों में रहते थे, जबकि वर्ष 2000 की जनगणना से संकेत मिलता है कि 28 प्रतिशत बच्चे एकल माता–पिता वाले पारिवारों में रहते थे जो एकल अभिभावक परिवारों की वृद्धि को दर्शाता है।[2] वर्तमान में विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पिता विहीन परिवारों अर्थात एकल मातृ परिवारों में अग्रणी है।[3]

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकल महिलाओं की संख्या में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 2001 में एकल महिलाओं की संख्या 51.2 मिलियन थी जो 2011 में बढ़कर 71.4 मिलियन हो गयी है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित एवं परित्याग वाली महिलाऐं शामिल हैं।[4] भारत में विधवा महिलाओं की संख्या 43261478, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 909573 तथा परित्याग की गयी महिलाओं की संख्या 2372754 है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याग वाली महिलाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं की संख्या 4856188 तथा तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 56819 है एवं पति के द्वारा त्याग की गयी महिलाओं की संख्या 115198 है। यह आँकड़े देश की चिन्ताजनक स्थिति को दर्शाते हैं।[5]

परिवार के संचालन में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण है किन्तु अपने जीवन साथी की अनुपस्थिति में परिवार को संचालित करना एकल माता के लिये चुनौतीपूर्ण होता है। भारत में लगभग 4.5 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिन्हें एकल माताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा इन परिवारों की गरीबी दर 38 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा द्वि–अभिभावक की तुलना में एकल मातृ परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न पायी गयी। रोजगार के अभाव में एकल माताओं की अर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती है, वह अपनी एवं अपने बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल से कर पाती हैं।[6] एकल माताऐं हमेशा से ही समाज का एक हिस्सा रही हैं। आमतौर पर इतिहास में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। कभी–कभी उनके अनुभव आंशिक रूप से किंवदंतियों, पौराणिक गाथाओं या ऐतिहासिक खण्डों में दर्ज किये गये हैं।[7] उदाहरण के लिये सीता, यशोधरा, कुन्ती व रानी लक्ष्मीबाई आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन–पोषण किया। एकल माताओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण संकीर्ण है उन्हें समाज में सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता। एकल माताओं

को वह मान–सम्मान प्राप्त नहीं होता जो समाज में द्वि–अभिभावक परिवार की माताओं को प्राप्त होता है। शादी–विवाह व शुभ कार्यों में उनकी उपस्थिति को अशुभ माना जाता है तथा उनके साथ भेदभाव होता है जिससे उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुँचती है।[8]

Shalini Bharat, (1986) ने अपने अध्ययन में बताया कि भारत में माता या पिता की मृत्यु एकल अभिभावक परिवार के उद्‌भव का सबसे सम्भावित कारण है। इसके बाद तलाक एवं परित्याग हैं। उनके अध्ययन में 83.21 प्रतिशत विधवा एकल माताऐं तथा 17.79 प्रतिशत तलाकशुदा व अलगाव माताऐं पायी गयीं जो अपने परिवार का संचालन स्वयं अकेले कर रही थीं।

Timothy Casey, Laurie Maldonado, (2012) के अनुसार एकल अभिभावक की समस्याऐं और भी जटिल हो जाती हैं जब उनके पास कोई रोजगार न हो। आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण उनकी व उनके बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है जिस कारण वह समाज में गरीबी के स्तर को बढ़ा देते हैं।

Simona Maria Glaveaneu, (2014) ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में एकल अभिभावक परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिये अध्ययन किया और पाया कि नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में एकल अभिभावक परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत निम्न है जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाने वाले एकल अभिभावक अपने बच्चों की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जिन एकल अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न होती है उन्हें विभिन्न समस्याओं (आत्मविश्वास की कमी, दूसरों पर निर्भर, एकाग्रता की कमी, सामाजिक जीवन में कम भागीदारी आदि) का सामना करना पड़ता है जो उन्हें और उनके बच्चों के जीवन को प्रभावित करतीं हैं।

Yoshishiko Kadoya, Ting Yin, (2012) शोधकर्ता द्वारा भारत के 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, चैन्नई, कोलकाता और हैदराबाद आदि में साक्षात्कार के द्वारा एकल माताओं का अध्ययन किया गया और पाया कि समाज में विधवा एकल माता के प्रति लोग सकारात्क दृष्टिकोंण नहीं रखते हैं। भारत में लम्बे समय से चली आ रही हिन्दू परम्पराओं के कारण विधवा एकल माताओं के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जाता है, उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से भी मना किया जाता है। शोधकर्ता ने यह भी पाया कि विधवा एकल माताओं के साथ भेदभाव पूरे देश में नहीं है कुछ पारम्परिक क्षेत्रों में ही यह देखने को मिलता है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1– एकल माताओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

2– एकल माताओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

3– एकल अभिभावक होने का कारण ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध के अध्ययन का क्षेत्र अलीगढ़ जनपद है।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध में आँकड़ों के संकलन के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतो का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु स्नोबॉल सैम्पलिंग का उपयोग कर 15 से 50 वर्ष आयु वर्ग की 217 एकल माताओं (148 विधवा, 57 तलाकशुदा, 12 परित्यक्त) से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा आँकड़ों का संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक श्रोतों में शोध पत्र, शोध प्रबन्ध, प्रकाशित रिपोर्ट्स एवं आँकड़े, पुस्तकें आदि का प्रयोग किया गया है।

एकल माताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

तालिका– 1

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण–

क्र० सं०	आयु वर्ष में	विवाह के समय आयु वर्ष में	प्रतिशत	एकल होने के समय आयु वर्ष में	प्रतिशत	वर्तमान आयु वर्ष में	प्रतिशत
1	20 से कम	43	19.82	0	0	0	0
2	21 से 30	146	67.28	78	35.94	37	17.05
3	31 से 40	28	12.90	85	39.17	119	54.84
4	41 से 50	0	0	54	24.88	61	28.11
	कुल	217	100	217	100	217	100

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विवाह के समय 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की एकल माताऐं 43 अर्थात 19.82 प्रतिशत है, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताऐं 146 अर्थात 67.28 प्रतिशत है, 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताऐं 28 अर्थात 12.90 प्रतिशत है तथा 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या शून्य पायी गयी।

एकल होने के समय 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की माताओं की संख्या शून्य पायी गयी। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 78 अर्थात 35.94 प्रतिशत है, 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 85 अर्थात 39.17 प्रतिशत है तथा 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 54 अर्थात 24.88 प्रतिशत है।

वर्तमान में (साक्षात्कार के समय) 20 वर्ष से कम आयु की एकल माताओं की संख्या शून्य है, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 37 अर्थात 17.05 प्रतिशत है, 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 119 अर्थात 54.84 प्रतिशत है, 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या 64 अर्थात 28.11 प्रतिशत है।

अतः उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उन एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक है जिनकी विवाह के समय आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य थी और एकल होने के समय एकल माताओं की आयु का सर्वाधिक प्रतिशत 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग का है। साक्षात्कार के समय उत्तरदाताओं में से उन एकल माताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है जिनकी आयु 31 से 40 वर्ष के बीच है।

तालिका- 2

उत्तरदाताओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण-

क्र०सं०	जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य (GENERAL)	59	27.19
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	84	38.71
3	अनुसूचित जाति (SC)	70	32.26
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	4	1.84
	कुल	217	100

तालिका संख्या 3 में उत्तरदाताओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 59 अर्थात 27.19 प्रतिशत है, अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 84 अर्थात 38.71 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं की संख्या 70 अर्थात 32.26 प्रतिशत है, एवं अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं की संख्या 4 अर्थात 1.84 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका- 3

उत्तरदाताओं का शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण-

क्र०सं०	**शिक्षा**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	निरक्षर	35	16.13
2	प्राइमरी	36	16.59
3	हाईस्कूल	32	14.75
4	इन्टरमीडिएट	38	17.51
5	स्नातक	45	20.74
6	परास्नातक	24	11.06
7	अन्य	7	3.23
	कुल	217	100

उपर्युक्त तालिका में 217 उत्तरदाताओं का शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसमें 35 अर्थात 16.13 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर पाये गये तथा 36 अर्थात 16.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है। हाईस्कूल करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 32 अर्थात 14.75 प्रतिशत है तथा 38 अर्थात 17.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की है। स्नातक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 45 अर्थात 20.74 प्रतिशत है जबकि 24 अर्थात 11.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है तथा अन्य अर्थात व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7 अर्थात 3.23 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक एकल माताऐं स्नातक स्तर तक शिक्षित पायी गयीं।

तालिका- 4

उत्तरदाताओं के रहने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण-

क्र०सं०	**किसके साथ रहती हैं**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	ससुराल पक्ष	48	22.12
2	मायका पक्ष	60	27.65
3	एकल/आत्म निर्भर	109	50.23
	कुल	217	100

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 48 अर्थात 22.12 प्रतिशत एकल माताऐं अपने ससुराल वालों के साथ रहती हैं तथा 60 अर्थात 27.65 प्रतिशत एकल माताऐं अपने मायके में

माता–पिता के साथ रहती हैं जिनमें से कुछ एकल माताऐं माता–पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई–भाभी के साथ भी रहती हैं, जबकि 109 अर्थात 50.23 प्रतिशत एकल माताऐं अपने बच्चों के साथ अकेले रह कर स्वयं अपने परिवार का संचालन कर रही हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अकेले रहने वाली एकल माताओं की संख्या अन्य एकल माताओं की तुलना में अधिक है।

तालिका- 5

उत्तरदाताओं के एकल अभिभावक होने का कारण-

क्र०सं०	एकल अभिभावक होने का कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	जीवन साथी की मृत्यु	148	68.20
2	विवाह विच्छेद	57	26.27
3	परित्याग	12	5.53
	कुल	217	100

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 148 अर्थात 68.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के एकल माता होने का कारण जीवन साथी की मृत्यु है। 57 अर्थात 26.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका पति से विवाह विच्छेद (तलाक) हो जाने के कारण वह एकल माता बनी जबकि 12 उत्तरदाताओं ने परित्याग को एकल माता होने का कारण बताया जो 5.53 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि एकल माता होने का सर्वप्रमुख कारण जीवन साथी की मृत्यु होना है।

तालिका- 6

उत्तरदाताओं का सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर वर्गीकरण-

क्र० सं०	उत्तरदाताओं के सम्बन्ध कैसे हैं	अच्छे	प्रतिशत	खराब	प्रतिशत	ठीक-ठीक	प्रतिशत	कुल
1	ससुराल वालों से	56	25.81	140	64.52	21	9.68	217
2	मायके वालों से	212	97.70	1	0.46	4	1.84	217
3	पड़ौस वालों से	174	80.18	0	0.00	43	19.82	217
4	मित्रों से	155	71.43	9	4.15	53	24.42	217

उपर्युक्त तालिका में 217 उत्तरदाताओं का सामाजिक सम्बन्ध के आधार पर विश्लेषण किया गया जिसमें 56 अर्थात 25.81 प्रतिशत एकल माताओं के अपने ससुराल वालों से अच्छे सम्बन्ध पाये गये, 140 अर्थात 64.52 प्रतिशत के खराब सम्बन्ध तथा 21 अर्थात 9.68 प्रतिशत के ठीक–ठीक सम्बन्ध पाये गये।

212 अर्थात 97.70 प्रतिशत एकल माताओं के अपने मायके वालों के साथ अच्छे सम्बन्ध पाये गये, 1 अर्थात 0.46 प्रतिशत के खराब सम्बन्ध तथा 4 अर्थात 1.84 प्रतिशत के ठीक-ठीक सम्बन्ध पाये गये।

174 अर्थात 80.18 प्रतिशत एकल माताओं के अपने पड़ौस वालों से अच्छे सम्बन्ध पाये गये, 43 अर्थात 19.82 प्रतिशत के ठीक-ठीक सम्बन्ध पाये गये जबकि ऐसी कोई भी उत्तरदाता नहीं पायी गयी जिनके सम्बन्ध पड़ौसियों से खराब हों।

155 अर्थात 71.43 प्रतिशत एकल माताओं के अपने मित्रों से अच्छे सम्बन्ध, 9 अर्थात 4.15 प्रतिशत के खराब सम्बन्ध तथा 53 अर्थात 24.42 प्रतिशत के ठीक-ठीक सम्बन्ध पाये गये। अतः उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि अन्य की तुलना में एकल माताओं के सर्वाधिक अच्छे सम्बन्ध अपने मायके वालों से हैं।

एकल माताओं की आर्थिक स्थिति-

तालिका- 7

एकल माता की मासिक आय-

क्र०सं०	मासिक आय (रुपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कोई आय नहीं	43	19.82
2	10,000 से कम	84	38.71
3	11,000 से 20,000	63	29.03
4	21,000 से 30,000	2	0.92
5	31,000 से 40,000	10	4.61
6	41,000 से 50,000	8	3.69
7	51,000 से ज्यादा	7	3.23
	कुल	217	100

उपर्युक्त तालिका में 217 एकल माताओं की मासिक आय का विश्लेषण किया गया है जिसमें 84 अर्थात 38.71 प्रतिशत एकल माताओं की मासिक आय रु० 10,000 या उससे कम है। 63 अर्थात 29.03 प्रतिशत एकल माताओं की मासिक आय रु० 11,000 से 20,000 के बीच, 2 अर्थात 0.92 प्रतिशत एकल माताओं की मासिक आय रु० 21,000 से 30,000 के बीच, 10 अर्थात 4.61 प्रतिशत एकल माताओं की मासिक आय रु० 31,000 से 40,000 के बीच तथा 8 अर्थात 3.69 प्रतिशत एकल

माताओं की मासिक आय रु० 41,000 से 50,000 बीच पायी गयी। रु० 51,000 से ज्यादा मासिक आय प्राप्त करने वाली एकल माताओं की संख्या 7 अर्थात 3.23 पायी गयी। 43 अर्थात 19.82 प्रतिशत एकल माताऐं वह थीं जिनकी कोई मासिक आय नहीं थी और वे अपने समस्त खर्चों के लिए पूरी तरह से अपने ससुराल वाले या मायके वालों पर निर्भर थीं। अतः स्पष्ट है कि रु० 10,000 या उससे कम मासिक आय प्राप्त करने वाली एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका- 8

एकल माता की व्यक्तिगत आय का साधन-

क्र०सं०	आय का साधन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	प्राईवेट नौकरी	81	37.33
2	सरकारी नौकरी	28	12.90
3	लघु उद्योग/स्वयं का व्यापार	29	13.36
4	पेंशन	23	10.60
5	मजदूरी	13	5.99
6	कोई साधन नहीं	43	19.82
	कुल	217	100

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 81 अर्थात 37.33 प्रतिशत एकल माताऐं प्राईवेट नौकरी करके तथा 28 अर्थात 12.90 प्रतिशत एकल माताऐं सरकारी नौकरी के द्वारा अपनी आजीविका चला रही हैं। 29 अर्थात 13.36 प्रतिशत एकल माताऐं लघु उद्योग/स्वयं के व्यापार से जुड़ी हैं जिसमें वह सिलाई, ब्यूटी पार्लर, थैला बनाना, मेंहदी लगाना, पशु पालन करना व जनरल स्टोर की दुकान चलाना आदि का कार्य कर रही हैं। 23 अर्थात 10.60 प्रतिशत एकल माताओं को पेंशन की सुविधा प्राप्त है, 13 अर्थात 5.99 प्रतिशत एकल माताऐं मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही हैं तथा 43 अर्थात 19.82 प्रतिशत एकल माताऐं वह हैं जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, वह अपने मायके या ससुराल में रह कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं।

निष्कर्ष-

1- विवाह के समय 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या अत्यधिक पायी गयी तथा एकल होने के समय उन एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी जो 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की थीं। वर्तमान में साक्षात्कार के समय 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी।

2- सामान्य एवं अनुसूचित जाति की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी तथा अनुसूचित जनजाति की सिर्फ 4 एकल माताऐं पायी गयीं।

3- उत्तरदाताओं में स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली एकल माताओं का प्रतिशत अन्य की तुलना में बहुत कम पाया गया।

4- अकेले स्वयं अपने परिवार को चलाने वाली एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी तथा ससुराल में रहने वाली एकल माताओं की तुलना में मायके में रहने वाली एकल माताओं की संख्या अधिक पायी गयी।

5- उन माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी जो अपने पति की मृत्यु के कारण एकल अभिभावक के रूप में अपने परिवार का संचालन कर रही हैं। इसके बाद क्रमशः तलाक होने पर और पति द्वारा परित्याग किये जाने पर एकल अभिभावक होने का कारण सामने आया।

6- उन एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी जिनके मायके वालों से सम्बन्ध अच्छे थे। इसके बाद क्रमशः पड़ौस व मित्रों से अच्छे सम्बन्ध पाये गये। ऐसी एकल माताओं की संख्या कम थी जिनके ससुराल वालों से अच्छे सम्बन्ध थे।

7- उन एकल माताओं की संख्या सर्वाधिक पायी गयी जिनकी मासिक आय 10,000/- रुपये से कम है। 21,000/- रुपये से 30,000/- रुपये मासिक आय प्राप्त करने वाली एकल माताओं की संख्या सबसे कम पायी गयी।

8- प्राईवेट नौकरी करने वाली एकल माताओं की संख्या अन्य व्यवसाय करने वाली एकल माताओं की तुलना में सर्वाधिक पायी गयी तथा मजदूरी करने वाली एकल माताओं की संख्या सबसे कम पायी गयी।

सन्दर्भ सूची

1. Rees E., Beeber S.N., Sampson R., and Lietz J.P., (2023). Empowering single parents: Navigating socio- Economic challenges and fostering resilience in family well-being. Law and Economics,Vol.17, ISSN No. 3026-1929, pp 131-150.
2. Lindwall J.J., Bailer B.A. & Daly B.P.,(2011). Single Parent Families. Encyclopedia of Child Behavior and Development. PP 1364-1367.

   https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-79061-9_2651
3. Dr. Passley J.A., (2006). Single Parenting in the 21st Century and Beyond. A Single Mother's Guide to Rearing Sons without Fathers: Isbn- 1-4251-0358-8.
4. https://m.thewire.in/article/gender/71-million-single-women-39-rise-over-a-decade
5. Marital Status- Census 2011, (https://www.census2011.co.in/maritaql.php)

6. The Times Of India, Single mothers head 4.5% of all Indian house holds. The UN Women report. Jan 26, 2019.

7. Mehrotra D.P., 2003, Home Truths, Penguin Books.

8. https://www.patrika.com.opinion/social-acceptance-of-single-mothers-is-a-delusion-7500907

9. Bharat S., (1986), Single parent family in India: issues and implications, PP. 55-64, Semantic Scholar, Corpus I.D.-209451851

10. Casey T. & Maldonado L., (2012). Worst off: single-parent families in the united states. A cross national comparission of single-parenthood and sixteen other high-income countries Newyork: Legal momentum. Vol.16.

11. Glaveanu S.M.,(2014). The parental competence of single-parent families from vulnerable groups. Procedia- Social and behavioral sciences, 187. PP 201-205.

12. Kadoya Y. & Yin T., (2012). Widow Discrimination and family care-giving in India. Isntitute of Social and Economic Research, Osaka University, Minogaoka 6-1, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : समावेशन एवं अपवर्जन

***डॉ. जीतेंद्र प्रताप**
(सहायक आचार्य) दयानन्द वैदिक कालेज, उरई
****लवलेश कुमार विश्वकर्मा,**
दयानन्द वैदिक कालेज, उरई शिक्षा संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

सारांश (Abstract)

शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पियेगा उतना ही दहाड़ेगा।

----- डॉ० भीमराव अम्बेडकर

भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम राष्ट्र है। इस इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज की जरूरतों के अनुरूप संचालित करने के लिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसरो के पूर्व चेयरमैन के . कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कराया। इसमें कुल 27 अध्याय तथा 308 बिन्दु हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 06 में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अपवर्जन एवं समावेशन से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 देश को समर्पित की थी। समावेशन तथा अपवर्जन शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

शिक्षा की मुख्य धारा में दिव्यागों को लाने हेतु भारत सरकार द्वारा आई०पी०डब्ल्यू०डी० अधिनियम–2016 के समस्त प्रावधानों को लागू किया जायेगा। दिव्यांग तथा ट्रांसजेण्डर छात्र–छात्राओं के उत्थान हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जायेगा। इस कोष से दिव्यांगों तथा ट्रांसजेण्डरों को आर्थिक सहायता तथा शिक्षा के लिए उपयोग सामाग्री उपलब्ध करायी जायेगी। दिव्यागों में कौशल विकास हेतु NCC का गठन किया जायेगा तथा शिक्षा को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध किये जायेगें। शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सम्पूर्ण समाज का चतुर्मुखी विकास किया जायेगा।

मुख्य शब्द/संके त शब्द– शिक्षा अपवर्जन, समावेशन, मुख्य धारा, आर०पी०डब्ल्यू०डी० अधिनियम, जेंडर समावेशी निधि, आठवीं अनुसूची, समवर्ती सूची शिक्षा संरचना।

प्रस्तावना

शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पियेगा उतना ही दहाड़ेगा।

-----डॉ० भीमराव अम्बेडकर

शिक्षा मानव विकास का मौलिक साधन है। यह मानव के चतुर्मुखी विकास का बुनियादी आधार है। शिक्षा के द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशलों में वृद्धि एवं व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक समस्याओं का समाधान खोजती है।

प्रत्येक राष्ट्र ने शिक्षा की व्यवस्था को सही व सुनियोजित ढ़ंग से प्रसारित, नियोजित एवं नियंत्रित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम सन् 1968 में देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी किया था तत्पश्चात वर्ष 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति जारी की गयी तथा 34 वर्षों पश्चात् वर्ष 2020 में तत्कालीन सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गयी जो शिक्षा हेतु 5+3+3+4 ककी संरचना प्रदान करती है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना को अपनाया गया तथा शिक्षा नीति 1986 में भी 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के निर्माण का विचार वर्ष 2015 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के परामर्श पर लिया गया था। शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऑनलाइन एवं आफलाइन मोड पर शिक्षाविद्ों, विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित करके तथा ग्रामीण, शहरी, ब्लॉक, स्थानीय निकाय, जिला, मण्डल, व राज्य स्तर पर विद्वानों से गहन परामर्श करने के पश्चात् एक नवीन समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व के बिनेट सचिव टी०एस०आर० सुब्रम्यम थे। इस समिति द्वारा सम्पूर्ण देश से 02 लाख लोगों से सुझाव लिया गया तथा अपनी रिपोर्ट वर्ष 2016 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी।

भारत सरकार के द्वारा दिसम्बर 2018 में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ० के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसने शिक्षा नीति का सम्पूर्ण मसौदा तैयार करके 31 मई 2019 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा राज्य मंत्री श्री संजय श्याम राव धोत्रे जी को सौप दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में हिन्दी पाठ कुल 107 पृष्ठों में तथा अंग्रेजी में कुल 69 पृष्ठ है। स्कूल शिक्षा सम्बन्धी कुल 8 अध्याय तथा 143 बिन्दु है। उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी 5 अध्याय तथा 54 बिन्दु है। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन सम्बन्धी कुल 3 अध्याय तथा 12 बिन्दु हैं। सम्पूर्ण शिक्षा नीति में कुल 27 अध्याय तथा 308 बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। शिक्षा नीति के मसौदा को 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज भारत सरकार ने शिक्षा पर कुल बजट का 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्य पाँच बिन्दुओं में बल देती है जो निम्नलिखित है:–

1. सब तक पहुंच (Accessibility)
2. सहारा देना (Equity)
3. गुणवत्ता (Quality)
4. वहनीयता (Affordability)
5. जवाबदेही (Accountabitity)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वर्तमान शिक्षा UNESCO यूनेस्को की रिपोर्ट में उल्लिखित शिक्षा के चार स्तम्भों क्रमशः जानने के लिए सीखना (Learning to know), करने के लिए सीखना (Learning to do), जीवन के लिए सीखना (Learning to live) तथा रहने के लिए सीखना (Learning to be)

प्रमुख बिन्दु

1. समावेशन तथा अपवर्जन शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण आयाम है जिसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय–6 मे किया गया है।
2. प्रत्येक विद्यार्थियों की क्षमताओ को जानने, पहचानने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और माता- पिता को जागरूक किया जाय।
3. शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए राज्य तथा केन्द्र सरकारों को समावेशी शिक्षा हेतु समान रूप से कार्य किया जाना चाहिए।
4. समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय सन्दर्भ हेतु सम्मान

दिया जाना चाहिए।

5. समस्त प्रकार के शैक्षिक निर्णयों में पूर्ण रूप से समानता और समावेशन पर बल दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली में सभीकर के छात्रों का समावेश हो सके।
6. शिक्षा को आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाना ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके।
7. शैक्षिक रूप से पिछडे समुदायो के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय ताकि समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सके।
8. समाज के दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अन्य विद्यार्थियों की तरह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के सम्मान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
9. सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े क्षेत्रों को शिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षा केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए।
10. छात्राओं तथा ट्रांसजेंडर बच्चो की शिक्षा हेतु जेंडर इन्क्लुजन निधि फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
11. SDG वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क, बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
12. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयो में कक्षा 12 वीं तक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था किया जायेगा।
13. देश के पिछड़े तथा आकांक्षी जिलों में जे एनवी और के वी का निर्माण किया जायेगा.
14. उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु समाज के वंचित, शोषित तथा दिव्यांग बच्चों को सरकार के द्वारा वितीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।
15. सभी दिव्यांग बच्चो के लिए बाधा मुक्त शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
16. एस. डी. जी. से सम्बन्धित बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य शैक्षिक योजनाओ का लाभ देने के लिए एकल प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।
17. दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के साथ-साथ पर्याप्त व उपयुक्त भाषा में पठन सामग्री उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
18. दिव्यांग बालकों को नियमित तथा विशेष स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु ग्रह आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन किया जाना चाहिए।

19. बी०एड० कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीको के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान इत्यादि को बढावा दिया जा सके।

20. वैकल्पिक स्कलो के शिक्षको में समतालिमका करने हेतु नवीन शैक्षणिक पद्धतियों का समावेश किया जाना चाहिए तथा भोरिएंटेशन कार्यक्रम भी पाध्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

21. उच्चतर शिक्षा में नामांकन को बढाया जाएगा तथा कम प्रतिनिधित्व की समस्या को समाप्त किया जायेगा।

22. पाठ्य में विज्ञान गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी, राज्य भाषाये, क्षेत्रीय भाषाये व अन्य प्रासंगिक विषयों को शामिल किया जायेगा ताकि समावेशन में आसानी हो सके।

23. उच्च गुणवत्ता वाले माड्यूल से सम्बंधित भारतीय साइन लैंग्वेज को सीखाया जायेगा तथा भारतीय साइन लैंग्वेज के सहयोग से अन्य बुनियादी विषयों का विकास किया जायेगा।

24. सीखने की सामग्री व संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही साथ माता–पिता के उन्मुखीकरण के लिए एक आधारित समाधान की व्यवस्था भी की जायेगी।

25. दिव्यांग बच्चो को स्कूल परिसरों में आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार से वित्तीय सहायता ली जायेगी तथा एक तंत्र विकसित किया जायेगा।

26. स्कलो तथा स्कूल परिसरों में दिव्यांग बच्चों के समेकन, शिक्षको की भर्ती व संसाधन केन्द्रो की स्थापना के लिए संसाधन उपलव्ध कराये जायेंगे।

27. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैम्प का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि दिव्यांग छात्र–छात्राओं को आवागमन में आसानी हो तथा दिव्यांग छात्र– छात्राओ की व्हील चेयर कक्षाओ तक आसानी से पहुँच सकें।

28. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु बिद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि दिव्यांगो को भी शारीरिक, मानसिक व शैक्षिक विकास का अवसर मिल सके।

29. दिव्यांग विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु उपयुक्त पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में लिखी गयी पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

30. दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु उपयुक्त उपकरण विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि दिव्यांगो को अधिगम में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

31. स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को कम करने हेतु अलग – अलग रणनीतियाँ बनायी जायेगी।

32. दिव्यांग बालको को स्कूल भेजने हेतु तथा माता - पिता को प्रोत्साहित करने हेतु नकद पैसों का हस्तान्तरण, परिवहन हेतु साइकिल प्रदान करने जैसी सफल रणनीतियो का क्रियान्वयन सम्पूर्ण देश में किया जायेगा।

33. भारत सरकार के द्वारा लड़कियो तथा ट्रासजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तथा न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जायेगा। इन नीति का उद्देश्य लिंग दिव्यंगता तथा अन्य कारणो से वंचित छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना होगा।

34. ई० सी०सी० ई० में दिव्यांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

35. आर.पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानो के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय एन.सी. ई. आर. टी. के द्वारा दिव्यांगो को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श दिया जाएगा।

36. दिव्यांगों को उपयुक्त भाषा शिक्षण तथा शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने हेतु NIOS के द्वारा भारतीय संकेत भाषा में माड्यूल विकसित किये जायेगे दिव्यांगों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

37. अल्प दिव्यांगता वाले छात्र-छात्राओ के पास नियमित या विशेष शिक्षा का विकल्प रखा जायेगा स्कूल न जाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को ग्रह शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

38. अधिगम में अक्षम बालको की अक्षमताओं पहचान करने हेतु तथा निवारण करने हेतु परख नामक प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र इस दिशा में कार्य करेगी।

39. स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को कम करने तर सर्वाधिक बल दिया जायेगा।

40. जनजाति बहुल क्षेत्रो में माध्यमिक स्कूलों में NCC विंग खोलने की सिफारिश की जायेगी जिससे छात्रो की अलौकिक क्षमता का निखार किया जा सकेगा।

41. विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचानने के लिए तथा उनके चतुर्मुखी विकास हेतु शिक्षकों तथा अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

42. प्रत्येक विद्यार्थी के चतुर्मुखी विकास हेतु कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देकर सीखने के बुनियादी कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए।

43. प्रत्येक विद्यालय को प्रक्रिया के अनुरूप सीखने के नियमों तथा कार्यक्रमों को जीवन में चुनकर शिक्षार्थी को लचीलेपन में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

44. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच जातिगत मुद्दे, ऊँच-नीच के अलगाव तथा सम्बद्धता को दूर करना।

45. शिक्षार्थियों को अधिगम के लिए रटन्त प्रणाली से मुक्त करना चाहिए तथा परीक्षाओं हेतु पढ़ने के स्थान पर शिक्षार्थियों में कक्ष धारणात्मक समझ को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

46. शिक्षार्थियों को तार्किक निर्णय तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक तथा तार्किक सोच को प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

47. शिक्षण का अधिगम के कार्य में बहु-भाषकिता एवं भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

48. शिक्षार्थियों में जीवन कौशल को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य एवं लचीलापन इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिसमें शिक्षार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिल सके।

49. सत्र के अन्त में होने वाली योगात्मक संत्रान्त परीक्षाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ये परीक्षाएं कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करती हैं। योगात्मक सत्रान्त परीक्षाओं के स्थान पर सतत् निर्माणात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए।

50. समस्त प्रकार के छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक निर्णयों में समता तथा समावेशन को मूलभूत बिन्दु के रूप में रखना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय शिक्षा प्रणाली में नि:शक्ततों तथा अपवंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उल्लिखित समावेशन एवं अपवर्जन के तथ्यों को पूर्णत: समाप्त करने के लिए प्रत्येक बिंदु को लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित बजट जो शिक्षा हेतु 6 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाता है इसे पूर्ण रूप से खर्च किया जाना चाहिए, ताकि अपवंचितों तथा समाज की मुख्य धारा से अलग नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सम्पूर्ण भारत वर्ष में अपवंचितों, शोषितों तथा मुख्या धारा से विगल नागरिकों की शिक्षा का समुचित प्रबंध करके तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु को अक्षरश: लागू करके एक सशक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की जा सकती है। भारत वर्ष के प्रत्येक कोने-कोने में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को सुनिश्चित किया जाये तथा समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे महिलाओं,

दलितों, शोषितों तथा वंचितों को भी शिक्षा प्रदान की जाये। इन्हे भी देश के लिए सशक्त नागरिकों के रूप में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जब देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित, संस्कारयुक्त सभ्य तथा जागरूक होगा जब देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती मिलेगी तथा देश में ये राष्ट्रवाद की जड़े अधिक मजबूत होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 06 में उल्लिखित समस्त तथ्यों को समानता के साथ लागू किया जाना चाहिए जिससे देश के प्रत्येक कोने में परिवर्तन देखने को मिले। जब तक देश का प्रत्येक वर्ग शैक्षिक रूप से सम्पन्न नहीं होगा तब तक देश में मजबूत राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल, रमन बिहारी, (2019–20) : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
2. पाण्डेय, डा० अभिशेख कुमार और शर्मा, डा० अभय कुमार (2024) : भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, ब्लू डक पब्लिकेशन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। **ISBN:978.81.19463.74.9**
3. गुप्ता, एस०पी० (2021) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
4. कुमार, संजीत कुमार, राजेश व अन्य (2018) : शिक्षाशास्त्र पेपर–2 अरिहन्त पब्लिकेशन इण्डिया लिमिटेड मेरठ (उ०प्र०)

5- www.google.com :
6- www.youtube.com :
7- Magazines : प्रतियोगिता दर्पण (मासिक)
8- News Paper : The Hindu
: The Hindustan Times
: The Times of India

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में शिल्प

डॉ. आलोक कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

मैत्रेयी पुष्पा स्त्री–विमर्श की प्रमुख हस्ताक्षर है यह कहना गलत न होगा क्योंकि उन्होंने ही शहरी परिवेश पात्रों तक सीमित स्त्री विमर्श का ग्रामीण परिवेश की साधारण स्त्री से जोड़कर उसे जन साधारण तक पहुँचाने का दुस्साहस किया है। स्त्री विमर्श के तहत उन्होंने पितृसत्तात्मक मूल्यों, दोहरे नैतिक मानदण्ड, लिंग भेद की कुप्सित राजनीतिकव सामाजिक मान्यताओं एवं अन्तर्विरोधों को झकझोर कर रख दिया है। सदियों से जिस कदर–बद्तर विरोधी व्यवस्था ने स्त्री को कदमतले रौंदने की कोशिश की है उसके व्यक्तित्व एवं अस्तित्त्व को नकारा है, उसकी गरिमा का हनन किया है उस बद्तन व्यवस्था के खिलाफ सशक्त पात्रों की संरचना कर घमासान युद्ध छेड़ा है मैत्रेयी जी ने। अब तक पुरुष वर्चस्व से मंडित कर गुलाम बना रखा है, उसी मोहताज को चीर डाला है मैत्रेयी पुष्पा ने। उनकी स्त्रियाँ आचरण की पैतृक मर्यादाओं और खोखली परम्पराओं की लक्ष्मण रेखाओं को अस्वीकार करती है। उनके स्त्री पात्र स्वतंत्रता की मांग करती है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक वर्चस्व के दोहरे मानदण्ड को ललकारती है, जो अपने हिस्से की लड़ाई ही नहीं लड़ती है बल्कि युगीन परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति भिन्न तरीके से दर्ज करती है। नि:सन्देह मैत्रेयी पुष्पा का कृतित्व अपने समकालीनों में पूर्ण रुप से विशिष्ट है। मैत्रेयी पुष्पा प्रेमचंद की परम्परा की सशक्त दावेदार है पर प्रेमचंद के पास ब्रिटिश उपनिवेशवादी सामंती व पूँजीवादी समाज सामने था जबकि मैत्रेयी पुष्पा के सम्मुख बीसवीं शताब्दी का संक्रमण शील समाज अपनी वीभत्सता के दोहरे चरित्र में मुँह बाये खड़ा है।1

मैत्रेयी पुष्पा एक विलक्षण कथाकार है जिसके पास बड़बोलेपन नहीं है। वह बाज जैसी तीक्ष्ण, निगाह रखते हुए पात्रों के पक्ष–विपक्ष को पाठकों के सम्मुख रखकर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है। अंतत: मैत्रेयी पुष्पा की स्त्री पात्र अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपना जीवन लक्ष्य स्वयं अर्जित करना चाहती है: उनके यह पात्र अशिक्षित, अर्धशिक्षित, गंवार ग्रामीण परिवेश से संबंधित परन्तु सच्चे जीवन लक्ष्यों के अन्वेषक सकारात्मक और नकारात्मक पात्रों की अन्तविरोधी दुनिया पाठकों को रचनात्मक सत्य को आत्मसात करने और विचार करने के लिए प्रेरित करती है।

मैत्रेयी पुष्पा ने समकालीन कथा साहित्य में न केवल आंचलिक भाषा शैली के नये पुराने साक्ष्यों का प्रयोग किया है बल्कि वह स्त्री भाषा के सांचों को भी रेखांकित करती है। लगभग विस्मृत आंचलिक बोली–बानी में बैलेंस गाली गलौज की भाषा शैली तक के प्रयोग उनके रचनाओं में उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पात्रानुकूल भाषा–शैली का सहज प्रयोग कर लेती है। कथा के अनुरुप शिल्प अभिनव सच बन जाता है। प्रसंगवश मैत्रेयी पुष्पा का कथन है कि मुझे कभी नहीं लगा कि शिल्प खोजकर फिर रचना की जाये। मेरे ख्याल में रचना का प्राण उसकी सहज अभिव्यक्ति में बसता है। पात्र परिवेश भाषा का संयोजन एक दूसरे के साथ होता है और हर रचना अपने कलेवर में अलग दिखाई देने लगती है। वह कहती है सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि ये रचना किसके लिए लिखी जा रही है फिर उसी के अनुसार शिल्प शैली का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन मैं यह कहूँ जिस अपने गाँव की खैरापतिन दादी विद्वान लगती है क्योंकि गीत कथाओं का समय की विषमताओं के बल पर खड़ा करके गाना सुनाती है। मैं यहीं कह सकती हूँ कि मेरे पास कलावती चाची जैसी पात्र है, उसमें तस्लीमा जैसे साहस, सिमोन द बोउवार जैसी बेबाकी और इस्मत चुगताई जैसी पैनी और गहरी नजर वाला जज्बा है। वे ही मेरी संकल्प दृढ़ता को बनाए हुए शिल्प को बाहरी नहीं अंदरुनी धड़कन देते हैं।

कथा–साहित्य में प्राय: ठेठ ग्रामीण शब्दों के प्रयोग के कारण कभी–कभी कथानक में व्यवधान जरुर उत्पन्न होता है, परन्तु उनका कथा कहने का ढंग इस व्यवधान के ऊपर भी बाजी मार लेता है। उनके पास कथा के अनुरुप भाषा शैली का शिल्पी रुप प्रयुक्त होता है। यथा ढोलावाले दादू से रानी मंझा और दाज प्रथम की लोक कथा सुनकर श्रीधर विश्लेषण कर अपनी डायरी में लिखता है– “तुम्हारे ही बीच में कोई मंझा उठेगी, सारंग जो अपनी मर्जी से अपना बच्चा पैदा करेगी। भले बालक ही देर सबेर जंगल में जन्मे। उसकी कोख का फैसला करने वाला कोई राजा होगा न मालिक न कोई देवता। नल की तरह जन्म लेने वाला प्यारा सा बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानेगा। किसी राज प्रथम को नहीं जिरौली को दी गई यातना व्यर्थ नहीं जायेगी। ....तुम्हारे मन में विक्षोभ की एक चिंगारी छिटकी यही क्या कम है? यह लपट भी उठेगी जो छीन लेगी अपने हक को इन वीर्यवर्धक जड़ी–बूटी और शिलाजीत खाने वाले मर्द से वास्तव में मैत्रेयी पुष्पा रुटीन अभिव्यक्ति को जस का तस रचने में कोई कोताही नहीं बरतती है। जिससे अक्सर नारी रचनाकार बचना चाहती है। चाहे वह चन्द्रकिरण सौनरेक्सा हो या चित्रा मुद्‌गल या चन्द्राकांता को अथवा कृष्णा अग्निहोत्री।

यह मैत्रेयी पुष्पा की विनम्रता है कि वह सिमोन द बोउवर इस्मत चुगताई और तस्लीमा नसरीन के भाषा प्रयोग पर कथा को बेबाकी और शिल्प सम्बन्धी तराश पर नजर तो रखती है पर अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए वह बड़ बोलेपन से बचना चाहती है। उनमें कमल कुमार जैसी आत्मप्रवंचना नहीं है। जब वह भी स्त्री विमर्श के सबसे बड़े दावेदार हैं। प्रसंगवश राजेंद्र यादव भी कहते हैं कि ह्यही कैसी हास्यास्पद विडंबना है कि हजारों सालों से पुरुष ने स्त्री को देह से अधिक कुछ नहीं

माना है। शास्त्र और शास्त्रों से उसे यही समझाया जाता रहा है कि वह सिर्फ देह है और उसकी इस देह के स्वामित्व पर ही उसने संस्कृति का सारा विमान खड़ा कर लिया है। ....लेकिन आज जब स्त्री ने सिर उठाकर यह कहना शुरु कर दिया कि वह सबसे पहले शरीर और अपनी देह की मालिक स्वयं है तो सारे पुरुष समीकरण गड़बड़ा गये।" उनका यह दावा तथाकथित स्त्री विमर्श की दावेदार नारियाँ पूर्णत: स्वीकार नहीं करती है। मैत्रेयी पुष्पा केवल देह के स्वामित्व की बात नहीं करती है वे बौद्धिक उत्कर्ष, स्वतंत्र असितत्व व प्रोफेसर का चयन और ऐच्छिक नर–नारी सम्बन्धों की वकालत करती है। यह देह से मुक्ति नहीं चाहती है बल्कि पुरुष ऐषणाओं से मुक्ति चाहती है। यह बात तो अधिकांश आलोचक और पाठक जानते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा ने ग्रामीण संदर्भ में लोकोक्तियों और मुहावरों का कलात्मक प्रयोग किया है। जिससे ग्रामीण परिवेश में सजीवता का संचार होता है। ग्रामीण जीवन को उसकी बोली–बानी कथनी और करनी के रुप में प्रस्तुत करती है। भाषा–सम्बन्धी सजीवता और विलक्षणता ही उनके कथा साहित्य का उजास है। अगर मैत्रेयी पुष्पा ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के लिए वहाँ की भाषा बोली का प्रयोग नहीं करती तो वह धारदार लेखिका नहीं हो पाती। उनकी भाषा–शैली में विभिन्न आचंलिक बोलियों में जो जीवनानुभवों का जो विशिष्ट रुप है, उनमें कहने सुनने की जो अद्वितीय सामर्थ्य है, वह साहित्यिक कही जाने वाली भाषा शैली में न होता। जैसा देश वैसा भेष, जैसी कथा, वैसी भाषा। यह उक्ति मैत्रेयी पुष्पा के कथा–साहित्य के सन्दर्भ में पूर्णतया चरितार्थ होती है। काशीनाथ सिंह बनारस के परिवेश को चित्रित करने के लिए जिस तरह से लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो कभी–कभी लगता है कि ये कहीं–कहीं अति कर रहे हैं। मैत्रेयी के यहाँ वह अति नहीं बल्कि कलात्मक प्रतिलन ही लगता है। जिसे जार्जलुक की भाषा में यथार्थ का कलात्मक प्रतिबिम्बन व प्रतिलन कहा जायेगा।[2]

मैत्रेयी पुष्पा अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और विलक्षण भाषा शैली के कारण अप्रतिम मानी गयी है। विगत दशक से उससे कई आलोचक व रचनाकारों से हड़कम्प मचा है। राजेन्द्र यादव ने इस गत्यात्मक परिदृश्य में कहा है कि मैत्रेयी पुष्पा के अचानक चर्चा में आ जाने को जो महिला लेखिकाएं किसी 'गाड फादर' का दूसरे शब्दों में मेरा कमाल बताती है वे न तो आत्मविश्लेषण करती है न इस तथ्य को स्वीकार कर पाती है कि मैत्रेयी ने महिला लेखन को ड्राइंग बेडरूम के तालों से निकालकर उन गांवों कस्बों में निकाल पहुँचा दिया है जो अब तक पिकनिकियो या प्रतिबद्ध समाज सेविकाओं के माध्यम से ही हम तक पहुँचता था। अनछुई भाषा अनपहचाने लोग अपरिचित समाज और जीवन की दुरुह स्थितियों में जूझती औरत की कहानियाँ सुशिक्षित शहरी सुनासिता महिलाओं में ठीक वहीं बेचैनी पैदा करती है जो उमा भारती, फूलन देवी के साथ बैठकर वसुंधरा राजे सिंधिया या वैजयन्ती माला करती होगी। मगर क्या किया जाये लोकतंत्र का यह अभिशाप तो झेलना ही होगा ....लेखन में भी। मगर सिर्फ 'अंखिन देखी का' आश्वासन बिना बृहत्तर राजनैतिक दृष्टि के कथाकार को बहुत दूर तक

शायद नहीं ले जाता। हाँ, कुछ कथाकृतियाँ जरुर ऐसी होती है जो राजनैतिक समझ के लिए आधार बनती है।" उनके लिए चाक, अलमा कबूतरी और विजन का हवाला देना मुनासिब होगा। मैत्रेयी अपने पाठकों को जानती है और हिन्दी के बड़े-बड़े कथाकारों की तरह वे कुछ बातों को उन तक सीधे पहुँचाना चाहती है। वे उन आलोचकों के लिए शायद ही लिखती है, जिनकी निगाह अब वस्तु पर तो बहुत कम किन्तु विरल और अनोखे शिल्प कुछ ज्यादा ही रहने लगी है।[3]

कथा-सौन्दर्यशास्त्र और समाजशास्त्र के मीमांसक रोहिताश्व ने भी कहा है कि विवेच्य कथाकार 'मैत्रेयी पुष्पा' के कथा साहित्य में नारी देह का त्रिआयामी अकुण्ठ राग है। एक और वासना का उद्‌गम आवेग है, मानवीय जिजीविषा का सौन्दर्य बोधी चित्रण है तो दूसरी ओर अग्रहिता जीवन और परिवेश का संघर्षरत मनोविश्लेषणात्मक त्रिपिटिक भी अन्तरमुक्त है। अनपढ़ गंवार स्त्रियों का वीभत्सपूर्ण जीवनराग है। तो शिक्षित महिला पुरुष वर्चस्व वाली दुनिया में अपनी अस्मिता की तलाश करने वाली एक अजीबोगरीब अस्तित्वादी ैटेंसी भी उनकी रचनाओं में अनस्थूल है जिसका दिग्दर्शन 'इदन्नमम' 'चाक', 'विजन' उपन्यासों के साथ अन्य कहानियों में व्याप्त है।

साहित्य के कर्णधारों से मैत्रेयी पुष्पा का मर्म भेदी सवाल है कि- "बेशक आप साहित्य में स्त्री विमर्श के रूपों में राइस्तगी और सजावट के साथ मर्यादा पसंद करते हैं मगर हम भी तो अपनी जिंदगी तबाह होने की नैतिकता लेकर जीवित रहने नहीं आये।" सार रुप में यही कहा जायेगा कि मैत्रेयी पुष्पा नारी संवेदना को नारी जीवन की ऐषणाओं को आंचलिक भाषा-शैली में लोक शिल्प के मुहावरों और लोकप्रिय कहावतों में ही नहीं रचती हैं बल्कि वह परम्परा के साथ साथ आधुनिकता को परिवर्तनशीलता को रुढ़ि पाखंड की जगह तर्क तथ्य को, संक्रमणशीलता के साथ-साथ युगबोध को रेखांकित करने वाली अनुपम रचनाकार है, जिसने नारी देह, नारी एषणा और नारी अस्मिता का अकुण्ठ राग और विराग रचा है।ह4

सुधी पाठक और आलोचक वृन्द यह जानता है कि मैत्रेयी पुष्पा के शिल्प शैली का सशक्त पहलू उनके कथा साहित्य में वर्णित लोकगीत हैं। परन्तु मैत्रेयी पुष्पा का उद्देश्य केवल अपनी खेरापतिन दादी की लोकगीतों की परंपराओं की जीवित रखना था एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचना मात्र नहीं है, न ही वे अन्य कलाकारों की तरह आंचलिक जीवन की झांकी उपस्थित करने के लिए त्यौहारों और पर्वो संस्कृति का चित्रण करने के लिए लोकगीतों का निर्वाह करती है। मैत्रेयी पुष्पा लोक संस्कृत के रुप में मौजूद इन लोकगीतों का स्त्री समाज से जोड़कर उनमें नये अर्थ तलाशती हैं। उन्होंने यह जान लिया है कि इन लोकगीतों की परम्परा उन समस्त स्त्री वर्ग को डराने धमकाने के लिए रची गयी है जो लक्ष्मण रेखाओं का अतिक्रमण करती है। उनका उदारहण पेश कर नयी पीढ़ी की स्त्री को वैसा कदम उठाने से रोकने के लिए ही यह गीत आज तक जिन्दा है। इसलिए मैत्रेयी पुष्पा इन लोकगीतों

में परिवर्तन लाना चाहती है, इनका विरोध करना चाहती है जो स्त्री वर्ग को खोंखली परंपराओं का वरण करने के लिए बाध्य करते हैं। अगर ऐसा न होता तो 'चाक' की सारंग खेरापतिन दादी से यह न कहती कि चंदना की कथा को बदलना चाहिए।

वे उन रचनाकारों में है जो वर्षो से महानगर में रहते हुए भी मन से गाँवों में बसते हैं। गाँव की माटी और वहाँ के दुख-दर्द से उनका आत्मिक लगाव होता है। मैत्रेयी पुष्पा की कोई भी रचना हो उसके केन्द्र में ग्रामीण परिवेश ही होता है, जिसकी प्रस्तुति ने सघन लगाव, संवेदनात्मक गहराई और भाषिक पारदर्शिता में करती है।[5]

वास्तव में मैत्रेयी पुष्पा आज के युग की वह रचनाकार है जो स्त्री-पुरुष के आत्यंतिक सम्बन्धों में परंपरा और आधुनिक युगबोध के समकालीन और शाश्वत दो विरोधी ध्रुवों की कसी हुई रस्सी पर कलात्मक संतुलन साथ लेने वाली शब्द शिल्पी है। इसमें शायद ही किसी सुधी विद्धान या पाठक में मतभेद होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सं० दया दीक्षित, मैत्रेयी पुष्पा- तथ्य और सत्य, पृ० 122
2. सं० दीपा दीक्षित- मासिक पत्रिका चाणक्य, मई अंक 2009, पृ० 77
3. डॉ० किरण पोपकर- चाणक्य- अंक 2009, पृ० 76
4. डॉ० शशिकला त्रिपाठी- उत्तरशती के उपन्यासों में स्त्री, पृ० 62
5. सं० दीपा दीक्षित- मासिक पत्रिका चाणक्य, मई अंक 2009, पृ० 78

पुरुषार्थों का समाजशास्त्रीय एवं शैक्षिक महत्व

डॉ० रवेन्द्र राजपूत
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

पुरुषार्थ (Purushartha) –

आर०एन० मुखर्जी कहते हैं– "पुरूषार्थ मानव जीवन के एक सम्पूर्ण व सार्थक स्वरूप का द्योतक है।" भारतीय जीवन दर्शन में पुरुषार्थ का विशेष स्थान रहा है क्योंकि ये मनुष्य की इह लोक एवं परलोक जीवन के उद्‌देश्यों एवं कर्त्तव्यों को निर्धारित करते हैं। दार्शनिक विचारधाराओं को आध्यात्मवादी एवं भौतिकवादी दो भागों में बाँटा गया है। अध्यात्मवादियों के अनुसार जगत मिथ्या है, इसकी समस्त वस्तुऐं अस्थिर एवं असत्य हैं केवल परलोक व उसकी समस्त वस्तुयें ही सत्य है। मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही होना चाहिए। जबकि भौतिकवादियों के मत में भौतिक संसार व इसकी वस्तुयें हीं सत्य है इसके परे कुछ भी सत्य नहीं है। अतः मनुष्य को अतीत की बातें व भविष्य की योजना छोड़कर केवल वर्तमान की ही चिन्ता करनी चाहिए।

भारतीय दर्शन में इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है। तात्कालिक सुख को ही सब कुछ मान लेना व्यर्थ है और न तात्कालिक सुख को भुलाकर भविष्य के सुख की कल्पना करना विद्वता है। वास्तव में सार्थक जीवन के लिए दोनों का सन्तुलन आवश्यक है। इस सन्तुलन के लिए भारतीय दार्शनिकों ने चार आधारों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को चुना है। एक पलड़े में अर्थ और काम तथा दूसरे पलड़े में धर्म व मोक्ष रखा गया है। पहले पलड़े में सासांरिक सुखों की प्राप्ति तथा दूसरे पलड़े के वजन से ईश्वर प्राप्ति सम्भव है। इन चारों आधारों से जिस शक्तिशाली तथा आदर्श जीवन की रचना होती है उसे ही पुरूषार्थ कहा गया है।

पुरूषार्थ का अर्थ (Meaning of Purushastha) -

पुरूषार्थ दो शब्दों पुरुष + अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष का तात्पर्य है उद्देश्य। अर्थात् पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ – "जीवात्मा का उद्देश्य" जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। पुरूषार्थ का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है– "पुरूषैर, र्थाते पुरुषार्थः" अर्थात् अपने अभीष्ट की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है।

भारतीय जीवन दर्शन में व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को चार आश्रमों – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास में बाँटा गया है। इन आश्रमों के प्रमुख कर्त्तव्य को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करने वाली योजना को पुरुषार्थ कहते है। चारों पुरुषार्थों के अलग–अलग अर्थ को स्पष्ट करते हुए के.एम. कपाड़िया लिखते हैं– "मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। 'अर्थ' मानव की संग्रह प्रवृत्ति (Aquisition) की ओर संकेत करता है तथा उनकी धन के संग्रह, उपभोग एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करता है। 'काम' मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा इसका कार्य मनुष्य का काम भावना एवं सौदर्य प्रियता की वृत्ति को सन्तुष्ट करना है। ये दोनों (अर्थ एवं काम) इस संसार में उनके भौतिक सम्बन्ध, कार्यकाल एवं जीवन की स्फलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म मानव की पाशविक एवं दैवी प्रकृति के मध्य की श्रृंखला है। इस प्रकार में चारों उद्देश्य आध्यात्मिकता के लिए किये प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं।"

परिभाषा (Difinition) -

1. आर.एन. मुखर्जी कहते हैं:– "पुरुषार्थ सृजनशीलता का वह मूल – आधार है जिसकी सहायता से व्यक्ति भौतिक पदार्थों को ही नहीं सन्तानों व सद्‌गुणों को भी जन्म देता है। और अन्त में संसार की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर अनन्त शक्ति में अपने महामिलन के लिए उद्योगोरत रहता है।"
2. डॉ. दुबे के शब्दो में – "पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो कि व्यक्ति को संसारिक सुख भोग के मध्य अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है।"

पुरुषार्थ के चार तत्व या विभिन्न पुरूषार्थो का स्पष्टीकरण – भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ 4 आधार है–

1. धर्म, 2. अर्थ, 3. काम, 4. मोक्ष

1. **धर्म Dharam:-धर्म का अर्थ** – पुरुषार्थ में धर्म का अर्थ सामान्य धर्म के अर्थ से भिन्न है। धर्म का सामान्य कार्य औद्योगिक या अधिक आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास से है। किन्तु पुरुषार्थ में धर्म से आशय जीवन के उच्च आदर्शों एवं नैतिक कर्त्तव्यों के समन्वय से हैं। "धर्म का अभिप्राय उन समस्त नैतिक कर्त्तव्यों से है जोकि लोक कल्याणकारी की है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन में धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों में आत्मा का विश्वास करना है जो दूसरों को हानि न पहुँचा सके। हम स्वयं भी रहें और दूसरों को भी रहने दें। धर्म के दस लक्षणों का पालन प्रत्येक परिस्थिति है ये व्यक्ति को करना चाहिए–

(i) धैर्य	(vi) क्षमा
(ii) दान	(vii) चोरी न करना
(iii) पवित्रता	(viii) इन्द्रिय निग्रह
(iv) बुद्धि	(ix) विद्या
(v) सत्य	(x) क्रोध न करना

परिभाषा – 1. अरविन्द के शब्दों में – "धर्म मनुष्य के अन्दर एक ऐसी प्रेरणा, भावना, प्रवृत्ति, एवं विधि व्यवस्था है जिसका लक्ष्य स्पष्टतया भगवान ही है।"

2. डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार – "धर्म मानवीय आचरण का वह तरीका है जो बुद्धि के सदुपयोग पर आधारित है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए लौकिक परिधि को पार करके पारलौकिक जगत को भी स्पष्ट करता है।"

कौटिल्य कहते हैं – "धर्म वह शाश्वत सत्य है जो सारे संसार पर शासन करता है।"

उपनिषद् – "धर्म समस्त विश्व का आधार है इससे व्यक्ति के आचरण की वे सभी बुराइयों दूर हो जाती हैं जो विश्व कल्याण के विपरीत हैं।"

बौद्धग्रन्थ – "धर्म अच्छाई व बुराई, सत्य व असत्य में अन्तर स्पष्ट करता है ये शासको का भी शासक है और विश्व में उच्चतम है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि धर्म के कई रूप हो सकते हैं जैसे– मानव धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, देश धर्म, स्वधर्म।

पी०वी० काणे ने धर्म की परिभाषा बड़े ही सासर्भित शब्दों में दी है– "धर्म से तात्पर्य किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता से है जो कि स्वयं व्यक्ति के रूप में व समाज के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यो एवं क्रियाओं को नियमित करती है। जिसका उद्देश्य व्यक्ति का क्रमबद्ध विकास करना तथा उसे इस योग्य बनाना कि यह अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच सके।"

धर्म का महत्त्व – भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है – "मैं वहीं काम हूँ जो धर्म के अनुकूल है।"

महात्मा गाँधी – "समाज से धर्म निकाल फेंकने का प्रयत्न बाँस के घर पुत्र पैदा करने के समान ही निष्फल है और वह कहीं सफल हो जाय हो समाज में उसका नाश ही है।"

के०एम० रामास्वामी शास्त्री – "धर्म व काम का मूल धर्म है। केवल धर्म या केवल कामोपभोग जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका त्याग न करें, पर इनका ग्रहण वहीं उचित है जहाँ ये धर्म के विरूद्ध न हो, बल्कि धर्म से ही प्राप्त हो।"

2– **अर्थ** (Astha) – अर्थ का तात्पर्य उन समस्त पदार्थों एवं साधनों से है जिनकी सहायता से व्यक्ति जीवन यापन करता हुआ अपने विभिन्न दायित्वों को पूरा करता है।"

परिभाषा – श्रीप्रभु – "अर्थ का अभिप्राय उन समस्त उपकरणों या भौतिक साधनों से है जो कि सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।"

डॉ० गोपाल – "अर्थ शब्द धन, सम्पत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है, यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं एवं साधनों की ओर संकेत करता है। अर्थ मनुष्य की शक्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है।"

डॉ. कपाड़िया – "मानव में प्राप्त करने की प्रवृत्ति का तुष्टीकरण करता ही अर्थ है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि – "अर्थ का अभिप्राय लौकिक जीवन की पूर्ति के साधनों से है।"

अर्थ का महत्व – हिन्दू जीवन दर्शन में अर्थ को इसलिए एक पुरुषार्थ माना गया है क्योंकि धर्म के अभाव में धार्मिक कृत्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का सम्पादन, अतिथियों की सेवा बच्चे का पालन पोषण तभी हो सकता है जन प्रयत्नपूर्वक आर्थिक साधनों को संग्रहित किया जाना महाभारत एवं स्मृति के अनुसार – गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को पूरा किये बिना वानप्रस्थ या सन्यास ग्रहण कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है।"

कौटिल्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि – "जो व्यक्ति परिवार एवं समाज की आवश्यकताओं को पूरा किये बिना ही वैराग्य अपना ले लो उसे राज्य द्वारा उचित दण्ड दिया जाना चाहिए।"

पुरूषार्थ में अर्थ का सम्बन्ध दायित्व व पूर्ति के आन्तरिक सन्तोष एवं पारलौकिक सुख से है। व्यक्ति को धनोपार्जन करने में आचरण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए तभी उसकी आर्थिक क्रियाओं से स्व सुख तथा लोकहित सम्भव हो सकता है। धन का उपभोग भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि किसी को कष्ट या हानि पहुँचे। किन्तु फिर भी भारतीय सामाजिक जीवन में अर्थ को एक सहयोगी पुरूषार्थ माना गया है।

3. काम (Kama) – पुरुषार्थ के रूप में काम का अभिप्राय उन सभी इच्छाओं की सन्तुष्टि से है जो इन्द्रियपूरक हैं और जो मनुष्य को सांसारिक सुखों को भोग करने के लिए प्रेरित करती हैं।

काम का अर्थ – काम का तात्पर्य को केवल यौन प्रवृत्ति की सन्तुष्टि करना नहीं है बल्कि अन्य अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक एवं कलात्मक सुखों की प्राप्ति करना है।"

काम को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करने के निम्न आधार हैं–

1. **जैविकीय आधार** – विभिन्न इच्छाओं की सन्तुष्टि न होने पर व्यक्ति में जो तनाव, संघर्ष, नैराश्य, क्रोध आदि बढ़ते हैं और समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की सन्तुष्टि का अवसर मिलना चाहिए।

2. **सामाजिक आधार** – प्रजनन अथवा समाज की निरन्तरता बनाये रखने, परिवार में पति पत्नी में प्रेमभाव उत्पन्न करने तथा सौन्दर्य को उसका वास्तविक स्थान देने की दृष्टि से काम को एक अनिवार्य संस्था अथवा विवाह के रूप में स्थान देना अति आवश्यक है। यह मनुष्य के लिए इसलिए आवश्यक मानी गई है क्योंकि इससे कामुकता कम होकर सन्तान की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप वह पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है।

3. **धार्मिक आधार** – काम के द्वारा व्यक्ति अपनी अति आवश्यक इच्छाओं एवं इन्द्रिय लोलुपता को शान्त करके ही आत्मिक विकास कर मोक्ष के मार्म पर अग्रसर हो सकता है।

इस प्रकार हिन्दू दर्शन में काम की अवधारणायें अति व्यापक है। काम के 3 वास्तविक स्वरूप है

1. दामत्य बन्धन के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति गृहस्थ आश्रम के रूप में होती है।

2. आध्यात्मिक रूप में जिसकी अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप कृष्ण लीलाओं के वर्णन में मिलता है।

3. कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक रूप में जिसका उदाहरण खजुराहो एवं अजन्ता की मूर्तियों में देखने को मिलता है।

यद्यपि काम एक दोष हैं किन्तु इसे अनिवार्य बुराई (Necessary evil) के रूप में हिन्दू दर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

4. **मोक्ष (Moksha) अर्थ** – मोक्ष संस्कृत के 'मुर' धातु से मना है जिसका अर्थ होता है – ढीला करना, स्वतन्त्र करना, छोड़ देना। ये पुरूषार्थ का अन्तिम तत्व व जीवन का अन्तिम लक्ष्य है।

"पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष का तात्पर्य किसी दूसरे लोक या स्वर्ग को प्राप्त कर लेना नहीं बल्कि सब ज्ञान के द्वारा 'सांसारिक बन्धनों से छूटकर 'आत्मा' या स्वयं (मसद्धि के वास्तविक स्वरूप को पहचानना एवं ब्रहमानन्द का अनुभव करना है।" अर्थात् जब आत्मा को शरीर के बन्धन में बार–बार बंधना नहीं पड़ता है और उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है, तब उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं।

परिभाषा –

1. **शिव गीता** – "मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई वस्तु नहीं है और न ही इसे गांव में घूम घूम कर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में जब हृदय की अज्ञानता ग्रन्थि का नाश हो जाता है (व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है) तब दूसरी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है।"

2. **अद्वैतवादी** – "मोक्ष का अर्थ ब्रह्म के आनन्द को प्राप्त कर लेना है। मोक्ष का व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य से सदैव सम्बन्ध रहा है। किन्तु वह मृग तृष्णा के समान इसे खोजने के लिए यहाँ–वहाँ भटकता रहता है। स्वयं को समझ लेने से व्यक्ति की अज्ञानता का .... हट जाने से वह ब्रह्मनन्द अनुभव करने लगता है यही वास्तव में मोक्ष की स्थिति होती है।"

3. **डॉ. गोपाल** – "मोक्ष का सम्बन्ध आत्मा से है आत्मा के सर्वोच्च विकास अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं।"

4. **डॉ. कपाड़िया के अनुसार** – "मोक्ष का अभिप्राय यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति या आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इसको प्रकाशित करना तथा इसके द्वारा आनन्द और ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष को निवृत्ति भी कहते हैं।"

5. **डॉ. आर. एन. मुखर्जी** – "मोक्ष पूर्ण ज्ञान व सत्य और अनन्त आनन्द की वह स्थिति है जिसमें कि आत्मा अपने चरम व परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।"

मोक्ष प्राप्ति के मार्ग – हिन्दू जीवन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के दो प्रकार के साधन या मार्ग बताये गये हैं–

(i) **ज्ञानमार्ग** – जब व्यक्ति सद्ज्ञान के द्वारा परमब्रह्म के स्वरूप को अपने मन में स्थिर कर लेता है या आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब मोक्ष के इसी मार्ग को ज्ञान मार्ग कहा जाता है।

(ii) **भक्ति मार्ग** - अव्यक्त ईश्वर के मन को स्थिर रखना साधारण प्राणियों के लिए सम्भव न होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग बताया गया जिसमें व्यक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना करता हुआ उसके प्रति आत्म समर्पण कर देता है। और प्रभू अपने भक्त की भक्ति के सामने झुक जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है - "सच्ची भक्ति रखने वाले भक्त ही मुझको प्रिय हैं, अभ्यास के माध्यम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है कि व्यक्ति मन की इच्छाओं को त्याग कर कर्म फल की इच्छा न करते हुए स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें।"

यह वह ज्ञान है जिसमें मनुष्य को सुख-दुख, जन्म मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा, ऊँच नीच, सब समान दिखने लगते हैं।

पुरूषार्थों का समाजशास्त्रीय एवं शैक्षिक महत्व (Socialogical & educational importance of purushartha) :-

1. **धर्म का महत्व** (Importance of Religion) यद्यपि धर्म (मोक्ष) का पारलौकिक जीवन के लिए विशेष योगदान है। किन्तु वह अन्य पुरूषार्थो अर्थ एवं काम का मार्ग प्रदर्शन करता है। व्यक्ति की मानसिक संघर्षो से रक्षा करने उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने तथा उसकी पाशाविक प्रवृत्तियों का शोधन व समाजीकरण करने के क्षेत्र में अन्य पुरुषार्थो से धर्म का महत्व सर्वाधिक है कहीं-कहीं वो धर्म का महत्व मोक्ष से भी अधिक माना जाता है। इसका कारण ये है कि मोक्ष एक धारणा है जबकि धर्म एक सत्य। मोक्ष में प्रत्येक वस्तु का त्याग निहित रहता है जबकि धर्म में प्रत्येक कदम पर उत्तरदायित्व का निर्वाह होता है। मोक्ष का सम्बन्ध केवल व्यक्ति के कल्याण से है परन्तु धर्म सभी के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। अतः सामाजिक दृष्टि से धर्म चारों पुरूषार्थो में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

2. **अर्थ का महत्व (Importance of Artha)** व्यावहारिक दृष्टि से अर्थ का महत्व सर्वोपरि माना जा सकता है, क्योंकि बिना अर्थ के 'स्वधर्म' का निर्वाह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हैं। अर्थ के बिना न तो विभिन्न यज्ञों को सम्पादित किया जा सकता है और न ही कर्तव्यों का निर्वाह किया जा सकता है। इसीलिए गोखले ने कहा है कि - "निर्धनता का अर्थाभाव एक अभिशाप है और मृत्यु से बुरी है बिना धन के सद्‌गुण भी व्यर्थ हो जाते हैं भिक्षुक का जीवन नर्क के समान है।"

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ को एक सहयोगी पुरूषार्थ के रूप में स्थान दिया गया है इसका उद्‌देश्य धार्मिक नियमों के अनुसार आर्थिक क्रियायें करने का अर्थ मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होना है। अतः अर्थ की अपेक्षा अन्य पुरुषार्थो का अधिक महत्व है।

3. **काम का महत्व** (Importance of Kama) – जीवन एवं समाज की निरन्तरता बनाये रखने के लिए 'काम' का अन्य पुरूषार्थी से अधिक महत्व है। रति के बिना न तो प्रेम सम्भव है और व सन्तानोत्पत्ति। यदि काम को मानव जीवन से अलग कर दिया जाय तो वंश परम्परा एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के हस्तान्तरण का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। यदि गम्भीर रूप से विचार किया जाय तो काम को और अधिक महत्त्वपूर्ण पुरूषार्थ सिद्ध किया जा सकता है। इसका कारण से है कि काम के द्वारा इन्द्रियों की सन्तुष्टि तथा इन्द्रिय सन्तुष्टि से विरक्ति की भावना मोक्ष की प्रमुख साधन बन जाती है। इतना ही नहीं काम में धर्म एवं अर्थ भी समा जाते हैं। इसका कारण यह है कि काम के बिना न तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है और न श्राद्ध – तर्पण या पिण्डदान की व्यवस्था की जा सकती है जोकि धर्म के ही अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा यदि काम न हो तो व्यक्ति के जीवन में इतनी अधिक निष्क्रियता आ जायेगी जिससे को अपनी आर्थिक दायित्वों (अर्थ) का भी निर्वाह नहीं कर सकेगा।

अतः स्पष्ट है कि धर्म, अर्थ एवं मोक्ष बहुत कुछ काम पर ही अवलम्बित हैं फिर भी हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में काम को सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है क्योंकि यदि इसे धर्म से अलग कर दिया जाय तो वह वासनापूर्ण व्यभिचार मात्र रह जाता है।

4. **मोक्ष का महत्व** (Importance of Moksha) – मोक्ष जीवन का आदर्शात्मक पक्ष मात्र ही नहीं वरन् पुरूषार्थ या अन्तिम लक्ष्य है जिसके कारण ही धर्म एवं काम सन्तुलित एवं समन्वित रूप से मानव व्यवहार के आधार बन जाते हैं। इसी लक्ष्य से ही हिन्दू दर्शन के अन्तर्गत सम्पूर्ण जीवन को एक कर्म क्षेत्र या शिक्षण भूमि माना गया है। आर्थिक क्रियायें एवं इन्द्रिय सन्तुष्टि व्यक्ति को सुख के साथ-साथ दुख भी देती है। इस प्रकार व्यक्ति नैराश्य एवं सामाजिक दुखों से निवृत्ति का एक मात्र उपाय ज्ञान के आत्मा के शुद्धिकरण से है। इस प्रकार मोक्ष लौकिक या पारलौकिक जीवन का एक सुन्दर समन्वय है। व्यक्ति में मानवीय गुणों को विकसित करने एवं जीवन की वास्तविकता को समझते में भी मोक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।

पुरूषार्थ का सामान्य शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व (General Educational and Socialogical Importance of Puruthartha) – पुरूषार्थ के सामान्य शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व को हम इन बिन्दुओं से स्पष्ट कर सकते हैं–

1. मानव जीवन का सर्वांगीण एवं सन्तुलित विकास पुरूषार्थ का ही दूसरा स्वरूप है।
2. स्वस्थ सदाचारिक एवं चारित्रिक जीवन हेतु पुरूषार्थ आवश्यक माना गया है। काम और अर्थ साधना है, धर्म का कार्य निर्देशित करना है। धर्म रहित काम और अर्थ मनुष्य को पशु बना देता है जैसे कि रावण और दुर्योधन को बना दिया था। जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति पुरूषार्थ के द्वारा ही सम्भव है।

3. जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यह पुरूषार्थ से ही सम्भव होता है। पुरूषार्थ में मोक्ष अन्तिम तत्व है। इसीलिए हिन्दू विचारक लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व प्रदान करते हैं।

4. पुरूषार्थ व्यक्तियों को आदर्शित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करने पर विशेष बल प्रदान करता है। विभिन्न पुरूषार्थ की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अनुशासित एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं।

5. पुरूषार्थ व्यक्तियाँ को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन में निरन्तर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. त्रिपाठी प्रेम बल्लभ – पुरुषार्थ चतुष्टय
2. महर्षि मनु – मनुस्मृति
3. शर्मा मंजुलता – पुराणों में पुरुषार्थ चतुष्टय
4. ओवराय एच०एल० एवं सुबोध गिरि स्वामी संक्ति् – भारतीय परम्परा में पुरुषार्थ चतुष्टय
5. दास भगवान – पुरुषार्थ

सामाजिक नियन्त्रण में शिक्षा की भूमिका

डॉ० रवेन्द्र राजपूत,
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

धराधाम पर अवतरित होने पर शिशु अपने साथ कुछ पाशविक प्रवृत्तियों को भी लेकर आता है। यदि उसे पूर्ण स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो वह निरा पशु का पशु ही बना रहेगा। इसमें वह अपने व्यक्तित्व को तो विघटित करेगा की साथ ही साथ वह सामाजिक व्यवस्था व संरचना में भी विघटनकारी परिवर्तन उत्पन्न कर देगा। व्यवस्थित व संगठित समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ ऐसे नियमों – आदर्शों का निर्माण किया जाता है तो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियन्त्रित तथा नियमित करने में सहायक हों और उसे समाज के मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। व्यक्तियों के व्यवहार के नियन्त्रण की इस व्यवस्था को समाज शास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक नियन्त्रण कहते हैं।

सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ (**Meaning of social control**) – सामाजिक नियन्त्रण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को वास्तविक व्यवहार करने के लिए उसमें सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है और कभी-कभी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है।"

परिभाषा – 1 रॉस "सामाजिक नियन्त्रण से आशय उन सभी शक्तियों से लगाया जाता है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने सांचे में ढालता है।"

2. स्मिथ – "सामाजिक नियन्त्रण उन उद्देश्यों की पूर्ति है जो कि उन उद्देश्यों को साधनों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है।"

3. मैकाइवर एवं पेज – "सामाजिक नियन्त्रण का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें समस्त सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धित रहती है और अपने को बनाये रखती है या जिससे यह सम्पूर्ण व्यवस्था एक परिवर्तनशील सन्तुलन के रूप में क्रियाशील रहती है।"

4. पार्क एवं बर्गेस – "साधारणतया हम सामाजिक नियन्त्रण से जो कुछ समझते हैं वह किसी व्यक्ति, अधिकारी कृत्यकारी या नेता का सामाजिक प्रक्रिया में मनमाना हस्तक्षेप है।"

5. वोगाईस – "सामाजिक नियन्त्रण वह पद्धति है जिसके द्वारा एक समुदाय अपने सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता है।"

सामाजिक नियन्त्रण के प्रमुख साधन (Important agencies of social control):-

1. **सामुदायिक साहितायें (Communal codes)** – "सामुदायिक संहिताओं का तात्पर्य उन नियमों से है जो कि समुदाय में स्वयं आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होकर सदस्यों के व्यवहार का नियन्त्रण करते है।" मुख्य सामुदायिक संहितायें निम्नवत हैं–

(i) **जनरीतियाँ (Folkways)** – जनता की रीतियों का सामाजिक नियन्त्रण में बहुत बड़ा हाथ होताा है। ये जनरीतियाँ प्रत्येक व्यवहार के सम्बन्ध में पाई जाती है। ये प्रयास एवं भूल नियम के अनुसार समाज में स्वतः विकसित हो जाती हैं। जैसे अभिवादन करता, सिर पर टोपी लगाना, जूता पहिनना, काँट और छुरी से खाना इत्यादि। समुदाय के सदस्य इन जनरीतियों के अनुकूल व्यवहार करते है। यदि कोई इन जनरीतियों के विरूद्ध कार्य करता है तो समाज में उसका उपहास होता है। इस प्रकार जनरीतियों का लोगों के व्यवहार नियन्त्रण में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(ii) **प्रथाएँ** – जब भूतकाल के स्फल अनुभव के परिणामस्वरूप जिन जन रीतियों में समूह में प्राथमिकता दी जाने लगती है तो वे प्रथाएँ कहलाने लगती हैं। प्रथाओं की अत्यधिक नियन्त्रण शक्ति देखकर शेक्सपियर ने इसको "एक अत्याचारी राजा", वेकन ने "मानव जीवव का प्रमुख न्यायाधीश" और मान्टेन ने "हिंसात्मक स्कूल मिस्ट्रैस" के नाम से सम्बोधित किया है। प्रथाओं के न मानने वाले व्यक्ति की समाज में बदनाम होती है, उसकी हँसी उड़ाई जी है। उसका हुक्का पानी बन्द कर दिया जाता है।

(iii) रूढ़ियाँ – जब प्रथाओं को समूह की अभिमति प्राप्त हो जाती है और उसके प्रति कल्याण तथा उपयोगिता की भावना विकसित हो जाती है तो वे रूढ़ियाँ कहलाने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि को तोड़ता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। कभी–कभी उसको कडा दण्ड दिया जाता है, उसका काला मुंह कर गधे पर निठाकर गली गली घुमाया जाता है। एक समय था जब भारत वर्ष में सती होने की जबरदस्त रूढ़ि का प्रचलन था। इस रूढ़ि के मुताबिक चलने के लिए लाखों अबोध बालिकायें एवं अरमानों से भरे हृदय वाली युवतियाँ भस्म हो जाया करती थीं।

(iv) नैतिक आदर्श – प्रत्येक समाज में कुछ नैतिक आदर्श होते हैं जो यह बताते है कि क्या उचित है? और क्या अनुचित? अहिंसा, न्याय, सत्य, दया, परोपकार, प्रेम इत्यादि हमारे नैतिक आदर्श ही हैं जिनका अनुगमन करना हम अपना धर्म समझते है। प्रत्येक व्यक्ति में उचित और अनुचित की सामाजिक चेतना या अन्तरात्मा होती है जो सदा उसे नैतिक आदर्शो के अनुसार चलाने के लिए

बाध्य करती है।

(अ) संस्कार - मानव व्यवहार को नियन्त्रित करने में विभिन्न प्रकार के संस्कारों का बहुत महत्व होता है। हमारे देश में दीपावली, दशहरा, होली, आदि त्यौहारों में तरह-तरह के संस्कार किये जाते है। जैसे- होली के त्यौहार पर होलिका दहन करना।

2. **विश्वास (Biliefs)**- सामाजिक नियन्त्रण में प्राचीन काल से चले आने वाले अभिमत प्राप्त विश्वासों का बहुत महत्व है। इन्हें हम 5 उपविभागों में बाँट सकते हैं-

(i) **स्वीकृत व्यवहारों सम्बन्धी विश्वास** - प्रत्येक समाज में स्वीकृत व्यवहार के प्रति विश्वास पाये जाते हैं। इन विश्वासों का पाप पुण्य की धारणा और दैव शक्ति पर अगाध विश्वास से विशेष सम्बन्ध होता है। इन विश्वासों के अनुसार लोग अपना आचरण करने का सक्रिय प्रयास करते हैं।

(ii) **प्रायश्चित सम्बन्धी विश्वास** - ये विश्वास धर्मोपदेश द्वारा बनाये जाते है। धर्मोपदेशक यह निश्चित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अमुक पाप करेगा तो उसे अमुक प्रकार से दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार के विश्वासों के कारण लोग वांछित व्यवहार करने का प्रयास करते हैं ताकि बाद में उन्हें प्रायश्चित न करना पड़े।

(iii) **अमरता और पुनर्जन्म सम्बन्धी विश्वास** - हिन्दू धर्मशास्त्रों में कहा है कि आत्मा अजर और अमर हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे पुनर्जन्म में उसी प्रकार दु:ख सुख प्राप्त होता है। इन विश्वासों के कारण लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं।

(iv) **स्वर्ग-नर्क सम्बन्धी विश्वास** - साधारणतया प्रत्येक समाज में स्वर्ग-नर्क सम्बन्धी कल्पनायें पाई जाती है। जो व्यक्ति सुकर्म करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कुकर्म करता है उसे नर्क में नाना प्रकार की यातनायें भोगनी पड़ती हैं। नर्क की यातनाओं के डर से लोग सुकर्म करने का और कुकर्मों से बचने का प्रयास करते हैं।

(v) **पूर्वजों की आत्माओं सम्बन्धी विश्वास** - साधारणतया लोगों का विचार है कि मृतक व्यक्तियों की आत्मायें हमारे कार्यों का अवलोकन करती हैं। हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो पूर्वजों की आत्माओं को बुरे प्रतीत हो। इस प्रकार के विश्वास के कारण लोग सत्कर्म करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित होते हैं।

3. **धर्म (Religion)** - विश्वास धर्म के ही विभिन्न अंग होते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध पारसी इत्यादि समस्त धर्मो के अपने कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार चलना लोग अपना परम धर्म समझते हैं। गिलिन एवं गिलिन कहते हैं - "एक स्थिर समाज में धर्म नियन्त्रण का महत्त्वपूर्ण साधन है परन्तु त्वरित परिवर्तनों के समय में धर्म की अभिमतियाँ कम शक्तिशाली हो जाती है।"

4. **कानून तथा शासन** (Law & Administration) – मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में – "कानून राज्यों द्वारा समर्पित संहिता है और सब पर समान रूप से लागू होने के कारण स्वयं राज्य संरक्षक है। रॉस – ये भी कहा है "कानून, समाज (राज्य) द्वारा लगाया गया सामाजिक नियन्त्रण का सबसे विशिष्ट तथा पूर्ण साधन है।"

5. **प्रचार (Propaganda)** – आधुनिक युग में विज्ञान के वरदान के कारण उच्च स्तर के प्रचार साधनों जैसे– रेडियों, लाउडस्पीपर, टेलीफोन, रेडक्रास, चलचित्र, भाषण, प्रेस, समाचार पत्र, साहित्य आदि की वृद्धि हो गई है। ये साधन मनुष्य के विचारों, धारणाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित और परिवर्तित करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

6. **जनभावना और जनमत** – जन भावना और जनमत का सामाजिक नियन्त्रण में सदा से अधिक महत्त्व रहा है इसीलिए समाज सुधारक राजनीतिज्ञ, शासक, साधु–सन्त, प्रवक्ता इत्यादि जनमत को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते हैं।

7. **शिक्षा का प्रशिक्षण** – नियन्त्रण के साधनों में शिक्षा या प्रशिक्षण का सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय स्थान है क्योंकि इससे व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास होता है जो उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करते है। रस्पिन के शब्दों में – "शिक्षा मनुष्य को नम्र बना देती है जो उन्हें होना चाहिए।"

8. **परिवार** – मनुष्य शिशु के रूप में कुछ पाश्वकि प्रवृत्तियाँ लेकर जन्म लेता है। व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है। वास्तव में परिवार में ही व्यक्ति नागरिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है।

9. **क्रीड़ा समूह** – खेल बालक की स्वाभाविक, जन्मजात, स्वलक्षित और आनन्ददायक प्रवृत्ति होती है। क्रीड़ा समूहों के अच्छे मार्गदर्शन से बालकों में अच्छे गुण विकसित होते हैं। हेज के शब्दों में "पर्यवेक्षण किये हुए खेल द्वारा बालक अनुभव से सीखते है कि बर्बरता की अपेक्षा सभ्य जीवन सभी के लिए अत्यधिक सुखमय है।"

10. **कला** – कला के द्वारा मनुष्य की पाशविक वृत्तियों का शोधन और मार्गान्तरण होता है। कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य कला, लोकगीत, इत्यादि कलायें मानव में सत्यं, शिवं, सुन्दरं की भावना का विकास का अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

11. **सामाजिक विचार धारायें** – समाजवाद, साम्यवाद, मावतावाद, अहिंसा, पंचशील, वर्गहीन समाज की विचारधाराओं में से व्यक्ति जिन्हें उचित समझता है उनके अनुकूल कार्य करना अपना परम धर्म समझता है।

12. **फैशन** – आधुनिक सभ्य समाजों में आभूषण, घर की सजावट, वेशभूषा, संगीत कला, सौन्दर्य, बातचीत का ढंग, साहित्य, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में फैशन को ही निर्णायक समझा जाता है लोग फैशन के अनुकूल अपने को बनाने में प्रयत्नशील रहते है। किम्बल यंग कहते हैं – "व्यक्तित्व के लिए फैशन अनुरूपता, सुरक्षा और दृढ़ता की इच्छा और विभिन्नता अपूर्वता और व्यक्तित्व के प्रदर्शन की इच्छा के बीच एक सन्तुलन प्रदान करता है।"

13. **शिष्टता और उत्सव** – प्रत्येक समाज में कुछ विशेष अवसरों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि में विशेष प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं। इन उत्सवों में मनुष्य को यह ज्ञान कराया जाता है कि समाज कल्याण के लिए उन्हें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना है व भविष्य के लिए किन–किन बातों का ध्यान रखना है।

14. **नेतृत्व** – सामाजिक नियन्त्रण में नेताओं अत्यधिक महत्व है। नेता लोगों के विचारों, आदर्शो, दृष्टिकोण और मनोभावों को प्रभावित तथा परिवर्तित करता है। महात्मा गाँधी, कार्ल मार्क्स आदि महान नेताओं ने कितने लोगों के

जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। माइकल्स कहते हैं – "समूहों को नेताओं के निर्देश की आवश्यकता है जिससे स्पष्ट रूप से अपार नायक पूजा उत्पन्न हो जाती है।"

15. **शक्ति** – प्राचीन काल से ही शक्ति नियन्त्रण का प्रत्यक्ष तथा प्रभावशाली साधन रही है। आधुनिक युग में मानसिक और आत्मिक शक्ति का महत्व बढ़ गया है। सामाजिक नियन्त्रण में शक्ति का प्रयोग एक सीमा तक ही करना चाहिए नहीं तो लोगों पर इसका उलटा प्रभाव पड़ेगा। मेक्राइवर एवं पेत्र लिखते हैं "यदि सब लोगों में आज्ञापालन की इच्छा को दबा दिया जाय तो कोई भी दबाब अधिक समय तक नहीं हो सकता जैसा कि अनेक क्रान्तियों ने प्रदर्शित किया है।"

सामाजिक नियन्त्रण में शिक्षा की भूमिका (Role of Education in Social Control):-

सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न साधनों में शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो बालक व व्यक्ति को आत्म नियत्रण एवं आत्म अनुशासन का पाठ सिखाती है। सामाजिक नियन्त्रण में शिक्षा की भूमिका को हम इन बिन्दुओं द्वारा दिखा सकते हैं:–

1. **शिक्षा द्वारा बालक का समाजीकरण** – शिक्षा बालक के मानसिक एवं सामाजिक विकास में सहायक होती है। शिक्षा ही उसे सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों एवं मान्यताओं का ज्ञान कराती है। शिक्षा ग्रहण हेतु जब बालक विद्यालय में आता है तो अन्य बालकों के सम्पर्क में आकर उसका समाजीकरण प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा बालक को एक सामाजिक प्राणी और समाज का सभ्य सदस्य बनाने में पूर्व योगदान करती है। शिक्षा ही व्यक्ति को शिक्षित बनाकर सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करती है।

2. **शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास** – फ्रोबल कहते हैं– "शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ प्रकट होती है।" शिक्षा का उद्देश्य समाज के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्तित्व के उचित विकास से ही व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह समाज में अच्छा व्यवहार करेगा और एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। शिक्षा ही सामाजिक आदर्शों और प्रतिमानों को स्थायी बनाती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार सदैव नियन्त्रित रहता है।

3. **शिक्षा द्वारा सामाजिक विरासत का संरक्षण** – शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। प्रत्येक समाज की अपनी प्रथायें, परम्परायें, रीतिरिवाज, धर्म, विश्वास और नैतिकता होती है। समाज इन्हें प्राचीन काल से अर्जित एवं संरक्षित करता रहा है। यदि शिक्षा इस सामाजिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों को हस्तान्तरित न करे तो समाज का स्थायित्व ही समाप्त हो जायेगा। इस तरह शिक्षा सांस्कृतिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित कर उसकी सुरक्षा करती है।

4. **शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास की प्रक्रिया** – शिक्षा का अभिप्राय केवल व्यक्तित्व विकास ही नहीं है वरन् वह एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह

समाज में ही जीवन व्यतीत करता है और शिक्षा उसका सामाजिक विकास करती है।

5. **शिक्षा द्वारा सामाजिक नियन्त्रण का ज्ञान** - शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक नियमों, आदर्शों एवं परम्पराओं का ज्ञान कराती है। शिक्षा इन नियमों का सामाजिक महत्व प्रकट करती है। व्यक्ति इन सामाजिक प्रतिमानों के प्रतिकूल आचरण एवं व्यवहार करने के परिणामों से भी शिक्षा द्वारा ही अवगत होता है। यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना पसन्द करते हैं।

6. **शिक्षा से आर्थिक सुरक्षा** - शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह हे कि वह व्यक्ति को उन उद्योगों एवं व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित करे जो केवल उसके लिए ही नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी हों। शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास करती है जिससे वह अपनी जीविकोपार्जन में सफल हो सके। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के साधन उपलब्ध होते हैं तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। शिक्षा व्यक्तियों में जीविकोपार्जन के साधनों का विकास कर सामाजिक नियन्त्रण की स्थिति बनाये रखती है।

7. **शिक्षा में बौद्धिक विकास** - शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। शिक्षा का दृष्टिकोण महान एवं वैज्ञानिक होता है। यह व्यक्ति की जन्म जात शक्तियों का विकास करती है। और व्यक्ति में उचित अनुचित के प्रति तर्क एवं चिन्तन करने की बौद्धिक शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास को जाता है इस कारण को उचित अनुचित में अन्तर करना जान जाता है।

8. **शिक्षा से नैतिकता का विकास** - शिक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण और नैतिक विकास करता भी होता है। चार्ल्स ब्रुक्स के अनुसार - "नैतिकता के अन्तर्गत वे समस्त तत्व आ जाता है जो व्यक्तियों के आचरण को नियमित करते हैं जैसे– न्याय, संयम, परोपकार, परिश्रम, सत्य, प्रेम, व्यवहार एवं सदाचार इत्यादि।" शिक्षा व्यक्ति में इन्हीं सवगुणों का विकास करती है।

9. **सामाजक कुरीतियाँ और शिक्षा** - शिक्षा समाज की विभिन्न कुरीतियों, दोषो, कुप्रथाओं तथा अराजकताओं के विरूद्ध जनमत का निर्माण करती है। शिक्षा कुप्रथाओं के सामान्य दोषों को सुस्पष्ट कर उन्हें समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दोष रहित करने का प्रयास करती है।

10. **शिक्षा द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन** - शिक्षा व्यक्ति में ऐसी क्षमता विकसित करती है जिससे वह पर्यावरण से अनुकूल (सामंजस्य) कर सके। शिक्षा पर्यावरण से सांमजस्य बनाने का ज्ञान प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल पर्यावरण आवश्यक होता है। इस विषय में लैण्डिस लिखते है– "चूंकि शिक्षा जीवन के प्रारम्भ से ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देती है। और यह अभिवृत्तियों तथा

मूल्यों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। अतः यह सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न साधनों की तुलना में अधिक सफल होती है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता एस०पी० – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ
2. त्यागी जी० एस० डी० – शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार
3. लाल रमन बिहारी – शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
4. सक्सेना एन० आर०एस० एवं पाण्डेय के०पी० – शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
5. पचौरी आशुतोष – शिक्षा के दार्शनिक सिद्धान्त

महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा एवं पत्रकारिता

डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी)
कूबा पी०जी० कॉलेज, दरियापुर,
नेवादा, आजमगढ़

महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य आधुनिक हिन्दी साहित्येतिहास का आदिकाल है। इसका पहला चरण भारतेन्दु युग है एवं दूसरा चरण द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे। जो बहुभाषाविद होने के साथ ही साहित्य के इतर विषयों में भी समान रुचि रखते थे। उन्होंने सरस्वती का अठारह वर्षो तक तपादन कर हिन्दी पत्रकारिता में एक महान् कीर्तिमान स्थापित किया था। वे हिन्दी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे। जिन्होंने समालोचना की कई पुस्तक लिखी थी। वे खड़ी बोली हिन्दी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिन्दी कहानी उन्ही के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी थी। वे भाषाशास्त्री थे, अनुवादक थे, इतिहासज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे तथा विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। अतत: वे युगांतर जाने वाले साहित्यकार थे या दूसरे शब्दों में कहे युग निर्माता थे। वे अपने चिन्तन और लेखन के द्वारा हिन्दी प्रवेश में नव-जागरण पैदा करने वाले साहित्यकार थे।

महावीर प्रसाद द्विवेदी हिन्दी के पहले साहित्यकार थे, जिनको 'आचार्य' की उपाधि मिली थी। इसके पूर्व संस्कृत में आचार्यो की एक परपरा थी। मई, 1933 ई में नागरी प्रचारिणी सभा ने उनकी सत्तरहवीं वर्षगांठ पर बनारस में एक बड़ा साहित्यिक आयोजन कर द्विवेदी का अभिनंदन किया था। उनके सम्मान में द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कर, उन्हें समर्पित किया था। इस अवसर पर द्विवेदी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया था, वह आत्म-निवेदन नाम से प्रकाशित हुआ था। इस 'आत्म-निवेदन' में वे कहते हैं, "मुझे आचार्य की पदवी मिली है। क्यों मिली मालूम नहीं। कब किसने दी है, यह भी मुझे मालूम नहीं। मालूम सिर्फ इतना ही है कि में बहुधा इस पदवी से विभूषित किया जाता हूँ।.. शंकराचार्य, मध्वाचार्य, सांख्याचार्य आदि के सदृश किसी आचार्य के चरणरज: कण की बराबरी मैं नहीं कर सकता। बनारस के सस्कृत कक्क्लेज या किसी ब्क्विविद्यालय में भी मैंने कदम नहह्ल रखा। फिर इस पदवी का मुस्तहक में कैसे हो गया़" महावीर प्रसाद दविवेदी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। तत्पश्चात् वे रेलवे में नौकरी करने लगे थे।

उसी समय इन्होंने अपने लिए सिद्धान्त निश्चित किए वक्त की पाबंदी करना रिश्वत न लेना अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान-वृद्धि के लिए सतत् प्रयत्न करते रहना। द्विवेदी जी ने लिखा है- "पहले तीन सिद्धान्तों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था पर चौथे के अनुकूल सचेत रहना कठिन था। तथापि सतत् अभ्यास से उसमें भी सफलता होती गई। तारबाबू होकर भी, टिकट बाबू, मालबाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल पटरियों बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेट-लेयर (Permanent way Inspector) तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नजर मुझ पर पड़ी। मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह की एक दफे मुझे छोड़कर तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। द्विवेदी जी 15 रुपये मासिक पर रेलवे में बहाल हुए थे और जब उन्होंने 1904 ई० में नौकरी छोड़ी, उस वक्त 150 रुपये मूल वेतन एवं 50 रुपये भत्ता मिलता था यानी कुल 200 रुपये।

उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी राशि थी। वे 18 वर्ष की उम्र में रेलवे में बहाल हुए थे। उनका जन्म 1864 ई. में हुआ था और 1882 ई. से उन्होंने नौकरी प्रारंभ की थी। नौकरी करते हुए वे अजमेर, बबई, नागपुर, होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर एवं झाँसी शहरों में रहे। इसी दौरान उन्होंने संस्कृत एवं ब्रजभाषा पर अधिकार प्राप्त करते हुए पिंगल अर्थात् छंदशास्त्र का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 1895 ई में श्रीमहिम्नस्तोत्र की रचना की, जो पुष्यदंत के सस्कृत काव्य का ब्रजभाषा में काव्य रुपांतर है। द्विवेदी जी ने सभी पद्यरचनाओं का भावार्थ खड़ी बोली गद्य में ही किया है। उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है- "इस कार्य में हुशंगाबादस्थ बाबू हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ का जो सांप्रत मध्यप्रदेश राजधानी नागपुर में विराजमान है, मैं परम कृतज हूँ।" अपने 'आत्म निवेदन' में उन्होंने लिखा है- "बचपन से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामायण और ब्रजवासीदास के ब्रजविलास पर हो गया था। फुटकर कविता भी मैंने सैकडों कंठ कर लिए थे। हुशंगाबाद में रहते समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के कविवचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि कर दी। वहीं मैंने बाबू हरिश्चंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक सज्जन से, जो वहीं कचहरी में मुलाजिम थे. पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं, महाकवि समझने लगा।"

मेरा यह रोग बहुत दिनों तक ज्यों का त्यों बना रहा। 1889 से 1892 ई. तक द्विवेदी जी की इस प्रकार की कई पुस्तके प्रकाशित हुई- विनय- विनोद, विहार-वाटिका, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, देवी स्तुति शतक, श्री गंगालहरी आदि। 1896 ई. में इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का हिन्दी में भावार्थ मूलक रुपांतर किया, जो बेकन-विचार-रत्नावली पुस्तक में संकलित है। 1898 ई. में इन्होंने हिन्दी कालिदास की आलोचना लिखी, जो हिन्दी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। 1988 ई में श्रीहर्ष के नैषधीयचरितम् पर इन्होंने नैषध चरित-चर्चा नामक आलोचनात्मक एवं गवेषणात्मक पुस्तक लिखी।

यह सिलसिला जो शुरु हुआ वह 1930–31 ई. तक चला और द्विवेदी जी की कुल पच्चासी पुस्तकें प्रकाशित हुई।

जनवरी, 1903 ई. से दिसंबर, 1920 ई तक इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। इसीलिए इस काल को हिन्दी साहित्येतिहास में 'द्विवेदी युग' के नाम से जाना जाता है। अपने प्रकांड पांडित्य के कारण इन्हें 'आचार्य' कहा जाने लगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है– "उनके सुदृढ़ विशाल और भव्य कलेवर को देखकर दर्शक पर सहसा आतंक छा जाता था और यह प्रतीत होने लगता था कि मैं एक महान् ज्ञानराशि के नीचे आ गया हूँ।" द्विवेदी जी का मानना था कि "जान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। द्विवेदी जी स्वयं तो एक महान ज्ञान–राशि थे ही उनका संपूर्ण वाड्मय भी संचित ज्ञानराशि है। जिससे होकर गुजरना अपनी जातीय परंपरा को आत्मसात करते हुए विश्वचिन्तन के समक्ष भी होना है। डॉ रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है– "द्विवेदी जी ने अपने साहित्य जीवन के आरंभ में पहला काम यह किया कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने जो पुस्तक बड़ी मेहनत से लिखी और जो आकार में उनकी और पुस्तकों से बड़ी है, वह संपत्तिशास्त्र है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के कारण द्विवेदी जी बहुत से विषयों पर ऐसी टिप्पणियों लिख सके जो विशुद्ध साहित्य की सीमाएँ लङ्घ जाती है।'' इसके साथ उन्होंने राजनीति विषयों का अध्ययन किया और संसार में जो महत्त्वपूर्ण राजनीति घटनाएं हो रही थी, उन पर उन्होंने लेख लिखे। राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ उन्होंने आधुनिक विज्ञाम से परिचय प्राप्त किया और इतिहास तथा समाजशास्त्र का अध्ययन गहराई से किया। इसके साथ भारत के प्राचीन दर्शन और विज्ञान की ओर इन्होंने ध्यान दिया और यह जानने का प्रयत्न किया कि हम अपने चिन्तन में कहाँ आगे बढ़े हुए हैं और कहाँ पिछड़े हैं। इस तरह की तैयारी उनसे पहले किसी संपादक ने न की थी। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी प्रवेश में नवीन सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध हुए।"

ऐसे महान् ज्ञान–राशि के पुंज थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किन्तु रामविलास शर्मा के पूर्व जितने भी आलोचक हुए, उन्होंने द्विवेदी जी का उचित मूल्यांकन तो नहीं ही किया, अपितु उनका अवमूल्यन ही किया। इन महान् आलोचकों से रामचन्द्र शुक्ल, नंददुलारे वाजपेयी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख है। रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास में द्विवेदी जी पर जो टिप्पणी की है, उस पर एक नजर डाले, "द्विवेदी जी ने सन् 1903 ई. में सरस्वती के संपादन का भार लिया। तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उससे बहुत कुछ समझ जाएँ। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने ुटकर लेख भी बहुत लिखे। पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए–नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं।"

स्थायी निबंधों की श्रेणी में चार ही लेख, जैसे 'कवि और कविता', 'प्रतिभा' आदि आ सकते हैं। पर ये लेखनकाल या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। 'कवि और कविता' कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं। पर इस विषय की बहुत मोटी-मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है।" इसी प्रसंग में रामचन्द्र शुक्ल आगे लिखते हैं, "कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेजी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। पर विचार की वह गूढ़ गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार-पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा दबाकर कसे गए हो और एक-एक वाक्य किसी सबद्ध विचारखंड के लिए हो। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने में ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है।"

अब आप देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन के प्रति रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी पढ़कर हिन्दी का कोई भी पाठक उससे विरक्त होगा या आसक्त। रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास को हिन्दी के विद्याथह्र साठ-पैंसठ वर्षों से आप्त वचनों की तरह याद करते आ रहे हैं। ऐसे में मूल पाठ से उनके आप्त वाक्यों का यदि मिलान कर परीक्षण न किया जाए, तो अनर्थ होगा ही। रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के सबसे बड़े समालोचक, सबसे बड़े साहित्येतिहास-लेखक हैं। इसी इतिहास में वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक योगदानों को सिर्फ भाषा-परिष्कारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके शब्द है, "यद्यपि द्विवेदी जी ने हिन्दी के बड़े-बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया। पर नई निकली पुस्तकों की भाषा की खरी आलोचना करके हिन्दी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित, व्याकरणविरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों और दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया।" दरअसल शुक्ल जी जिस आलोचना-पद्धति का सहारा लेकर उक्त बातें लिख रहे थे, उसे अंग्रेजी में Judicial Criticism और हिन्दी में निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं और इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके आलोचना के क्षेत्र में आलोचकों का ध्यान ऐतिहासिक युग, वातावरण एवं जीवन से हटाकर अधिकांशतः कलापक्ष तक ही सीमित कर दिया है। कलापक्ष की ओर ध्यान देने वाले आलोचकों का कहना है कि युगीन परिस्थितियों, युगीन चेतना और युग सत्य निरतर परिवर्तनशील है अतएवं इन्हें आधार नहीं बनाया जा सकता। उनकी परिवर्तनशीलता के कारण इन्हें साहित्य का स्थायी मानदंड स्वीकार किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ यह भी सत्य है कि ऐसी दशा में निर्णयात्मक आलोचना का कोई मूल्य नहीं रहेगा।

इसका मुख्य कारण है ऐसे आलोचक का रचनाकार और रचना पर फतवे जारी करना। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के विचारों को, उनके संचित ज्ञान राशि पर ध्यान नहीं दिया

और उनकी भाषा पर विचार किया। 'मोटी-मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर यह अभिव्यक्ति की प्रणाली पर बात की जा रही है, जो निस्संदेह भाषा है। जब द्विवेदी जी मूर्ख या मोटे दिमाग वालों के लिए लिखते थे और मोटी तरह से लिखते थे तो उन्होंने भाषा परिष्कार कैसे किया जिस लेखक को भाषा की सतही समझ होगी, वह दूसरे लेखकों की भाषा को दुरुस्त कैसे करेगा।' पुनः रामचन्द्र शुक्ल की बातों पर विचार करें- महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शाश्वत साहित्य या स्थायी साहित्य नहीं लिखा। उनका महत्त्व भाषा-सुधार में है और उनकी भाषा कैसी है-मोटी अक्लवालों के लिए है। इस तरह की बातों से आचार्य शुक्ल का इतिहास भरा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-नवरत्न की समीक्षा लिखते हुए लिखा है, "इस तरह की बातें किसी इतिहास कार के ग्रंथ में यदि पाई जाएँ तो उसके इतिहास का महत्व कम हुए बिना नहीं रह सकता। इतिहास लेखक की भाषा तुली हुई होनी चाहिए। उसे बेतुकी बातें न हक्ककनी चाहिए। अतिशयोक्तियाँ लिखना इतिहासकार का काम नहीं। उसे चाहिए कि वह प्रत्येक शब्द, और वाक्यांश के अर्थ को अच्छी तरह समझकर उसका प्रयोग करे।"

सन् 1933 ई. में आचार्य द्विवेदी को नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। इसकी प्रस्तावना श्यामसुंदर दास एवं रायकृष्णदास के नाम से प्रकाशित हुई, किन्तु यह लिखी गई नंददुलारे वाजपेयी दद्वारा। इसलिए यह 1940 ई. में प्रकाशित वाजपेयी जी की पुस्तक हिन्दी साहित्यः बीसवीं शताब्दी में संकलित है। इसमें यह विचार किया गया है कि स्थायी या शाश्वत साहित्य में द्वि वेदी जी का साहित्य परिगणित हो सकता है या नहीं। इस दृष्टिकोण से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित सपूर्ण साहित्य को अयोग्य ठहरा दिया गया। सिर्फ उनके द्वारा संपादित सरस्वती के अंकों को ही महत्त्व दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हिन्दी गद्य साहित्य का इतिहास- डॉ० रामचन्द्र तिवारी
2. हिन्दी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास- डॉ० अर्जुन तिवारी
3. हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप अंर विकास- राधाा रामाकृष्णन
4. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अंर साहित्यिक पत्रकारिता- इन्द्रसेन सिंह

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में नारीवाद

प्रियांशी द्विवेदी

नारीवादी उपागम को समझने के लिए यह आवश्यक है। कि अध्ययन करने वाला बीसवीं शताब्दी में विकसित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से परिचित हुआ जाय। संघर्ष और युद्ध के कारणों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनय के विकास तथा वाणिज्य तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार पर बल दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी उपागमों का उदय और विकास शीत युद्धोत्तर काल में हुआ। नारीवादी विषय पर विद्वानों ने विभिन्न विषय क्षेत्रों में शोध कार्य सन् 1980 के दशक में आरंभ कर दिया था। जिन विषयों पर नारीवादी अध्ययन आरंभ हुआ वे थे साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास इत्यादि। शीत युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों ने भी इस विषय पर कार्य आरंभ किया। इससे पूर्व ऐसा विश्वास किया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नारीवादी अध्ययन के क्षेत्र से बाहर था, परंतु अब (शीत युद्धोत्तर वर्षो में) नारीवादी अध्ययन का तेजी से विकास हो रहा है। नारीवादी अध्ययन के कुछ प्रमुख विद्वान हैं : जोशुआ एस. गोल्डस्टीन (वार एंड जैंडर, 2001), पीटरसन स्पाईक एवं ऐन सिसॉन रुनयान (ग्लोबल जैंडर इश्यूज़, 1999), ऐन टिक्नर (जैंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 2001) तथा जिल स्ट्रोन्स (जैंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स, 1998)।

नारीवाद (Feminism) महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। यह अध्ययन इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ हानि की स्थिति में रही हैं। इसका कारण है पितृप्रधान (patriarchy) व्यवस्था। पितृप्रधान व्यवस्था सामाजिक संरचना का भाग है और इसके चलन में पुरुषों का वर्चस्व होता है तथा महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि यह एक सामाजिक समस्या है, जैविक (biological) नहीं है। नारीवादियों के अध्ययन विषय का केंद्रबिंदु लिंग (gender) है, यौन (sex) का प्रश्न नहीं है। नारीवाद पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं के मध्य समीकरण का अध्ययन करता है। इसका पुरुषों और महिलाओं के जैविक या शारीरिक अंतर से कुछ लेना-देना नहीं है। पुरुषत्व (masculinity) का अभिप्राय या संबंध स्वायत्तता, प्रभुता, वस्तुनिष्ठता और तार्किक क्षमता या विवेकशीलता से है। इसके विपरीत महिला की विशेषताओं (feminty) में इन गुणों का अभाव होता है। इन्हें लैंगिक पहचान कहा जाता है। लैंगिक संरचना में सैनिक सेवा को पुरुषत्व का स्वाभाविक अधिकार क्षेत्र माना जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नारीवाद का जैविक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है। लैंगिक असमानता का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था है। दूसरे यह भी है कि, प्रत्येक पुरुष आवश्यक रूप से प्रभुत्त्व स्थापित करने वाला या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने वाला नहीं होता है। दूसरी ओर, प्रत्येक महिला अधीनता में रहने वाली नहीं होती है। नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं के लिए राजनीतिक और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा समान अवसर जुटाने के लिए संघर्ष करना है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद

नारीवादी उपागम के विद्वानों ने तर्क दिया कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन से वंचित रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुरुषों का एकाधिकार माना गया, जिसमें महिलाओं पर वर्चस्व स्थापित करके पुरुषत्व पनपता रहा। नारीवादी विद्वानों के अनुसार, महिलाओं की अधीनता और पुरुषों के प्रभुत्त्व की स्थिति निरंतर अपरिवर्तनीय रही है। यह चाहे समग्रवादी राज्य से लेकर आधुनिक राष्ट्र–राज्य तक हो या सामंतवाद से लेकर पूँजीवाद तक हो या फिर राष्ट्र–राज्य से लेकर वैश्वी शासन तक हो।

आपने यथार्थवाद और नवयथार्थवाद का अध्ययन किया है। यह दोनों राष्ट्रीय हित के संदर्भ में शक्ति पर बल देते हैं। आपने अध्याय 2 और 3 में इन सिद्धांतों का संक्षिप्त अध्ययन किया। इन सिद्धांतों का मूल विचार यह है कि समस्त राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कुछ नारीवादी विद्वानों का कहना है कि यथार्थवाद की आधारभूत पूर्व मान्यताएँ शक्ति, संप्रभुता और इस तथ्य को उजागर करती हैं कि पुरुष किस प्रकार आचरण करते हैं और वे किस प्रकार संसार अराजकता को अपने विशेष पुरुषत्व के चश्मे से देखते हैं। इस विचार के अनुसार यथार्थवाद विदेश नीति–निर्धारण, राज्य की संप्रभुता या सैन्य बल के प्रयोग की समीक्षा करते हुए केवल पुरुषों की भागीदारी को ही ध्यान में रखता है। रोज़मेरी ग्रांट (Rosemary Grant) जैसे नारीवादी लेखकों का तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृप्रधानता (patriarchy) का अनुमोदन करता है, क्योंकि यह मानता कि सामाजिक व्यवस्था और राज्य बनाए रखने के लिए पितृप्रधानता आवश्यक है। यही कारण है कि राज्य की अनेक प्रचलित परिभाषाओं में नारी का कोई उल्लेख नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत पुरुषों का पक्ष लेता है और नारी को अलग रखता है, क्योंकि पुरुष को ही राज्य के समकक्ष माना जाता है। नारीवादी विद्वान इस उपागम से सहमत नहीं हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल संघर्ष, अराजकता, भय और प्रतिस्पर्द्धा पर ही बल देता है, क्योंकि महिलाओं के जीवन और अनुभवों पर समुचित शोध कार्य नहीं हुआ है।

नारीवादी विचार इस विश्वास की उपज है कि महिलाओं की विशेषताएँ हैं नम्रता, शांति, कोमलता, करुणा और क्षमाशीलता। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन से इसलिए वंचित रखा गया है, क्योंकि इस विषय के केंद्र में संघर्ष और अराजकता है। महिलाओं की विशेषताओं का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शक्ति संघर्ष के आधार में कोई तालमेल नहीं बैठता। अत: मोक्ष की राजनीति के तत्व अर्थात् विश्व शांति और न्याय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखा जाता है। इन कमियों को दूर करना होगा, उनसे छुटकारा पाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में शांति और न्याय पर बल देना होगा। अत: नारीवाद पारंपरिक शक्ति और संघर्ष के आधार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मुक्त करवाना चाहता है।

नारीवाद के तीन रूप या उसकी तीन शाखाएँ

यद्यपि, नारीवाद के सभी समर्थक इस मूल धारणा से सहमत हैं कि लिंग (gender) का विशेष महत्त्व है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई एक सर्वमान्य नारीवादी उपागम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के तीन प्रमुख उपागम या शाखाएँ हैं। वे तीनों एक-दूसरे से जुड़े होने के बावजूद प्राय: अलग-अलग दिशाएँ अपनाते हैं। गोल्डस्टीन ने लिखा है कि कुछ आधारभूत मुद्दों पर नारीवाद के विभिन्न उपागमों के परस्पर विरोधी विचार हैं, जिसके कारण नारीवाद के अंतर्गत रोचक विवाद चल पड़ा है। हम आगे, गोल्डस्टीन द्वारा उजागर की गई तीनों शाखाओं (strands) का संक्षेप में विवेचन करेंगे-

1. **विभेद नारीवाद (Difference Feminism)** : नारीवाद का यह उपागम महिलाओं के महिला होने के नाते महत्त्वपूर्ण योगदान की समीक्षा करता है। इन नारीवादियों का यह विश्वास नहीं है कि महिलाएँ वे सभी कार्य कर सकती हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं और वह भी उसी कुशलता के साथ। कुछ अन्य क्षेत्रों में इसका विपरीत भी सही है। अत: शिक्षित करने या पनपाने के कार्य और मानव संबंधों में महिलाओं का अधिक अनुभव, उन्हें पुरुषों की अपेक्षा संघर्ष निदान और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में अधिक उपयोगी और प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है। इनमें से कुछ नारीवादियों का ऐसा मानना है कि केवल सामाजिक संरचना हीं नहीं, बल्कि मूल जैविक आधार भी पुरुष-महिला भेद का कारण होता है। इस विचार को कभी अनिवार्यतावाद (essentialism) की संज्ञा भी दी जाती है, परंतु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि महिलाओं का भेद सांस्कृतिक आधार पर अधिक निर्भर करता है, जैविक आधार पर कम। जो कुछ भी हो, सभी नारीवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पारंपरिक दृष्टिकोण को दोषपूर्ण मानते हैं।

2. **उदार नारीवाद (Liberal Feminism)**: विभेद नारीवादियों के तर्कों का खंडन करते हुए उदार-नारीवादी कहते हैं कि विभेद नारीवाद् घिसी-पिटी लैंगिक भूमिका की बात करता है। वे मानते हैं कि पुरुष और नारी के मध्य उनकी क्षमता संबंधी अनिवार्य अंतर (essential distinctions) इतने मामूली हैं कि वे (तथाकथित अंतर) लगभग न होने के बराबर हैं। उदारवादियों के अनुसार पुरुष और नारी

समान हैं। वे सत्ता के केंद्रों से नारी को वंचित रखे जाने की निंदा करते हैं, परंतु वे यह भी नहीं मानते कि महिलाओं को शामिल किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति में कोई अंतर पड़ सकता है। उदार नारीवादी चाहते हैं कि अध्ययन के विषय के तौर पर महिलाओं को शामिल किया जाए। वे चाहते हैं कि राजनीतिक नेताओं के रूप में, सैनिकों के रूप में और अन्य गैर-पारंपरिक भूमिका निभाते हुए महिलाओं का अध्ययन किया जाए। महिलाओं की पारंपरिक भूमिका में अध्यापन, चिकित्सा कार्य तथा नर्सिंग के कार्य शामिल रहते थे। अतः उदार नारीवादियों के लिए, सत्ता के क्षेत्रों में शामिल किए जाने के बजाए महिलाओं की भूमिका का अध्ययन अधिक उपयोगी होगा।

उदार नारीवादियों की विभेद नारीवादियों के यथार्थवाद संबंधी विचारों के विषय में भी शंका है। उदारवादियों का कथन है कि जब महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भागीदारी दी जाती है, तब वे उसी प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे कि पुरुष करते हैं। दोनों की भागीदारी के परिणाम भी एक ही जैसे होते हैं। उनको विश्वास है कि यदि महिलाएँ यथार्थवाद पर आचरण करें जोकि स्वायत्तता, संप्रभुत्ता, अराजकता इत्यादि पर आधारित है तब वे उसी प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे कि पुरुष करते हैं। अतः वे यथार्थवाद की उस आलोचना को अस्वीकार करते हैं जिसमें इसे (यथार्थवाद को) पुरुषत्व-आधारित कहा जाता है। उदार-नारीवाद इस पर बल देता है कि सैनिक सेवाओं और विचारों के निर्धारण (जो कि अब तक पुरुषों का एकाधिकार है) में महिलाओं को भी भागीदारी देकर एकीकरण किया जाए।

3. **उत्तर--आधुनिकी नारीवाद (Feminism):** उत्तर-आधुनिकी नारीवादी विभेद नारीवादियों के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि मूल जैविक सार के आधार पर लैंगिक अंतर अनिवार्य है। वे उदार-नारीवादियों से भी सहमत नहीं हैं कि पुरुष-नारी जैविक अंतर मामूली हैं और महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाकर उन्हें अध्ययन का विषय होना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि स्पाईक पीटरसन (Spike Peterson) ने कहा है, उत्तर-आधुनिकी नारीवाद यथार्थवाद का खंडन करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग के गुप्त (छिपे हुए) प्रभाव को उजागर किया जा सके। वे वस्तुनिष्ठ (objective) रूप से लिंग और शक्ति के संबंधों पर दृष्टिपात करते हैं। वे विभेद नारीवाद की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि महिलाओं के पारस्परिक गुणों (Feminine Virtues) को गौरवान्वित किया जाए।

उत्तर-आधुनिकी नारीवादी इन गुणों को उजागर और गौरवान्वित करने के पक्षधर नहीं हैं। वे उदार-नारीवादियों के इस विचार का भी खंडन करते हैं कि महिलाओं का युद्ध और विदेश नीति की संरचनाओं में भागीदारी देकर एकीकरण किया जाए। युद्ध का विश्लेषण करते हुए उत्तर-आधुनिकी नारीवादी इस पारंपरिक अंतर को चुनौती देते हैं कि पुरुष मात्र यौद्धा (just warriors) हैं तथा महिलाएँ केवल 'सुंदर आत्मा' (beautiful souls) हैं। वे पारंपरिक वर्णन को रद्द करते हैं।

उत्तर-आधुनिकी नारीवादी तर्क देते हैं कि युद्ध के समय महिलाएँ केवल निष्क्रिय (passive) या

मूकदर्शक अथवा उससे पीड़ित नहीं होती, परंतु वे तो दोनों लिंगों से जुड़ी युद्ध व्यवस्था में सक्रिय भागीदार होती हैं। महिलाएँ रणक्षेत्र में न केवल नर्सों और पत्रकारों की भूमिका निभाती हैं, परंतु जैसा कि ऐल्शटेन (Elshtain) ने लिखा है, वे घरेलू मोर्चे पर योद्धाओं की माताएँ, पत्नियाँ या प्रेमिकाएँ भी तो होती हैं और सिंथिया एलो (Cynthia Enloe) एवं अन्य का कहना है कि, 'युद्धों के वर्णन में सैनिक ठिकानों पर वेश्याओं की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती हैं और राजनय की समीक्षा में राजनयिकों की पत्नियों की भूमिका को भुलाना नहीं चाहिए।

उत्तर-आधुनिकी नारीवादियों ने यथार्थवाद की भाषा की पुनर्रचना करने का प्रयास किया है। यह भाषा लिंग और यौन के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। परमाणु बम के संदर्भ में एक उदाहरण यह दिया जाता है कि यथार्थवाद पुरुष प्रधान है। तभी तो दो अणु बम जो सन् 1945 में जापान के दो नगरों पर गिराए गए थे उनको गोपनीयता की दृष्टि से 'मोटा आदमी'(Fat Man) तथा छोटा लड़का (Little Boy) के नाम दिए गए। गुप्तचर भाषा में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो तार हाइड्रोजन बम के बारे में भेजा था उसमें गोपनीय भाषा (coded language) का प्रयोग करते हुए इस नए बम के लिए कहा गया कि 'यह एक लड़का है' (It is boy) परंतु, जिस विमान ने हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था उसको इनोला गे (Enola Gay) कहा गया था, जो स्त्रीलिंग का सूचक था। इस विमान का यह नाम चालक की माता के नाम पर दिया गया था। इन प्रयासों में यथार्थवाद की समस्त भाषा में लिंग तलाश करने का प्रयास किया गया है।

महिलाएँ, शक्ति और राज्य (Women Power And State)

शक्ति अन्य व्यक्तियों या राज्यों के व्यवहार को प्रभावित कर सकने की सामर्थ्य होती है, ताकि दूसरों से वे कार्य करवाए जाएँ जो कि वे सामान्यतया नहीं करते तथा यह भी सुनिश्चित करने की क्षमता कि दूसरे वे कार्य, उस प्रकार न करें जो वे साधारण रूप से करते हैं। शक्ति यथार्थवाद का केंद्र बिंदु होती है। राज्य नामक संस्था शक्ति का प्रतीक होती है और शक्ति के लिए संघर्ष राजनीति का सार होता है। नारीवादी विद्वानों का मत है कि शक्ति-संबंध लैंगिक आधार पर संगठित होते हैं। शक्ति की अवधारणा को पुरुषत्व का गुण माना जाता है। जो व्यक्ति संघर्ष या युद्ध में शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं उनको प्राय: कटाक्ष के तौर पर नपुसंक कह दिया जाता है। इस प्रकार की असमर्थता को नारी के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों में यह सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं या जो संघर्ष से दूर भागते हैं उनसे कहा जाता है कि वे चूड़ियाँ पहन लें। अतरू शक्ति पुरुषत्व की सूचक है और इसका अभाव नारी का गुण माना जाता है।

राज्य शक्ति संबंधों का संगठन लैंगिक आधार पर सुनिश्चित करता है। कुछ अपवादों को छोड़कर राज्यों लैंगिक शक्ति संबंधों को औपचारिक रूप दिया है। ऐसा उच्चतर स्तर पर पुरुष वर्चस्व सुनिश्चित करके किया गया है। जिन देशों में कार्यपालिका के अध्यक्ष पद पर महिलाएँ आसीन भी हुई हैं जैसे कि भारत में श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्रीलंका में श्रीमती भंडारनायके ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, वहाँ पर भी उच्चतर स्तर पर या पुरुष वर्चस्व बना रहा है। लैंगिक भेदभाव राज्य की संरचना पर पुरुषों के प्रभुत्व से स्पष्ट हो जाता है। ऐसा प्रशासनिक कर्मियों, पुलिस तथा सैन्य बलों की संरचना से स्पष्ट होता है। यह सही है कि राज्य सामान्यतया स्वायत्त होते हैं, फिर भी उनकी संरचना पैतृक रूप से की जाती है। राज्य के कार्य प्राय: पुरुषों के हित में होते हैं, यद्यपि पिछले कुछ दशकों में महिलाओं और उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कफी प्रयास एवं परिवर्तन किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठा रहा है और भारत सहित अनेक देशों में महिलाओं के लिए विशेष आयोग गठित किए गए हैं, ताकि उनका सशक्तीकरण किया जाए और राज्यों पर पुरुष वर्चस्व का अंत किया जा सके।

युद्ध और शांति में लैंगिक भूमिका (Gender in War And Peace)

पिछले एक प्रभाग में, उत्तर–आधुनिकी नारीवाद की समीक्षा करते हुए, युद्ध के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस प्रभाग में सामान्य रूप से नारीवादी उपागम की दृष्टि से युद्ध और शांति में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति की चर्चा की जाएगी। नारीवादी युद्ध को लैंगिक दृष्टि से देखते हैं।

यथार्थवाद को पुरुषत्व के समकक्ष माना गया है। स्वायत्तता, संप्रभुता और अराजकता पर बल देने के अतिरिक्त, यथार्थवाद सैन्य बल को राज्य की शक्ति के संयंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में भी अनेक नारीवादी विद्वान पुरुषत्व (masculinity) की छिपी मान्यताओं का उल्लेख करते हैं। वे युद्ध को पुरुषों का व्यवसाय मानते हैं। उनका मत है कि पुरुष लिंग अधिक युद्ध–योग्य होता है, जबकि महिलाएँ अधिक शांतिप्रिय होती हैं। जीवशास्त्रियों के अनुसार, पुरुष के यौन तत्वों और युद्ध का प्रमाण है पुरुष–पशुओं (maleAnimals) का आक्रामक व्यवहार। यहाँ तक कि कुछ नारीवादी विद्वान भी जो लैंगिक अंतर को केवल सांस्कृतिक मानते हैं, जैविक नहीं, उनके मत में भी युद्ध एक पौरुष संरचना है। यह तर्क भी दिया जाता है कि युद्ध तो पुरुष की प्रकृति में है, ताकि वह उस कमी पूरा कर सके जिसका संबंध जन्म देने की क्षमता से है। महिला गर्भाधान करती है और जननी होती है। यह कार्य पुरुष की क्षमता से बाहर है। अत: पुरुष की युद्ध करने की प्रकृति इस कमी को पूरा करती है। नैंसी हार्टसॉक (Nancy Hartsock) के अनुसार, युद्ध जीवन को अर्थ प्रदान करता है और पौरुष

के द्वारा इसके अवसर प्राप्त होते हैं इसके विपरीत महिलाओं को यह अवसर बच्चों को जन्म देकर प्राप्त होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ कहीं अधिक शांतिप्रिय होती हैं-ऐसा चाहे जीवविज्ञान का फल हो या संस्कृति का या दोनों का। वे महिलाओं की मातृत्व के रूप में भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। नारी की देखभाल करने की भूमिका के कारण पुरुषों की अपेक्षा अधिक जोर देकर महिलाएँ युद्ध का विरोध करती हैं। इसलिए, महिलाएँ संघर्ष के समापन में हिंसा के विकल्प तलाश करती हैं। युद्ध के परिणामस्वरूप आई पीड़ा पुरुष और महिलाएँ दोनों सहन करते हैं, परंतु उनकी पीड़ा एकसमान नहीं होती। युद्धों में पुरुष हताहत होते हैं। महिलाएँ भी युद्ध की विभीषिका से पीड़ित होती हैं, परंतु उसका स्वरूप भिन्न होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अधिकांश युद्ध नागरिक क्षेत्रों (असैनिक क्षेत्रों) में लड़े जाने लगे हैं। अत: हताहतों का 75 प्रतिशत से भी ऊपर महिलाएँ और बच्चे होते हैं। महिलाएँ युद्धों से अनेक प्रकार से पीड़ित होती हैं। निकट सबंधियों, जैसे पति, बेटों और भाइयों का निधन महिलाओं पर दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। उनकी हानि मात्र मनोवैज्ञानिक ही नहीं होती। इसके गंभीर आर्थिक परिणाम भी होते हैं, क्योंकि परिवार के शेष बचे सदस्यों की देखभाल और उस पर होने वाला व्यय महिलाओं को ही वहन करना पड़ता है। रणक्षेत्र में मारे गए परिवार के पुरुष सदस्यों की हानि उन महिलाओं के लिए अधिक दुखदाई होती है जो अशिक्षित और बेरोज़गार हों। महिलाओं पर युद्ध के बाद दुख के बादल तेज़ी से बरसते हैं। इस सबके बावजूद, महिलाओं की यह भूमिका कि वे अपने पतियों, बेटों इत्यादि को राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर देती हैं, प्रशंसा की पात्र होती है। इसको भी लैंगिक भूमिका के परिवेश में देखा जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध युद्धकालीन यौन उत्पीड़न एवं हिंसा सभी युद्धों, सांप्रदायिक दंगों तथा जातीय संघर्षो में किया जाता है। युद्ध में यौन उत्पीड़न शत्रु की निर्दोष महिलाओं के साथ होता है तथा घरेलू संघर्षो में अन्य जातियों या संप्रदायों की महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध युद्ध का सबसे घिनौना पक्ष है।

परंतु, आलोचकों का तर्क है कि जीव विज्ञान (Biology) और ऐंथ्रोपॉलोजी (Anthropology) के अनुसार इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि महिलाओं के देखरेख या चिंता के कार्यों (गर्भधारण, शिशु जन्म और नर्सिंग) का उनके अहिंसा और सुलह-सफाई करवाने के कार्यो से कोई संबंध हो अर्थात महिलाओं के शारीरिक गुणों का शांति प्रक्रिया के उनके स्वभाव से कोई संबंध नहीं है। महिलाओं की भूमिका प्रत्येक समाज में अलग-अलग होती है। चाहे महिलाएँ शायद ही कभी वास्तविक लड़ाई में भाग लेती हों, फिर भी पुरुष योद्धाओं को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती हैं, और कभी-कभी तो वे पुरुषों की रणभूमि में जाकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं।

महिलाएँ नृत्य के द्वारा तथा देश भक्ति के गीत गाकर तथा इसी प्रकार के अनेक कार्यो से

पुरुष योद्धाओं को युद्ध वातावरण तैयार करके देती हैं, ताकि उन्हें देश के लिए मर मिटने का जोश आ जाए। इसके विपरीत, कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएँ पुरुषों को रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से रोकने के लिए हतोत्साहित भी कर सकती हैं। वे मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकती हैं, ताकि युद्ध का अंत हो सके। नारीवादी विद्वानों के विचारों पर टिप्पणी करते हुए, प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने लिखा था कि, महिलाएँ सैन्यकरण के लिए अनेक सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाती हैं और वे कई प्रकार से आंतरिक उद्योगों के लिए आरक्षित सेना की भूमिका भी निभाती हैं। वे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों (संघर्षों) और गृह युद्धों में सैनिकों, शांति रक्षकों और क्रांतिकारियों की भूमिका भी निभाती हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा था कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएँ लड़ने (combat-roles) की भूमिका भी निभाने लगी हैं और संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्वहण प्रक्रियाओं में प्रबंधकों का कार्य भी करती हैं। बड़ी संख्या में महिलाएँ शरणार्थियों के रूप में कष्ट उठाती हैं। ऐसा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के फलस्वरूप, बोस्निया संघर्ष में और इराक पर अमरीकी आक्रमण के बाद विशेष रूप से देखा गया। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग (UNHCR) जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार, संसार भर में जो शरणार्थी थे उनमें 70 से 80 प्रतिशत तक महिलाएँ और बच्चे थे। ऐसी स्थिति में जब पुरुषों का साथ नहीं रहता, बच्चों की देखरेख का समूचा उत्तरदायित्व महिलाओं पर आ जाता है। वे अपने परिवार का, कभी–कभी तो विस्तृत परिवार का, भरण–पोषण करती हैं। वे मुख्य आर्थिक भूमिका निभाती हैं और मानसिक एवं आर्थिक रूप से पीड़ित बच्चों को सांत्वना प्रदान करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की विदेश नीति, पुष्पेष पंत।
2. भारत की विदेश नीति, यू०आर० घई।
3. भारत की विदेश नीति, बी०एन० खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, लैस्ली कुमार।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति– बी०एल० फाड़िया।
5. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धा, बी०एन० खन्ना, लैस्ली कुमार।
6. प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिकांक।
7. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं व्यवहार– यू०आर० घई।

प्रेमचंद के उपन्यासों में राजनीतिक चेतना

डॉ० विकास कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उ०प्र०

प्रेमचंद का जन्म लगभग उसी समय हुआ था, जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस का तत्कालीन समय में देश में स्वतंत्रता की सशक्त चेतना वर्तमान थी। इस स्वतंत्रता की भावना से भरे वातावरण में जन्म तथा पालन–पोषण शिक्षा के पश्चात् प्रेमचंद की साहित्यिक प्रौढ़ता के समय बंगाल में बंग–भंग विरोधी तथा स्वदेशी आन्दोलन तेजी से फैल चुका था। इन आन्दोलनों का प्रभाव बंगाल की भौगोलिक सीमा से पार समस्त देश की बुद्धिजीवियों तक पहुँच चुका था। कांग्रेस की राजनीति से परे, कुछ दूसरे माध्यम भी थे, जिनमें देश की स्वातंत्र्य चेतना अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रही थी। इन राजनीति से विलग घटनाओं का प्रभाव धीरे–धीरे इतिहास के निर्माण में होता है।

सन् 1908 में इसी तरह भारतीय श्रमिक वर्ग पहली बार राजनीति से जुड़ा। उसी वर्ष बम्बई के श्रमिक वर्ग ने लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की। इस शती के पहले शब्दाश में उपजा श्रमिक आन्दोलन समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग बनी। राष्ट्रीय आन्दोलन अब सामान्य लोगों के बीच आ चुका था। प्रेमचंद ने इसी गम्भीरतर राष्ट्रीय जागरण का अभिनन्दन किया। उनके ब्रिटिश कुशासन की निंदा के परिणामस्वरूप ही 1906 में 'सोजे वतन' नामक संग्रह जब्त कर दिया गया और यहीं से धनपतराय को प्रेमचंद बनना पड़ा।1

अपने प्रारम्भिक दिनों में मुंशी प्रेमचंद नरमदलीय नेतृत्व के विरोधी प्रगतिशील नेता लोकमान्य तिलक के समर्थक थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी के भी निष्ठावान अनुयायी थे। उनके कार्यों, कार्यनीतियों तथा नीतियों का उन्होंने बड़ी उत्कृष्टता से समर्थन किया। सन् 1920 तथा 1930 में गांधी के आह्वान पर जिस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय जनमानस में जनजागृति फैली थी, उसमें प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्हें ही सबसे अधिक विश्वसनीय नेता माना।

हालांकि गांधीवाद के प्रति अपनी सम्पूर्ण आस्था के बावजूद प्रेमचंद किसान, जनता को कभी नहीं भूल पाये और उन्होंने हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर विचार के दौरान किसान, जनता से सम्बन्धित सवालों को सबसे आगे रखा। सन् 1930 में फिर प्रेमचंद खुलकर समाजवाद के समर्थक के रूप

में सामने आते है। यहाँ वे आधुनिक समाज को पूँजीवाद के साथ जोडकर देखते हैं तथा कहते हैं परन्तु अब एक नयी सभ्यता का सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ खोदकर फैंक दी है, जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप-दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह पतिततम प्राणी है। उसे राज्य प्रबन्ध में राय देने का हक नहीं और यह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं निःसंदेह इस नई स्वतंत्रता ने व्यक्ति स्वातंत्र्य के पंजे, नाखून तोड़ दिये हैं। उसके राज्य में अब एक पूँजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो सकता। उसे अब ये आजादी नहीं कि अपने नफे के लिए साधारण आवश्यकता की वस्तुओं के दाम चढ़ा सके तथा दूसरे अपने माल की खपत करा दे।[2]

प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों तथा अन्य साहित्यिक कृतियों में कुछ समस्याओं पर अपने विचारों को शायद कहीं ज्यादा खुलेपन से व्यक्त किया है। इनमें जब एक निष्ठावान अनुयायी का राजनीतिक अनुशासन कोई बाधा नहीं बनता था, तब उन्होंने अपने विचारों को कहीं ज्यादा स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी, वे लिखते हैं- "निर्मल की शिकायत है कि हमने अपनी तीन-चौथाई कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके अपनी संकीर्णता का परिचय दिया, जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलंक है। हम कहते हैं कि यदि हममें इतनी शक्ति होती, तो हम अपना सारा जीवन हिन्दू जाति के पुरोहितों, पुजारियों, पंडाओं और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिन्दू जाति का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टकेपंथी दल है जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की सबसे पहली शर्त है, समाज में साम्यवाद का दृढ होना, इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती।[3]

एक साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद की महानता जनता के संघर्षों, भारत की जनता द्वारा चलाये जा रहे सर्वतोन्मुखी संघर्ष के साथ उनकी अन्तरंगता पर आधारित है। ये इस संघर्ष को दूर से देखने वाले एक दर्शक मात्र नहीं थे। बल्कि अपने राजनीतिक और साहित्यिक लेखन के जरिये इसके हर चरण के सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने यथार्थवाद का सिर्फ बखान नहीं किया वे खुद उस सामाजिक यथार्थ के अंग थे, जो भारतीय जनता के विभिन्न संघर्षों से व्यक्त हो रहा था। उनकी साहित्यिक कला ठोस जमीन पर टिकी हुई थी और उन्होंने यह साबित किया कि जो व्यक्ति खुद को जनता के हितों से अपने वक्त के वर्ग संघर्ष से जोड़ता है, वहीं श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर सकता है तथा उन्होंने यह भी दिखा दिया कि कलाकार और जनता के बीच के फासले के अनुपात में ही कला का स्तर निर्धारित होता है।

प्रेमाश्रम :

'प्रेमाश्रम' में कृषि जीवन के यथार्थ और दिवास्वप्न की अभिव्यक्ति हुई है। कृषक जीवन की वास्तविक समस्याओं से साक्षात्कार करते हुए उपन्यासकार ने उस अवस्था का चित्र भी उपस्थित किया है, जिस अवस्था में जीवन समस्यायुक्त हो जाता है, उसके बाद अपूर्व खुशहाली छा जाती है और कृषक भयाकन दुरावस्था से ऊपर उठकर दिवास्वप्न के मनोहर उद्यान में चले जाते है। सामाजिक दमन और आर्थिक अभाव से अतृप्ति के कारण रचनाकार के सामूहिक अवचेतन से उपजे दिवास्वप्न 'प्रेमाश्रम के यथार्थवादी रुप विधान पर हावी हो गये हैं।

प्रेमचंद ने कृषकों की आर्थिक गुलामी का जीवन उद्घाटित करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार कृषकों के मन पर तत्युगीन कुशासन का संत्रास छाया है। दरिद्रता, रुढ़िवाद और फूट के कारण उनका जीवन मानवीय इच्छा और आत्मविश्वास से रहित हो जाता है। कृषि जीवन का यथार्थ चित्र खींचने के साथ ही प्रेमचंद ने यह भी संकेत किया है कि भीतर ही भीतर कृषकों में कितना असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा था। जो बाद में स्वाधीनता संग्राम में ज्वाला बनकर फूट पड़ा। प्रेमचंद ने कृषि के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा करने के लिए 'प्रेमाश्रम' की रचना की।

प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ने ब्रिटिश नौकरशाही का चित्रण कर जनविरोधी पाश्चात्य शिक्षा की आलोचना की। उनका मानना था कि जो शिक्षित वर्ग अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सामाजिक परिवर्तन के एक हथियार के रूप में नहीं करता, जागरण नहीं फैलाता, बल्कि शोषणमूलक व्यवस्था का ही एक अंग बन जाता है। उसकी शिक्षा व्यर्थ है। प्रेमचंद बुद्धिजीवी वर्ग के मन से शासक वर्ग की प्रवृत्ति और शोषणमूलक व्यवस्था का अंश हटाकर उसे प्रेम, त्याग से परिपूर्ण दिखाना चाहते थे। अपने इसी स्वप्न को उन्होंने औपन्यासिक यथार्थ में दिखाया। स्वाधीनता आन्दोलन के प्रभाव से ही मध्यवर्ग अपनी नयी भूमिका के प्रति सचेत हो गया था।

'प्रेमाश्रम' के प्रेमशंकर के सम्पर्क में आकर सभी अपनी जातीय भेदभाव को भूलकर सेवा भावना से भर जाते है। प्रेमशंकर की ही शिक्षा मायाशंकर को संवदेनशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाकर जनसाधारण से जोड़ती है। मायाशंकर उनके प्रेमाश्रम में शिक्षा पाकर मानवीय और राष्ट्रवादी भावों से भर जाता है। उनमें पिता के सामंती शोषण के संस्कार नहीं फैलते। प्रेमशंकर कृषि संस्कृति का नया दृष्टिकोण लेकर ग्रामीण भारत की दरिद्रता और लाचारी मिटाना चाहते हैं।

रंगभूमि :

रंगभूमि उपन्यास में एक अन्धे भिखारी सूरदास की कथा है। अन्याय के खिलाफ उसके प्रतिरोधात्मक संघर्ष की कथा है। इतने आम आदमी को सम्भवतः पहली बार हिन्दी साहित्य में इतना महान नायक बना दिया गया। प्रेमचंद सूरदास के माध्यम से जनता के राजनैतिक–आर्थिक संघर्ष का एक नया आयाम खोजना चाहते थे और इसमें वे सफल हुए। जब व्यक्ति के पास कोई संगठन, कोई हथियार न हो तो गरीब आदमी अत्याचारों का मुकाबला आखिरी दम तक कैसे करे, यही उपन्यास का नायक 'सूरदास' बतलाता है। 'रंगभूमि की रचना सन् 1925 में हुई जबकि देश स्वाधीनता की मशाल लिए आहुतियों के साथ स्वतंत्रता की देवी की अहर्निश उपासना में संलग्न था।

सूरदास अकेला पूरी व्यवस्था से टकराता है। टिड्डी है पर आंधी को रोकने की चेष्टा करता है। वह शासक शोषक वर्ग में भी अन्तर्विरोध पैदा कर देता है। यह राजा महेन्द्र कुमार और जनसेवक को दुश्मन नहीं कहता, पर उनके वर्गचरित्र को अच्छी तरह समझता है। उनसे लड़ता है और तनिक भी समझौता नहीं करता। वह जीवन को रंगभूमि मानकर उस पर खेल–खेलता है। संघर्ष में हर बार पराजय मिलने पर भी उसकी निगाह हमेशा जीत पर ही रहती है। इसीलिए वह दुबारा लड़ने की ताकत जुटा लेता है।

गांधी जी और उनकी समूची चिंतन प्रक्रिया जो इस दौर में प्रेमचंद की अपनी सोच पर हावी थी, उद्यतर होती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में सत्याग्रह, अहिंसा, हृदय परिवर्तन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन जैसे अपने हथियारों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन प्रेमचंद के साहित्य में दिखता है।

गबन :

'गबन' उपन्यास में देवीदीन खटिक तथाकथित स्वतंत्रता आन्दोलन के तथाकथित नेताओं के जिस वर्गचरित्र को अपने ठोस अनुभवों के बल पर उभारता है और संभावित स्वराज्य के प्रति अपनी जिस आशंका को व्यक्त करता है। कांग्रेस का यह वहीं वर्ग चरित्र है, जिसे पुराना जमाना नया 'जमाना' लेख में प्रेमचंद बहुत पहले गांप चुके थे तथा आने वाले स्वराज्य के प्रति उसकी आशंका वस्तुतः प्रेमचंद की आशंका है जो अपनी गम्भीर अवस्था में यहाँ देवीदीन के माध्यम से प्रकट हुई है।

भारतीय मध्यवर्ग का सामाजिक विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि उच्चमध्य वर्ग का व्यक्तिगत लक्ष्य था–स्वतंत्रता। स्वाधीनता आंदोलन के बड़े नेता इसी श्रेणी से उभरे थे। निम्न मध्यवर्ग का लक्ष्य सम्मान प्राप्त करना था। बीच में मध्यवर्गीय लोगों का लक्ष्य था अपना व्यक्तिगत भविष्य निर्मित करना। रमानाथ पहले तो सिर्फ सम्मान का मूखा था लेकिन सुन्दर भविष्य की कल्पना में उसने

सरकारी मुखबिर बनना स्वीकार कर लिया। जीवन में कष्ट पा लेने के कारण उसने पुनः कष्टों का मार्ग नहीं चुना।

'गबन' की जालपा सेवासदन की सुमन अथवा 'प्रतिज्ञा' की प्रेमा की तुलना में अधिक मुखर ही नहीं, अपने राष्ट्रीय सामाजिक दायित्व के प्रति अत्यधिक जागरुक भी है। सुपरिटेंडेंट साहब से सारा भण्डफ़ोड करने के लिए वह स्वयं तैयार होती है और सम्मानित जीवन जीने के लिए पति के विरुद्ध जाने का भी निर्णय करती है। वह जज से सारा दृष्टान्त कह देना चाहती है. इसकी बिना परवाह किये कि सब सुनने के बाद जज झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर उसके पति को सजा भी दे सकता है। उसके चरित्र में उदारता और त्याग की भावना आ गयी थी। निरपराध व्यक्तियों को सजा मिलने पर जालपा सर्पिणी की भांति फुत्कार कर कहती है– 'जाओ शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैने समझ लिया कि, तुम मर गये तुम समझ लो मैं मर गयी। बस जाओ। मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूँ, अपनी गर्दन पर घुरी चला दूंगी।'[4]

वह स्वार्थी पति को धिक्कारती है। दिनेश को फाँसी की सजा मिलने पर वह उसके दुखी परिवार की सेवा में जुट जाती है। वह अपने कर्तव्य भाव में अपनी वेदना को डुबो देती है। अंग्रेजों के प्रलोभनों में फँसने के स्थान पर स्वराजवादियों के साथ काम करती है। यद्यपि रमानाथ की उद्विग्नता समाप्त नहीं हुई। विलासिता में यह जितना अधिक डूबा, थोड़े समय बाद इससे उसका विराग भी हो गया। त्रुटिपूर्ण विचारधारा के कारण उसे जीवन में बहुत कुछ खो देना पड़ा। उसे जोहरा ने जालपा की खबर दी, कि 'वह त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति है और अब यह दिनेश के घर की देखभाल करती है।'

रमानाथ की वर्गीय बेचैनी बढ़ गयी। वह अंग्रेज सरकार की तमाम सुविधाओं को त्यागने के विषय में सोचने लगा। उसे अपने पाप का बोध होता है। उसे त्याग, सादगीपूर्ण जीवन और राष्ट्रीय सेवा के भावों से आपूरित जालपा के नारी व्यक्तित्व के में एक रौशनी झलक रही थी। वेश्या होने के बाद भी जोहरा के प्रेम से एक करुण निश्छलता झलक रही थी। देवीदीन की सहनशीलता और बुढ़िया का मातृत्व उसे रुला रहा था। तब उसने जज के सामने बयान बदल दिया। सभी अभियुक्त मुक्त कर दिये गये। प्रेमचंद ने मध्यवर्ग की नयी भूमिका की ओर संकेत किया 'अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो एक विलासप्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बना देता है।'

'गबन' में प्रेमचंद व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय मुक्ति आआंदोलन में सक्रिय भागीदारी के रूप में दिखाते हैं।

कर्मभूमि :

'कर्मभूमि' दलितों की मुक्ति व्यग्रता को रेखांकित करने वाला यथार्थवादी उपन्यास भी ब्रदी कर्मभूमि है। जिसमें शिक्षित सम्पन्न वर्ग की राष्ट्रवादी भूमिका का राजनैतिक विश्लेषण भी है। प्रेमचंद हिन्दी साहित्य की उस प्रगतिशील चेतना के अपने युग में प्रतिनिधि थे, जो भारतेन्दु के समय से लेकर उनके समय तक के ख्यात, अल्पख्यात, नाना लेखकों के माध्यम से हिन्दी-उर्दू भाषा में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति पा रही थी। हिन्दी की अपनी जातीय परम्परा से प्रेमचंद गहराई से जुड़े थे और यह परम्परा जिस चेतना को सामने ला रही थी यह मूलतः एक साम्राज्यवाद-सामंतवाद और पूँजीवाद विरोधी चेतना थी।

तीसरे दशक में अछूतों को लेकर जो बौद्धिक राजनैतिक हलचल मची हुई थी, उसकी सार्थकता और विसंगतियों को कर्मभूमि में उभारा गया है। अभिजात्य वर्ग के समरकान्त मन्दिर में अछूतों के प्रवेश के विरोधी है। लेकिन राष्ट्रीय चेतना से जुड़े शातिकुमार और नौजवान साथी अछूतों को मन्दिर में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। अछूतों के मन में मानवाधिकार के लिए संघर्ष की भावना पैदा हो, इसी उद्देश्य से शांतिकुमार अछूतों की सभा में पूछते हैं- "क्या तुम ईश्वर के घर रो गुलामी का बीड़ा लेकर आये हो? तुम तन-मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं है। तुम समाज की बुनियाद हो। तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो। तुम मन्दिरों में नहीं जा सकते। ऐसी अनीति इस अभागे देश के सिया और कहीं हो सकती है। क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो?"[5]

बचपन में ही अमरकान्त की माँ मर गयी थी और पिता कों आर्थिक मुनाफाखोंरी के अलावा दूसरी चिंता नहीं थी। अमरकांत यह सब अनुभव कर रहा था। नयी राजनीति की हवा ने उसमें समाज और राष्ट्र के प्रति नया लगाव पैदा कर दिया था।

प्रेमचंद अपना क्रान्तिकारी दृष्टिकोंण अमरकान्त के माध्यम से पाठक के समक्ष रखते हैं। अपने अनुभव की राह से अमरकान्त एक व्यापक सामाजिक सच्चाई तक पहुँचे- 'वह अब क्रान्ति ही में देश का उत्तर समझता था, ऐसी क्रान्ति में, जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शो का झूठे सिद्धान्तों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नये युग की प्रवर्तक हो, एक नयी सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असख्य देवताओं को तोड़-ोड़कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। उसके एक-एक अणु से क्रान्ति! क्रान्ति' की सदा निकलती रहती थी, लेकिन उदार हिन्दू समाज उस वक्त किसी से नहीं बोलता, जब तक उसके लोकाचार पर खुल्लम-खुल्ला आघात न हों।[6]

प्रेमचंद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के अपने विशिष्ट दौर में तत्कालीन मध्यवर्गीय युवा समुदाय की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे और राजनैतिक परिवर्तन में उनकी भूमिका की पहचान कर रहे थे। सलीम और अमरकान्त दोनों छात्र–युवा समुदाय के है। राष्ट्रीयतावादी लहर में अपनी भूमिका पहचानकर वे यथासंभव जनता के दु:ख–दर्दी के साथ खड़ा होना चाहते हैं और अंग्रेजी दमन का मुकाबला करते हैं।

प्रेमचंद दलितों के सामाजिक–आर्थिक मुक्ति के संघर्ष को बुनियादी संघर्ष मानते थे किन्तु दलितों के मन्दिर प्रवेश को वे एक बड़ी लड़ाई मानते थे। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्तर को नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा था। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दलितों का राजनीतिक–आर्थिक मुक्ति की लड़ाई तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी, जब तक वे सामाजिक बराबरी हासिल न कर ले। पृथक निर्वाचन के विरोध में महात्मा गांधी के आमरण अनशन तथा पूना पैक्ट के संदर्भ में प्रेमचंद ने लिखा– 'इस महान आत्मा के अनशन व्रत ने, उसकी तपस्या ने, केवल सात दिनों में यह दिखा दिया कि वास्तव में तपस्या कितनी बलवती होती है। उस महान आत्मा की तपस्या ने ब्रिटेन के महान राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ़ दीवार को, जो हिन्दू धर्म से अछूतों को अलग करने के लिए बड़े गहन कौटिल्य की सीमेंट से तैयार की गयी थी, विध्वस्त कर दिया।'[7]

'कर्मभूमि' में मात्र दलित समस्या ही नहीं अपितु स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्रीय जागरण में दलितों के परिप्रेक्ष्य में एक वैचारिक मंथन भी है। 'कर्मभूमि' में दलितों का संघर्ष मन्दिर प्रवेश तक नहीं रुकता। यह राजनीतिक आर्थिक संघर्ष का रुप ग्रहण कर लेता है। इस संघर्ष की एक धारा गांव में है, जहाँ भीषण मंदी के समय खेतिहरों से तेजी के वक्त का लगान वसूला जा रहा था। चौधरी, पयाग, मुन्नी, सलोनी आदि अछूत अपने इलाके के भोगी महंत से परेशान थे और संघर्षरत थे।

गोदान :

'गोदान' से पूर्व भी प्रेमचंद ने किसानों पर आधारित उपन्यास 'प्रेमाश्रम' और 'कर्मभूमि' लिखा था, किन्तु गोदान में जिस आत्मीयता और तल्लीनता के दर्शन होते हैं, उसका उनमें सर्वथा अभाव था। यह हिन्दुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्रयी को समाप्त करता है। 'गोदान' में परम्परागत गांव का विघटन है।

दरअसल तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय कृषक व्यवस्था में जों परिवर्तन किये। उनके परिप्रेक्ष्य में होंरी तथा उसके पूरे कृषक समाज का जीवन–स्तर कभी ऊँचा नहीं उठा। भारतीय जनता में जों सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बहुत पहलें से थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतोंष के बाद उसे एक नया धरातल मिला।

प्रेमचंद कृषक समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक तथा जमींदार वर्ग के विरोंधी थें। वह स्वाधीनता की उस राजनैतिक अवधारणा से बहुत आगे थें, जों उस समय प्रचलित थें।

गोंदान में प्रेमचंद ने तत्कालीन राजनीति के प्रति अपनी सोंच कों मिर्जा खुर्शीद के संवाद में इस प्रकार दिखाया है। जब मिर्जा कहते हैं– 'मेरा बस चलें तों कौंसिलों कों आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोंक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े–बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में बाजी वही लें जाता है, जिसके पास रुपये हैं। रुपये के जोंर से उसके लिए सभी सुविधाएँ तैयार हों जाती हैं। बड़े–बड़े पण्डित, बड़े–बड़े पढ़ने लिखने वालें जों अपनी जुबान और कलम से पब्लिक कों जिस तरफ चाहे, फेर दें। सभी सोंने के देवता के पैदों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तों इरादा कर लिया है, अब इलेंक्शन के पास नहीं जाऊँगा। मेरा प्रोपोंगेण्डा अब डेमोंक्रेसी के खिलाफ होंगा।'[8]

इतने से ही 'गोंदान' के युग की राजनैतिक स्थिति स्पष्ट हों जाती है। 'गोंदान' में तंखा एक ऐसा ही पात्र है जो मिर्जा खुर्शीद, रायसाहब, राजा साहब, मालती सबको चुनाव में उलझाकर अपना हित चाहता है और अंत में उसकी बुरी दशा होती है। मालती उस पर व्यंग्य करती हुई कहती है, 'क्षमा कीजिए मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहिबा, रूपये की शैली खोल देंगी और एक–एक वोट पर एक–एक अर्शी चढ़ने लगेगी, तो आप भी शायद उधर ही वोट देंगे।'[9]

राजनैतिक स्वाधीनता और आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष के प्रधान केन्द्र शहर थे। गोबर वहाँ रहता था। धीरे–धीरे उसे राष्ट्रवाद और वर्ग संघर्ष दोनों का ज्ञान हो रहा था– 'सभाओं में आने–जाने से उसे कुछ–कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला था। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रुढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोकनिन्दा का भय अब उसमें कम रह गया है। गांव की महाजनी सभ्यता का विरोध करने वाला गोबर शहर में मिर्जा खुर्शीद की मदद से एक छोटा–मोटा धन्धा कर लेता है। थोड़े वक्त के लिए वह खुद भी एक छोटा–मोटा महाजन बन जाता है। वह पड़ोस के इक्केवालों, गाड़ीवालों और धोबियों को सूद पर रूपये उधार देता है।'

गोबर में वास्तविक चेतना तब जागृत होती है जब वह शक्कर मिल का मजदूर बनता है। जिन दिनों वह गांव जाकर महाजनों को दहाड़ता है, उन दिनों वह स्वयं एक छोटा–मोटां सूदखोर था। दूसरी बार जब वह गांव जाता है तो करुणा और गुस्से के बीच होरी से कहता है– 'तुम्हारी जगह मैं होता तो या जेहल में होता या फाँसी पर गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूँ, आप अपने बाल–बच्चों के साथ मुँह पर जाली लगाये बैठा रहूँ।[10] इसी उक्त कथन में रानजैतिक परिवर्तन की चेतना के बहुत गहरे और सार्थक संकेत हैं।

'गोदान' में अपने समय के राजनैतिक अन्तर्विरोधों का समग्रह रूप है। भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों की राजनैतिक चेतना का रूप और स्तर क्या था, इसमें कैसा परिवर्तन हो रहा था, यह इस

उपन्यास से स्पष्ट होता है। प्रेमचंद युग में अंग्रेजों के वादाखिलाफी और दमन के कारण उनसे जनता का मोहभंग हो चुका था। पूँजीपति वर्ग आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना निरन्तर विकास कर रहा था। किसान मजदूर वर्ग की आर्थिक मुक्ति की आवाज जोर पकड़ने लगी थी। मजदूर वर्ग ने अपना संघर्ष प्रारम्भ किया किन्तु उसे भीषण दमन का सामना करना पड़ रहा था। आपसी साम्प्रदायिक संघर्ष के बावजूद हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही सामंती शोषण का विरोध कर रहे थे। समाज के लोगों पर यूरोपीय जनतांत्रिक के अलावा रुसी साम्राज्यवादी क्रान्ति का असर पड़ रहा था। भारतीय जनता अब मुक्ति संग्राम के एक नये दौर से गुजर रही थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विविध प्रसंग, खण्ड-1. पृ 106.
2. महाजनी सभ्यता, प्रेमचंद उत्तरा, प्रेमचंद विशेषांक, पृ. 319.
3. वही, विशेषांक, पृ. 471.
4. प्रेमचंद, 'गबन', पृ. 140-141.
5. प्रेमचंद, 'कर्मभूमि'
6. वही
7. प्रेमचंद, 'जागरण-पत्र' 26 दिसम्बर, 1931.
8. प्रेमचंद, 'गोदान', पृ. 98.
9. प्रेमचंद, 'गोदान'
10. वही, पृ. 390.

PART – II

An Appraisal of Crime of Acid Attack in India

Prof. (Dr) Shiti Kanth Dubey
Law Faculty, Agra College,
Agra, Uttar Pradesh

Women have been given a position of pride in every religion. Under Christianity and Hinduism, they are respected and due importance is given to their rights and privilege. Women enjoyed position of high esteem in the Rigvedic period. No function of significance could be completed without their participation[1]. In the Quran, a complete surah has been devoted to the welfare, rights, and duties of women[2]. It has been rightly pointed out that women have been and will always be what men make them. However, philosophical student of comparative religion may fail to observe that at the foundation of every spiritual faith stands a woman, whose sympathy blesses the work of infusing new life into humanity.[3]

In spite of all these, crimes against women are still on increasing trend not only in urban, but also in rural areas. According to Oxford dictionary, "crime is an action or omission, which constitutes an offence and is punishable by law". Legal glossary published by Govt of India defines the crime as an offense. Section 40 of Indian Penal Code, 1860 also defines the term offence.[4]

Women may be victims of all kinds of crime, be it cheating, murder, robbery etc. Crime against women may be considered as an offence against women done by other person causing physical, mental or the other types of tortures[5] including threatening etc., which may be direct or indirect.

Now, most heinous crime against women is acid attack. Acid attack has devastating health consequences for victims. Short term effects include immense pain and long-term effects can include blindness and loss of facial features. Thus, acid violence is considered to be deliberate use of acid to attack another human being. Acid violence is a worldwide menace and a global issue. In the 18th century, sulphuric acid was first time manufactured in England on industrial scale and in the year 1740, people started using it for violent attacks in Western Europe, particularly in USA, during labor unrests and domestic disputes[6]. In long term effects of acid attack may also include mental as well as emotional shock and stigma.

However, by middle of 20th century, violence through acid attacks scaled down in the USA and in the Western Europe due to stringent laws and women empowerment but it gained

momentum in the other parts of the world. During last decade of the 20th century and in early 21st century, this type of violence spread in other parts of the world, specially in south Asia. Since 1960, acid violence has increased in South Asia, South East Asia, Sub-Saharan Africa, West Indies and Middle East[7].

Acid violence involves intentional acts of violence in which perpetrators throw, spray or pour acid on to victim's face and body. Acid violence is a gender-based violence that reflects and perpetuates the inequality of women in society and is also prohibited under international law. Acid violence is not restricted to a particular race, religion, or any geographical location. Such attacks occur almost around the world. Although, no authentic information about exact numbers of incidence of acid violence is available, it is however, reported that more than 1500 cases of acid violence are recorded around the world every year. While women and girls are victims in about 80% of acid violence cases, about 30% of them are under age of 18 years.

In most of the countries, particularly under developed and developing countries, easy and unrestrained availability of acid, used in manufacturing and processing of cotton and rubber, considered to be a leading cause of acid violence. Meanwhile, in many countries, prevailing weak laws, political corruption coupled with insensitivity on the part of administration; socio-economic and cultural disparities; gender-based inequalities and coarseness against women are major factors contributing to the increasing incidence of acid attack in many countries, especially in South Asia.

India has ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Gender based violence is the violence that is directed against a woman because she is a woman and such type of disproportionate discrimination is prohibited by CEDAW. Gender based violence reflects and perpetuates gender inequality and discrimination. Although, it is also reprehensible when acid violence occurs against men and boys. However, as observed in the society, acid attacks are more common in women. Acid violence is gender-based violence because it impacts women disproportionately. Indeed, a significant portion of attacks in India occur when a woman exercises decision making power by rejecting a suitor's marriage or love proposal. Therefore, acid attackers aim for a women's face in an attempt to destroy what many members of society consider to be one of her most important assets, her beauty.

Law relating to acid attack in India

Although, the Indian Government initially rejected the need for any legislation to address acid violence, a government appointed expert committee recently stated that it would propose amendments to the Indian Penal Code, 1860 to allow for higher prison terms and majority fines against acid attackers. The Indian Penal Code had made amendments regarding this of late. The Government has also regulations to limit the easy availability of acid for the purpose of preventing acid attacks.

The rights of women have the originating source in the Constitution of India, for all Indian laws have emerged from constitution. The Constitution of India guarantees equality of status and opportunity to men and women. The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution of India. It must be borne in mind that when the Fundamental Rights are infringed, the natural basic human rights inherent in human beings are violated.

Acid attack results in violation of Fundamental Rights of "Gender Equality" and "Right to Life and Liberty". It is a clear violation of the rights under Articles 14, 15 and 21 of the constitution[8]. These are the relevant Articles of the Constitution of India, which bestow legal rights upon women. Article 51(e) of the Constitution of India enumerates the Fundamental Duties to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women, its true realization in spirit is much awaited.

In India, often incidences of acid attack capture the headlines of Indian media. Unfortunately, in India, there was no separate legislation to deal with acid attacks before passing the Criminal Law (Amendment) Act, 2013. The offence was registered under Sections 320, 322, 325, 326 and 307 of Indian Penal Code, 1860. But it is seen that these Sections do not fulfill the profundity that is required for the earnestness of these offences. Moreover, the term "Acid Attack" was not defined anywhere, and the provisions also restrict them to acerbic substances.

Sections 326A and 326B were inserted after Section 326 with the passing of Act 13 of 2013, i.e., the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

According to Section 326A, "whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns, or maims, or disfigures, or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing, or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, and with fine;

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim;

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim".

In the furtherance of this, Section 326B of the IPC, 1860, says that "whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage, or deformity, or burns, or maiming, or disfigurement, or disability, or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. In this connection, the Indian Penal Code, 1860, by virtue of Criminal Law (Amendment) Act, 2013 under the explanation 1 of Section 326B has defined acid to include, any substance which has acidic or corrosive character of burning nature, capable of causing bodily injury leading to scars, or disfigurement, or temporary or permanent disability.

The basic difference between Sections 326A and 326B of IPC is "the presence of actual injury under Section 326A". The resultant injury has made the offence more serious with a mandatory minimum punishment of 10 years which may extend to imprisonment for life and, in either case, with a fine.

In this continuation, Section 357 of Cr.P.C. deals with order to pay compensation. The function of a criminal court is to punish the offender while that of a Civil Court is to make the wrong doer compensate for the loss or injury caused to the aggrieved party. However, if these two procedures can be combined without affecting the criminal and civil process, it would be just and expedient to do so as it would save time and money in seeking remedies in two different Courts. This section incorporates the idea to an extent and empowers the Court to grant compensation to the victim and to order the payment of costs on the prosecution.

Under Section 357, compensation can be awarded irrespective of whether the offence is punishable with fine and fine is actually imposed; but such compensation can be ordered only if the accused is convicted and sentenced. The compensation should be payable for any loss or injury whether physical or pecuniary, and the Court shall have due regard to the nature of the injury, the manner of inflicting the same, the capacity of accused to pay and other relevant factors.

Section 357C deals with the role of hospitals in acid attack and other offences. This Section says that, "All hospitals, public or private, whether run by the Central Government or State Government, local bodies, or any other person, shall immediately provide the first aid

or medical treatment, free of cost to victims of any offence covered under Sections 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or Section 376E of IPC, and shall immediately inform the police of such incident.

Thus, one thing is very clear that mens rea is easily proved in acid attack, which is sometimes difficult to prove in murder also.

The Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attacks Victims Bill, 2017[9] was enacted by Parliament to provide for prevention of acid attacks by regulation of sale, supply, and use of acid or other measures and rehabilitation of women victims of acid attacks and matters connected therewith or incidental thereto.

As we know, acid attack, a crime, being committed against any man or woman, has a specific gender dimension in India. Mostly the crimes of acid attack have been committed on women, particularly young women for rejecting proposals that may be legal or illegal demands. The attacker cannot bear the fact that he has been rejected and seeks to destroy the body of the woman who has dared to stand up to him. It is not surprising that the incidence of acid attack is deeper in patriarchal conservative society.

In order to facilitate rehabilitation of acid attack victims and to prevent unregulated sale of acid, the Bill proposes to make the following provisions:

(i) To provide for classification of acid on the basis of its intensity and concentration and to prevent sale of acid of higher concentration for day-to-day purposes;

(ii) To provide that acid shall not be sold without verifying identity of the buyer and the purpose of its use;

(iii) To provide that proper records of stock, sales, etc. of acid shall be maintained by dealers;

(iv) To make unregulated sale of acid an offence punishable with 6 months imprisonment and fine;

(v) To provide that acid attack victims shall be treated as persons with disabilities for the purposes of availing benefits under various schemes of the governments, including employment under the central government, state governments or bodies thereunder;

(vi) To increase the maximum quantum of punishment for acid attack under Section 326B of the Indian Penal Code to imprisonment for 10 years;

(vii) To stipulate the minimum amount of compensation for acid attack victims as ten lakh in cases of grievous hurt and 3 lakh in other cases or such higher amount as may be specified;

(viii) To provide monthly allowance to certain victims of acid attacks; and

(ix) To provide that any reconstructive cosmetic surgeries shall be treated as medical treatment in case of acid attack victims.

Section 2(a) of Bill defines the term "acid" as any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. Section 2(b) says that "acid attack victim" means a woman on whom acid has been poured or sprinkled with the intention of causing bodily injury or disfigurement and who, as a consequence of such act, has suffered any bodily injury or disfigurement effected by chemical action of the acid. Section 3 and 4 are related with the regulation of sale, supply and use of acid. Section 5 and 6 are related with rehabilitation of acid attack victims. Section 7 of the Bill is related to offences and penalties. Section 7 runs as, "any person who contravenes the provisions of section 3 or Section 4 shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 6 months or with fine extending to 5 lakh rupees of with both. Section 8 says that "in the Indian Penal Code, 1860 (hereinafter referred to as the Code) in the Section 326A for words "and with fine", the words "and with fine which shall not be less than 10 lakh rupees" should be substituted. According to Section 9 of the Bill, "in the Code, in the Section 326B, for words "7 years and shall also be liable to fine" the words "10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 3 lakh rupees" shall be substituted.

Judicial Pronouncements

In the year 1998, in Gulab Sahib Lal Sheikh v the state of Maharashtra[10] case, acid was thrown on a woman who finally died due to burn injuries. In this case accused was sentenced by the Court under Section 302 of IPC, to undergo imprisonment for life and pay a fine of rupees one thousand and also sentenced to rigorous imprisonment for a month. Under Section 326 of the IPC, he was awarded 5 years of imprisonment apart from a fine of rupees 2 thousand and 3 months of rigorous imprisonment.

One of the famous cases of this heinous crime is Laxmi v Union of India[11]. It was her petition which led the Supreme Court to give a remarkable decision regarding regulations on the sale of acid. The Supreme Court also laid down some important guide lines, which are as follows:

1. Counter sale of acid is absolutely prohibited, until and unless the vendor maintains a record that contains the name of the purchaser.
2. No acid should be sold to a person who is below 18 years of age. A proper ID card should be shown by the consumer at the time of acquiring the acid.

3. All stocks of acid should be confirmed by the vendor with the concerned Sub-Divisional Magistrate (SDM) within a time of 15 days. If it is not affirmed, then the goods will be sequestered by the SDM and the fine of Rs 50000/- will be obtruded on him.

4. The acid victim should be specified a compensation of at least 3 lakhs from the concerned State/ Central Govt as the aftercare and rehabilitation cost. Of this amount, a sum of Rs one lakh shall be paid to the victim within 15 days of the phenomenon of such incident to facilitate instant medical consultation and the rest 2 lakhs must be given within 2 months as early as possible.

But unfortunately, it is observed that the directions given by Honorable Supreme Court in the above case, the minimum compensation of Rs 3 lakh per acid attack victim has not been fixed in some of the States/Union Territories.

In Sabana Khatun v State of West Bengal and others[12], the victim in the present case suffered serious injuries due to the pouring of acid in her mouth by the accused. The victim filed a writ petition in the High Court as the compensation was denied to her by the Chief Secretary of West Bengal. The plea taken by the State Govt was that the compensation can only be awarded to the victim on the recommendation of the State Legal Service Authority, was denied by the Court, and it was ordered that compensation amounting to Rs 0.3 million be awarded to the victim and her family.

In Suresh Kumar @ Appu v State[13], it was a case pertaining to the rejection of a marriage proposal by a woman who was software engineer. The accused known to the victim was a construction worker and wanted to marry the woman. The proposal was rejected by her as well as her father. The complaint was also made by them to the police and the accused was reprimanded. After some time, he threw acid on the deceased due to which she became blind from one eye. Later, she died due to infection. The Session Court held the accused guilty and imprisoned him for life under Section 302 in addition to 2 years imprisonment under Section 326, IPC, 1860 and a fine of Rs 0.1 million was also ordered. In criminal appeal, Madras High Court increased the amount of compensation to 3 lakh to be awarded by Union Territory of Puducherry State Legal Services Authority under the Union Territory of Puducherry Victim Assistance Scheme.

In the Parivartan Kendra and another v Union of India14 case, following the judgement of the Laxmi case of the concerned State Bihar, the Supreme Court granted compensation of RS 10 lakh to the victim Chanchal and Rs 3 lakh to victim's sister Sonam. In Raja v State of Haryana15, the Court also followed Laxmi's case and awarded compensation to the victim.

In Mahesha v State by Male Bennur Police Devanagere16 case, Karnataka High Court held that victim is permitted to approach the District Legal Services Authority, Devanagere

by filing an application seeking adequate compensation. If such an application is filed, the District Legal Services Authority taking into consideration the young age of the victim, who was a teacher and that she has suffered corrosive injuries in the unfortunate incident and has spent large sums of money for plastic surgery, shall arrive at the appropriate quantum of compensation and make suitable recommendations.

To conclude, acid attacks are the most pernicious form of violence that is reported to, and is mostly gender specific. While acid attacks are reported in many parts of the world, the incidents of acid attacks in India have been on the rise. Although, commencement of law reforms in the acid attacks legislation is a positive sign, yet there is a long way to go to effectively implement these provisions. Though, it is admitted that once the new legislation is enacted, it takes time to settle and is subsequently evolved by the dynamism of judiciary, some of the shortcomings faced prima facie need to be addressed. The current acid attack provisions and judicial approach to the quantum of damages are very restricted in view of nature and the gravity of the offences.

Feminist research and women's activism of the past three decades have shuttered the common understanding that violence against women is a natural aspect of gender relations and of no concern to law and public scrutiny. In many countries, women are victims of acid attacks when they allegedly or actually transgress hegemonic gender norms and roles that discriminate against women and keep them in subordinate positions. Hence, acid attack violence is a form of gender-based violence and discrimination prohibited under international law including the "Women's Bill of Rights", i.e., CEDAW.

To eradicate acid violence, governments must address its root causes; gender inequality and discrimination, the availability of acid, and the impunity of perpetrators. In furtherance of their duty to exercise due diligence to prevent acid violence, governments should enact criminal laws that specifically address acid violence and effectively regulate the production, sale, distribution, use and handling of acid. Government should also effectively enforce and supplement laws designed to deter acid violence and provide victim redress, including compensation for health care costs. Public awareness is also required so that the people become aware of their rights and the appropriate legal procedures.

References

1. Chhabra, K.S. (1982), "Women and the law", Law Journal of the Gurunanak Dev University, Vol. 10, No. 1, p. 11.
2. The Quran, Surah Nissa, IV.
3. Ali, S.A. (1978), "Islamia History and Culture", p. 52.

4. Section 40 of I.P.C., "Except the Chapters and Sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word, "offence" denotes a thing made punishable by this Code.
5. Ahuja, Ram (1998), "Crime against women", Criminology, Rawat Publications, Jaipur, p. 215.
6. Acid attack on women: "Repercussions and need for law", ISSN 2331-4171.
7. Ibid.
8. Vishakha and Others v State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011.
9. Bill No. XXVI of 2017.
10. 1998 Bom CR (Cri.).
11. (2015) 5 SCALE 77; (2014) 4 SCC 427.
12. W.P. No. 34704 (w) of 2013 Culcutta High Court (Appellate side).
13. Criminal Appeal No. 362 of 2014, Madras High Court.
14. Writ Petition (Civil) No. 867, 2013 decided on 7th Dec., 2015.
15. CRA-D-484-DB of 2017, decided on 28 May 2019.
16. Criminal Appeal No. 512/2016 (C), decided by the Hogh Court of Karnataka at Bengaluru on 22 July 2021.

Climate Change and the Indian Economy - A Review

Dr. Ajay Kumar Singh
Department of Management Science
S. P. Jain College, Sasaram

India occupies an intriguing position in the context of climate change and economic development. Blessed with enormous resources (Forests, solar energy, etc.), but short of the capital and technical know-how, India's journey to a net-zero carbon economy is a marathon. Immediate climate change policies like COP26 often meet reluctance and stress the economy. Climate change has inevitably started altering the climatic dimensions and is now causing substantial damage to the Indian economy. Yet, not aspiring an emission-less economy will hamper the development of the future. The energy demands often clash with climate-change policies. Agriculture too is affected by climate change, making half of the Indian population vulnerable. This paper presents an empirical study on the above-mentioned issues. The material and methods involve theoretical data extracted from the "Assessment of Climate Change over the Indian Region report 2020" issued by the Indian government and several other esteemed research papers. The objective of this paper is to highlight the climatic variations and how they leave an impact on the economy. At the same time, it presents suggestions to channel the climatic adversities and boost the economy. Adopting green goals and gradually shifting to a clean and green economy will hold the key with respect to India.

Climate change refers to historically unprecedented changes in the various climatic parameters due to human activities. Abnormal increases in average temperature, changing rainfall patterns, increases in frequency and intensity of extreme events like cyclones, and rise in the sea levels due to melting of glaciers are manifestations of the phenomenon of climate change. It has adverse impacts on humans ranging from sudden disruption in routine existence to a gradual fall in the standard of living. The contribution of environment to the economy is a multi-faceted phenomenon encompassing various channels through which the environment facilitates the working of an economy. As a result, over the past several decades, several economists have attempted to decode the nature and extent of the impacts of environmental change in general and climate change in particular on the functioning of the economies as well as the overall human well-being.

The concept of social impact of climate is as old as Aristotle. One of the greatest political philosophers of the modern times, Montesquieu first propagated the idea that climate played

a crucial role in defining differential characteristics among non-identical societies. Later, in the 19th century, the idea was formally introduced as „environmental determinism", referring to the notion that climatic conditions governed a region's social, economic and political outcomes, with less emphasis on other factors that set regions apart (Howe, 2002). India has diverse geographical terrains representing varied agro-climatic zones. Close to 60 percent of India's population is dependent on agriculture for employment. In rural India, this proportion could be as high as 97 percent (Jha, 2006). Therefore, the agricultural sector plays a pivotal role in the Indian economy. Agriculture is also one of the climate sensitive sectors. Given India's historical reliance on agriculture and other sectors that are highly dependent on climatic conditions, it is imperative to assess the influence of climatic factors on economic well-being. Extreme exposure to hot and cold temperatures leads to several cardiovascular, respiratory, and cerebrovascular diseases that can increase hospital visits leading to higher costs and can even result in death (Kovats et. al., 2004, Basu and Samet, 2002, Deschenes, 2014). In Delhi, it is estimated that an increase in temperature by 1°C increases death rate by 3.2 precent (Hajat et. al., 2005). There is also an increase in risk of public health security due to water-borne diseases like cholera, and vector-borne diseases like malaria and dengue (Kibria, 2016).

However, evidence suggests that adaptation reduces the ill effects of rise in temperature as humans find ways to mitigate extreme temperatures. For instance, heat related mortality rates in US fell by over 80 percent with the advent of air conditioners (Barreca et. al., 2016). Other hydro- climatic disasters like cyclones and tsunamis also cause a sharp rise in the death rates (Hsiang and Narita, 2012).

Soaring temperatures and inadequate rainfall increase collective violence, land invasions and chances of civil war intensity (Hidalgo et. al., 2010). The effects emerge majorly in poor backward areas like rural India and Tanzania, most likely as a result of depressed agricultural yield (Miguel, 2005).

The economic impacts of climate change are realized through impacts on agricultural yields, average productivity and supply of labour, supply and demand dynamics of energy, global trade and overall economy-wide effects (Carleton and Hsiang, 2016). Temperature and precipitation play a pivotal role in determining farm outcomes (Auffhammer and Schlenker, 2014). Several studies have highlighted the adverse impact of climate change on crop yield ranging from 3.8 to 5.7 percent (Auffhammer et. al., 2012, Lobell et. al., 2011). Increasing evidence shows that crop cycles have been altered in South Asian countries like India, Bangladesh and Pakistan causing serious damage to productivity and yields (Burke et. al., 2015). On a particular day of extreme heat, worker productivity tends to be much lower, especially in tropical climates (Mani et. al., 2018). Heat stress lowers productivity (Seppänen et. al., 2006), reduces cognitive

performance (Graff Zivin et. al., 2018) and decreases work hours in sectors that require heavy outdoor activity like construction (Somanathan et. al., 2015). On another note, energy and climate share a distinctive relationship such that rising temperatures demand a surge in energy usage to assist the process of mitigating the heat effects, while suppressing the supply and transmission process (Auffhammer and Mansur, 2014; Davis and Gertler,2015). Lower industrial and agricultural yields (Jones and Olken 2010) lead to decreased exports which in turn leads to lower national incomes indirectly affecting the world trade (Hsiang and Jina, 2014). The aforementioned effects of climate change across sectors and stakeholders are likely to reflect in the relationship between climate and some broad measure of economic performance. Besides studying sectoral effects, one can also therefore study the impact of climate change at a macro level by studying the effect of temperature rise on the GDP. Such top down approach is adopted in the present study.

In their cross-sectional study conducted worldwide, Dell et. al. (2009) employed data from 12 countries in the Western Hemisphere. The authors concluded that national income per capita falls by 8.5 percent per degree Celsius (henceforth °C) rise in temperature. However, there are two limitations to the approach adopted by Dell et. al. (2009): firstly, it does not take into account the time factor which plays a critical role in the climate change literature; secondly, many researchers believe that results derived using this approach are not accurate because changes in economic variables may be attributed to other distinctive characteristics like quality of institutions (Rodrik et. al., 2004). Therefore, refining their study to include a panel data model, Dell et. al. (2012) established three primary results. First, higher temperatures substantially reduce economic growth in poor countries. They estimated that a 1°C rise in temperature in a given year reduces economic growth in that year by 1.3 percentage points. However, changes in temperature in richer countries did not show a substantial and significant effect on output. Second, higher temperatures not only reduce the absolute level of output, but also the growth rates. They estimated a statistically significant downward sloping relationship in poorer countries and a statistically insignificant relationship in richer countries (Dell et. al., 2012, Hsiang and Jina, 2014). This implies that poorer countries have little impetus to adapt to climate change. Moreover, there is suggestive evidence that richer countries may be less impacted by a rise in temperature (Burke et. al., 2015). As a result, inter- country inequality has increased over the years. Diffenbaugh and Burke (2019) estimated that there is an approximate 25 percent rise in population-weighted inter-country inequality during the past 5 decades. However, most recent evidence suggests that the negative long-run growth effects impact all countries, rich or poor, hot or cold (Kahn et. al., 2019). Third, higher temperatures have wide-ranging effects on other sectors of the economy besides agriculture.While many researchers studied the linear relationship between climate change and economic growth (Dell et. al.,

2012, DARA 2012), Burke and Tanutama (2019) tested for a non-linear relationship using data from 11,000 districts across 37 countries worldwide. This study established that growth in aggregate output responds non-linearly to temperature across all regions, with output peaking at cooler temperatures, typically less than 10°C and declining steeply thereafter. Using data from 166 countries over a period of 50 years, Burke, Hsiang, and Miguel (2015) find that economic production at the national level is smooth, non-linear, and concave with respect to temperature, with an optimal temperature of 13°C.

Several future projections have been made in an attempt to estimate the extent of negative impact on economic output brought forth by climate change. It has been predicted that average income in the poorest 40 percent of countries could decline by 75 percent by 2100 relative to a world without climate change (Burke et. al., 2015). Burke and Tanutama (2019) estimated that climate change has cost the United States and the European Union more than $4 trillion in lost output since 2000. Another recent study concluded that if temperature deviates from its historical norm by 0.01°C annually, long-term income growth will be lower by 0.05 percentage points per year (Kahn et. al., 2019). An obvious consequence of such magnitudes of losses in economic output due to climate change will reflect in the number of people living in poverty. Hallegatte et. al. (2016) show that climate change will push 100 million people below the poverty line in 10 years, with India alone contributing about 40 percent. Mani et. al. (2018) estimated a decline in living standards by 6.7 percent for Bangladesh, 2.8 percent for India, 2.9 percent for Pakistan, and 7.0 percent for Sri Lanka by the end of 2050. In terms of absolute amount of total GDP losses, the cost of continuing with the business as-usual scenario is estimated at $171 billion for Bangladesh, $1,178 billion for India, and $50 billion for Sri Lanka by 2050. Another study estimated that the aggregate loss to consumption is at 0.4 percent of GDP for India (Hallegatte et. al., 2016).

Adaptation

Adaptation can help to counteract some of the harmful effects of climate change by flattening the curve (Hsiang and Narita, 2012). In other words, adaptation should enable maintaining the level of output or sustaining lower output losses under adverse climatic conditions. Under extreme weather events, the main benefit of adaptation is that it lowers economic shock associated with such sudden events of acute intensity (Mani et. al., 2018). Adaptation includes developing better farming practices like harvesting a different crop after a drought (Hornbeck, 2012), introducing irrigation-based farming to reduce the dependency on rainfall, developing drought-resistant crops, developing more accurate and timely weather

forecasts and early warning systems (Mani et. al., 2018), and investing in disaster resilient infrastructure (e.g., development of shelter houses, coastal embankments as well as building climate resilient buildings and roads) that can withstand floods and cyclones.

Planned adaptation assumes the importance in building adaptive capacity. The regulatory authorities can also assist in development of adaptive capacity by providing the necessary incentives to private players. Such initiatives include developing regulatory and insurance instruments, encouraging the judicious use of natural resources, promoting sustainable sources of energy generation and encouraging R and D in various sectors of the economy. Mani et. al. (2018) have provided some helpful policy recommendations for each country in South Asia in order to help them build long-term resilience. For India, the authors presented three specific suggestions, viz., improving educational outcomes, reducing stress on groundwater, and stimulating employment in alternative sectors of the economy.

Adaptation comes at a huge cost and may not be viable for many poor countries which struggle to provide even the basic amenities to their citizens. Therefore, as a direct implication, due to lack of better resources and institutions as well as due to greater exposure, poor countries will be at a greater loss as compared to rich countries. Recent studies suggest that high costs of adaptation (Davis and Gertler, 2015), lack of incentive to spend on adaptation (Annan and Schlenker, 2015), inadequate capacity to raise finances (Hsiang and Narita, 2012), limited foresight to plan for future risks (Deryugina, 2013) or weak governments (Besley and Burgess, 2002) are some of the constraints faced by poorer governments with regard to climate change adaptation.

References

1. Climate Change and the UN Security Council / Shirley V. Scott (Editor); Charlotte Ku (Editor)
2. Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction / Suraj Mal (Editor) et al...
3. Evaluating Climate Change Action for Sustainable Development / Uitto et al.
4. Climate Change and Human Development / Reid

"Revisiting *The Murder of Roger* Ackroyd by Agatha Christie Through the Lens of Women and Their Desires"

Niharika Agarwal
Research Scholar

Abstract

The Murder of Roger Ackroyd by Agatha Christie, published in 1926, is a classic work in detective fiction that is often celebrated for its innovative narrative technique and unexpected twist, also a widely known novel studied from almost all the perspectives. But, while the primary focus of the novel is on the murder mystery and the ingenious use of an unreliable narrator, that too a male protagonist and male culprit, we can explore a completely different and equally intriguing angle pointing towards the portrayal of women and their desires in the context of the story. This research will reflect on the novel through a different lens of women desires as the novel reflects the constraints and expectations placed on women during this period and subtly examines how these societal norms, their desire (material or emotional) for independence and authority, and their reputation influence their actions and motivations through various female characters like Flora Ackroyd, Caroline Sheppard, Mrs. Ferrars. The interplay of these characters' actions, motivations and desires adds depth to the mystery and keeps the plot moving forward. Christie's portrayal of women, while progressive for her time, still reflects the constraints of her era. Women in her novels often operate within the boundaries set by their societal context, and their ambitions are frequently interpreted through these lenses. Before reaching its conclusion, the research will consider the works of other critics who have argued in the same respect. The aim of this research is to present the detective fiction of Agatha Christie through a different window of women's desires through female characters of The Murder of Roger Ackroyd & also, Murder on The Orient Express.

Keywords: Agatha Christie, **The Murder of Roger Ackroyd,** Murder on the Orient Express, Critics, Women desires and their roles, Portrayal of Women, Women in 1920s.

Introduction

This research will open a window to all the feminist writers who wants to argue that Christie did not lack woman perspective or feminist agendas. For example, a critic, Roberta S. Klein, mentioned that, "Christie's work may lack a formal feminist agenda, but it repeatedly subverts patriarchy." (Agatha Christie 8)

The character of Caroline Sheppard, the overbearing and possessive sister of Dr. James Sheppard, serves as a starting point for this exploration. Caroline's desire for control and protection over her brother becomes a driving force, shaping her interactions and influencing the unfolding events.

Christie masterfully employs Caroline's character to reflect societal expectations of women in the early 20th century. Through her, the author unveils the complex layers of desire that extend beyond romantic inclinations. Caroline's desire for power and influence over her brother's life challenges traditional gender roles, highlighting the constraints imposed on women in the pursuit of agency. Also, her wit as a woman of many sources, indicates how women were more analytical than men as she didn't need to go anywhere to gather the deepest information regarding anything which was evident with Dr. Sheppard's statement, "Caroline can do any amount of finding out by sitting placidly at home." (Christie 6)

The character of Mrs. Ferrars adds another layer to the exploration of feminine desires. As a widow, Mrs. Ferrars grapples with societal expectations regarding mourning and the emergence of new romantic interests. Her desires, concealed beneath a facade of grief, provide a compelling subplot that challenges societal norms.

Some other characters of Agatha Christie that supports the research and its perspective are from Murder on the Orient Express. For example, Mary Debenham, an intriguing character introduces a different dimension to the exploration of desires. As a governess, she is portrayed as independent, intelligent and resourceful. Mrs. Hubbard, a wealthy American widow, whose desire for justice and closure becomes apparent as the story unfolds.

Linda Arden, though physically absent but plays a strong role as the victim's mother. Her desire for justice and revenge is the driving force behind the events that takes place on the orient express. There are many more characters to convince that the fictions of Christie are not only about detective fiction and male dominance but also about women's intelligence and their desires.

Thus, this research project will investigate through an analytical lens that how Christie presented the above stated being a woman writer herself. I will delve into the intricate web of desires woven by Christie, paying particular attention to the female characters and how their desires play a role in shaping their characters.

Agatha Christie and *The Murder of Roger Ackroyd*

Agatha Christie, often known as the "Queen of Mystery", was an English writer famous for her detective novels namely *'The Murder on The Orient Express', 'The Murder of Roger Ackroyd', 'The Mousetrap',* 'The Crooked House', etc., also short stories and plays. Born in 1890, Christie's writing career spanned over five decades, during which she created some iconic characters like Hercule Poirot and Miss Marple. Her works are generally characterized by ingenious plots, clever twists and a deep understanding of human nature. But not only she has focused on the detective fiction, she has often featured some great female characters who are complex, intelligent and multifaceted, reflecting a diverse range of desires, ambitions and roles. As Ana Vukelic has argued, "her women characters are usually more active, are allowed to behave badly, and be held accountable for it. Many scholars note the high number of female villains, including murderers, in her novels, but their interpretations of this fact differ." (Vukelić 43)

These characters not only contribute to the intrigue and depth of her stories but also offer insights into the position and perception of women, particularly in the early to mid-20th century. "The 1920s was a challenging time for American women. Women were expected to raise children, keep house, provide emotional support for their husbands, and in myriad ways, contribute to American society" (Rubio 1).

The Murder of Roger Ackroyd, published in 1926 is one of her most celebrated works. It features not only the Belgian detective, Hercule Poirot, but also a great load of head strong female characters like Flora Ackroyd, Caroline Sheppard and Mrs. Ferrars the latter who drives the plot to its ultimate destination. The story revolves around the murder of a wealthy widower, Roger Ackroyd in a fictional English village, King Abbot. Hercule Poirot, known for his sharp wits, intellect and meticulous attention to detail, investigates the case. The story is narrated by Dr. James Sheppard, who becomes Poirot's assistant and confidant in the midway but also turns out to be the ultimate murderer.

Period of Roaring Twenties

The period of 1920s, which is often referred to as the "Roaring Twenties", was a decade marked by significant social and cultural changes, particularly in western societies which ultimately led to a profound impact and highly influenced women's roles and desires. For instance, the aftermath of World War I led to a role shift as women took up the roles traditionally held by men during the war which led to a change in perceptions about what women could and should do in society and also fueled their desire for greater independence and equality. The Right to Vote, a landmark achievement for women in 1920s, was a significant step in acknowledging their rights and inclining them to be more actively involved in political and public life.

The period also saw a loosening of the strict moral and social codes of the Victorian and Edwardian eras. Younger women, also called 'flappers', began to challenge traditional norms through their fashion, behavior and attitudes and were more open about their sexuality. They began to express their desires for relationships based on mutual attraction and compatibility rather than solely on economic or social suitability, a clear expression of new found social liberation and individuality.

Moreover, the economic independence, as more women entered the workforce, fostering a sense of financial independence that allowed them to pursue personal and professional ambitions more freely, like women's magazines, films, and writing novels etc., were the significant changes which was a great push for women towards gaining independence, political rights, economic opportunities and challenging the traditional social norms.

Female Characters and their desires in *The Murder of Roger Ackroyd*

As per the thesis, *The Murder of Roger Ackroyd* offers a nuanced portrayal of women and explores their desires and roles within the context of early 20th century society. The novel reflects the constraints and expectations placed on women during this period and subtly examines how these societal norms, their desire (material or emotional) for independence and authority, and their reputation influence their actions and motivations through various female characters.

Caroline Sheppard

Caroline is the sister of Dr. James Sheppard, the narrator of the story. She is portrayed as an intelligent, curious, and somewhat nosy woman, deeply interested in the lives of those around her. Her character reflects how well she understands the dynamics and secrets of the

people around her. Her well-connected relations with everyone, shows her desire for social engagement. "It wasn't Annie who told me. It was the milkman. He had it from the Ferrarses' cook" (Christie 7). Caroline's keen observation skills and ability to gather information make her an unofficial detective in her own right, often providing crucial insights into the case. Her primary desire for knowledge and involvement in the mysteries and events surrounding her depicts how she was not content with the passive, domestic role typically ascribed to women of her time, therefore challenging the traditional boundaries.

Through Caroline, Christie may be commenting on the broader themes of women's roles and desires in the 1920s. Caroline represents a woman whose ambitions and actions defy the stereotypical domesticity of the time, embodying a more modern, involved, and intellectually active woman.

Flora Ackroyd

Flora Ackroyd, a pivotal character, is the niece of the murder victim, Roger Ackroyd. Initially, she is presented as a conventional and somewhat naive young woman of the era, who appears to be deeply distressed by her uncle's death and concerned for her fiancé, Ralph Paton (Ackroyd's stepson), who becomes the prime suspect in the murder. One of Flora's primary desires is financial security. This desire is reflective of the social and economic conditions of the time, where marriage was often a means for women to secure their financial future. Her engagement to Ralph Paton can be seen in this light – a step towards securing a stable and comfortable life, simultaneously bringing her into conflict with societal norms of honesty and integrity. Also, her actions in the novel also suggest a desire for a certain level of independence and agency. This is evident in how she actively engages with the investigation, showing a degree of assertiveness and intelligence, challenging the traditional passive role of women in detective fiction of the era.

As the story progresses, Flora's character reveals greater complexity. Her involvement in certain deceptive acts – such as duplicity in her alibi – is driven partly by her desires and fears, motivated by a mix of personal and financial concerns which is shown when Poirot asks her, "You took the money, did you not?" (Christie 156). This deception is a significant plot point and adds depth to her character, showing her as capable of manipulation and not merely an innocent damsel in distress. And, by the end of the novel, Flora's character undergoes a transformation. The resolution of the murder and the revelations about various characters, including herself, allow her to reassess her priorities and desires. This change is indicative of her personal growth through the course of the narrative.

Mrs. Ferrars

Mrs. Ferrars is a wealthy widow who lives in the same village as Roger Ackroyd. While Mrs. Ferrars does not appear directly in the narrative, because she is presented as dead from the beginning, her character serves as a catalyst for the progress of the events. Her actions, desires, and ultimate fate drive the plot and highlight themes of guilt, desperation, and the impact of societal pressures on individual lives.

Her husband's death, a few years prior to the events of the novel, is shrouded in mystery and scandal. She is described as a beautiful and intelligent woman but is also perceived as troubled, especially towards the end of her life. One of the primary desires that can be inferred about Mrs. Ferrars is her longing for love and companionship. This is evident in her relationship with Roger Ackroyd. Despite the complexities surrounding their relationship, there is an implication that she genuinely cared for Ackroyd and saw a future with him.

Mrs. Ferrars was haunted by a significant secret – poisoning her first husband. This act, driven by her desire to escape an unhappy marriage, becomes a source of immense guilt and distress for her. Her secret not only affects her mental health but also leaves her vulnerable to blackmail. Her actions are significantly influenced by her desire to free herself from the blackmail she faces from her husband's murder and her own guilt.

The societal expectations of the time play a crucial role in shaping her life and actions. As a woman, her options to escape an unhappy marriage or deal with her guilt are limited and the fear of social scandal and the repercussions of her actions confine her within a set of difficult choices. As a result, her story ends tragically with her suicide, which is a direct result of her inability to cope with her guilt and the pressure of being blackmailed. Her death sets the stage for the events of the novel and significantly impacts the lives of other characters, particularly Roger Ackroyd.

The interplay of these characters' actions, motivations and desires adds depth to the mystery and keeps the plot moving forward. Mrs. Ferrars' tragic past and actions are the catalysts for the events of the novel. On one hand, she conforms to societal expectations through her role as a respectable widow but the revelations of having poisoned her abusive husband on the other hand, challenges the passive and submissive stereotype of women. Flora's behavior and her own secrets add layers of complexity and misdirection. She is portrayed as a typical young woman concerned with her engagement and future, embodying 1920s ideals of a woman whose primary focus is on marriage and financial stability. However, she challenges these expectations and shows a degree of independence and assertiveness, particularly in her interactions with

Hercule Poirot. Caroline's role, although more peripheral, provides an interesting contrast to these societal norms. Her character portrayed as an intelligent, observant woman challenges the stereotypes of passive, uninvolved spinster. Her active engagement, sharp insights and role as a confidante to her brother positions her as a quiet influential figure.

In *Murder on the Orient Express* Mary Debenham

Mary is a governess traveling on the Orient Express. She is portrayed as independent, intelligent, and resourceful. In a society where women were often confined to traditional gender roles, Mary seeks freedom from societal expectations. Her decision to pursue a romantic relationship with Colonel Arbuthnot reflects her desire for love and companionship on her own terms, rather than conforming to societal norms.

Mrs. Hubbard

Mrs. Hubbard is a wealthy American widow who is traveling alone on the Orient Express. While initially presented as a frivolous and talkative character, her desire for justice and closure becomes apparent as the story unfolds which reflects her desire for accountability and moral righteousness.

Princess Dragomiroff

Princess Dragomiroff is a regal and imposing figure who commands respect from those around her. Despite her aristocratic background, she harbours a desire for connection and understanding. Her relationship with her companion, Greta Ohlsson, reveals a tender and compassionate side to her character highlighting the universal need for human connection.

Countess Andrenyi

Countess Andrenyi is a mysterious and enigmatic character whose true motives are shrouded in secrecy. Her desire for self-preservation drives her actions throughout the novel. Despite her outward appearance of sophistication and grace, Countess Andrenyi is willing to do whatever it takes to protect herself and her husband from suspicion. Her cunning and resourcefulness highlight the complexities of female desire and the lengths to which women will go to protect themselves and their loved ones.

Hildegarde Schmidt

Hildegarde Schmidt is Princess Dragomiroff's loyal maid, whose desire for loyalty and duty is unwavering. Despite her subordinate position, Hildegarde demonstrates strength and resilience in the face of adversity.

Linda Arden

While not a passenger on the train, Linda Arden plays a significant role in the story as the mother of the murder victim, Daisy Armstrong. Her desire for justice and revenge is a driving force behind the events that unfold on the Orient Express. Linda's determination to seek vengeance for her daughter's death illustrates the depths of a mother's love and the lengths she will go to protect her child.

Through the desires of these female characters, *Murder on the Orient Express* explores themes of love, justice, and the complexities of human nature. From Mary Debenham's quest for autonomy to Mrs. Hubbard's pursuit of truth, each character's desires shape the narrative and reveal the multifaceted nature of women's desires in society. Agatha Christie's masterful storytelling highlights the strength, resilience, and complexity of women in a male-dominated world, offering a nuanced portrayal of female characters and their motivations.

Narrative technique

Agatha Christie's narrative style in *The Murder of Roger Ackroyd* is particularly notable for its innovative use of the unreliable narrator, a technique that significantly impacts the portrayal of women's desires in the novel.

The novel is narrated in the first person by Dr. James Sheppard, who, as the story unfolds, is revealed to be an unreliable narrator and the ultimate murderer. This narrative choice is crucial as it directly influences how the characters, particularly the female characters, are perceived. Through Dr. Sheppard's perspective, the desires and motivations of female characters like Flora Ackroyd and Mrs. Ferrars, at times his sister, Caroline as well, are initially presented in a certain light, often coloured by his perceptions and societal norms. This can lead to the reader initially misunderstanding or underestimating these characters.

But Christie's narrative style allows for a subtle and layered portrayal of female characters. The reader's understanding of characters like Flora and Mrs. Ferrars evolves as the narrative

progresses and as more information is revealed. The way they are initially presented versus their true motives and desires, such as Flora's financial motivations and Mrs. Ferrars' desire for freedom from her past, reflects the societal tendency to underestimate or misinterpret women. This contrast is crucial in understanding the depths and complexities of the female characters' desires. It highlights the societal constraints they face and the often-ingenious ways they navigate these constraints.

A key aspect of Christie's narrative style is the contrast between appearance and reality, which is especially relevant to the female characters. Christie skill-fully uses dialogue and Dr. Sheppard's observations to reveal character traits and desires. The way female characters speak and are spoken about provides insights into their personalities and motivations.

The novel's famous twist ending not only changes the reader's understanding of the entire story but also recontextualizes the actions and desires of the female characters. The revelation of the narrator's unreliability forces a re-evaluation of the women's actions and motivations throughout the novel, emphasizing the theme of hidden depths and desires beneath societal facades.

Portrayal of women's desires in the novels with contemporary attitudes towards women and their ambitions.

In the novels, women's desires and ambitions are often framed within the norms of the 1920s. For instance, Flora Ackroyd's character initially appears to be driven by traditional desires—marriage and financial security. Mrs. Ferrars is portrayed as a woman burdened by her past actions and societal judgment. Their ambitions and actions are subtly constrained by the societal expectations of the time, reflecting the limited roles and options available to women. Their deeper, more complex motivations are revealed only as the plot unfolds, highlighting the tendency to overlook or misinterpret women's true desires.

Today, there is a broader understanding and acceptance of diverse ambitions and desires among women. Contemporary literature and media often portray women in a wide range of roles, from leaders in business and politics to protagonists in their own complex narratives.

The emphasis is on individuality and the recognition that women's desires and ambitions are as varied and nuanced as those of men. This is a significant shift from the more homogenized and constrained portrayals of women in earlier literature, including works from Christie's era.

Christie's portrayal of women, while progressive for her time, still reflects the constraints of her era. Women in her novels often operate within the boundaries set by their societal context, and their ambitions are frequently interpreted through these lenses. As M. Vipond

also stated in his article,

"Christie thus presented seemingly contradictory images of women—the independent, self-sufficient, capable and courageous woman who is respected for those qualities and treated as an equal partner in adventure and in life coexisted with the silly, emotional woman who has no identity except through her husband and children. But the lines kept crossing; the independent young flapper heroines wanted to settle down to marriage and children, and the silly ditherers often turned out to be made of steel" (VIPOND 4).

Modern literature, however, tends to offer a more expansive and varied portrayal of women, with characters that challenge traditional gender roles and exhibit a wide range of desires and ambitions, reflecting the ongoing societal conversations about gender equality.

In the novel, Flora's decision to bring Poirot into the investigation and Mrs. Ferrars' actions that set the novel's events in motion demonstrate their agency, thus reflecting modern views that recognize women as active decision-makers.

Today, there is a greater emphasis on women pursuing diverse paths beyond traditional roles. Christie's portrayal, while progressive for her time, might be seen as reinforcing certain stereotypes from a modern standpoint. The novel challenges the notion of women as inherently moral or virtuous. Mrs. Ferrars' backstory and Flora's deceptive actions present women as capable of moral complexity, which aligns with modern views that reject simplistic notions of gendered morality.

While romance and marriage are significant elements, the novel also touches on desires related to independence, security, and freedom from societal judgment. This aspect resonates with modern narratives that portray women with diverse desires and goals, not limited to romantic endeavours.

Conclusion

In conclusion, *The Murder of Roger Ackroyd* reflects and explores the theme of women's desires in early 20th-century society by portraying female characters who grapple with societal expectations, desire for autonomy, and the complexities of navigating their roles in a patriarchal society. Christie's treatment of these themes is subtle yet insightful, offering a window into the lives and challenges faced by women during this period. The period was marked by a dynamic tension between old and new, significantly influencing the path of women's rights and gender roles in the years to come.

Christie's female characters in *The Murder on The Orient Express* are not just accessories to the plot; they drive the story forward with their actions and decisions. They reflect the evolving roles and aspirations of women during Christie's time, showcasing a range of desires from independence and professional fulfilment to love, security, and intellectual engagement. Through these characters, Christie subtly comments on and critiques the societal norms and expectations of women, making her works significant not just for their mystery and intrigue but also for their portrayal of women's experiences and desires.

Works Cited

Primary Sources

Christie, Agatha. The Murder of Roger Ackroyd. London: Harper Collins Publishers, 2002. Print.

---. Murder on the Orient Express. London: Harper Collins Publishers, 2002. Print.

Secondary Sources

Agatha Christie: A Feminist Reassessment – ProQuest, https://proquest.com/openview/977abf0f5651161e3ca860afa8007751/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Rubio, AD Juan. "The Role of Women in the Roaring Twenties." 2012. repositorio.upct.es, https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2192/rwr.pdf

Vipond, M. "Agatha Christie's Women." Agatha Christie's Women, 1981. https://core.ac.uk/download/pdf/268163108.pdf

Vukelić, Ana. "Women Characters in the Works of Agatha Christie." Women Characters In the Works of Agatha Christie, 2022. FFOS, https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:6097

The Role of Women in Victorian Literature

Amit Kumar
Assistant Professor, Deptt. of English,
Shri Varshney College, Aligarh

Abstract

here were little protections for women in the Victorian Era. They were expected to do nothing more than stay at home and take care of their children. Women of that time were seen as incapable of doing much beyond running a home. But during that period, women were compelled to labour outside the home. Examining the works of the most influential Victorian authors who wrote on women can help establish whether or not the Victorian era's perceptions of women were accurate. Charles Dickens was an early adopter of depictions of the kind of women common at his time. The aim of this study is to examine the role of women in Victorian literature via a feminist lens, focusing on topics related to their creative output and fictional portrayal. Most people looked down on women who were compelled to work outside the home. Due to men's inability to provide adequately, many women felt the pressing need to work outside the home and earn an income for their family. Upon arriving at their workplaces, the women often experienced harassment and were not made to feel welcome. Consequently, neither society nor the workplace welcomed these female employees. There was zero room for advancement for women in the workforce at the time, and they were socially and politically marginalized. Because of their enslavement to these positions for the rest of their lives, women of that era had nowhere to go and no chance of advancement.

Keywords: Victorian era, women, female character, feminism.

Introduction

As an example of the glaring disparity between the socioeconomic realities of the United Kingdom and its national power and riches, critical academics have referred to the situation of women in the Victorian period. It is named for the reigning monarch, Victoria. There were other restrictions on married women's ability to possess property, and they did not have the

right to vote or litigate. Concurrently, after the Industrial Revolution, more and more women worked for pay. In the latter years of the Victorian period, feminist ideas gained traction among the educated middle class, discriminatory legislation were overturned, and the push for women's suffrage gathered steam. At least among the middle class in Victorian England, women were stereotyped as being primarily responsible for the house and its upkeep, including cooking, cleaning, and child care. During this time, women had very little legal protections and could not keep their earnings, tangible possessions (other than land), or any money they earned after being married.

As a whole, women in Victorian England were considered second class citizens. Within their social strata, women had severe limitations, and in the workplace, they faced even greater ones. No matter how many jobs they had or how good their output was, working-class women still did not earn the same as their male colleagues. It was not the same for the working class as it was for the middle class and the wealthy. It was not uncommon to see ladies from the higher classes lazing around or doing odd jobs. Women were socially and economically unable to develop during this age. Women were considered second-class citizens according to the legislation, regardless of their social standing (Gallagher, 57). There was a general disincentive for women to work in the workforce due to societal norms and laws. The Victorians held the view that a woman's place was solely in the home. It was believed that women should settle down with a husband, have a family, and maintain a tidy home. For women of that time, they were the only appropriate occupations. It was believed that working women were damaged and deserving of less respect and a better life than women who were not subjected to the harsh working conditions and long hours. Not only were they made to labour for lower salaries and in less lucrative positions, but once women joined the working class, there was no opportunity to rise beyond it since society would always see them as inferior. As a result, they were worked to death.

Therefore, the female protagonists in the books had a tough time getting through the day without male characters taunting or harassing them. More crimes were committed against women due of their inferior status compared to males, and the perpetrators of these crimes often faced no repercussions for their actions. Because of this, female employees often faced physical threats, sexual harassment at work, sexual assault on the way to and from work, and rapes. Thus, the women in the texts confront a common problem: they are all working women, regardless of their socioeconomic status or the kind of job they have. Additionally, working women at this time did not have equal social opportunities. Through the writings of several female writers, this research will analyze the ways in which the lives of working-class women were shaped by their social status and the limited choices available to them. The experiences

of these ladies during this time are reflected in these writings. Despite providing a female perspective on these events, the female writers of these works let the surrounding individuals and society to treat the female characters as they would in everyday Victorian life.

Literature Review

Gökçek, Aycan. (2021)Using Emma by Jane Austen and Villette by Charlotte Bront as examples, this thesis will attempt to highlight the social status of women in early nineteenth-century England. Along with defining the ideal Victorian lady, the first half will also highlight the restricted educational, economic, and social prospects that women had. Villette through the lens of its treatment of women's socioeconomic issues, including their restricted access to school and employment. Also examined will be the social standards set for the perfect Victorian lady and the role that marriage had in shaping women's lives. The paper's goal, via an examination of two books, is to draw the conclusion that, due to societal bias, women were considered socially inferior throughout the Victorian Era. This study analyses the ways in which Jane Austen and Charlotte Bront became the voices of the oppressed Victorian women and comes to the conclusion that the only way for women to justify being alive was to devote themselves to serving others via acts of self-denial, duty, and sacrifice. Moreover, the article notes that women in early nineteenth-century England encountered several obstacles on the path to achieving economic, social, and educational parity with males. While many publications make passing references to the social status of Victorian women, very few go into depth on the topic, which is why this study is devoted to that investigation. That is why this article is going to take a close look at the topic via the lens of two books written around the same time that provide light on the subject at hand.

Demir, Çağlar. (2015)The widespread belief that women in Victorian England were inherently less capable than males is an openly discussed topic. Their exclusive role was that of housewives and moms. "Angels of their houses" was the lesson they were given. While some women aspired to work outside the house, the majority of women just followed the norms of the dominate society. Women were nevertheless able to hold professions like schoolteachers despite the patriarchal social structure's repression of them. Their part in schooling, the double standards they face in terms of career paths and pay, and more are the topics of this research. To comprehend the social roles that Victorian women educators, play in the modern world, it is important to learn about their experiences in the workplace.

Orel, Anna. (2019)The rising number of working women was a major problem during the Victorian period. During that period, conventional gender norms for women were both

upheld and questioned. Historically revered as "Angels of the house," these women began to push for more autonomy in their personal lives. This article delves into the vocabulary items that depict working women in books written during the Victorian era. It draws attention to the many ways in which Victorian women contributed to society, including the home, the classroom, the workplace, the marketplace, the arts, agriculture, and entrepreneurship. The lexical-semantic field approach and the frame analysis are two of the many methodologies that form the basis of the analysis. The author is able to identify the lexemes characterizing female occupations (lady's maid, housemaid, governess, schoolmistress, etc.) and the most widespread misconceptions related working women in that era via the use of socio-cultural commentary and copious illustrative material. An examination of 33 female occupations in their historical context sheds light on the daily lives, social standing, and habits of working women in Victorian England. The less common female professions, such as physicians, legislators, etc., are, nonetheless, underrepresented in Victorian literature. Gender and feminist studies, Victorian period linguistics and culture, and other related fields may find this approach interesting.

Hermary, Dorothy. (2015)Along with the fertilizers of individual and national self-reflection, the Victorian Era in England was ripe with the potential for societal transformation. During this turbulent period, the works of Jane Eyre by Charlotte Brontë and Hard Times by Charles Dickens reveal worries over the status and worth of women in Victorian England. You may take this one-dimensional depiction of their personalities and apply it to the fight for gender equality in the modern day. Delving into our history may shed light on the here and now while also revealing more about our gendered and non-gendered future.

P., Sajida & Selvaraj, Vijayakumar (2021)The author of this research paper has discussed the depiction of women and the feminine world in English literature spanning the twentieth and twenty-first centuries. This article has shown how women's traits changed after the conclusion of the First World War. During this period, women were encouraged to go outside of their comfort zones and challenge the traditional gender roles that had been ingrained in them by patriarchal males. Novelists from new feminist traditions have chipped away at the heroic ideal and strong masculine identity. Virginia Woolf, Dorothy Richardson, and Katherine Mansfield are among the female authors primarily highlighted in the article. Several feminist authors in the early to mid-20th century created a clear demarcation between sexes in work written in English. Feminism as a notion first appeared in literary works around this period, as the study has shown. The male-dominated world's persecution of women has been highlighted in abundant literature. Also covered in this article is the way Indian women authors portray modern Indian women in society. Throughout the twentieth and twenty-first centuries, this publication has included the works of several prominent Indian women feminist authors. This

study report also mentions present-day female worldwide icons.

Victorian Women in Literature

The poor, women, and children bore the brunt of England's suffering throughout the 19th-century conflicts with the French and the Industrial Revolutions. Those who had no choice but to labour in order to get their daily sustenance were subjected to terrible working conditions. An emerging gender ideology emerged in the early nineteenth century as a shield for women from street exploitation; according to this theory, "women were apparently restricted to the home, or 'private sphere,' while men's field was defined as the 'public sphere'" (Thane, 1978: 1). Women nevertheless held public office and participated in public affairs, despite the fact that it limited their options. Marriage was a legally binding contract, according to many Victorian philosophers, pundits, and theorists, but for many women at the time it meant happiness and stability. "Marriage is a contract still more important, as the happiness of one's whole life may depend on it" (Kames, 1800:148).

The Victorian era's perspective on women revolved on the idea that women might be both better and worse than men. After the Revolution, they were forced to pay the workforce that had emerged and were deprived of their legal rights, including the ability to vote. The traditional roles of women in society include housework, cooking, cleaning, and childrearing. All of the property was in the husband's hands. Women in the Victorian era had little rights and benefits whether they were married or unmarried. She was not allowed to divorce and endured various forms of verbal and physical abuse. It would seem that the authors and other members of the educated elite were standing up to the unfair legislation. The visual and literary arts are both manifestations of Victorian society. In the last ten years, there has been a proliferation of study on nineteenth-century women's journals. In the Victorian era, several writers chronicled the hardships endured by women. The works mostly revolved on the interactions and portrayal of typical Victorian female characters. "It would be difficult to consider women and investment in the nineteenth century without invoking the model of 'separate spheres,' by which many historians and literary critics have understood and interpreted Victorian culture," Nancy Henry notes in Victorian Literature and Finance. The duality of monetary transactions tends to dissolve the gender gap between the public and private sectors. Still, the Victorian newspapers often used the language of distinct realms when discussing investing women's actions, particularly their appearance in "the city" (Henry, 2007: 112).

Elaine Showalter traces the development of women writers' works from the Victorian era to contemporary times, as Elizabeth Lee summarizes in A Literature of Their Own. The

first, the Feminine, began in the 1840s with the adoption of male pseudonyms and ended in 1880 with George Eliot's death; the second, the Feminist, began in 1880 and ended with the suffrage movement in 1920; and the third, the Female, began in 1920 and continues to the present day, with a new phase of self-awareness around 1960 (Lee, 1997: 3). The fictions of the time mirror the most significant historical culture. The best method to understand the complexities of Victorian life was via literature, which flourished throughout the 1800s. The researcher thinks it's worthwhile to write about Victorian society because of the significant role that women play in these works. Along with Dickens, other novelists like the Brontë sisters provided a remarkable portrayal of the social institutions in Victorian London, which contributed to the movement for women's emancipation from unfair constraints and disabilities. Furthermore, the plight of women was also the theme explored by Hardy, Thackeray, Gaskell, Trollope, Brontë, and George Eliot.

Dickens's View on Women

Every one of Charles Dickens's novels features a large number of female characters. These characters come from all walks of life in Victorian England, and their depth allows the reader to infer Dickens's views on women from the way he builds them. Women in Dickens' life have been the subject of much criticism for being compared to the female characters in his writings (Bashi, n.d. :1). Women from all walks of Victorian England's socioeconomic hierarchy appear in Dickens's books. With enough backstory and development, readers might infer Dickens's judgements on family life and society. Attempting to both accommodate and promote characters that reflected the moment, he became one of the most important novels of the Victorian era. This in no way indicates that Dickens nurtured feminist ideas; rather, he only want to provide women the rights and benefits traditionally associated with women. He worried a lot as a writer about his society's victims and how to better their lot. A sad metaphor of human destiny in the nineteenth century, Dickens responded to the poor circumstances by using people to depict a gloomy historical picture. As a result, he decided to build victims of legal institutions to symbolize the problems in his society and the potential solutions. My goal is to compose a piece that delves into the societal position of women throughout the 1800s and how society saw them. There is an abundance of modern imagery in the books and film adaptations of these works, and living in nineteenth-century England is a common motif. In a similar vein, Alexander notes that the Gothic novel and Scott's work were popular in the 1800s, but that it wasn't until Charles Dickens revived the genre in the 1840s that it really took off (Alexander, 2000: 272). It would seem that the growing middle class is a key factor in the success of Dickens' realistic books. "Most writers portrayed the nineteenth-century British

woman as a naive, accepting figure with strong concerns about living up to the given societal ideals for a respectable woman" (Xiang, 2008: 5). This is Xiang's argument about the woman. Without enough opportunity to observe, Dickens would not have been able to paint accurate societal portraits. In his magnificent works, he expresses his big ideas. He portrays the wicked lady, the real mother, the angelic one, the mistreated one, and the destructive one. Happiness, nevertheless, is his reward for the ideal lady, the one he loves.

The lauded idealization of the domestic by Dickens is closely related to the concept of virtue as having inherent, God-given qualities to elevate, regenerate, and redeem. In his view, as in the view of other Victorians, a woman's moral and spiritual potential is best realized via her interpersonal interactions, particularly those within her family. (Slater, 1983: 309).

The female characters in Dickens's works serve as vehicles for his speech; behind each of them is a goal that he hopes to accomplish. To heal society, he plans to express his own emotions, views, ideas, and opinions. As he shares his thoughts about women's collective behaviour and traits, Dickens also provides the reader a chance to admire the remarkable people. Reading Dickens's speech, one can see how he shaped the characters in his books to suit his needs. What did he say?

I think it's fair to say that a writer's commitment to his fictional characters is the most unwavering and naive of all human emotions. To the best of my ability, I want to add to the pool of healthy delight and happiness that everyone shares...In my opinion, Virtue looks just as well in a rag and patchwork arrangement as she does in a purple and fine line arrangement. I think even the most destitute guy who shatters his little daily bread would feel some compassion for her, as he does with all externally attractive objects...These beings are like you in every way: they're shaped like you, composed of the same materials, and possess the same potential for virtue (Darwin, n.d: 65).

Dickens had the authority to speak on the subject. Dickens focused on human good and bad acts and how such actions may determine the destiny of human happiness or death in his later work Little Dorrit (1857), in which he portrayed the kind of ideal female character exemplified by Amy Dorrit. With this figure, Dickens demonstrates that a woman's potential is multifaceted and not limited to societal expectations. Emmy is a role model for all people since she is innocent and helps others in her life, not only her family but also those in her community. She is so very reassuring and genuine—in her words, her eyes, and the way she touches you with her hands. Dickins (2009) states that... The characters' inner lives are shown by their externalisation and acting out, as is typical with Dickens's characters. One of Dickens's most fundamental and significant topics is how one's surroundings may serve as a catalyst for

influence and similarity; Little Dorrit exemplifies this point. In an effort to alleviate his suffering, Amy offers him all of her money, but he turns her down. Little Dorrit's selfless deed of caring and protecting Arthur enables him to weather his terrible jail term; in return, Arthur promises to Arthur her everlasting love. He finds renewed optimism and hope in her. In his adoration of the "little, quiet, fragile figure... that her young life has been one of active resignation, goodness, and noble service" (Dickens, 2009: 846), Mr. Meagles affirms Dickens' heroine's moral manners and demonstrates that she is a significant lady. Anyone reading the book may see firsthand how she helps the inmates. Amy is self-motivated and always goes out of her way to assist others in need. Dorrit, the little girl, seemed to view having a carer as fundamental to her own being. Typical heroine traits like hubris and narcissism are absent from her character. According to Milbank, "Dickens takes as given the close association of woman and home, and sees women as the group who might be able to extend their natural mothering and housekeeping tasks from the domestic to the public realm." This is where Dickens draws parallels to the prevailing feminist ideology of the period, which sought to "extend the moral influence and values of women to the market-place and public institutions" (Milbank, 1992: 90).

Women and Victorian Literature

There is a strong correlation between the rise of the novel and the significance of English women in Victorian literature. Scholars such as Freedman (1978) have argued that Samuel Richardson produced the first genre novel in the contemporary meaning of the term in England with his work Pamela (1740). Some commentators, including Said (1994), argue that Daniel Defoe's Robinson Crusoe (1719) is the first English book, while others classify it as travel writing, which was fashionable at the time. The earliest English-language book, according to Allen (1991), is Pilgrim's Progress, written by John Bunyan in 1678. According to Bakhtin (2002), the genre book was first written by the Greeks. He cites Petronius's Satiricon as an example. Scholars such as Zéraffa(1971) and Lukács (2000) agree that the novel as we know it today originated before the Victorian era. They also agree that the novel became the dominant form during the rise of the bourgeoisie for various reasons. It is worth noting that, for instance, English society viewed novel writing as distinct from poetry. This was primarily due to the fact that, as Gilbert and Gubar (1984) point out, the poet has held a lower social status since Aristotle, and poetry in particular was associated with knowledge and formal education, which had a long history of being tied to the dominant patriarchal aristocratic tradition in society.

For a long time, low-income women and people of colour were unable to attend college, which meant they couldn't become professional writers. For women, working outside the

home was seen as a male luxury. As a result, the new social class known as the bourgeoisie arose from the common people. Since this new class did not theoretically possess the same level of knowledge as the aristocracy, it was broadly believed that its members were simplistic in outlook and subject matter. As a result, the new genre novel was well-suited to this audience. The new genre was deemed suitable for female writers from that perspective, according to Showalter (1977).

The book follows the problematic person as he or she searches for self-knowledgea lukacian termsince it is biographical and because this is a characteristic of feminine writing. These features are fitting for the new person and the new social class that emerged during the 17th century's social revolution, particularly the women who, once in a state of flux, sought independence and the chance to assert their own identity rather than conform to the one society had imposed on them: that of helpless, subservient creatures whose only purpose in life was to support males and their families. Women sought a more holistic view of their internal and exterior relationships with men, with society, and with themselves. Male and female authors alike had it tough in the 18th and 19th centuries when it came to penning novels. This was largely due to the fact that the genre had already reached its peak by the turn of the nineteenth century, and authors who dabbled in the genre were effectively in "competition" with each other, and not just in the bloomian sense. One of these greats was Daniel Defoe, who, nearly twenty years before Pamela, penned Moll Flanders (1722), a first-person account of a female thief's life. Tom Jones, Fielding's magnum opus and a Bildungsroman detailing the protagonist's life, loves, and progress, was published in 1749. Laurence Stern, an Irish writer, is another notable figure from the 18th century who is associated with the book Tristan Shandy (1760–1767), according to Freedam (1978).

Additionally, the gothic fiction emerged in the second part of the eighteenth century, with 1764's The Castle of Otranto by Horace Walpole being its progenitor. But other debates about novels emerged in the new century, the most prominent of which was the widespread and deep interest in books by women, both as readers and writers. For instance, Jane Austen stands out as the first great female literary master. She started writing when she was fifteen years old, according to Ousby (1998, p. 46):

As an example of the late 18th-century literature's sentimentality or excessive "sensibility," there is Richardson's burlesque Love and Friendship, as well as other works from the 1790s that belong to caricature. Northanger Abbey, which satirises her heroine's fondness for gothic literature and was published posthumously in 1818, was inspired by her eye for the absurd in current taste. Sense and Sensibility, which began in 1797 but was not published until 1811, was also written by her.

Beginning in 1796 or 1797 but not published until 1813, Pride and Prejudice lays out Austen's domain and provides the topic and style for her subsequent works. With Mansfield Park (1814), Emma (1816), and Persuasion (1818), Austen demonstrated her mastery of the genre fiction. During her lifetime, Austen enjoyed widespread acclaim for works like Mansfield Park and Pride and Prejudice. Notable figures in her circle included the Prince Regent and the renowned Scottish historian Walter Scott. As Ousby claims (1998, p. 46),

Jane Austen purposefully portrayed small groups of people in a constrained setting in her novels, turning seemingly insignificant events into a balanced comedy of manners. The protagonists and antagonists of her stories are middle-class, provincial people whose primary focus is courting and marriage. Her meticulous material structuring, economical use of resources, and strategic use of irony to highlight the moral criticism were all necessary for the job she set for herself. She didn't grow in stature by blatantly expanding her abilities, but rather by steadily honing her craft within the predetermined parameters she set for herself.

The overvaluation "of love, the miseducation of women, the subterfuges of the marriage market, the rivalry among women for male approval, the female cult of weakness and dependency, the discrepancies between women's private sphere and public (male) history," among other things, have been comically criticised by Austen, according to Gilbert and Gubar (1996, p. 329). It is claimed by Freedman (1978) that Austen seemed apathetic towards the Romantic, French, and American revolutions, and that she favoured sticking to the ideals and ideas of the 18th century. While two of Austen's brothers served in the British Navy during the Napoleonic Wars, he notes that her books always depict England at peace. Even though she faced backlash from both the general public (for example, when she was accused of penning the same novel) and other female authors (the Brontë sisters were uneasy about the submissive heroines and their obsession with marriage in her works), she is still hailed as the pioneering female writer of the English novel. Famous for depicting the confined existence of a provincial lady, Austen is also known for her great understanding of social life and her flawless style. Achieving self-knowledge as the heroine is a recurring subject throughout Miss Austen's works, according to Allen (1991, p. 115).

Though she did not live to see the beginning of the Victorian Era (often thought to have started in 1837 with the accession of Queen Victoria to the English throne; the monarch passed away in 1901), Austen will serve as an inspiration to female writers of the next generation, much like Mary Shelley did with Frankestein (1818), albeit to a considerably lesser extent. Mary Shelly had an intellectually privileged life. She was the daughter of rationalist philosopher William Godwin and feminist theoretician Mary Wolstone craft. In 1792, she wrote the timeless feminist pamphlet A vindication of the rights of women. Mary Shelly was married to one of

the most influential Romantic poets, Pierce B. Shelly. Byron, a friend of Mary's, suggested that they write a ghost story each; the outcome was their magnum opus. Gilbert and Gubar argue that Frankenstein is "possibly the most memorable and influential science fiction fantasy ever published in English" (1996, p. 353). Unlike works written during the Age of Reason by more realist authors, Shelley's gothic tale adheres to the genre's hallmarks while shedding societal constraints. In his work, Frankestein demonstrates how emotion and creativity may triumph over reason. In the context of the complex societal transformations that occurred in the nineteenth century, imagination is seen as a process of rebellion. Shelley transformed the Gothic novel into what is now known as science fiction by using the taboo bounds of human science in her work, which added a new level of complexity to literary horror.

Conclusion

Not only did the women authors cited here push the pioneers' viewpoints further, but when they disagreed, they pushed for reforms that improved the shape and substance of the English novel, as well as the status of women writers and women in general. Great women of that century dared to challenge the traditional roles of women in literature and the arts, and the world would not have benefitted from their bold imaginations and works if they had remained silent and not taken risks. During the second part of the Victorian period, more and more women took on leadership positions in society. However, the women author whose works are covered here laid the groundwork for future generations to follow, guiding them into the literary world's treacherous minefield. Throughout the Victorian Era, a great number of writers chronicled the hardships endured by women. A growing number of works centred on the lives and relationships of stereotypical Victorian-era women. Regarding the fight for women's liberation from unfair constraints, the five writers used it as an opportunity to highlight women's redeeming traits. Aside from Charles Dickens and the Brontë sisters, other authors who shed light on the plight of women in Victorian London include Hardy, Thackeray, Gaskell, Trollope, and George Eliot. That doesn't suggest the authors really believed in feminism; it just means he wanted to provide women the rights and advantages that are traditionally associated with women.

References

1. Gökçek, Aycan. (2021). Social Position of Victorian Women: Villette and Emma. Comparative Literature: East & West. 4. 1-13. 10.1080/25723618.2021.1876970.
2. Demir, Çağlar. (2015). Role of Women in Education in Victorian England.

3. Orel, Anna. (2019). LEXICAL UNITS REPRESENTING WORKING WOMEN IN VICTORIAN NOVELS. Advanced Education. 6. 174-180. 10.20535/2410-8286.122279.
4. Hermary, Dorothy. (2015). Depictions of Women in Victorian Literature: Precursors of Social Change or Stereotypical. MacEwan University Student e-Journal. 2. 10.31542/j.muse.214.
5. P., Sajida & Selvaraj, Vijayakumar. (2021). THE ROLE OF WOMEN IN ENGLISH LITERATURE FROM 20 TH CENTURY UPTO THE MODERN AGEOF 21 ST CENTURY. 51. 140-150.
6. Milbank, A. (1992). Daughters of the House: Mo des of the Gothic in Victorian Fiction. London: Macmillan.
7. Dickens, C. (2009). Little Dorrit. New York: Cosimo Classics.
8. Darwin, B. (n.d). The Speeches of Charles Dickens, London: Michael Joseph Ltd.
9. Slater, M. (1983). Dickens and Women. Stanford, CA: Stanford UP.
10. Xiang, X. (2008). Natural Mode of Passion for Hardy's Female Figures, US-China Foreign Language, Vol. 6, No. 9, 5-10.
11. Alexander, M. (2000). A History of English Literature. India: Replika Press Pvt. Ltd.
12. Bashi, J.(n.d). Charles Dickens' Image of Women as Related to the Female Characters in Great Expectations. Retrieved from: http://www.umd.umich.edu/casl/hum/eng/classes/434/geweb/WOMENING.htm.
13. Lee, Elizabeth. (1997). Women in Literature — A Literary Overview, Brown University. Retrieved from: http://www.victorianweb.org/gender/ womlitov.html.
14. Henry, N. (2007). Ladies do it ?: Victorian Woman Investors in Fact and Fiction in Victorian Literature and Finance by Francis O'Gorman, Oxford University Press. New York.
15. Kames, Henry Home (2007).Principles of Equity, 4th ed. Edinburgh, 1800, Vol. 4, The Making of Modern Law, Gale, Thomson Gale. Baylor U. http://galenet.galegroup.com.ezproxy.baylor.edu.
16. Thane, Pat (1978). "Women and the Poor Law in Victorian and Edwardian England, History Workshop Journal, Oxford University Press, Vol. 6, No. 1, 29-51.
17. Gallagher, Catherine. The Industrial Reformation of English Fiction 1832- 1867. Chicago: UP of Chicago, 1985. Print.
18. GILBERT, Sandra; GUBAR, Susan. The Norton anthology of literature by women: the traditions in English. 2nd. ed. New York: W. W. Norton & Company, 1996.
19. Showalter, E. (1988). The Unmanning of the Mayor of Casterbridge. Thomas Hardy's "The Mayor of Casterbridge, ed. Harold Bloom, New York: Chelsea House, 53-68.
20. OUSBY, Ian (Ed.). The Wordsworth companion to literature in English. Cambridge: CUP, 1998.
21. ALLEN, Walter. The English novel: from The Pilgrim's Progress to Sons and Lovers. New York: Penguin, 1991.

The Impact of Covid-19 on E-Commerce in India and Consumer Protection Act 2019

Dr. Krishna Bajpai
Associate Professor, Dept. of Economics
Sri Tika Ram Kanya Mahavidyalaya, Aligarh.
EMail-krishnabajpai94@gmail.com

Abstract

Electronic Commerce is the buying and selling of goods or services on the Internet. It encompasses a wide variety of data, systems and tools for online buyers and sellers, including mobile shopping and online payment encryption. Most businesses with an online presence use an online store and/or platform to conduct e-commerce marketing and sales activities and to oversee logistics and fulfilment. The COVID-19 pandemic has had a profound impact on e-commerce globally, accelerating its growth and changing consumer behaviours significantly. The pandemic influenced e-commerce significantly. Consumer Protection Act, 2019 is a law to protect the interests of the consumers. This Act provides safety to consumers regarding defective products, dissatisfactory services, and unfair trade practices. The basic aim of the Consumer Protection Act, 2019 is to save the rights of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes. This paper helps the reader to understand the expansion of e commerce platforms and how consumer protection act 2019 safeguards the consumer rights.

Keywords: E-Commerce, Consumer Protection Act 2019, Covid19, Consumer.

Objectives of the Study

1. To study and understand the e-commerce and consumer protection act 2019.
2. To study how consumer protection act 2019 safeguards the rights provided to the consumers.
3. To study the impact of covid19 on the e-commerce sector in india.

Introduction

The internet has changed how we shop and do business, leading to the rise of ecommerce, which is buying and selling online. This includes things like shopping on websites, digital advertising, and online payments. The COVID-19 pandemic made ecommerce grow even faster because people needed to shop from home. This showed the importance of strong laws to protect consumers online. In India, the Consumer Protection Act, 2019, was created to protect consumers from bad products, poor services, and unfair practices. It helps resolve consumer complaints and ensures people know their rights.

Meaning of Consumer

The term "consumer" refers to an individual or group that purchases goods or services for personal use, rather than for manufacturing or resale. Consumers play a critical role in the economic system, as their demand drives production and influences market trends. Here are a few key points about consumers:

- Purchasers of Goods and Services: Consumers buy products like food, clothing, electronics, and services like healthcare, education, and entertainment.
- End Users: Consumers are typically the final users of a product, as opposed to businesses that might purchase goods to produce other items or services.
- Market Influence: Consumer preferences and spending habits significantly impact businesses and the economy. Companies often conduct market research to understand consumer behavior and tailor their offerings accordingly.
- Legal Protections: Many countries have consumer protection laws to safeguard consumers from fraud, unsafe products, and unfair business practices. These laws ensure that consumers have rights and remedies when things go wrong.
- Economic Agents: In economic terms, consumers are considered one side of the market equation, with producers on the other. Their choices help determine what is produced and at what prices.

Need for Consumer Protection

Consumer protection refers to the laws and regulations that are designed to ensure the rights of consumers as well as fair trade, competition, and accurate information in the marketplace. These measures are aimed at preventing businesses from engaging in fraud or

unfair practices and ensuring that consumers have access to safe products and services. Here are some key aspects of consumer protection:

1. **Fraud Prevention:** Laws and regulations help protect consumers from deceptive practices, such as false advertising, bait-and-switch tactics, and other forms of fraud.
2. **Product Safety:** Consumer protection agencies enforce standards for product safety to prevent harm from defective or dangerous products. This includes regulations on food safety, pharmaceuticals, electronics, and more.
3. **Fair Trade Practices:** These regulations ensure that businesses engage in fair competition and do not resort to anti-competitive practices, such as price-fixing, monopolies, or other unfair trade practices.
4. **Consumer Rights:** Consumers are entitled to certain rights, such as the right to information, the right to choose, the right to safety, and the right to be heard. These rights ensure that consumers can make informed decisions and have recourse if they are treated unfairly.
5. **Redress and Remedies:** Consumer protection laws provide mechanisms for consumers to seek redress if they have been wronged. This can include refunds, replacements, repairs, and compensation for damages.
6. **Education and Awareness:** Consumer protection agencies often engage in public education campaigns to inform consumers about their rights and how to protect themselves against fraud and unsafe products.
7. **Regulatory Agencies:** Various government agencies are responsible for enforcing consumer protection laws. Examples include the Federal Trade Commission (FTC) in the United States, the European Consumer Protection Cooperation Network in the EU, and similar bodies in other countries.

Legislative measures for consumer protection

The Consumer Protection Act, 1986 is a significant legislation in India aimed at protecting the interests of consumers in various aspects of goods and services. The primary objective of the Consumer Protection Act (CPA) is to provide consumers with effective safeguards against various types of exploitation and unfair trade practices.

The Consumer Protection Act (CPA) 2019, enacted in India, is designed to provide robust protection for consumers against unfair trade practices and ensure the rights of consumers are upheld. Here's a structured overview of the key elements and structure of the Consumer Protection Act 2019:

Consumer rights under consumer protection act 2019

The Consumer Protection Act, 2019 (CPA 2019) in India is a comprehensive legislation designed to protect the interests of consumers. It replaces the Consumer Protection Act of 1986 and includes various updated provisions to address the modern marketplace, including e-commerce. Here are the key consumer rights under the CPA 2019:

Key Consumer Rights

1. **Right to Safety:** Consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services that are hazardous to life and property. The act mandates that manufacturers and service providers ensure the safety of their products and services.
2. **Right to be informed:** Consumers have the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods or services. This right ensures that consumers can make informed decisions and are protected against unfair trade practices.
3. **Right to Choose:** Consumers have the right to access a variety of goods and services at competitive prices. The act promotes fair competition and prevents monopolies, ensuring consumers can choose from a range of options.
4. **Right to be Heard:** Consumers have the right to be heard and to be assured that their interests will receive due consideration. This right includes the ability to file complaints and have them addressed by appropriate consumer forums and authorities.
5. **Right to Seek Redressal:** Consumers have the right to seek redressal against unfair or restrictive trade practices, defective goods, deficient services, and overcharging. The act provides for the establishment of Consumer Dispute Redressal Commissions at the district, state, and national levels to handle consumer complaints.
6. **Right to Consumer Education:** Consumers have the right to acquire knowledge and skills needed to make informed and confident choices about goods and services. The act encourages consumer education to raise awareness about consumer rights and responsibilities.

Additional Provisions under CPA 2019

1. **E-Commerce Regulations:** The act includes specific provisions for e-commerce, mandating transparency, and disclosure of information by online platforms. E-commerce entities are required to provide clear information about returns, refunds, exchange, warranty, delivery, and modes of payment.

2. **Product Liability:** The act introduces the concept of product liability, holding manufacturers, service providers, and sellers accountable for any harm caused by defective products or deficient services. Consumers can seek compensation for injury or damage caused by defective products or deficient services.

3. **Unfair Trade Practices:** The act defines and prohibits unfair trade practices, including false advertising, misleading representations, and unfair contracts. It also addresses issues like bait and switch advertising and misleading pricing.

4. **Central Consumer Protection Authority (CCPA):** The act establishes the Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect, and enforce the rights of consumers. The CCPA has the power to investigate, recall unsafe goods and services, order discontinuation of unfair trade practices, and impose penalties.

5. **Alternative Dispute Resolution:** The act encourages mediation as an alternative dispute resolution mechanism to resolve consumer disputes amicably. Consumer Dispute Redressal Commissions are required to establish mediation cells.

6. **Penalties for Misleading Advertisements:** The act imposes penalties for misleading advertisements, holding manufacturers, service providers, and endorsers accountable. Endorsers can be fined and banned from endorsing products for a certain period if found guilty of endorsing false or misleading advertisements.

The Consumer Protection Act, 2019, aims to strengthen consumer rights, provide a robust framework for addressing consumer grievances, and ensure that businesses adhere to fair trade practices.

The Consumer Protection Act, 2019, includes specific provisions that address the growing significance of e-commerce and aim to protect consumers engaging in online transactions. These provisions ensure transparency, accountability, and fair practices in the e-commerce sector. Here are the key aspects of how the CPA 2019 addresses e-commerce:

Key Provisions for E-Commerce under CPA 2019

1. **Definition of E-Commerce:** The act defines e-commerce as buying or selling goods or services, including digital products, over digital or electronic networks.

2. **Liability of E-Commerce Entities:** E-commerce platforms are held accountable for the quality and authenticity of the products sold on their platforms. They are required to provide clear information about sellers, products, and services to consumers.

3. **Transparency and Disclosure:** E-commerce entities must disclose all necessary information

regarding products and services, including the country of origin, to help consumers make informed decisions. They must provide detailed information about the return, refund, exchange, warranty, and delivery policies.

4. **Consumer Grievance Redressal:** E-commerce platforms must establish an efficient consumer grievance redressal mechanism. They are required to appoint a grievance officer to address consumer complaints, and the officer's contact details must be clearly displayed on the website.

5. **Prohibition of Unfair Trade Practices:** The act prohibits unfair trade practices in ecommerce, such as false or misleading advertisements, and fraudulent claims. E-commerce entities are not allowed to manipulate prices of goods or services to gain unfair advantage over consumers.

6. **Protection Against Unfair Contracts:** The act protects consumers against unfair terms in contracts, ensuring that e-commerce platforms do not impose arbitrary terms that could be detrimental to consumers' interests.

7. **Refund and Return Policies:** E-commerce entities must clearly communicate their refund and return policies to consumers. They are required to process refunds promptly and ensure that return processes are consumer-friendly.

8. **Product Liability:** The act includes provisions for product liability, making manufacturers, sellers, and service providers accountable for any harm caused by defective products or deficient services sold online. Consumers can seek compensation for any injury or damage caused by such products or services.

9. **Consumer Awareness and Education:** The act emphasizes the importance of consumer education, especially regarding online transactions, to ensure that consumers are aware of their rights and how to exercise them in the digital marketplace.

Central Consumer Protection Authority (CCPA):

The establishment of the Central Consumer Protection Authority (CCPA) is a significant aspect of the CPA 2019. The CCPA has the power to:

- Regulate matters relating to violation of consumer rights.
- Conduct investigations into violations.
- Order recall of unsafe goods and services.
- Order discontinuation of unfair trade practices and misleading advertisements.
- Impose penalties on e-commerce entities for non-compliance with the act.

E-Commerce Rules 2020

In addition to the CPA 2019, the Indian government introduced the Consumer Protection (ECommerce) Rules, 2020, to further detail the responsibilities of e-commerce entities. These rules cover aspects such as:

- Ensuring transparency and disclosure norms are met.
- Obligations of marketplace and inventory e-commerce entities.
- Protection of consumer data privacy.
- Measures to prevent counterfeit products on e-commerce platforms.

The Consumer Protection Act, 2019, along with the E-Commerce Rules, 2020, provides a robust framework for protecting consumers in the digital marketplace. These regulations ensure that ecommerce platforms operate fairly, transparently, and responsibly, thereby enhancing consumer confidence and trust in online transactions.

Impact of covid19 on e-commerce

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on e-commerce globally, accelerating its growth and changing consumer behaviors significantly. Here are the key ways the pandemic influenced e-commerce:

1. Accelerated Growth

- **Increased Online Shopping:** With lockdowns and social distancing measures in place, consumers turned to online shopping for essentials and non-essentials alike. This led to a substantial increase in e-commerce sales.
- **New Customer Base:** Many consumers who previously preferred in-store shopping began using online platforms, expanding the e-commerce customer base.

2. Shift in Consumer Behavior

- **Preference for Contactless Transactions:** The need for contactless delivery and payment options became a priority, prompting e-commerce platforms to enhance these services.
- **Change in Product Demand:** There was a surge in demand for certain products such as groceries,

health and hygiene products, home office equipment, and entertainment products. Conversely, categories like travel and luxury goods saw a decline.

- **Increased Frequency of Purchases:** Consumers began shopping online more frequently, not just for one-time purchases but for routine needs.

3. Adaptation by Businesses

- **Digital Transformation:** Businesses accelerated their digital transformation efforts to accommodate the surge in online shopping. Many brick-and-mortar stores established or expanded their online presence.
- **Supply Chain Adjustments:** E-commerce platforms and businesses had to quickly adapt their supply chains to meet increased demand and overcome disruptions caused by the pandemic.
- **Enhanced Logistics:** Companies invested in logistics and last-mile delivery solutions to ensure timely deliveries amidst increased order volumes.

4. Technological Advancements

- **Adoption of AI and Automation:** E-commerce companies increasingly used artificial intelligence and automation to manage inventory, predict demand, and personalize customer experiences.
- **Improved User Experience:** There was a significant focus on enhancing user interfaces and mobile shopping experiences to cater to the growing number of online shoppers.

5. Economic and Market Implications

- **Market Growth:** The e-commerce sector saw significant growth, with many companies reporting record sales. This trend is expected to continue as consumer habits shift towards online shopping.
- **SMEs and Local Businesses:** Small and medium-sized enterprises (SMEs) and local businesses leveraged e-commerce platforms to reach customers, helping them stay afloat during the pandemic.
- **Increased Competition:** The surge in e-commerce led to increased competition among online retailers, pushing them to innovate and improve their services.

6. Regulatory and Policy Changes

- **Supportive Policies:** Governments and regulatory bodies introduced policies to support

ecommerce growth, such as relaxing restrictions on online sales of essential goods.

- **Consumer Protection:** With the increase in online transactions, there was a greater emphasis on consumer protection and cybersecurity measures to prevent fraud and data breaches.

7. Globalisation and Cross-Border Trade

- **Expanded Market Reach:** E-commerce enabled businesses to reach global markets, helping them overcome geographical limitations imposed by the pandemic.
- **Challenges in Cross-Border Logistics:** Despite the opportunities, cross-border e-commerce faced challenges such as shipping delays and customs issues, prompting businesses to seek more resilient logistics solutions.

Consumer Protection Act, 2019 and E-commerce

The Consumer Protection Act, 2019, includes specific provisions that address the growing significance of e-commerce and aim to protect consumers engaging in online transactions. These provisions ensure transparency, accountability, and fair practices in the e-commerce sector. Here are the key aspects of how the CPA 2019 addresses e-commerce:

Key Provisions for E-Commerce under CPA 2019

1. **Definition of E-Commerce:** The act defines e-commerce as buying or selling goods or services, including digital products, over digital or electronic networks.
2. **Liability of E-Commerce Entities:** E-commerce platforms are held accountable for the quality and authenticity of the products sold on their platforms. They are required to provide clear information about sellers, products, and services to consumers.
3. **Transparency and Disclosure:** E-commerce entities must disclose all necessary information regarding products and services, including the country of origin, to help consumers make informed decisions. They must provide detailed information about the return, refund, exchange, warranty, and delivery policies.
4. **Consumer Grievance Redressal:** E-commerce platforms must establish an efficient consumer grievance redressal mechanism. They are required to appoint a grievance officer to address consumer complaints, and the officer's contact details must be clearly displayed on the website.
5. **Prohibition of Unfair Trade Practices:** The act prohibits unfair trade practices in ecommerce,

such as false or misleading advertisements, and fraudulent claims. E-commerce entities are not allowed to manipulate prices of goods or services to gain unfair advantage over consumers.

6. **Protection Against Unfair Contracts:** The act protects consumers against unfair terms in contracts, ensuring that e-commerce platforms do not impose arbitrary terms that could be detrimental to consumers' interests.

7. **Refund and Return Policies:** E-commerce entities must clearly communicate their refund and return policies to consumers. They are required to process refunds promptly and ensure that return processes are consumer-friendly.

8. **Product Liability:** The act includes provisions for product liability, making manufacturers, sellers, and service providers accountable for any harm caused by defective products or deficient services sold online. Consumers can seek compensation for any injury or damage caused by such products or services.

9. **Consumer Awareness and Education:** The act emphasizes the importance of consumer education, especially regarding online transactions, to ensure that consumers are aware of their rights and how to exercise them in the digital marketplace.

Central Consumer Protection Authority (CCPA)

The establishment of the Central Consumer Protection Authority (CCPA) is a significant aspect of the CPA 2019. The CCPA has the power to:

- Regulate matters relating to violation of consumer rights.
- Conduct investigations into violations.
- Order recall of unsafe goods and services.
- Order discontinuation of unfair trade practices and misleading advertisements.
- Impose penalties on e-commerce entities for non-compliance with the act.

E-Commerce Rules, 2020

In addition to the CPA 2019, the Indian government introduced the Consumer Protection (ECommerce) Rules, 2020, to further detail the responsibilities of e-commerce entities. These rules cover aspects such as:

- Ensuring transparency and disclosure norms are met.

- Obligations of marketplace and inventory e-commerce entities.
- Protection of consumer data privacy.
- Measures to prevent counterfeit products on e-commerce platforms.

Conclusion

The COVID-19 pandemic has fundamentally reshaped the e-commerce landscape, driving rapid growth and innovation. As consumer preferences continue to evolve, businesses are likely to maintain their focus on enhancing online shopping experiences, improving logistics, and leveraging technology to meet the growing demand. The changes brought about by the pandemic have set a new baseline for e-commerce, which is expected to continue its upward trajectory in the coming years. The Consumer Protection Act, 2019, along with the E-Commerce Rules, 2020, provides a robust framework for protecting consumers in the digital marketplace. These regulations ensure that e-commerce platforms operate fairly, transparently, and responsibly, thereby enhancing consumer confidence and trust in online transactions.

References

- Ayilyath, Manoranjan, Consumer Protection in E-Commerce Transactions in India–Need for Reforms, Available at SSRN, 3571069, (2020).
- Garg, Ajay Kumar, and Ajay Kumar, Study of Government Efforts for Protection of Consumers in India,16(1), Journal of Commerce and Trade,54-60,(2021).
- LexForti Legal News Network, https://lexforti.com/legal-news/evolution-anddevelopment-of-the-consumer-protection-act/, last visited 27.10.2022.
- Saraf, Dwarika Nath, Law of consumer protection in India, Journal 7, National Law School, no.1,17, (1995).
- Saha, Ankur, and Sri Ram Khanna, Evolution of consumer courts in India: The Consumers Protection Act 2019 and emerging themes of consumer jurisprudence, 9, IJCLP, 1, 115, (2021).

The Study of English Literature

Garima
MA in English
NET & JRF

Abstract

Learning English language and English literature seems to bring aboutconsiderable questions of the benefits and the importance of so doing. Why should students wholearn Englishlanguage require learning English literature at the same time? The ultimate matter remains the same—what is the very core of learning the subject? What are their relationships embrace? What, why, and how are we supposed to know that?

Keywords: English language, English literature.

Introduction

As is known, English Studies may comprise of English Linguistics, English Teaching and English Literature. These threestudies are thelogical nextstep of efforts to acquireskills in understanding and using English, particularly for those who aspire to broaden and deepen their knowledge and mastery of English. Therefore, an acceptable degree of English mastery is required to study English literature, for example. The higher one's mastery of English the stronger is one's English sense and hence more sensitive is one's knowledge and critical awareness about English literature. More than that, this paper argues that English language and English literature are in fact inseparable with one needing the other.

However, the study of English literature is more than just English. It is about nearly all facets of society lives from which the English literary works spring up. That is, English- speaking people of certain country, academic, working, religious, and cultural backgrounds and political leanings and of certain times express various aspects of their lives in written English.The main objectives of studyingtheir literaryworks aretoenrich our knowledgeand understanding of the high values of morality and wisdom they contain. However, to know what an English literary work is all about and the messages it wants to convey requires "know-how"that include English skill and strategies. Therefore, this paper argues that the studyof English literature can only

occur with the presence of the why-what-how balance. The sections to follow explain those arguments.

Language and Literature: Unseparated Mates

There are many definitions of language comprehensive, deep, or simple ones. According to Chomsky, language is "a set (finite or infinite) of sentences, each finite inlength and constructed out of a finite set of elements" (1957, p. 13). In Merriam Webster dictionary, language is defined as system of conventional spoken or written symbols used by people in a shared culture to communicate with each other. A language both reflects and affects a culture's way of thinking.... In comparison, Oxford dictionary defines language as "the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way." From that of Chomsky to the more recent definition of language, the essence remains the same. Language contains rules and elements, takes both spoken or written form, reflects the speakers' cultureand wayof thinking, and itis significantly used to communicate ideas.

Literature, in fact, does not have less meaning than language. According to Widdowson, literature has various meanings depending on the context that the speakers refer to. It may mean literary writings such as fictions or literature in term of major of study. Literature referring to literary writing could be defined as "the achievement of aesthetic and moral merit" such as those of canon or the great tradition. Or else, it is understood as the "creative and imaginative" writing (1999, p. 4-5). Merriam Webster illustrates literature as "writings having excellence of form or expression and expressing ideas of permanent or universal interest" and Oxford terms literature as "written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit." Literature has the so called a range of characteristics such as excellent, aesthetic, creative, imaginative, expressive, valuable, and universal.

Therefore, in delivering its characteristics and entity, a tool—language—is unavoidably necessary. It becomes the only choice and its ultimate means.

Now that definitions of both language and literature have been set, their relations are consequently visible. In the digital world glossary, it can be termed that literature is the message,languageis themobilephone.Those two relationships are closely boundandwould not be separated in whatsoever ways. The proximity makes them mates and this ideaunderlies the symbiosis of both of them, regardless the facts that there are debates as to how far a learner needs to study both of them.

In kindergarten, primary and secondary schools, the study of literature is not the major study. It is the minor subject that helps the students get exposure to aesthetic, creative, and imaginative writing. Although not a major study, literary writing such as stories, poetry, and drama are well told, memorized, and played. In our childhood days, bedtime stories are our lullabies to have beautiful dreams and dramas are our proud proof of existence on the elementary and secondary stages. One or two of the children stories told by our grandmothers, grandfathers, fathers, or mothers are clearly or unclearly remembered.

In higher schools, literature, from the simplest form to the hardest, can be a learning material for students. Wide ranges of literary work from the canon to the contemporary form of literature are available for learning. Plays, that commonly use more simple language, can be one of discussion topics in a language classroom. It can be aimed to expose students to colloquial language in which students can adapt and adopt the expressions and later on usethe expressions in particular contexts. Novels, which are of more complicated language style, contents, and topics, can be used in advanced language classroom in order to give more complex language exposure to students. This, therefore, is expected to enhance students' language experience which in turn affects their language competence.All the above practices are indeed an early yet subtle introduction to literature. This simply shows that literature has filled our lives since we are at the early stage of life and it must have been carried on and has either huge or little impact on the present life.

Language and literature are two closely related subjects that need each other. To learn English literature, for example, needs mastering English and to master English needsstudying English literature. This is because English language serves as a tool in studying English literature, without which the study is impossible. There is no way to understand an English literary work when little is known about, for instance, how a sentence is constructed and how a sentence can have lexical and connotation meanings. Therefore, a good command of English is a prerequisite for studying English literature. Only with a certain level of English skill is it possible for someone to endeavor the English literature study.

Similarly, the mastery of English can be enhanced and perfected by studying English literature. Although the main objectives of reading English literary works are to enrich one's knowledge and understanding and to empower oneself, no doubt it also improves one's skill in using English. A frequent reading of English novels and short stories, for example, likely develops and strengthens one's language sense as to how the dialogues between characters, the setting description and the psychological mood of the characters are written. Likewise, a constant reading of English history works familiarizes one with how chronologies are composed in English. Another important boost of English skill resulting from intense readings of English

literary works is undoubtedly the awareness of close relationship between text and context. Thatis, certain English texts areused to depictcertain contexts. Conversely, certain contexts are described with certain texts not others. Therefore, if one wants to be able to write a good journalistic report, for example, one must frequently read journalistic works.

Know"Why-What-How"In the study of English Literature

The study of English literature can only occur with the presence of thewhy-what-how balance. Why do people need to learn English Literature? People will not study English literature unless it entails benefits. What benefits does English literature give to the reader? Many literary works have high values of morality and wisdom lessons in many different places at different times. Any writings or texts that function to enrich our knowledge and our understanding and empower our selves are essential. Thereis always abelief thatany literary works will certainly give certain meanings to a certain people. People learn particular things from particular sources and thus they have the capacity to give values to any works that are considered precious. Further, the value embedded in a literary work is given by anyone who reads and responds to it based on their own experiences, purposes, and interpretation.

In addition, as far as English literature is concerned, there is language and powerissue. Who rules the world seems to be the one with English as their first language. Although nowadays the distinction between English as the first, second or third is hard to tell, the central power still looks the same. This means that English language mastery that may result from studying English literature is a precondition to gain power.

However, we cannot learn the lessons and capture the massages from an English literary works unless we know what it is all about. It is about nearly all facets of society lives from which the English literary works spring up. That is, English-speaking people of certain country, academic, working, religious, and cultural backgrounds and political leanings and of certain times express various aspects of their lives in written English. Brumfit (2001) argues "a successful reading of a work of literature is an act of interpretation, in a context where taste and style is often highly valued and where inexperienced learners face an enormous temptation to rely on secondary understanding..." (p. 94). Literature needs to be analyzed through the interrelationship between text and context in order to establish and synthesize meanings and appreciation to the work. The inherent relationships between the text and context, consequently, provide more values to the work. Furthermore, extensive ways to interpret a literary work have resulted in a rich critical analysis combining interdisciplinary knowledge such as sociology, psychology and history. Indeed, it is enrichment beyond literature as a text.

Further, the study of English Literature takes literature as its object of study. Brumfit (2001) affirms that literature itself contains many aspects that are supposed to be learnt, such as knowledge, attitudes, skills and responses. The knowledge of English Literature may include the English literary tradition, genre, western culture, local context, and analysis of literary texts in detail. Additionally, the attitudes towards English literature should cover the tolerance, respect and understanding on cultural, imaginative and intellectual differences. In addition, literary criticism, as the result of critical thinking and creative interpretation, is among the skills needed in learning English Literature. On the one hand, literary criticism seems to be a 'correction' or 'positive-negative appreciation'. On the other hand, literary criticism is, in fact, a contribution and an enhancement to the world of literature. It showshow a literary work is gaining much deeper and extended meaning in and through other people's viewpoint and reaction and thus leads us to find wisdom in our lives.

To understand all these requires "know-how" or methods. According to Richards and Rogers (2001) methods include approach, design and procedure. Although Richards and Rogers' theory concerns with language teaching, it also seems to apply in learning English Literature. In approach, for example, a theory of the nature of literature and the nature of literature learning, without which it may be impossible to get the ideas of literature learning, should be well discerned. The nature of literature, particularly, lays in the literary work's embedded values (Brumfit, 2001). Whether or not a literary can be used in a wider perspective and thus it is worthy, determines its category.

Methods, strategies and techniques used in the study of English literature need to adjust to individual purposes of studies. A close reading of a literary work through language analysis might be a good start. Yet, in order to know how to relate and investigate a literary work,learners needtounderstandthe backgroundof thewriter, thesocietyinwhichthework is made, and the author's personal experience with the work. They also need what kinds of approaches that need to be applied to analyze a literary work.

In addition, the procedure of learning English literature includes time allocation and equipment availability such as media or multi-media laboratory. It will be much more interesting to learn poems through poems reading and learn a film in a laboratory. The next step to analyze a poem is knowing how to understand each word both lexically and connotatively. Diction, word arrangement, rhymes, grammatical and syntactical analyses are of necessary information to be discussed. Indeed, language becomes the only means to examine poems.

Now that we are living in the Post Modern era, methods, strategies and techniques used in learning English Literature are also influenced by it. The awakening of Post Modernism,

Feminism and Post Colonialism have given rise to the more universal and flexible approaches to studying English Literature. The "grand narratives" is no longer considered as possessing the highest truth or the absolute truth. The Post Modern Era gives more freedom and self-values of literary works (Widdowson, 1999, p. 87). In short, approaches to understand literature has given great chance to reveal various values and truth embedded in literary works.

In a learning process as well as teaching process, skills, methods and strategies are used as ways to acquire knowledge. Without them, the learning-teaching process will be unorganized and incoherent. In English Literature, for example, the knowledge of genre appearstobesignificantstartingpointsbeforeanalyzingpoetry,proseorplays. Before reading Nathaniel Hawthorne's Scarlet Letter, for instance, the knowledge of genre will significantlyhelp the reader in understanding the novel. The reader will be given clues on the expected conflicts that might happen in the story, the complexity of plots andcharacterization.

Jumping ahead to more recent use and advancement of technology in classrooms across the globe, teachers and lecturers are deemed responsible for adjustment and empowerment. Bringing have-just-read old yellow classical novels into classrooms and conducting a comparison study of the movie version of the same title would be challenging and probably astonishing. Drawing red lines between the canon and the technologically adapted stories would be another great experience. LoMonico proposes an idea of "singing out Whitman's "Song of Myself" and then write and recite our own version." Rather than reading Shakespeare's plays, acting like Shakespeare himself, making a newspaper board of the news collection during the Elizabethan period from the internet, and replicating or redesigning clothes that they wore would be of exciting projects to have (n.d). Shifting methods and strategies would not undermine the literary works only when it is well-planned and designed. Variation would enhance the study of literature and cherish the learning environment.

The new shift in the language study, from single to multiple viewpoints, has been regarded as the most effective and appropriate method to be implemented. Likewise, thestudy of literature also offers more freedom of interpretation and appreciation. Learners are not the passive agents anymore; rather they are encouraged to initiate research on literature based on their own interest. Therefore, they are expected to empower themselves with the values they get from literature which are relevant with their lives.

Conclusion

In fact, the presence of the why-what-how balance is required in learning any subject. While the "know-why" aspect gives the ideas of the importance of and background of such a learning, the "know-what" aspect limits the scope of the object of learning. Further, the "know-how" aspect explains the way in which a learning process could be conducted.

There could be at least three reasons that there should be balance between the 'know- why', 'know-what' and 'know how'. Firstly, Learning English Literature is a construct in the whole body of learning. Since it is a construct, it should have a system. The system, in this case, serves as the correlation and interrelationship between each part. Thus, the "know why- what-how" are elaborated in order to build a scientific reasoning through observation, discussion and practices. Learners are best given more chances to explore and express their understanding of a literary work through short papers or essays.

Secondly, since the study of English Literature is also meant to develop positive values embedded in a literary work in order to acquire critical thinking, the syllabus shouldbe designed to support learners to discover knowledge. The materials that are going to be discussed should be arranged to suit the goal of study.

Thirdly, methods, strategies and techniques are formulated to suit the content, and material to assist learners in the learning process in order to achieve the goal of studies.

References

Brumfit, C. (2001), *Individual Freedom in Language Teaching: Helping Learners to Develop a Dialect of Their Own,* New York: Oxford University Press.

Carter, A. (1986) "Linguistic Models, Language and Literariness." In R.Carter & G. J. Brumfit (ed) Literature and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. pp.110-132. In Radhika O'Sullivan. (1991). Literature in the Language Classroom. *The English Teacher*. Vol. XX

Chomsky, N.(1957). *Syntactic Structures,* London: Mouton

Eagleton, T. (1983), *Literary Theory,* Oxford: Blackwell

Fowler, R. (1986), *Linguistic Criticism,* NewYork: Oxford University Press.

LoMonico, M. (n.d.). Why we teach literature (and How we could do it better). *Minnesota English Journal.* Retrieved on 11 February 2013. http://www.mcte.org/journal/mej06/8LoMonico.pdf

Marson, E.L(---), *Literature and its Study in a University Context,* University of New England.

Merriam Webster Dictionary. Retrieved on 11 February 2013. http://www.merriam- webster.com/dictionary/language

Richards, J.C. and Theodore S. Rodgers (2001). *Approaches and Methods in Language and Teaching,* 2 Edition, United Kingdom: Cambridge University Press.

O'Sullivan, R.(1991). Literature in the Language Classroom.*The English Teacher.* Vol.XX Oxford Dictionary. Retrieved on 11 February 2013.

http://oxforddictionaries.com/definition/english/language Widdowson, P. (1999), *Literature,* London: Rouledge.

Encouraging Consumer Rights in India: The Significance of Consumer Protection Act, 2019

Dr. Krishna Bajpai
Associate Professor, Department of Economics
Sri Tika Ram Kanya Mahavidyalaya, Aligarh

Abstract

The Digital Age has ushered in a new era of commerce and digital branding, as well as a new set of customer expectations. Digitisation has provided easy access, a large variety of choices, convenient payment mechanisms, improved services and shopping as per convenience. However, there are also associated challenges related to consumer protection. To help address the new set of challenges faced by consumers in the digital age, the Indian Parliament passed the landmark Consumer Protection Bill, 2019 which aims to provide timely and effective administration and settlement of consumer disputes. Consumer Protection Act, 2019 is a law to protect the interests of the consumers. This Act provides safety to consumers regarding defective products, dissatisfactory services, and unfair trade practices. The basic aim of the Consumer Protection Act, 2019 is to save the rights of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes.

Keywords: consumer protection act, digitalisation, consumer disputes.

Introduction

The Consumer Protection Act, 1986 is a significant legislation in India aimed at protecting the interests of consumers in various aspects of goods and services. The primary objective of the Consumer Protection Act (CPA) is to provide consumers with effective safeguards against various types of exploitation and unfair trade practices.

Definition of Consumer:

The Act defines a consumer as any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose.

Salient Features:

- The Act applies to all goods and services unless specifically exempted by the Central Government.
- It establishes consumer councils at the district, state, and national levels to promote and protect the rights of consumers.
- It provides for simple, speedy, and inexpensive redressal of consumer disputes through quasijudicial bodies known as Consumer Disputes Redressal Forums (CDRFs) or Consumer Courts.
- It recognizes six consumer rights: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education.

Consumer Disputes Redressal Forums (CDRFs):

- These forums are established at the district, state, and national levels to entertain consumer complaints.
- They have the authority to issue orders to remove defects in goods, replace defective goods, refund the price paid for the goods or services, and award compensation for any loss or injury suffered by the consumer.

Amendments

The Consumer Protection Act has been amended over the years to strengthen consumer rights and streamline the dispute resolution process. The latest amendment was in 2019, which introduced provisions like product liability action, mediation as an alternate dispute resolution mechanism, and enhanced penalties for misleading advertisements.

Importance:

The Act has played a crucial role in empowering consumers by providing them with rights and avenues for redressal against unfair trade practices and exploitation. It has also encouraged businesses to adhere to higher standards of quality and service.

Overall, the Consumer Protection Act, 1986, and its subsequent amendments have significantly contributed to protecting consumer interests and ensuring a fair marketplace in India.

Protecting the rights of the consumer is important because in the present times the demands and expectations of the consumer have changed due to globalization and growing awareness. However, the availability of large number of goods and services sometimes proves to be harmful for the consumer as not all sellers and service providers are genuine. No economy can flourish without the rights of the consumer being protected. A consumer is an indispensable actor of any economy as he is the person who buys or hires goods or services from the seller and in turn boosts employment in the country.

It's a humble attempt has been made to discuss and evaluate certain changes which have been made under this Act in comparison to its old version.

Timeline of the Consumer Protection Act, 2019

The journey towards the new Consumer Protection Act, 2019 can be summarized in the Table.

Table A: Timeline of Consumer Protection Act, 2019	
2014	Drafting of new Consumer Protection Bill by a committee constituted by the Union Ministry of Consumer Affairs
10 August, 2015	The Consumer Protection Bill, 2015 is referred to Parliamentary Standing Committee by Lok Sabha
26 April, 2016	Report submitted by the standing committee giving certain recommendations
5 January, 2018	The Consumer Protection Bill, 2018 is re-introduced in Lok Sabha after incorporating the recommendations given by standing committee
20 December, 2018	Lok Sabha passes the bill but it lapses as the term of 16th Lok Sabha comes to an end
8 July, 2019	The Consumer Protection Bill is re-introduced in Lok Sabha
30 July, 2019	Lok Sabha passes the bill

6 August, 2019	Rajya Sabha passes the bill
9 August, 2019	President gives his assent and The Consumer Protection Act, 2019 is published in The Gazette of India
Come into force	July, 2020
Short Title:	The Consumer Protection Act, 2019
Long Title:	An Act to provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose, to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith or incidental thereto.
Ministry:	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department:	Department of Consumer Affairs

It must be noted that although the Act has been passed and published in the official Gazette of India and the new Consumer Protection Act was passed by Parliament in 2019. It came into force in July 2020 and replaced the Consumer Protection Act, 1986.

Structure of the Consumer Protection Act, 2019

The Consumer Protection Act, 2019 (CPA 2019) enacted in India, is designed to provide robust protection for consumers against unfair trade practices and ensure the rights of consumers are upheld. Here's a structured overview of the key elements and structure of the Consumer Protection Act, 2019:

1. Definitions and Interpretations:

- Defines key terms such as "consumer," "complaint," "unfair trade practices," etc.
- Provides clarity on the scope and applicability of the Act.

2. Consumer Rights:

- Enumerates the rights of consumers, including the right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property, the right to be informed, the right to choose, the right to seek redressal, etc.

3. Establishment of Consumer Protection Councils:

- Provides for the establishment of Central Consumer Protection Council and State Consumer Protection Councils to promote and protect the rights of consumers.

4. Consumer Disputes Redressal Agencies:

- Specifies the establishment of Consumer Disputes Redressal Commissions at the district, state, and national levels.
- Defines the jurisdiction, powers, and procedures for these commissions.

5. Consumer Complaints:

- Outlines the procedure for filing consumer complaints.
- Specifies the time frame and manner in which complaints are to be addressed.

6. Unfair Trade Practices and Misleading Advertisements:

- Prohibits unfair trade practices and misleading advertisements.
- Defines what constitutes misleading advertisements and provides penalties for violations.

7. Product Liability:

- Introduces provisions related to product liability.
- Specifies the responsibilities of manufacturers, sellers, and service providers in cases of defective products or deficient services.

8. Alternate Dispute Resolution Mechanisms:

- Encourages the use of mediation as a mechanism for resolving consumer disputes.

9. Penalties and Compensation:

- Provides for penalties for non-compliance with the provisions of the Act.

- Specifies the criteria and procedure for awarding compensation to consumers.

10. Miscellaneous Provisions:

- Includes provisions relating to the powers of the Central Government to make rules, the application of other laws in certain cases, etc.

11. Amendments and Repeals:

- Specifies any amendments made to existing consumer protection laws.
- Repeals the previous Consumer Protection Act, 1986.

Major changes under the CPA 2019

The Consumer Protection Act (CPA) 2019 introduced significant changes and updates compared to the Consumer Protection Act 1986. Here are some of the major changes and improvements:

1. Definition and Scope:

- CPA 1986: Defined consumers, unfair trade practices, and consumer disputes but lacked specific provisions for e-commerce and product liability.
- CPA 2019: Expanded definitions to include online transactions, e-commerce platforms, and product liability, reflecting modern consumer behaviors and challenges.

2. Centralized Authority:

- CPA 1986: Consumer Disputes Redressal Forums were primarily at the district, state, and national levels.
- CPA 2019: Introduced a centralized Consumer Protection Authority (CPA) to promote, protect, and enforce consumer rights, enhancing regulatory oversight and enforcement capabilities.

3. Enhanced Penalties:

- CPA 1986: Penalties for non-compliance were minimal.

- CPA 2019: Imposes stricter penalties and fines for misleading advertisements, unfair trade practices, and violations of consumer rights, aiming to deter malpractices effectively.

4. Product Liability:

- CPA 1986: Did not specifically address product liability.
- CPA 2019: Introduces provisions on product liability, making manufacturers, sellers, and service providers liable for defective products or deficient services, thereby enhancing consumer safety and rights.

5. Consumer Rights and Redressal:

- CPA 1986: Recognized basic consumer rights but lacked detailed provisions for quick resolution of disputes.
- CPA 2019: Strengthens consumer rights and introduces provisions for timely and efficient resolution of consumer complaints through mediation, stricter timelines for hearings, and penalties for delayed resolutions.

6. E-commerce and Digital Transactions:

- CPA 1986: Did not specifically address issues related to e-commerce and digital transactions.
- CPA 2019: Includes provisions to regulate e-commerce transactions, ensuring consumer protection in online purchases, defining liabilities of e-commerce platforms, and introducing mechanisms for dispute resolution.

7. Alternate Dispute Resolution (ADR):

- CPA 1986: Had limited provisions for ADR mechanisms.
- CPA 2019: Promotes ADR mechanisms such as mediation, making it a preferred mode for resolving consumer disputes, thereby reducing the burden on traditional legal processes.

8. Enforcement and Compliance:

- CPA 1986: Enforcement mechanisms were less stringent and decentralized.

- CPA 2019: Establishes robust enforcement mechanisms through the CPA and designated officers, ensuring proactive monitoring, compliance, and implementation of consumer protection laws.

Overall, the Consumer Protection Act 2019 represents a comprehensive overhaul of India's consumer protection framework, addressing contemporary challenges, enhancing consumer rights, and ensuring effective mechanisms for redressal and enforcement, thereby aiming to create a fair and transparent marketplace for consumers.

Comparison between CPA 1986 and CPA 2019

After going through the structure of the CPA 2019 and some important changes brought under this Act, we can carve out certain points of differences between the old and new Act in Table B.

Table B: Comparison Between Consumer Protection Act, 1986 and Consumer Protection Act, 2019

Points	CPA 1986	CPA 2019
Unfair trade practices	Narrower in scope. Only 6 types of practices were covered	Broader in scope. Adds three new practices
Product liability	There were no provisions for product liability	Contain provisions for Product liability
Unfair contracts	There were no provisions for unfair contracts	Contain provisions for Unfair Contracts
e-commerce and direct selling	There were no provisions for E-commerce	Contains specific provisions for E-commerce and direct selling
Mediation	There was no provision for alternative dispute redressal mechanism	Contain provisions for mediation cells attached to National Commission, State Commission and District Commissions
Pecuniary limits	Lower pecuniary limits of District forum - up to 20 lakhs; State commission - 20 lakhs to 1 crore; and National commission - above 1 crore	Higher pecuniary limits of District commission - up to 1 crore; State commission - 1 crore to 10 crores; and National commission - above 10 crores
Role of Central Protection Councils	Role of CPCs was to promote and protect the rights of consumers	Role of CPCs is to act as advisory bodies for the promotion and protection of consumer rights

Selection of members in consumer dispute redressal commissios	Different committees were prescribed for different commissions	There is no provision for selection committees. Central Government has the power to appoint the members
Regulator	No regulator was in existence	A regulator by the name of Central Consumer Protection Authority shall be established
Penalties	A person failing to comply with the orders of commission could face imprisonment between one month and three years or fine between Rs 2,000 to Rs 10,000, or both	A person failing to comply with the orders of commission can face imprisonment up to three years, or a fine not less than Rs 25,000 extendable to Rs one lakh, or both

Conclusion

The Consumer Protection Act 2019 holds significant importance in safeguarding the interests and rights of consumers in India. Here are several key reasons why the CPA 2019 is crucial:

1. **Enhanced Consumer Rights:** The CPA 2019 strengthens consumer rights by explicitly defining them and providing avenues for redressal. It empowers consumers with the right to seek compensation, information, and protection against unfair trade practices and misleading advertisements.

2. **Modernised Legal Framework:** The Act addresses contemporary issues such as e-commerce transactions, digital transactions, and product liability, which were not adequately covered under the earlier CPA 1986. This modernisation reflects the evolving consumer landscape and ensures that consumers are protected in new and emerging markets.

3. **Establishment of Central Authority:** The CPA 2019 introduces a centralised Consumer Protection Authority (CPA) to enforce consumer rights effectively. This authority monitors markets for unfair practices, conducts investigations, and takes corrective actions, thereby ensuring accountability and compliance among businesses.

4. **Stricter Penalties and Deterrents:** The Act imposes stringent penalties for misleading advertisements, unfair trade practices, and non-compliance with consumer rights. This acts as a deterrent against unethical business practices and enhances consumer confidence in the marketplace.

5. **Product Liability:** For the first time, the CPA 2019 introduces provisions on product liability, holding manufacturers, sellers, and service providers accountable for defective products or deficient services. This ensures consumer safety and promotes responsible business practices.

6. **Efficient Dispute Resolution:** The Act promotes efficient and timely resolution of consumer disputes through mechanisms such as mediation and strict timelines for hearings. This reduces the burden on traditional courts and provides quicker redressal for consumer grievances.

7. **Promotion of Fair Competition:** By prohibiting unfair trade practices and ensuring transparency in transactions, the CPA 2019 fosters a competitive and fair market environment. This benefits consumers by promoting choices and quality in goods and services.

8. **Empowerment of Consumers:** Ultimately, the CPA 2019 empowers consumers by educating them about their rights, providing accessible grievance redressal mechanisms, and ensuring that their concerns are heard and addressed promptly. This contributes to a more equitable relationship between consumers and businesses.

In conclusion, the Consumer Protection Act 2019 plays a pivotal role in protecting and promoting consumer interests in India. It not only enhances consumer rights and safety but also contributes to a fair and competitive marketplace, thereby fostering economic growth and trust between consumers and businesses.

References

- Ayilyath, Manoranjan, Consumer Protection in E-Commerce Transactions in India–Need for Reforms, Available at SSRN, 3571069, (2020).
- Garg, Ajay Kumar, and Ajay Kumar, Study of Government Efforts for Protection of Consumers in India,16(1), Journal of Commerce and Trade,54-60,(2021).
- GoI (2021). National Education Policy 2020 .Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- LexForti Legal News Network, https://lexforti.com/legal-news/evolution-anddevelopment- of-the-consumer-protection-act/, last visited 27.10.2022.
- Ministry of education (1966). Report of the Education Commission1964-66. NCERT. Ministry of Education, Vol. 1
- Ministry of Education (2021). Unified District Information System for Education Plus. Department of School Education and Literacy,Ministry of Education, Government of India
- Ranganathan, S. (2007). Educational Reform and Planning Challenge.Kanishka Publishers. New Delhi.

Study on process management and competitiveness of SMEs in Bihar

Satya Prakash Ranjan
(Research Scholar, Univ. Deptt. of Comm & Buss. Adm. T.M.B.U. Bhagalpur)

Abstract Small and medium-sized enterprises are recognized as the cornerstones of economic prosperity in any country. They support the creation of numerous jobs and act as providers of goods and services to large corporations. SMEs are defined by a variety of characteristics and standards, such as location, size, age, structure, organization, number of workers, and sales volume; also, ownership via technical innovation and asset value are considered (Rahman, 2001). The majority of SMEs have simple systems and procedures that enable flexibility, better decision understanding, rapid feedback cycles, and a quicker reaction to client demands than bigger firms. Notwithstanding these advantageous attributes, small and medium-sized enterprises encounter significant pressure to sustain their competitiveness in both local and global markets. Because of growing international rivalry, advances in technology, and other factors, competitiveness paradigms are always shifting.

Keyword: - Competitiveness, process management, SMEs.

Introduction

Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bihar are fundamental pillars of the local economy, despite grappling with a range of formidable challenges. These enterprises serve as vital contributors to employment and economic growth within the state. SMEs in Bihar face significant hurdles, starting with infrastructure deficiencies such as unreliable electricity, inadequate road networks, and limited access to essential services like water supply. These shortcomings hamper their operational efficiency and ability to scale. Financial constraints pose another major obstacle. SMEs often struggle to secure adequate funding due to limited access to formal credit sources and high interest rates from informal lenders. This restricts their capacity to invest in expansion, technology upgrades, and skilled manpower. Moreover, there is a noticeable scarcity of skilled labour in technical and managerial roles. Despite these challenges, SMEs in Bihar demonstrate resilience and potential. They contribute significantly to local economic

development, fostering entrepreneurship and diversifying the economic landscape. Addressing infrastructure deficiencies, enhancing access to finance, investing in skill development, and simplifying regulatory processes are critical steps towards empowering SMEs and unleashing their full economic contribution in Bihar. This skill gap not only affects productivity but also hampers innovation and competitiveness among SMEs in Bihar. Navigating through complex regulatory frameworks and bureaucratic processes further complicates the business environment for SMEs. Cumbersome procedures for obtaining licenses, permits, and approvals add to operational costs and time delays, impacting overall business efficiency.

Bihar's business environment is dynamic and ever-changing, with its own set of possibilities and difficulties. Bihar, a province in eastern India, is not only one of the oldest areas in the nation but also has a great deal of room to expand economically.

Bihar is home to businesses in a wide range of sectors, including manufacturing, agriculture, healthcare, education, and developing fields like renewable energy and information technology. The agricultural industry in the state, which is well-known for its rich soil and variety of crops, is the main driver of the economy and significantly raises GDP.

But for companies wishing to invest and grow in the area, Bihar's advantageous location, continuous infrastructural development efforts, and government programs to encourage industrialization and entrepreneurship provide encouraging prospects. A more favourable business climate is being created by state government initiatives to increase ease of doing business and draw investments. Bihar's business environment is essentially defined by its potential, durability, and development prospects across a multitude of industries. With focused efforts to overcome obstacles and capitalize on its advantages, Bihar has the potential to become a major centre for commercial initiatives and economic activity in India's changing market environment.

Business processes are the organized, methodical sequence of actions or procedures that companies follow in order to accomplish particular goals and provide value to their clients. These procedures are necessary for the effective administration and operation of companies in a variety of sectors. This is a research paper of the business processes idea. Business processes are all of the operations, workflows, and tasks that businesses carry out in order to produce goods or services, from the very beginning of planning to the very end of delivery and beyond. These processes are essential because they guarantee consistency, effectiveness, and quality in operations, which boosts output, customer satisfaction, and profitability.

Market condition for SMEs

Competitors' advances have resulted in shorter product life cycles, more sophisticated products, and more accessibility to new technological developments.

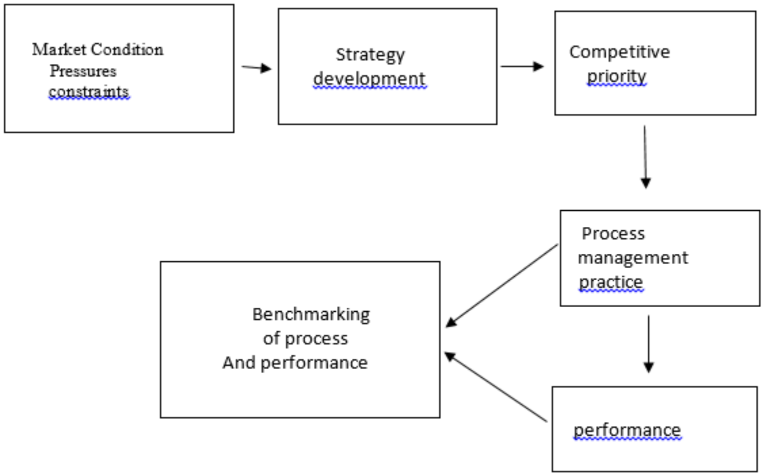

A complex term, competitiveness refers to a range of factors that affect a person's, an organization's, or a country's capacity to successfully compete in international marketplaces. It includes elements like innovation, quality, productivity, infrastructure, regulatory environment, and human capital in addition to just cost efficiency. This is a thorough examination of competitiveness. The meaning and scope of competitiveness: The capacity of a country to generate goods and services that satisfy worldwide standards in terms of quality, cost, and innovation is referred to as economic competitiveness. Business competitiveness refers to elements that help companies beat competitors in the market, such as branding, product differentiation, operational effectiveness, and market penetration tactics. Technological competitiveness is the ability of a country to innovate, embrace new technologies, and continue to be at the forefront of technology in important industries. Social Competitiveness.

Literature review

A literature review on process management and competitiveness in Small and Medium Enterprises (SMEs) Bihar state explores how effectively managing business processes can enhance SMEs' competitiveness in various industries. Here's an overview of key findings and insights from academic research and literature:

1. **Deros et al. (2006).** A benchmarking implementation methodology for automobile manufacturing SMEs was created by although it has only been verified with six pilot case studies and has not been experimentally tested. Key performance indicators have been separated into two groups: hard measurements and soft measures. Work-in-progress levels, lead and delivery times, percentages of rejection and rework, product quality and dependability, process cycle time, staff skill level, and so on are examples of hard or physical measurements. The existence and practice of teamwork, employee participation, management commitment to quality improvement, improvements in customer satisfaction for both internal and external customers, incentives and suggestion programs, etc. are examples of soft measures.

2. **Ribeiro and Cabral (2006).** A benchmarking technique has been created for the metalcasting industry by). They provide a performance evaluation approach that covers a wide range of production, customer focus, and business outcomes. An expert diagnosis method has been created by St-Pierre and Delisle (2006) for the performance benchmarking of SMEs. Benchmarking has been found to enhance the operational and financial performance of SMEs, based on data collected from 100 of these companies. In order to increase production performance, Denkena et al. (2006) provided knowledge-based benchmarking of production performance for SMEs utilizing the Benchmark Tool, an existing European database. It includes both quantitative and qualitative data on the business.

3. **Kanji and Sah (2014).** Competitiveness is a complicated phrase that describes a number of variables that might impact an individual's, an organization's, or a nation's ability to effectively compete in global markets. In addition to cost effectiveness, it also takes into account aspects like innovation, quality, productivity, infrastructure, regulatory environment, and human capital. This is a comprehensive analysis of rivalry. Definition and application of competitiveness: Economic competitiveness is the ability of a nation to produce goods and services that meet international standards for quality, affordability, and innovation. The term "business competitiveness" describes characteristics like branding, product differentiation, operational efficiency, and market penetration strategies that assist businesses in outperforming rivals in the marketplace. Technological competitiveness refers to a nation's capacity for innovation, adoption of new technologies, and ongoing

4. **S.N. and Gupta (2018).** This limits their ability to make investments in growth, technological advancements, and qualified labour. In addition, there is a clear shortage of qualified workers for management and technical positions. In spite of these obstacles, Bihar's SMEs show promise and resiliency. They create entrepreneurship and diversify the economy, which greatly contributes to local economic growth. Investing in skill development, streamlining regulatory procedures, improving access to financing, addressing infrastructural shortcomings, and empowering SMEs are essential measures towards realizing the full economic potential of SMEs in Bihar. In addition to impairing production, this talent gap also makes Bihar's SMEs less innovative and competitive. For SMEs, navigating intricate regulatory frameworks and bureaucratic procedures adds to the

complexity of the business environment. arduous processes for acquiring authorizations, licenses, and approvals raise operating expenses and efficiency.

Research methodology

There are different ways to carry over research and which method will be suitable should be judged with regards to the description of the research problem (Patel & Tebelius, 1987). Research Design: Proposed synopsis would be carried over by Exploratory and Empirical research design based on Secondary and Primary data. The general research approach of the first theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between empirical data and tentative theories, ending with the resulting implementation model. Sample size: 260 respondents Sampling Method: Primary data will be collected through stratified random sampling. Sources of Data Collection: The Secondary data and relevant literature will also be compiled from published and documented sources. Such sources are articles, case, Conference proceedings, Annual Reports etc. The general research approach of the third theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between literature studies and tentative theories, ending with the resulting models and conceptualisations. Design of Questionnaire: Different sets of questionnaires will be prepared. The questionnaire will be consisting of open & close ended questions and likert scale questionnaires as well. Reliability and Validity: The questionnaire will further Tested for reliability. The general research approach of the first theme as a continuous development of knowledge has been initiated by the research interest, iterating between empirical data and tentative theories, ending with the resulting implementation model.

Data analysis:-

Table No-01: Showing No. of MSMEs in India.

Activity category	Estimated No of Enterprises (in lakh)			Share(%)
	Rural	Urban	Total	
Manufacturing	115.21	81.42	196.24	31
Electricity	0.035	0.15	0.029	0

Source:- Annual report of SMEs

Table No-01: Show thatiIn addition to offering significant job opportunities at a

significantly lower capital cost than large industries, MSMEs are playing a critical role in India's industrialization of rural and underdeveloped areas. This process also reduces regional imbalances and ensures a more equitable distribution of the country's wealth and income. According to the National Sample Survey (NSS) 73rd round, which was carried out by the National Sample Survey Office, Ministry of Statistics & Programme Implementation between 2015 and 2016, there were 633.88 lakh unincorporated MSMEs in the nation that were not involved in agriculture and were engaged in a variety of economic activities. These included manufacturing (196.65 lakh), trade (230.35 lakh), and other services (206.85 lakh). However, this number did not include MSMEs that were registered under Sections 2m(i) and 2m(ii) of the Factories Act, 1948, the Companies Act, 1956, and (c)

Conclusion

The body of research concludes that improving SMEs' competitiveness requires efficient process management. SMEs may achieve operational excellence, save costs, improve the quality of their products and services, and ultimately fortify their market position in a competitive climate by methodically reviewing and optimizing their business processes. To fully profit from process management and maintain long-term competitiveness, SMEs must remove obstacles and take advantage of supporting legislation. Without a doubt, the MSME sector is essential to boosting the economy of Bihar by generating employment and revenue possibilities. For these small businesses to pay for working capital costs, equipment purchases, technological upgrades, or capacity building for entrepreneurs, a consistent source of cash is necessary. Giving the MSME sector a steady stream of capital finance is essential to their expansion since they play a significant role in GDP and exports, eliminating regional imbalances, and implementing cutting-edge technologies. The State governments bear the major duty for the growth and promotion of MSMEs. Hence, it is imperative to enhance their prominence and sustainability by leveraging entry to domestic and global markets via the establishment of a business-friendly regulatory framework.

References

1. Fink, K., & Ploder, C. (2009). Balanced system for knowledge process management in SMEs. *Journal of Enterprise Information Management, 22*(1/2), 36-50.
2. Cugini, U., Ramelli, A., Rizzi, C., & Ugolotti, M. (2006). Total quality management and process modeling for PLM in SME. *Advances in Design,* 339-350.
3. Rolinek, L., Plevny, M., Kubecova, J., Kopta, D., Rost, M., Vrchota, J., & Marikova, M. (2015). Level of process management implementation in SMEs and some related implications. *Transform. Bus. Econ,* 14, 360-377.

4. Usman, I., Hartani, N. H., & Sroka, M. (2020). Operational performance of SME: the impact of entrepreneurial leadership, good governance and business process management. *Polish journal of management studies,* 21(1), 408-418.

5. Imanipour, N., Talebi, K., & Rezazadeh, S. (2012). Obstacles in business process management (BPM) implementation and adoption in SMEs. *Available at SSRN* 1990609.

6. Sohns, T. M., Aysolmaz, B., Figge, L., & Joshi, A. (2023). Green business process management for business sustainability: A case study of manufacturing small and medium-sized enterprises (SMEs) from Germany. *Journal of cleaner production,* 401, 136667.

7. Fink, K., & Ploder, C. (2009). Balanced system for knowledge process management in SMEs. *Journal of Enterprise Information Management,* 22(1/2), 36-50.